दशम माला, खंड 41, अंक 35

गुरुवार, 25 मई, 1995

4 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

दिनांक 25 मई, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची(।।), 238	।।,नीचे से 3	राज्य सभा के सदस्य	राज्य सभा से सदस्य
विषय सूची(।।।)	4	उपयोग करने देने	उपयोग करने की अनुमति देने
13	9	कोयल	कोयले
28	12	अमरीका	अमरीकी
58	15	गृह मंत्रालय के राज्यमंत्री	गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री
66	6	जल संसाधन मंत्रालय के	जल संसाधन मंत्रालय में
218	10	श्री एन॰के॰ राठवा	श्री एन॰जे॰ राठवा
223	1	रसाई	रसोई
225	23	श्री वाई॰एम॰	श्री वाई॰एस॰
244	नीचे से ।।	राजशेखर रेड्डी अनुमति की	राजशेखर रेड्डी अनुमति देने की

विषय-सूची

दशम माला, खंड 41, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 35, गुरुवार, 25 मई, 1995/4 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तरः		
*तारांकित प्रश्न संख्या	701-703	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तरः		
*तारांकित प्रश्न संख्या	704-720	24-39
अतारांकित प्रश्न संख्या	7105-7288	39-224
सभा पटल पर रखे गए पत्र		237-238
राज्य सभा के संदेश		238
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		239
नौवा प्रतिवेदन - प्रस्तुत		
याचिका समिति		239-241
उन्नीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		
नियम 377 के अधीन मामले		241-247
(एक)	मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में और अधिक रसोई गैस वितरण केन्द्र खोलने की आवश्यकता श्री भवानी लाल वर्मा	241
(दो)	पश्चिम रेलवे के भुसावल - सूरत सेक्शन पर पदासे रेलवे स्टेशन के समीप एक चौकीदारयुक्त रेलवे फाटक का निर्माण करने की आवश्यकता श्री बापू हरि चौरे	242
(तीन)	राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर से पानी छोड़ने के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने की आवश्यकता श्री बीरबल	242-243
(चार)	उड़ीसा में नवरंगपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता श्री के. प्रधानी	243
(पांच)	सम्पूर्ण देश में अहिल्याबाई की 200वीं वर्षगांठ मनाने और उनकी स्मृति में राष्ट्रीय पुरस्कार आरम्भ करने की आवश्यकता श्रीमती सुमित्रा महाजन	244

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह् इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(छह)	राजस्थान सरकार को अनुसूचित जातियों के विकास के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को बहाल करने और अनुसूचित जाति-प्रधान गांवो में पेयजल आदि उपलब्ध कराने के लिए इस सहायता राशि का उपयोग करने देने की आवश्यकता श्री गिरधारी लाल भार्गव	244-245
(सात)	बिहार के मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डे का विकास करने की आवश्यकता श्री मंजय लाल	245-247
(आठ)	अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता श्री नवल किशोर राय	247
व्यापार चिन्ह् विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		247-273
श्रीमती कृष्णा साही		247-249
श्री भगवान शंकर रावत		249-254
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन		
डा. सुधीर राय		254-257
डा. मुमताज अंसारी		257-260
प्रो. रासा सिंह रावत		260-263
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह		263-267
श्री सैयद शहाबुद्दीन		267-270
		270-273
नियम 193 के अधीन चर्चा		
महिलाओं पर अत्याचार और उनके सामने आ रही समस्याएं		274-338
श्रीमती गीता मुखर्जी		274-279
श्री ए. चार्ल्स		279-282
श्रीमति सुमित्रा महाजन		282-289
श्रीमती संतोष चौधरी		289-293
श्रीमती सुशीला गोपालन		293-299
श्री पवन कुमार बंसल		300-303
श्रीमती गिरिजा देवी		304-308
श्रीमती गिरिजा व्यास		308-314
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी		314-318
श्री प्रभु दयाल कठेरिया		319-325
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन्		325-327
डा. रमेश चन्द तोमर		327-330
श्री पी. सी. थामस		330-333
श्री राम कृपाल यादव		333-335
श्री हन्नान मोल्लाह		335
श्री तेजनारायण सिंह		336-337

लोक सभा

गुरुवार, 25 मई, 1995 / 4 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कोयला भण्डारों की खोज

*701. **श्री के. प्रधानी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला भंडारों के लिए की गई खोज का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोयला खान परियोजनाएं शुरू करने के बारे में व्यवहार्यता की दृष्टि से कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) पिछली तीन वर्ष की अवधि के दौरान (1992-95) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के कमांड क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लगभग 10 लाख मीटर ड्रिलिंग कार्य किया गया। इस ड्रिलिंग के परिणामस्वरूप 11.79 बिलियन टन के अतिरिक्त भंडार स्थापित किए गए हैं।

(ख) से (ङ). एक विवरण-सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) से (घ). जी, हां। पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० (के.खा.आ.डि.सं.लि.) द्वारा 83 नई कोयला खनन परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 84 मिलियन टन उत्पादन की वृद्धि किए जाने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) परियोजनाओं के विकास का कार्यक्रम निम्न मुद्दों पर निर्भर करता है, जैसे-भूमि की उपलब्धता, प्रत्येक परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरण एवं वनीय अनुमोदनों की उपलब्धता, वित्तीय संसाधन, आदि की उपलब्धता।

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि कोयला खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० ने 83 नई कोयला खान परियोजना रिपोर्टें तैयार की हैं और संसाधनों की कमी और आर्थिक व्यवहार्यता आदि कारण बताए हैं। मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि यदि संसाधनों की कमी है तो हमारी सरकार की नई आर्थिक नीति के अनुसार जिन कोयला उद्योगों में संसाधनों की कमी है वहां इन परियोजनाओं में प्राइवेट पार्टियों को आने दिया जायेगा?

श्री अजित पांजा : प्राइवेट पार्टियों को इस समय मुख्यतः दो प्रयोजनों के लिए अनुमति दी जाती है - लोहा और इस्पात क्योंकि यह मूलतः संविधि में था और पिछले एक वर्ष पूर्व कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम को संशोधित किया गया था ताकि उनको लाया जाए जो विद्युत संयंत्र स्थापित करेंगे। उन्हें रक्षित खानों के मामले में खनन का अधिकार दिया जाएगा जहां से वे कोयला निकाल सकते हैं और अपने विद्युत संयंत्रों के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्राइवेट पार्टी को कोयले का खनन करके उसे खुले बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है।

श्री के. प्रधानी : भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने कोयले की खोज के लिए एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया था। केन्द्रीय खनन आयोजना और डिजाइन संस्थान और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड आदि ने विस्तृत अध्ययन किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ये कंपनियां ड्रिलिंग के साथ-साथ उसके दौरान अतिरिक्त तरीके जैसे भू-भौतिक तरीके और दूरस्थ संवेदन अध्ययन को भी कर रहे हैं ताकि कोयले के खोज के तरीकों में सुधार लाया जा सके।

श्री अजित पांजा : ये कार्यवाही करने के लिए सुझाव हैं मैंने नोट किया है।

डा० मुमताज अंसारी : एक स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई 168 खनन परियोजनाओं में से 47 कोयला खनन परियोजनाएं बीच में ही छोड़ दी गई हैं और इन सभी परियोजनाओं में 52 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि यह अध्ययन कैसे किया गया और इसे क्यों छोड़ दिया गया जिसके कारण इतनी बड़ी मात्रा में धन की हानि हुई।

दूसरा, झरिया में 1867 मिलीयन टन रिजर्व कोयला 70 सक्रिय आगों के कारण रुका पड़ा है। अब तक केवल 5 आगों को बुझाया जा सका है। मैं जानना चाहता हूँ कि 1867 मिलियन टन रिजर्व कोयले को बचाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी क्यों नहीं अपनाई जा रही है और आग की शेष घटनाओं में नवीनतम टैक्नोलोजी से आग क्यों नहीं बुझाई जा रही है।

श्री अजित पांजा : भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण क्षेत्रीय खोज का अध्ययन करता है और उसके बाद विस्तृत खोज की जाती है। उस अध्ययन के बाद बहुत ही बातें करनी होती हैं। वास्तविक कोल तब पाया जाएगा जब कोल इंडिया भूमिगत खान अथवा खुले मुंह वाली खान के अंदर जाता है। उन्हें कोयले का पता लगाना होता है तो वहां पर है। खान के अंदर जाते समय उन्हें विभिन्न प्राकृतिक अवरोधों, जैसे वहां संभवतः बहुत अधिक मात्रा में गैस का पाया जाना और परत का आशानुकूल न होना, का सामना करना पड़ता है। उससे पहले भी अनेक स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। पहली स्वीकृति वन वाली भूमि की और दूसरे क्षेत्रों की लेनी होती है।

डा० मुमताज अंसारी : सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 168 परियोजनाओं में से 47 परियोजनाओं को स्वीकृत मिली है।

श्री अजित पांजा : 47 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय भू गर्भ सर्वेक्षण खोज के लिए स्वीकृति दी है परन्तु वास्तविक स्थल पर जाने पर कुछ और ही बात होती है। अर्थात यह कम लागत का नहीं पाया जाता है। तो इस बीच इसे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि यदि ज्यादा पैसा लगाया जाता है तो देश को इससे हानि होगी।

डा० मुमताज अंसारी : महोदय, कृपया मेरा साथ दीजिए। झरिया में लगी आग के बारे में क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : पिछले तीन वर्ष के विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम के अनुसार यह पाया गया है कि 83 परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कोयले की उपलब्धता 11.79 बिलियन टन होगी। इन 83 नई परियोजनाओं से प्रति वर्ष उत्पादन 84 मिलियन टन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इन 83 नई परियोजना रिपोर्टों में से कितनी परियोजनाओं को यहां बातों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति दी गई है जैसे भूमि की उपलब्धता, अलग-अलग परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता। पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी परियोजनाएं शीघ्र क्रियान्वित किए जाने के लिए ली जा रही हैं।

श्री अजित पांजा : महोदय, 83 में से 20 को स्वीकृति दी गई है और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री सुधीर गिरि : कोयले का उपयोग करने के बाद जमीन के नीचे दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों को भरना पड़ता है ताकि ऊपर की मिट्टी न धसे। एन.टी.पी.सी. और सी.एम.आर.आई. द्वारा किए गए अध्ययन ने यह बताया है कि रेत अथवा ऊपरी मिट्टी की तुलना में दरारों को फ्लाई एश से और आसानी से भरा जा सकता है। दरारों को इस प्रकार भरने से खानों से कोयला निकालने में सुविधा होगी। इसलिए क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या सरकार के दरारों को फ्लाई एश से भर कर अधिक मात्रा में कोयला निकालने के लिए कार्यवाही की है। यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला और ऐसी परियोजना के अन्तर्गत कितनी कोयला खानों को लाया गया हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री अजित पांजा : यह इस प्रश्न से नहीं उठता। आमतौर पर दरारों को रेत डालकर भरा जाता है। परन्तु एश, जो कि उपलब्ध है, को दरारों में भरकर परीक्षण किए जा रहे हैं। कितनी कोयला खानों में ऐसा किया गया है इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कोयले की खोज हमेशा दो चरणों में की जाती है, पहले चरण में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण कोयले वाले क्षेत्र का पता लगाता है और कभी खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड भी भा.भू.स. को सहायता करता है। दूसरे चरण में केन्द्रीय खान आयोजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड खोज का विस्तृत परीक्षण करता है।

मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ जो गोंडवाना कोल, टर्शिअरी कोल, प्राइम कोकिंग कोल, मीडियम कोकिंग कोल, ब्लेंड एबल या सेमी कोकिंग कोल अथवा नान-कोकिंग कोल के बीच भेद कर सकूँ। मैं केवल इतना जानती हूँ कि कोयले को इन किस्मों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि देश की समस्या यह है। 94 ब्लाकों में खोज के लिए विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है जो विभिन्न राज्यों में 21 कोयला क्षेत्रों में फैले हुए हैं और हमने प्रति माह 306 मीट्रिक टन की सबसे अधिक उत्पादकता प्राप्त की है जो सी.एम.पी.डी.आई. एल. द्वारा ड्रिल की गई है। परन्तु क्या यह हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। हम जितनी हमारे देश को जरूरत है उससे अधिक कोयले की खोज कर रहे हैं परन्तु अतिरिक्त कोयले का निर्यात नहीं कर रहे हैं क्योंकि विदेशों में हमारे कोयले की मांग नहीं है। हम एक खास किस्म के कोयले का भी आयात कर रहे हैं जिसकी देश में पर्याप्त रूप खोज नहीं की जा रही है। इसलिए हमारा ध्यान एक खास किस्म के कोयले का पता लगाने की ओर जाना चाहिए जिसकी हमारे देश में जरूरत है और जिसका निर्यात भी किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में कोयले के खनन के लिए क्या अनुसंधान किया जा रहा है।

जल-भूगर्भीय जांच के अंतर्गत कुछ बाहरी परामर्शदात्री काम हाथ में लिया गया था और उनमें से एक है लातूर भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जल सप्लाई जांच का कार्य। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जांच में कितनी प्रगति हुई है।

श्री अजित पांजा : लातूर भूकंप प्रभावित क्षेत्र में इस खास जांच के बारे में तथ्य मेरे पास नहीं हैं, वे भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के पास उपलब्ध होंगे जो कि एक केन्द्रीय एजेंसी है।

जहां तक गोंडवाना कोल, टर्शिअरी कोयले और कोकिंग कोयले का संबंध है, कंपनियां देश की आवश्यकता को ध्यान में रखती है। इसलिए वे इस बात को ध्यान में रखती हैं कि किस प्रकार के कोयले की मांग है और कितनी मात्रा में। प्रश्न का तीसरा भाग कोयले की कमी के बारे में है कि क्या कोकिंग कोल, जिसे आमतौर पर स्टील कोल का जाता है जिससे स्टील तैयार किया जाता है की कमी को दूर करने के लिए योजना बनाई जाती है। जी हां, कोकिंग कोल का पता लगाने के लिए ध्यान दिया जा रहा है ताकि इसके आयात को धीरे-धीरे कम किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री सुरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट के अध्ययन के लिये जो काम दिया गया था, उसमें सी.एम.पी.डी.आई. और एम.ई.सी.एल. और दूसरी इंडियन कम्पनियों को छोड़कर विदेशी कम्पनियों को भी इसमें लगाया गया है या नहीं? इस प्रोजेक्ट में सी.एम.पी.डी.आई. के जो शेयर लगाये गये, उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ? विदेशी कम्पनियों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना पैसा खर्च किया और उससे क्या नतीजे निकले? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद अच्छी कोयला खदानों को स्टेट गवर्नमैंट की एजेंसियों के द्वारा चलाने की बात कही गई थी लेकिन कोल इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। बिहार में करीब 80 कोयला प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन को कोल इंडिया चलाने का विचार कर रही है।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : कोयले की खोज में किसी विदेशी कंपनी को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि हमारे विशेषज्ञ भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण और भारतीय खनिज अन्वेषण निगम भी इस मामले में पर्याप्त हैं। वे सभी काम करते हैं जो भारत में कोयले का पता लगाने के प्रयोजन से आवश्यक हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बतलाया कि आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड के द्वारा 83 नई खनन परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार हुई। जिन कारणों से इसमें देर हो रही है, उनका भी उल्लेख किया और कहा कि इसके लिये जमीन और धनराशि का इंतजाम हो गया है। और कौन से कारण हैं जिन की वजह से काम में देरी हो रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको रिपोर्ट मिली है। अन्य दूसरी बातें क्या हैं जिसके कारण आप इस रिपोर्ट का प्रयोग नहीं कर सक रहे हैं।

श्री अजित पांजा : 83 प्रोजैक्ट रिपोर्टें तैयार की गई हैं। उनमें से जैसे कि मैंने पहले ही उत्तर दिया है 20 को स्वीकृति दी गई है। अनुमति और जिन दूसरी बातों की आवश्यकता थी वे सब मिल गई हैं। अन्य जांचाधीन हैं। वे या तो वन विभाग में रुकी पड़ी हैं या इसलिए रोकी हुई हैं क्योंकि उनका अभी और अध्ययन किया जाना है। वे भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा की गई मूल सर्वेक्षण हैं। परन्तु इसके बाद काफी अध्ययन किया जाना है, प्रत्येक खान की अलग-अलग व्यवहार्यता देखनी है। खान के अंदर जाने वाले खनिकों की सुरक्षा और संरक्षा यह पता लगाने के लिए देखनी पड़ती है कि कहीं खान के अंदर विषैली गैस की संभावना तो नहीं है। इन सब बातों को पता लगाना पड़ता है और तब यह किया जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि 83 परियोजनाओं में से 20 को स्वीकृति दी गई है और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है और शेष परियोजनाएं जांचाधीन हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग का विकास

***702. डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग के विस्तार एवं विकास के लिए सरकारी क्षेत्र की कुछ संस्थाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकास कार्य के लिए उन संस्थाओं को कोई सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में अनुसंधान एवं खोज के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार इस कार्य पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). सदन के पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

(क) और (ख). देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग के विस्तार और विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न संस्थान कार्यरत हैं। यह अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों क्षेत्रों में और तेल उद्योग के विकास के वित्तपोषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ). यह संस्थान अपने मूल संगठनों और अन्य स्रोतों से विकास कार्यों के लिए धनराशि प्राप्त करते हैं। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान संस्थानों को अनुसंधान और अन्वेषण के लिए आबंटित धनराशि और उनके द्वारा वास्तव में खर्च की गई धनराशि निम्न तालिका में दी गई हैं :

(करोड़ रुपए में)

	1992-93	1993-94	1994-95
आबंटन	82.59	98.44	92.32
वास्तविक व्यय	57.43	43.33	84.50

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा-सादा था। मैंने मंत्री जी से पूछा था कि प्राकृतिक गैस आयोग के विकास और विस्तार के लिए कौन-कौन से सरकारी संस्थान काम कर रहे हैं? मंत्री जी ने इसके उत्तर में कहा कि अनेक संस्थान काम कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह संस्थान कहां-कहां पर काम कर रहे हैं। कितने सरकारी क्षेत्र में कर रहे हैं, कितने प्राइवेट सैक्टर में कर रहे हैं और कितने विदेशी लोगों की सहायता से कर रहे हैं?

अयक्ष जी, गैस का प्रश्न जनसाधारण से जुड़ा हुआ है और इसकी उपयोगिता किसी से छिपी हुई नहीं है। एक तरफ देश की बढ़ती हुई आबादी और दूसरी तरफ गैस का अभाव, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, इन दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए सन् 1994-95 में नए संशोधन विकसित करने के लिए, नए संसाधन कायम करने के लिए आपने कोई योजना बनाई है? अगर बनाई है, तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए कोई योजना है? अगर है तो उसका स्पष्टीकरण करें?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त, जो देश के तेल उद्योग का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अनेक ऐसे संस्थान हैं जो इस प्रयास में योगदान कर रहे हैं। उनमें से एक केशव देव मालवीय इन्स्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोरेशन है। जिसके बारे में माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि यह देहरादून, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त इन्स्टीट्यूट आफ रिजर्ववॉयर स्टडीज, अहमदाबाद, इन्स्टीट्यूट ऑफ बाइटेक्नालॉजी एंड ज्योटेकनीक स्टडीज, जोरहट, इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्रिलींग टेक्नालाजी, देहरादून, यू.पी. इन्स्टीट्यूट ऑफ आयल एंड गैस प्रोडक्ट्स टेक्नालाजी, पनवेल (बम्बई के निकट), पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन, दिल्ली, सेंटर फार हाई टेक्नालाजी, दिल्ली, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डारेक्टोरेट, दिल्ली, इंडियन *इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो देहरादून, यू.पी. में है, नेशनल ज्योफिजीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद ओर ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, दिल्ली हैं, अब और न ही एसोसिएशन अथवा इन्स्टीट्यूट को इस कार्य में शामिल करने का प्रयास है और न ही कोई योजना विचाराधीन है।*

[हिन्दी]

डा. महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान वर्ष 1992 से 1995 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इन वर्षों में सरकार द्वारा कुछ राशि दी गई है और मंत्री जी द्वारा वर्षवार ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 1992-93 में 82.52 करोड़ रु०, वर्ष 1993-94 में 98.44 करोड़ रु०, वर्ष 1994-95 में 92.32 करोड़ रु०, धन आबंटित किया गया और जो राशि खर्च की गई है, वह वर्ष 1992-93 में 57.43 करोड़ रु०, वर्ष 1993-94 में 43.33 करोड़ रु०, और वर्ष 1994-5 में 84.50 करोड़ रु० है। जो राशि खर्च नहीं हुई हैं, वह वर्ष 1992-93 में 25.17 करोड़ रु०, वर्ष 1993-94 में 55.11 करोड़ रु० और वर्ष 1994-95 में 6.82 करोड़ रु०। अभी आपने कहा है कि आप विकास के लिए यह काम कर रहे हैं और वह काम कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को देखने से ऐसा लगता है कि जो धनराशि अन्वेषण कार्य पर खर्च करने के लिए दी जाती है, वह खर्च नहीं होती है। जब यह स्थिति है, तो विकास का विस्तार कैसे होगा। यह धीमी गति का प्रतीक है। आप कृपया बतायें, यह धन न खर्च होने का कारण क्या है और धन का पूरा उपयोग करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?...(व्यवधान) इसके साथ ही धन जो आबंटित किया है, उसकी निश्चित राशि क्या है? आयोग भी आपको धन देता है और दूसरे संस्थान भी आपको धन देते हैं, आप कृपया अलग-अलग बतायें, आपको वर्ष 1994-95 में ऑयल कार्पोरेशन और दूसरी संस्थाओं ने कितना धन दिया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरे भाग का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। आप पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं। राशि का उपयोग क्यों नहीं किया गया।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, 1992-93 के लिए न प्रयुक्त की जा रही राशि में भिन्नता का कारण पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसशेसिएशन द्वारा प्रदान संवर्धन योजनाओं के संबंध में आवश्यकता का कम होना है जैसे डीजल सिंचाई पंप सैटों के अक्षमतापूर्ण फुटवाल्व को बदला जाना, मॉडल गैराज की स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण आदि। सेंटर फार हाई टैक्टनालॉजी के लिए कारण उन संस्थाओं द्वारा, जिन्हें विभिन्न परियोजनाएं सौंपी गई थी, चालू अनुसंधान तथा विकास विभाग की परियोजनाओं का चरणबद्ध क्रियान्वयन है। पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन के संबंध में 1993-94 के लिए प्रमुख संवर्धन योजनाओं के लिए कम आवश्यकता

और फील्ड क्रियाकलापों तथा शिक्षा अभियान के लिए कम की गई आवश्यकताएं थी। सेंटर फार हाई टेक्नोलॉजी के लिए उन संस्थानों द्वारा जिन्हें विभिन्न परियोजनाएं सौंपी गई थीं, अनुसंधान तथा विकास. विभाग की परियोजनाओं की चरणबद्ध क्रियान्वयन है। 1994-95 के लिए पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन के मामले में राशि में भिन्नता का कारण कार्यालय स्थान परियोजना को स्वीकृति न दिया जाना। अवम फुटवाल्व को बदलने की प्रमुख सवंर्धन योजनाओं के संबंध में उनका कम उपयोग, सड़क परिवहन में कार्यक्षम डीजल इंजनों का उपयोग और माडल गैराज की स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण। सेंटर फार हाई टेक्नालाजी के लिए अनुसंधान तथा विकास विभाग की चालू परियोजनाओं की चरणबद्ध क्रियान्विति और परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब है।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि इन संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्य पर निगरानी रख रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम इन संस्थानों से अधिक से अधिक कार्य लें।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, केरल में प्रारम्भिक खोज से यह भी पता चलता है कि केरल में पेट्रोलियम उत्पाद भरपूर मात्रा में हैं, परन्तु यह पता लगाने के लिए न आगे और जांच की गई है और न कोई ठोस कार्यवाही की गई है कि क्या प्रारम्भिक खोज की बात सही है या नहीं। यदि यह सच है तो प्रश्न यह है कि ऐसे संसाधनों का कैसे दोहन किया जाए। दिए गए उत्तर से पता चलता है कि धन की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : यह धन अनुसंधान संस्थानों के लिए है न कि यह धन खोज और दूसरे कार्यों के लिए हैं।

श्री ए. चार्ल्स : मुख्य प्रश्न विस्तार और विकास के बारे में है। खोज का कार्य विकास के अंतर्गत आता है। तेल की कमी एक समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं और केरल में हमारे पास उसका भंडार है। मैं चाहता हूँ कि आप मंत्री जी को निदेश दें कि वह ऐसी सूचना दें। केरल एक ऐसा राज्य है जिसे लाभ होगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : प्रश्न अन्वेषण कार्य से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अन्वेषण हमारा मुख्य उद्देश्य है और भंडार प्राप्त करना देश के समक्ष एक बड़ी चुनैती है। मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बहुत पीछे हैं। इसलिए हमने इस क्षेत्र में सभी कदम उठाए हैं और हाल ही का कदम संयुक्त उपक्रम है जिसके द्वारा अपस्ट्रीम में हमारी कंपनिया जैसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड दो बिलियन डालर खर्च कर रही है और अपना ईक्विटी 40 प्रतिशत तक बढ़ा रही हैं। वे विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी द्वारा उन कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके पास अपेक्षित प्रौद्योगिकी है और जो इन संयुक्त कार्य में अच्छी पार्टनर बन सकेंगी ताकि केवल अन्वेषण कार्य के लिए आगमी तीन वर्षों में 5 बिलियन डालर का कार्यक्रम बन सके। मैं माननीय सदस्य और इस सभा को विश्वास दिला सकता हूँ कि हम केरल समुद्र तट रेखा और अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां हम परम्परागत रूप से तेल की खोज कर रहे हैं, पहली बार हम 200 मीटर से आगे गहरे समुद्र में, कुछ सीमांत क्षेत्रों में तथा देश के कुछ अन्य ब्लाकों में जिनके बारे में हमारा विश्वास है कि वहां हाइड्रोजन की ऊंची मात्रा होने के कारण तेल पाया जा सकता है, तेल की खोज कर रहे हैं। इसलिए अन्वेषण का एक बृहत कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी.एस. चौहान : अध्यक्ष जी, मंत्री न बहुत सारे इन्स्टीट्यूशंस के नाम बताए हैं और यह बताया है कि धन आवंटन किया गया है वह खर्च नहीं किया गया है। कुछ इंस्टीट्यूशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम रहे हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने लगभग 12 या 15 ऐसे संस्थानों के नाम लिए हैं। क्या मंत्री जी इन संस्थानों के कार्य से संतुष्ट हैं? उनका तेल के उत्पादन में अथवा तेल के उत्पादन और खोज की प्रौद्योगिकी का पता लगाने में क्या योगदान है?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, इस कार्य के लिए विभिन्न संस्थान हैं जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। उनमें से कुछ तेल उद्योग की सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और वे इस समय भी तेल अन्वेषण और उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए मैंने के.डी. मालवीय इन्स्टीट्यूट का उल्लेख किया है। यह इन्स्टीट्यूट 1962 में स्थापित किया गया था और इसका काम भू वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेना है ताकि हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए एक रीजनल भूतत्वीय माडल और बेसिन मूल्यांकन योजना पर काम हो सके। यह एक उच्च तकनीकी क्षेत्र है। विभिन्न परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक लाभप्रदता पर बल दिया जा रहा है। जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वे हैं भारत के 73 बेसिन की संसाधन का आकलन, 3-डी बेसिन पर, जेनीटिक माडल, हाइड्रोजन पैदा करने के लिए बेसिनों का विस्तृत विश्लेषण, अन्वेषण प्रयास में प्रयोगशाला की सहायता। वे विश्व स्तर का काम कर रहे हैं, हम उनसे संतुष्ट हैं।

तेल उद्योग एक गतिशील उद्योग है और तेल उद्योग में प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से बदल रहा है। यह निरंतर बदलती हुई प्रोद्योगिकी है और हमारा प्रयास यह है कि इन संस्थानों को जो किसी विश्व स्तर से कम नहीं है, नवीनतम प्रौद्योगिकी ओर

अतिरिक्त प्रौद्योगिकी से जानकर रखना चाहिए ताकि उत्पादन लागत कम हो और हम देश में नए तेल तथा गैस का पता लगा सकें और हमारा इनका भंडार बढ़ सके।

महोदय, इसलिए इन संस्थानों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। परन्तु साथ ही उन्हें जहां तक प्रोद्योगिकी का प्रश्न है, अपने आपको समय के साथ चलाना है और वे इस बात को जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक गैस उपयोग के विस्तार के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं; क्या इन्होंने जलकुंभी आदि जल में उत्पन्न होने वाले पौधे, जिनसे गैस निकलती है, इनके बारे में कोई अनुसंधान किया है। यदि हाँ तो जिन क्षेत्रों में ये पौधे बहुतायत से पाए जाते हैं, वहां पर इनकी फैक्ट्री लगाएंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को समझा नहीं हूँ।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, मैं किसी जल पौधों को नहीं जानता जो प्राकृतिक गैस छोड़ते हैं....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कह दिया है कि किसी पौधे से ऐसी गैस निकलती है, जिसको जलाया जा सकता है, इसकी उनको जानकारी नहीं है।

श्री अन्ना जोशी : रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करने वाले इंस्टीट्यूट क्या अपने काम में बाहरी देशों की मदद लेते हैं तथा इस क्षेत्र में जो नई खोजें हो रही हैं, क्या बाहरी देश उसकी जानकारी हमको देते हैं। बाहरी देशो में जो इस तरह की संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं या नहीं और क्या उनसे सरकार को कोई लाभ पहुंचता है ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, जहां तक इन संस्थानों का संबंध है, मुझे किसी विदेशी सहभागी के साथ औपचारिक समझौता करने की जानकारी नहीं है।

परन्तु जैसा मैंने कहा है कि प्रौद्योगिकी पहलू ऐसा है कि यह महत्वपूर्ण है कि वास्तव में इन संस्थानों को भारत से बाहर दूसरे संस्थानों के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यदि कहीं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में कमी है तो उसे दूर किया जा सके। यह बहुत जरूरी है।

श्री अन्ना जोशी : क्या वे ऐसा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस उद्योग में पेराफिन वैक्स का उत्पादन होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र में तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में किया जा रहा पेराफिन वैक्स टाइप टू का उत्पादन देश की आवश्यकता के अनुरूप हो रहा है। यदि हाँ तो क्या आपने लघु इकाइयों को भी पेराफिन वैक्स टाइप टू के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से नहीं उठता है। परन्तु यदि आप उत्तर दे सकते हैं तो आप दें।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : यह प्रश्न संभव नहीं है।

श्री पी.सी. थामस : विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जिनके नामों का उल्लेख किया गया है काफी अनुंसधान कार्य होने के बावजूद मैं पाता हूँ कि प्राकृतिक गैस तो पेट्रोलियम का उप-उत्पाद है, अनेक तेल शोधक कारखानों में बरबादी हो रही है विशेषकर बम्बई और कोचीन के तेल शोधक कारखानों में। जहां तक कोचीन रिफाइनरी का संबंध है मुझे इसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी है। यह एक प्रसिद्ध और एक बहुत सफल रिफाइनरी है। तथापि, संभवतः प्रौद्योगिकी के अभाव में काफी गैस जल रही है जिसका इन तेल शोधक कारखानों में आगे और उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या इसका कारण अनुसंधान की कमी है या क्या इसका कारण उचित प्रौद्योगिकी का अभाव है अथवा क्या यह धन की कमी के कारण हैं या क्या इसको उपयोगी बनाने के लिए इस संबंध में कुछ किया जाएगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : हमारे तेल शोधक कारखाने 106 प्रतिशत की कार्यक्षमता दर से कार्य कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है तेलशोधक कारखानों के अक्षम कार्यकरण के कारण ऐसी कोई बरबादी नहीं हो रही है। यदि किसी विशेष रिफाइनरी का विशिष्ट मामला है तो माननीय सदस्य इसे मेरे ध्यान में ला सकते हैं। मैं इसकी जांच कराऊंगा और तब उन्हें अपेक्षित जानकारी दूँगा।

मैं यहां यह बताना चाहूँगा कि पर्यावरण दृष्टि से भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता है क्योंकि अब हम सीसा रहित ईंधन, निम्न सल्फर डीजल आदि की बात कर रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों को तेल शोधक कारखानों में शामिल करना पड़ेगा और इसके लिए पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी आयात की आवश्यकता होगी और इन पर

काम चल रहा है। पर्यावरणीय दृष्टि से इन नई प्रौद्योगिकियों को तेल शोधक कारखानों में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अन्यथा हमारे तेल शोधक कारखाने अपनी पूरी क्षमता से अधिक कुशलता पूर्वक काम कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है, यदि कोई विशिष्ट मामला है तो मंत्री महोदय मेरे ध्यान में यह बात ला सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस : मैं प्राकृतिक गैस के जलने की बात कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

कोयला की आपूर्ति

+

*703. **श्री गुमान मल लोढ़ा** :
श्री राम नाईक :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान देश में विशेषतः उत्तरी क्षेत्र के रक्षित विद्युत संयंत्रों को उनकी मांग की तुलना में कोयले की कम आपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन रक्षित विद्युत संयंत्रों में कोयले की मासिक मांग कितनी-कितनी है;

(ग) जनवरी से मार्च, 1995 तक इन संयंत्रों को कितने-कितने कोयले की आपूर्ति की गई;

(घ) क्या इन संयंत्रों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा उनकी मांग से बहुत कम थी;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों के स्टाक में कोयला उपलब्ध नहीं था; और

(छ) यदि इन कंपनियों में कोयला उपलब्ध था तो उक्त महीनों के दौरान इनके स्टाक में औसतन कितना कोयला था ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ङ). जनवरी से मार्च, 1995 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र के प्रहीत विद्युत संयंत्रों को कोयला संचलन किए जाने के 14.11 लाख टन के कार्यक्रम की एवज में कोल इंडिया लि० द्वारा उन्हें वास्तविक रूप में 10.90 लाख टन (अनंतिम) मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई थी। कोल इंडिया लि० ने सूचित किया है कि प्रहीत विद्युत संयंत्रों को कोयले की रेल द्वारा आपूर्ति रेलवे द्वारा वैगनों की कम आपूर्ति किए जाने के कारण प्रभावित हुई है। सड़क/रज्जुमार्ग द्वारा कोयला प्राप्त करने वाली युनिटों के मामले में आपूर्ति लगभग 94% रही और इस संबंध में कमी मुख्यतः उपभोक्ताओं द्वारा कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई है।

(घ) और (छ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(घ) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों के पास उत्तरी क्षेत्र के प्रहीत विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है।

(छ) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त अवधि के दौरान कोल इंडिया लि० की ग्रपु की कंपनियों के पास कोयले का औसत स्टाक 40.86 मिलियन टन था।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने कोयले की सप्लाई न करने का कारण रेलवे द्वारा वैगनों की कम आपूर्ति बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करने का प्रयास किया है। जबकि श्रीमन् वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। अतः मैं उनसे प्रश्न संख्या एक (अ) के संबंध में पूछना चाहूँगा कि क्या यह सही है कि एक आर.एल. मिश्रा कमेटी बैठी थी जिसने यह बताया है कि:

[अनुवाद]

''1983 से कोयले के उत्पादन को जानबूझकर तथा सुव्यवस्थित ढंग से बढ़ाचढ़ा कर 75 लाख टन दिखाया गया है जिसका मूल्य 233 करोड़ है, भारत कोंकिंग कोल लिमिटेड के उच्च प्रबंधकों द्वारा प्रेरित 'स्लाटर माइनिंग' और कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी राष्ट्र को मंहगा पड़ रहा है।''

[हिन्दी]

फिर उन्होंने यह कहा है कि :

[अनुवाद]

''समिति ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधकों की कड़ी आलोचना की है कि उन्होंने जानबूझकर समूचे राष्ट्र को कोयले के उत्पादन के झूठे और भ्रामक आंकड़े दिए हैं। चूंकि कोयला एक मूल अवस्थापना उद्योग है, उसके उत्पादन संबंधी आंकड़े देश के सबसे ऊंचे स्तर के प्राधिकारियों को दिए जाते हैं।''

[हिन्दी]

श्रीमन्, इस कमेटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने लिखा है कि

[अनुवाद]

"रिपोर्ट में कोल इंडिया लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधकों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई है कि उन्होंने अधिक उत्पादन दिखाये जाने की रिपोर्टिंग को वैगन में कम कोयला लादकर और ग्राहकों को कोयले के बदले पत्थर भेजकर छिपाया है"

[हिन्दी]

बहुत सारी जघन्य अनियमिताएं उन्होंने बताई हैं जिसके कारण कोयला सप्लाई नहीं हो रहा है। कोल मिनिस्टरी ने इस कमेटी का गठन किया था। जब उसने अपनी रिपोर्ट दी तो आपने उसके बारे में क्या किया? क्या उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है, यह बतायेंगे?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, आर.एन. मिश्रा समिति का कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे द्वारा वैगनों की सप्लाई से कुछ लेना-देना नहीं है। समिति का यह पता लगाना था कि कोयले का स्टाक, जो बताया गया है, ठीक मात्रा में है या नहीं। जहां तक मुझे याद है, एक एकल व्यक्ति समिति भारत कोकिंग कोल लिमिटेड गई थी और वहां उसने न केवल पिछले कुछ महीनों का स्टॉक अपितु पिछले वर्षों का अर्थात 1989-90 का स्टाक पाया था। समिति ने यह पता किया था कि उस समय कितनी हानि हुई थी और क्या बढ़ाचढ़ा कर रिपोर्टिंग की गई थी या नहीं। वह रिपोर्ट दे दी गई है। उस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार कोयला कंपनियों द्वारा देश के कानून का पालन करने के बाद कार्यवाही की जा रही है।

यह सच नहीं है कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रेलवे वैगनों का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि 1990-91 में रेलवे वैगनों में कोयले के लदान में वृद्धि की प्रतिशतता 3.80 प्रतिशत थी। अगले वर्ष या 1991-92 में यह बढ़कर 8.40 प्रतिशत हो गई, 1992-93 में यह 7.2 प्रतिशत और 1993-94 में 7.3 प्रतिशत हो गई। 1990-91 में 135.16 मिलियन टन से बढ़कर यह 168.50 मिलियन टन हो गई।

महोदय, यह एक बहुत बड़ा देश है जहां वैगनों को अन्य प्राथमिकताओं के कारण दूसरी जगह भेजना पड़ता है। हर हफ्ते समन्वय समिति की बैठक होती है और सप्ताहित आधार पर निगरानी रखी जाती है और जहां आवश्यकता हुई वहां कठिनाइयों को दूर किया जाता है। हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। रेलवे के साथ हमारा अच्छा सहयोग है। मैंने वास्तविक तथ्य बताए हैं, मैं इस सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी वैगनों को जो निर्धारित समय पर आ रहे हैं, सप्लाई करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कोयला है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मिश्रा कमेटी और के.एस. सिन्हा कमेटी द्वारा रिपोर्ट में जो उल्लेख किया है कि भंयकर अनियमिततायें की जा रही हैं और जिस प्रकार से इस कोल कम्पनी में घोटाले किये जा रहे हैं, जिससे उत्पादन कम हो रहा है, उसका जवाब नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : 1989 का जवाब उस कमेटी का है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं उसको छोड़कर दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या यह सही है कि 1994-95 के अंदर प्रथम पार्ट में आपके यहां पर 16793 वैगंस रेलवे ने उपलब्ध कराये, लेकिन आपने 15575 वैंगस का उपयोग किया, जिसके कारण 86 लाख टन कोल कम सप्लाई हुआ, ऐसे ही अप्रैल-जून में 15722 वैगंस आप काम में लाये, जबकि 16271 वैगंस उपलब्ध थे, 4009 वैंगस बेकार रहे? इसी तरह से सेकंड हाफ में 15431 वैंगस का लक्ष्य होने के बावजूद भी 14261 वैंगस काम में लिये और 6635 आइडल रहे, इस कारण कोल सप्लाई नहीं होने का मुख्य कारण आपके यहां पर कर्त्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार है, यह कारण नहीं है कि रेलवे में वैंगस सप्लाई नहीं किए।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : विभाग के विरुद्ध ऐसे किसी भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ध्यान में आए और न ही माननीय सदस्य ने इसका मुझसे कभी जिक्र किया हालांकि मैं उन्हें बजट सत्र के दौरान हर रोज मिलता हूँ। यह सच नहीं है कि वैगन सप्लाई किए गए परन्तु उनका उपयोग नहीं हुआ।

महोदय, 1994 के प्रथम तिमाही में लक्ष्य 16,272 का था और 4 पहियों वाले वैगनों की प्रति दिन की सप्लाई 15,760 थी। दूसरी तिमाही में लक्ष्य 15,431 का था और सप्लाई 14,599 थी। तीसरी तिमाही में लक्ष्य 16,758 वैगनों का था और सप्लाई 16,215 वैगनों की थी। इसमें सुधार हुआ है, चौथी तिमाही में लक्ष्य 17,857 का था और वास्तविक लदान हेतु प्रति दिन की उपलब्धता 17,217 थी लेकिन लक्ष्य के अनुसार सप्लाई नहीं की गई थी। कोयले का सप्लाई किए गए वैगनों के वास्तविक आंकड़े के अनुसार लदान किया गया और भेजा गया।

श्री गुमान मल लोढ़ा : यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह सरकार के रिकॉर्ड में है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, रेल वैगन्स नहीं होने के कारण जनवरी से मार्च तक के तीन महीनों में 3 लाख टन कोयला कम गया। हमारे पास आर.सी.सी. की रिपोर्ट है जिसके अनुसार नवम्बर, 1994 तक कोल इंडिया और कोयले का उपयोग करने वाले इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों द्वारा रेलवे का 1100 करोड़ रुपया आना बाकी है और रेलवे उनको वैगन्स नहीं भेजता है। इस कारण से वहां कोयला नहीं जाता है। कोयला न जाने से उत्तरी भारत में बीच-बीच में अंधेरा होता है। ऐसे ही पिछले 3-4-5 दिनों से देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि रेलवे कहता है कि जब तक हमारा पैसा वापस नहीं आता है, तब तक हम वैगन्स नहीं देंगे और आपने यह कह दिया कि वैगन्स नहीं आते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आपने रेल मंत्री और इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों के साथ बैठकर यह विचार-विमर्श किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वैगन्स लाने के लिये कौन सा रास्ता निकाला ?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : यह अंतिम हिस्सा एक अच्छा सुझाव है और वास्तव में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। एक समन्वय समिति हर हफ्ते बैठती है जिसमें अनेक प्रतिनिधि होते हैं।

श्री राम नाईक : आप मंत्री जी से पूछिए।

[हिन्दी]

रेल मंत्री, कोयला मंत्री यहां बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होता है, अगर सब काम मिनिस्टर को करने के लिए लगायेंगे तो वे पार्लियामेंट में नहीं आयेंगे।

श्री राम नाईक : वे पार्लियामेन्ट में नहीं आयेंगे तो चलेगा लेकिन अंधेरा हो रहा है .....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

क्या यह गंभीर स्थिति नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने तरीके से उत्तर देने दीजिए, आप मंत्री जी से आशा नहीं कर सकते हैं कि वे हर बात को देखें। उन्हें नीति को देखने दीजिए।

श्री अजित पांजा : माननीय सदस्य को जानकर खुशी होगी.....

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सुझाव दिया है। अब आप संभवतः मंत्रीजी से मिलेंगे।

श्री अजित पांजा : मैं रेलवे मंत्री से दो बार मिला हूं और उन्हें विस्तृत रिपोर्ट दी है जो मुझे कंपनियों से मिली थी, मैंने उन्हें पत्र भी लिखा है। उन्होंने मुझे अगले दिन तुरन्त उत्तर दिया और ऐसी बात का सुझाव दिया जिससे कोई हल निकल सकता है। अधिकारी प्रति सप्ताह मिलते हैं। रेल मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के सहयोग से हम समस्या का हल निकाल रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा है इस देश में बड़ी मात्रा में कोयले का लदान हो रहा है और वैगन इन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया गया है कि दो मंत्रालयों के बीच समन्वय होना चाहिए और सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री अजित पांजा : एक समन्वय समिति है जो बड़ा अच्छा काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : संभवतः माननीय सदस्य मंत्रियों के स्तर पर समन्वय चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोल तो कम मिलता ही है और जो कोयला संयन्त्रों को जाता है, वह ठीक नहीं होता। ऐसी बहुत सी शिकायतें आई हैं कि उसमें राख बहुत ज्यादा होता है। जो क्वालिटी आती है, वह ठीक नहीं होती और क्वांटिटी भी कम निकलती है, साथ ही क्वालिटी ठीक न जाने से स्टेट के जो विद्युल मंडल हैं, उनकी भी बराबर शिकायत आती है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को-आर्डिनेशन करके अच्छा कोयला देने की कृपा करेंगे और कोयले में जो राख होती है उसको निकालकर जो कोयला संयत्रों को देंगे, वह अच्छा होगा या नहीं या ऐसी कोई स्कीम केन्द्रीय सरकार की है ?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : कंपनी की यह कोशिश है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाला कोयला सप्लाई किया जाए। वास्तव में हमने जोर दिया है कि बल्क उपभोक्ता जैसे राज्य बिजली बोर्ड और अन्य खान के मुंहाने तक अपनी एक टीम भेज सकते हैं या एक स्वतंत्र सर्वेक्षक भेज सकते हैं जो वहीं पर कोयले की गुणवत्ता की जांच करें। वहां चार अथवा पांच खानें हैं और यदि किसी एक खास लदान स्टेशन पर किसी खान विशेष पर कोयला बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वे दूसरे की खान से कोयला ले सकते है। 1,000 कि.मी. या इससे अधिक की ढुलाई के बाद यह कोयला बिजली घरों में पहुंचता है। यदि वहां कोयले की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में विवाद उत्पन्न होता है तो कानून के अन्तर्गत कोयला कंपनियां इस कारण से जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि कोयले की बिक्री खान के मुहाने पर होती है। इसके

बाद रेलवे की रसीद और फारवार्डिंग नोट दिया जाता है जिन पर रेलवे, कोल कंपनियां और उपभोक्ता भी, यदि उनके वहां अपने जांच एजेंट या अपने इन्सपेक्टर हों, हस्ताक्षर करते हैं। इसके अलावा वहां कोयला नियंत्रक इसकी जांच करने के लिए वहां होते हैं। इसी कार्य के लिए वहां कोयला उपभोक्ता परिषद होती है। इसलिए हम कपंनियों पर जोर दे रहे हैं कि वे कोयले की मात्रा जानने के लिए और अधिक संख्या में कोयला हैंडलिंग प्लान्ट्स और इलेक्ट्रोनिक उपकरण लगाएं और जहां तक कोयले की गुणवत्ता का संबंध है, हम उन्हें अधिक संख्या में धोवनशालाएं लगाने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः इस समय हमारे पास अब 19 धोवनशालाएं हैं और हमें 50 और धोवनशालाओं की आवश्यकता है परन्तु इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए हमें कुछ निर्माणकाल की आवश्यकता है। कोयले के उपभोक्ता के लाभार्थ हमेशा प्रयास किए जाते हैं लेकिन उपभोक्ता को इसके लिए कुछ देना चाहिए जो प्रत्येक मामले में नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पांजा जी जिस कमेटी के बारे में बोले, क्या यह सही है कि जब ये मंत्री बने, उसके पहले इस कमेटी की रिपोर्ट आई थी? मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय ने मिश्र जी की रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा होगा। मिश्र कमेटी में जिन धांधलियों के बारे में जिक्र किया गया, जैसे लोढ़ा जी ने कहा कि कोल के जरिये लोगों को पत्थर मिलता है। तो मंत्री जी का यह कहना सही नहीं है कि यह पुरानी रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यह रिपोर्ट 1989 की है।

श्री रवि राय : मैं जानना चाहता हूँ कि मिश्र कमेटी की रिपोर्ट देने के बाद क्या मिश्र जी को दण्ड मिला, क्योंकि वैस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ उनकी रिपोर्ट थी। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि मिश्र कमेटी की जो रेकमंडेशन हैं, वर्तमान में वह शिकायतें मौजूद है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : इस पर, जैसा कि मैंने कहा है, कंपनियों ने जहां भी पाया कि रिपोर्ट तर्कसंगत है, वे कदम उठा रहे हैं, हमारे पास अपनी सांविधिक टीमें हैं जो त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिकी और वार्षिकी जांच करती हैं। जहां तक कोयले के स्टॉक का संबंध है ये टीमें उनके ब्यौरे को देख रही हैं। परन्तु निश्चय ही जहां कहीं भी कंपनियों को पता चला कि कदम उठाने के सुसंगत कारण हैं तो विभिन्न कदम उठाए जाते हैं ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : उनको दण्ड मिला या नहीं, यह मेरा सवाल है।....(व्यवधान)

श्री छोटे सिंह यादव : मैं जानना चाहता हूँ कि जिन एजेन्सियों के माध्यम से कोयले की आपूर्ति होती है जो ट्रांसपोर्ट और हैण्डलिंग का काम करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एजेन्सी स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। प्रत्येक राज्य के जो मार्केटिंग फेडरेशन हैं, ट्रांसपोर्ट और हैण्डलिंग में उनका सबसे महत्वपूर्ण शेयर होता है। आबंटन उनको सबसे कम मिलता है, आपूर्ति उनकी सबसे कम होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन पर किसी कंपनी का एक रुपया भी बकाया नहीं है, सहकारी समितियों के प्रति इस प्रकार के भेदभावपूर्ण आंबटन की नीति क्यों है? क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में ऐसी व्यवस्था करेंगे। जिसमें सहकारी समितियों के माध्यम से अन्य की भांति सही तरीके से आंबटन मिल सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोयले की ढुलाई के लिए सहकारी समितियों का उपयोग कर रहे हैं? यही बात वे जानना चाहते हैं।

श्री अजित पांजा : महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या उनका उपयोग किया जा रहा है या नहीं। कुछ कहने से पहले कुछ यह देखना होगा।

श्री छोटे सिंह यादव : सभी सहकारी समितियां इस काम में लगी हैं, वे यह कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा : यह शाश्वत प्रश्न हो गया है कि रेल वैगन्स की कमी है या कोयले की कमी है। मैं एक विनम्र निवेदन आपसे करना चाहूंगी कि रेल मंत्री के जवाब और कोयला मंत्री के जवाब एक ही दिन हमें दिलवाए जाएं ताकि साफ-साफ पता चल जाए कि वास्तविक स्थिति क्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप कितना भी करें तो भी वह दोस्त ही रहेंगे, झगड़ने वाले नहीं।

प्रो० रीता वर्मा : हम लोगों को जवाब सुनने से लगता है कि एक ही सरकार के दोनों मंत्री या मंत्रालय नहीं हैं। अलग-अलग वे में इनका जवाब देते हैं। मेरा प्रश्न है कि आर.एन. मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जो चर्चा हुई, उसके बारे में यह कहना गलत है कि 1989 की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 1994 में मिल और इसमें डैडलाइन थी कि 15 जून तक एक्शन लेना है तथा जो भी दोषी व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको क्या पनिशमेंट दिया जा। 15 जून, 1994 तक यह तय कर देना था। मुझे यह अच्छी तरह से जानकारी है कि बहुत सारी शिक़ातयें आई हैं। खासकर रोपड थर्मल पावर स्टेशन से, जिसका लिंकेज भारत कूकिंग कोल से था, जो मेरे

क्षेत्र में पड़ता है। बार-बार बड़ी शिकायतें आती थी कि कोयले की जगह पत्थर ही नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी चट्टानों को तोड़ने या चुनने का कष्ट कोई नहीं करता था। ऐसी चट्टानों को लोड किया गया है। यह जानकारी होते हुए भी दोषी अधिकारियों को दण्डित नहीं किया गया। वे सब बाइज्जत नौकरी करते रहे, कुछ रिटायर हो गए, कुछ अभी भी नौकरी में हैं, लेकिन शायद किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब एक्शन ही नहीं लिया जाएगा तो कोई भी कमेटी रिपोर्ट दे, उसका फॉलो-अप नहीं हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यह समस्या बनी रही। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जो ऐसे दोषी अधिकारी हैं, जिनके समय में यह काम हुआ उनमें से कितने अधिकारियों को अब तक सजा मिली है और क्या इस संबंध में मंत्रालय कोई एक्शन लेने वाला है?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, निश्चय ही उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो दोषी पाए गए थे। आर.एन. मिश्र कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी और सरकार ने उसकी जांच की है। हमने पाया कि कुछ मामलो में स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों की उपेक्षा की गई हैं। जिस कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है, उसकी बात नहीं सुनी गई। देश के कानून के अनुसार हमें उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जिसको हम दंड दे रहे हैं। इसलिए मैंने आदेश दिया कि उन व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस और एक अभियोग पत्र जारी किया जाना चाहिए और उसमें उन आरोपों को बताया जाना चाहिए जिनके उत्तर उन्होंने देने हैं। महोदय, एक या दो मामलों में कार्यवाही की गई है और ऐसे भी मामले हैं जो अभी भी जांच के लिए लंबित पड़े हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा : थर्मल पावर स्टेशन की जो शिकायत की गई है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, कोयला कंपनियों में घपले और चोरी आम बात है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे पुरी से कलकत्ता जाते समय इन कंपनियों में जाएं और स्वंय देखें कि रिकॉर्ड में कितना स्टॉक दिखाया हुआ है और फील्ड में वास्तव में कितना स्टॉक है। प्रत्येक कोयला कंपनी अपने रिकार्ड में कुछ मात्रा दिखाएगी परन्तु वास्तव में यह फील्ड में नहीं है। इस प्रकार कोयले की कमी के कारण इस प्रकार का कार्य होता है। जब कोयला वहां नहीं है तो स्वभावतः वहां पत्थर होंगे, आपको तो वैगन में कुछ रखना होगा। क्या आप व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कंपनी का स्टॉक देखेंगे या क्या आप कंपनियों के अलावा जांच के लिए एक स्वतंत्र निकाय नियुक्त करेंगे कि क्या फील्ड में वास्तव में स्टाक है या स्टाक केवल कागजों में है? क्या आपने इसकी जांच की है।

श्री अजित पांजा : महोदय, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं जो 44 मिलियन मीट्रिक टन कोल स्टॉक की जांच करूँ। मैं यह नहीं दिखाता कि मैं इस बात को जानता हूँ। इस सिस्टम में जांच और बैलेंस है। मैंने उनकी जांच की है। सबसे पहले स्टॉक के संबंध में तिमाही लेखा किया जाता है फिर 6 महीने का स्टाक लिया जाता है और अंत में स्टॉक के संबंध में वार्षिक लेखा किया जाता है। यह एक स्वतंत्र समिति द्वारा लिए जाते हैं।

महोदय, इसके बाद संसदीय समिति भी है। श्री जसवंत सिंह संसदीय समिति के सभापति हैं। इसने मामले के पूरे ब्यौरे का अध्ययन किया है और अधिकारियों से प्रश्न किए हैं। उस समिति ने जो भी फाईल मांगी हैं, मैंने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आदेश दिए हैं कि इसे समिति को भेजा जाए। फाइलें उन्हें भेजी गई। अन्तिम बात तो कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह यह कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने लेखा की जांच की है। लोकतंत्र ढांचे के अंतर्गत इन सभी जांच और बैलेंस व्यवस्था को छलना आसान नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कहीं कमियां हैं। परन्तु इसी व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि सरकार के द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के लिए पिछले दिनों जो कांट्रेक्ट दिये गये वे कुछ बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिये गये जिससे बेरोजगार लोगों को किसी तरह की मदद नहीं मिली और सरकार के सामने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की जो प्राब्लम है, वह भी हल नहीं हो पा रहा है। हमारे नवयुवकों और नौजवानों को सरकार किसी तरह की आर्थिक सहायता भी नहीं दे पाती है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि भविष्य में मजदूरों की कोई कोआपरेटिव या बेरोजगार नौजवानों की कोआपरेटिव बनाकर, जो कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के लिए एप्लाई करे क्या उन्हें ऐसे प्लांट लगाने की अनुमति दी जायेगी, क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव हैं, क्या सरकार इस दिशा में विचार करेगी ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके और मजदूरों को प्रोत्साहन मिल सके। ऐसे तब्के के लोगों को इस काम में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, यह खुले टेंडर मंगाकर किया जाता है। यदि कामगारों का कोई सहकारी संगठन है तो वे निश्चय ही टेंडर की बोली दे सकते हैं। यह टेंडर के माध्यम से करना होगा। पर रक्षित विद्युत संयन्त्र स्थापित करने के लिए बहुत धन चाहिए। यदि कामगारों का कोई सहकारी संगठन है तो टेंडर की बोली दे सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी सी.सी.एल. में 67 लाख रुपये की ओवर-रिपोर्टिंग की चर्चा है जिसके लिये कम्पनी के सी.एम.डी., श्री आर.एन. मिश्रा ने एक जांच कमेटी बनाई है, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या है। क्या रिपोर्ट में इस आरोप को सही पाया गया है ? यदि सही पाया गया तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद नगरी में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, लगभग 2600 इंडस्ट्रीज वहां हैं, वे सभी या तो कोयले पर निर्भर हैं या मिट्टी के तेल पर निर्भर हैं। चूड़िया बनाने से लेकर, टू व्हीलर और उनकी हैडलाइट्स बनाने वाली जितनी इंडस्ट्रीज वहां हैं, जिनके द्वारा तैयार माल न केवल हमारे देश में सप्लाई किया जाता है बल्कि विदेशों में भी भेजा जाता है, लेकिन उन्हें उतनी मात्रा में कोयले की सप्लाई नहीं मिलती है, जितनी उन्हें जरूरत है। यदि उन्हें सप्लाई की भी जाती है तो उस कोयले की क्वालिटी इतनी घटिया होती है कि एकदम थर्ड क्लास का कोयला मिलता है जिसमें काफी बड़े-बड़े पत्थर मिले होते हैं जिससे उन इंडस्ट्रीज के सामने प्रौब्लम आ रही है।

अध्यक्ष महोदय : टाइम बहुत थोड़ा है, जल्दी से पूछ लीजिये।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : इस बारे में मैंने कोयला मंत्रालय को दो पत्र लिखे, एक पत्र 1993 में लिखा जिसके जवाब में मेरे पास लिखकर आया कि आपका पत्र प्राप्त हुआ जिसे अगली कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है। जब दूसरा पत्र लिखा तो उसके जवाब में भी यही लिखकर भेज दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि कभी हमें संतोषजनक उत्तर आपकी तरफ से नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय : टाइम खत्म हो गया है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास कोयला सप्लाई के लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

डाक सेवा का आधुनिकीकरण

*704. **श्री डी0 वेंकटेश्वर राव**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में डाक सेवा का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो देश के दुर्गम भागों में भी डाक सेवा का विस्तार करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाक सेवा का और अधिक विस्तार करने की दृष्टि से गांवों (पंचायतों) की सहायता लेने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी हाँ। डाक विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक टेक्नालाजी का समावेश करके डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण करना तथा ग्रामीण इलाकों में जहां डाक सुविधाएं नहीं हैं वहां डाक नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है। जहाँ तक ग्रामीण इलाकों में डाक नेटवर्क के विस्तार का संबंध है, प्रत्येक वार्षिक योजना के अंतर्गत डाकघर खोलने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण इलाकों में 1440 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत डाक सुविधाएं प्रदान करने के कार्यक्रम में तेजी लाने के उद्देश्य से, जहां तक आवर्ती व्यय का संबंध है। बजटीय संसाधनों को न्यूनतम रखते हुए पंचायत संचार सेवा योजना नामक एक स्कीम तैयार की गई है, जिसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुबंधात्मक आधार पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन गांवों में मूल डाक सुविधाओं का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है, जिन गांवों में ये सुविधाएं अभी तक सुलभ नहीं कराई गई हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड

*705. **श्री लाईता उम्ब्रे**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यालय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसके माध्यम से कुल कितनी राशि का कारोबार हुआ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में किसी कृषि उत्पाद का निर्यात किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) ट्राइफेड का गुवाहटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय है जिसके अधीन 2 परियोजना कार्यालय फुलोनी और हाथीकली में स्थित हैं। तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कुल व्यापार की गई राशि निम्नलिखित हैं:-

	(रुपए लाख में)
1992-93	5.59
1993-94	13.14
1994-95	19.51

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि प्राप्तियां बहुत अधिक नहीं थी और कोई निर्यात आदेश भी नहीं प्राप्त हुए थे, इसलिए स्टॉक को विदेशी बाजार में ही बेचा गया।

[हिन्दी]

ट्रंक कालों की दरें

*706. **श्री नरेश कुमार चाहियान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को सरकारी ट्रंक एक्सचेंजों और गैर-सरकारी संस्थाओं/एजेंसियों/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक काल सेवा उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ट्रंक कालों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं/एजेंसियों/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों द्वारा ली जा रही दरों में भारी अंतर है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकारी ट्रंक एक्सचेंजों के माध्यम से होने वाली ट्रंक कालों में कमी हो रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ट्रंक काल की दरों में समानता लाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक कॉल सेवाएं देश की सरकारी ट्रंक एक्सचेंजों के माध्यम से ही प्रदान की जाती हैं। अन्य किसी गैर-सरकारी संस्था/एजेंसियों/फ्रेंचाइज पी.सी.ओ. को ग्राहकों को ट्रंक कॉल सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग). पूरे देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक कॉलों की सरकारी दरें समान हैं। सरकार ने ग्रामीण पंचायत टेलीफोनों से की जाने वाली ट्रंक कॉलों पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की है।

(घ) एस.टी.डी. की बढ़ती हुई सुलभता के कारण देश में ट्रंक कॉलों की बुकिंग घट रही है। उपभोक्ता ट्रंक कॉल बुक कराने की अपेक्षा एस.टी.डी. कॉल करने को तरजीह देते हैं।

(ङ) और (च). उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होता।

पोस्टकार्डों की बिक्री

*707. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोस्टकार्डों की बिक्री के कारण हो रही हानि को कम करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको किस तरीके से लागू किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). साधारण पोस्टकार्ड और प्रिंटिड पोस्टकार्ड की दरों के बीच पहले से ही अंतर है। इनकी दर, इस समय क्रमशः 15 पैसे और 60 पैसे हैं। हाल में, दूरदर्शन, रेडिया और समाचारपत्र माध्यमों के विभिन्न क्विज़ कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के उत्तर भेजने के लिए साधारण पोस्ट कार्डों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लगा है। सरकार का विचार व्यक्तिगत संदेश भेजने के लिए प्रयुक्त पोस्टकार्डों और ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए प्रयुक्त अन्य पोस्टकार्डों के बीच, प्रतियोगिता के लिए प्रयुक्त पोस्टकार्ड का इस ढंग से मूल्य निर्धारण द्वारा आगे और अंतर करने का है जिससे आम व्यक्ति के लिए जो सब्सिडी नियत की गई है वह काफी अधिक कम हो जाए। जब यह स्कीम तैयार हो जाएगी, तब भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन करके इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

*708. श्री नवल किशोर राय :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बीस हजार और इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों में एल.पी.जी. एजेंसियों का आवंटन करने और लोगों को रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को कब तक लागू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत रसोई गैस की मांग के संबंध में कोई आंकलन भी कराया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मांग को पूरा करने के लिये किन-किन स्रोतों से कितनी-कितनी रसोई गैस प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों की एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, वर्तमान समय में 1991 की जनगणना के अनुसार, 20,000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों में स्थान की व्यवहार्यता और उत्पाद की उपलब्धता के अधीन चरणबद्ध रूप में खोली जाती हैं। तदनुसार, नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए 1992-94 की एल.पी.जी. विपणन योजना में 623 स्थानों और 1994-96 की एल.पी.जी. विपणन योजना में 1023 स्थानों को सम्मिलित कर लिया गया है। वर्ष 2000 तक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सभी शहरी क्षेत्रों में खोले जाने की आशा है।

(ग) से (ङ). जी, हां। सरकार एल.पी.जी. की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान स्रोतों के संवर्धन, नए स्रोतों को चालू करने और बढ़े हुए आयातों के माध्यम से देश में एल.पी.जी. की उपलब्धता में वृद्धि करने का निरन्तर प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एल.पी.जी. के आयात को भी नियंत्रणमुक्त कर दिया है और समानान्तर विपणनकर्त्ताओं को एल.पी.जी. का आयात और विपणन करने की अनुमति दे दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों से एल.पी.जी. का स्वदेशी उत्पादन 1994-95 में 2858 टी.एम.टी. से बढ़कर 2001-02 में 5031 टी.एम.टी. हो जाने की संभावना है। कुल आवश्यकता 8630 टी.एम. टी. होगी। शेष आवश्यकता को आयात द्वारा पूरा किया जाएगा।

स्रोतवार उपलब्धता निम्नानुसार होगी :-

2001-02 में अनुमानित स्वदेशी एल.पी.जी. उत्पादन(टी.एम.टी)

वर्तमान रिफाइनरियां	1664
नई रिफाइनरियां	993
वर्तमान फ्रेक्शनेटर	1479
नए फ्रेक्शनेटर	895
स्वदेशी कुल	5031 टी.एम.टी.
आयात	3600 टी.एम.टी.
कुल	8631 टी.एम.टी.

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में अमरीका कंपनियाँ

*709. डा. आर. मल्लू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की बहुत सी दूरसंचार कंपनियों की रुचि भारतीय दूरसंचार के क्षेत्र में पूंजीनिवेश करने की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्तावित पूंजी निवेशों का ब्यौरा क्या है और अमरीका की संबंधित कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे पूंजी निवेश देश के दूरसंचार नेटवर्क के विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगे;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या ऐसे पूंजी निवेशों से मिजोरम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों को लाभ होगा; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका की-उन प्रमुख कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनके प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं।

(ग) जी नहीं, दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण, दूरसंचार सेवाओं की यवस्था आदि जैसे सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को अनुमति दी जाएगी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नही उठता।

(ङ) जी हाँ।

(च) ऐसे निवेश से मिजोरम और उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों सहित देश के सभी भागों में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार और उनमें सुधार करने के कार्य में सहायता मिलेगी।

विवरण

अमरीका की प्रमुख कंपनियों का ब्यौरा जिनके विदेशी निवेश के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं

क्र.सं.	अमरीका कंपनी का नाम	मद/सेवाएं
1	ए.टी.एंड टी यू.एस.ए.	(क) डिजिटल स्विचिंग प्रणाली (ख) डिजिटल पारेषण उपस्कर (ग) आप्टीकर फाइबर केबल का निर्माण
2.	मोटरोला इनकापोरेशन	(क) डाटा कम्यूनिकेशन का निर्माण (ख) पेजर्स का निर्माण (ग) सचल रेडिया ट्रंक सेवा (घ) रेडियो पेजिंग सेवा
3.	स्प्रिंट	ई-मेल सेवाएं
4.	नाइनेक्स नेटवर्क सिस्टम्स क0	(क) रेडिया पेजिंग सेवा (ख) सेलूलर टेलीफोन सेवा
5	ह्यूज्स नेटवर्क	(क) वी.एस.ए.टी. उपस्कर का निर्माण (ख) वी.एस.ए.टी. सेवाएं (ग) सेलूलर टेलीफोन सेवा
6	बेलसाउथ इनकार्पो रेटिड	सेलूलर टेलीफोन सेवा
7.	मिलिकॉम इंटरनेशलन सेलूलर	सेलूलर टेलीफोन सेवा
8	सेलूलर कम्यूनिकेशन इंटरनेशलन इनकार्पोरेशन	सेललूर टेलीफोन सेवा
9.	एल.सी.सी. इनकार्पोरेशन	रेडिया पेजिंग सेवा
10.	सेन्चुरी टेलीकॉम इंटरनेशल इनकार्पोरेशन	सेलूलर टेलीफोन सेवा
11.	वर्ल्ड फोन इनकार्पोरेटिड	अडियो टैक्स सेवा
12.	वेनगार्ड इंटरनेशनल	सचल ट्रंक्ड सेवा
13.	इंटरनेशनल वायरलेस कम्युनिकेशन	सचल ट्रंक्ड सेवा
14.	स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट्स इनकार्पोरेटिड	रेडिया पेजिंग सेवा
15.	आई.एम एस. इनकार्पोरेटिड	रेडिया पेजिंग सेवा
16.	वाइद कॉम आर.एंड डी.	फैक्स मशीनों का निर्माण

विमान ईंधन पर अधिशुल्क

*710. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तेल समन्वय समिति ने विमान ईंधन (एविएशन टरबाइन फ्यूअल) संबंधी आदानों की व्यवस्था करने वाली तेल कम्पनियों पर भारी अधिशुल्क लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस अधिशुल्क का विमान ईंधन के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इसका देश में नागर विमानन क्षेत्र पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). घरेलू एयरलाइनों को बेची जाने वाली ए.टी.एफ. की कीमत प्रशासित होती है। प्रशासित कीमतों की रचना इस प्रकार की जाती है ताकि अत्यावश्यक उत्पादों को वहन की जा सकने वाली कीमतों पर उपलब्ध कराया जा सके। अतः एस.के.ओ., एच.एस.डी. आदि जैसे आम जनता में खपत के उत्पादों पर राज सहायता दी जाती है तथा ए.टी.एफ., एम.एस. जैसे उत्पादों का मूल्य इस प्रकार तय किया जाता है कि उन्हें परस्पर राज सहायता दी जा सके। निर्यात आयात नीति में एस.आई.एल. के अंतर्गत ए.टी.एफ. के आयात की अनुमति दी गयी है। एस आई.एल. के तहत ए.टी.एफ. के आयात के लिए सुविधाओ के प्रयोग हेतु फिलहाल 3292/- रुपए कि.ली नियत किया गया है।

डाक सम्मेलन

*711. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन'' का 21वां सम्मेलन अगस्त-सितम्बर, 1994 के दौरान सियोल में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई और इस संबंध में क्या-क्या निर्णय लिए गये;

(घ) क्या भारत ने इस सम्मेलन को डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा उनके समुचित संचालन हेतु उठाए गये कदमों के बारे में अवगत कराया था;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्मेलन में लिए गये निर्णयों को भारतीय डाक सेवा में कितना लागू किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (च). यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का 21वां सम्मेलन अगस्त-सितम्बर, 1994 के दौरान सियोल में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में, यूपीयू के 174 सदस्य-देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संचार राज्य मंत्री ने किया था तथा इस प्रतिनिधि मंडल में डाक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस सम्मेलन में 823 प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई और जिन पर निर्णय लिए गए, वे इस प्रकार थे : (i) यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन और कार्यप्रणाली, (ii) यूपीयू के सदस्य देशों के डाकघरों की अगले पांच वर्षों के लिए कार्यनीति, (iii) अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा और ब्योरेवार विनियमों के बारे में यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन के कन्वेंशन्स (iv) पार्सल डाक दरों, अंतर्राष्ट्रीय डाक की सेवा-गुणवत्ता, डाक सेवा के लिए सदस्य देशों के बीच परस्पर देय जैसे विभिन्न अन्य मामले। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, इस सम्मेलन को भारत में डाक सेवाओं और प्रचालन-कार्यों को अधुनिक बनाने के लिए किए गए उपायों, विशेषकर नई सेवाओं से अवगत कराया जो यूजर-स्पेसिफिक हैं व अतिरिक्त राजस्व जुटाने तथा प्रचालन-कार्यों में कार्यकुशलता लाने के लिए तैयार की गई हैं। सम्मेलन द्वारा अपनाई गई सियोल पोस्टल स्ट्रेटिजी में इस सेवा को अत्यंत ग्राहकोन्मुख बनाने और दूरसंचार के युग में डाक सेवा को अत्यंत प्रासंगिक बनाने पर बल दिया गया। भारत में डाक विभाग ने सियोल पोस्टल स्ट्रेटिजी को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और अगले पांच वर्षों के दौरान इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगा।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

*712. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि कोयला खानों से कितनी मात्रा में कोयले की चोरी होती है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कोयले की चोरी हुई; और

(ग) इन कोयला खानों में कोयले की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). जी, नहीं। चोरी हुए (उठाईगिरी किए गए) कोयले की मात्रा तथा कीमत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, चूंकि कोयले की चोरी गुप्त रूप से की जाती है। किन्तु पिछले दो वर्षों के दौरान अधिप्राप्ति किए गए कोयले/पकड़े गए कोयले की मात्रा और इसकी कीमत नीचे दर्शायी गई है :

वर्ष	मात्रा (टन में)	कीमत (लाख रु0)
1993-94	32500	180
1994-95	23300	118

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कोयले की चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

1. कोयले की स्टाकों के चारों ओर चार दिवारी खड़ी किया जाना/निर्माण किया जाना;
2. कोलियरियों को जाने वाली मुख्य सड़कों पर चौकियों की स्थापना किया जाना;
3. वाच-टावरों की स्थापना और कोयला स्टेकिंग क्षेत्रों के चारों ओर रोशनी की व्यवस्था किया जाना;
4. अधिसूचना का संग्रहण;
5. स्थानीय पुलिस और कोलियरी सुरक्षा कार्मिकों के साथ अचानक छापे मारा जा;
6. कोलियरी सुरक्षा कार्मिकों द्वारा 24 घंटे गश्त लगाया जाना;
7. चोरी की समस्या से निपटने के लिए योजना तैयार करने हेतु जिला प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क किया जाना; और
8. स्थानीय पुलिस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर किया जाना।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का आयात

*713. **श्री चित्त बसु :**
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास म्यांमार तथा अन्य पड़ोसी देशों से गैस आयात करने के प्रस्ताव हैं;

(ख) क्या भारत इस समय मांग की तुलना में प्रतिदिन लगभग 55 एम.एम.एस.सी.एम.डी. कम गैस का उत्पादन कर रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान गैस के आयात के लिए पड़ोसी देशों के साथ किसी ठेके पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ओमान तथा इरान से प्राकृतिक गैस के आयात के लिए साध्यता अध्ययन प्रगति पर है। कतार, म्यामां तथा इंडोनेशिया से भी प्राकृतिक गैस/एल.पी.जी. के आयात की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ख) और (ग). चालू वर्ष के दौरान लगभग 62 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस के उत्पादन का अनुमान है जबकि जिन इकाइयों को गैस आवंटित की गयी है उनकी मांग लगभग 75 एम.एस.एस.सी.एम.डी. होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की भारत यात्रा

*714. **श्री मोहन रावले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने हाल ही में भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने किन-किन स्थानों की यात्रा की;

(ग) उनके द्वारा की गई बैठकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने देश की स्थिति के बारे में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जम्मू, सोपोर और बारामूला तथा चण्डीगढ़ का दौरा किया।

(ग) यात्रा के दौरान श्री लासु ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, लोक सभाध्यक्ष, विपक्ष के नेता और अन्य उच्चाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और गैर-सरकारी संगठनों से भी मुलाकात की। वे श्रीनगर में नेशनल कांन्फ्रेंस, जनता दल, सी.पी.आई.(एम) और कांग्रेस (आई) के नेताओं से भी मिले। वे शरणार्थी शिविरों और जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के पास भी गए। चण्डीगढ़ के अपने दौरे के समय उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की।

(घ) प्रधान मंत्री के साथ अपनी बैठक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि वे राजनैतिक मुद्दों की जांच करने, उन पर चर्चा करने या सम्मति देने नहीं आए हैं। यह अनिवार्यतः एक परिचयात्मक दौरा है। उन्होंने मानवाधिकारों के संरक्षण में खुलेपन और पारदर्शिता की भारतीय नीति की प्रशंसा की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पिछले वर्ष के दौरान अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में किए गए काम की भी उन्होंने सराहना की।

[हिन्दी]

जल का उपयोग

*715. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी में अनुमानतः कितना जल प्रवाहित हो रहा है;

(ख) सिंचाई, पेयजल तथा औद्योगिकी कार्यों के लिए अलग-अलग कितने-कितने जल का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) कितना जल बेकार समुद्र में चला जाता है; और

(घ) गंगा नदी के जल के अधिकतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गैर मानसून के दौरान गंगा नदी में वार्षिक प्रवाह 75 प्रतिशत विश्वसनीयता के आधार पर 60 बिलियन घन मीटर तथा मानसून के दौरान 352 बिलियन घन मीटर आंका गया है जो कुल मिलाकर 412 बिलियन घन मीटर बनता है।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र के लिए वर्तमान उपयोग को अलग-अलग मात्रा के संबंध में कोई आकलन नहीं किया गया है। तथापि, सिंचाई पेय एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, निकासी के आधार पर की गई जल की मात्रा लगभग 62 बिलियन घन मीटर सालाना है। कलकत्ता पत्तन में नौवहन के लिए उपयोग किये गये जल की मात्रा लगभग 28 बिलियन न मीटर सालाना है। इस प्रकार कुल 90 बिलियन घन मीटर जल का उपयोग किया गया।

(ग) समुद्र में वह जाने वाले गंगा नदी के जल की मात्रा को नहीं आंका गया है क्योंकि भारत में इस नदी के जल के उपलब्ध प्रवाहों का जितना प्रयोग किया जा रहा है उसे छोड़कर शेष बंगलादेश में चला जाता है। यह मात्रा लगभग 322 बिलियन घन मीटर सालाना है जिसके भाग का उपयोग बंगलादेश में उसकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है तथा शेष भाग समुद्र में बह जाता है।

(घ) गंगा थाले के राज्यों को गैर-मानसून के दौरान 79 बिलियन घनमीटर तथा मानसून के दिनों में 85 बिलियन घन मीटर जल का उपयोग करने के लिये योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है। कलकत्ता पत्तन में नौवहन के लिए 36 बिलियन घन मीटर सालाना जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुल प्रस्तावित भावी नियोजित उपयोग लगभग 200 बिलियन घन मीटर सालाना होगा।

[अनुवाद]

असम में तेल क्षेत्र

*716. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में तेल क्षेत्रों के कुछ ब्लाकों को संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). सरकार ने खोजे गऐ क्षेत्रों के दो प्रस्तावों में अब तक असम में पांच मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त आठ छोटे आकार के क्षेत्रों के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। चौथे से आठवें चक्र की बोली में तथा हाल ही में जारी किए गए संयुक्त उद्यम चक्र में असम के अन्वेषण ब्लाकों के लिए भी प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन और प्रेषण

*717. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और इसके अन्य सहायक कोयला उत्पादक एककों ने वर्ष 1994-95 के लिए मात्रा की दृष्टि से कोयले के उत्पादन तथा प्रेषण के कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ख) यदि हाँ, तो कोयला उत्पादन तथा इसके प्रेषण की मात्रा के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ग) क्या मार्च, 1994 के अंत तक कोयला खान मुहानों पर भारी मात्रा में कोयला जमा हो गया था;

(घ) यदि हाँ, तो वहीं कुल कितनी मात्रा में कोयला जमा हो गया था; और

(ङ) वर्ष 1994-95 के लिए कोयला प्रेषण का लक्ष्य निर्धारित करते समय भंडारण क्षमता/मात्रा पर ध्यान न दिए जाने के क्या कारण थे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) के अंतर्गत कंपनियों द्वारा वर्ष 1994-95 के लिए रखा गया कोयले के उत्पादन लक्ष्य तथा किया गया प्रेषण क्रमशः 223.00 मिलियन टन तथा 223.17 मिलियन टन था।

(ग) और (घ). 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० के पास 50.81 मिलियन टन पिटहैड स्टाक था।

(ङ) कोल इंडिया लि० द्वारा वर्ष 1994-95 के लिए प्रेषण के संबंध में कार्रवाई योजना लक्ष्य में 8.5 मिलियन टन की सीमा तक पिटहैड के स्टाक की निकासी किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

बलात्कार के मामले

*718. **श्री उदय सिंह गायकवाड़** :
डा० जाल बहादुर रावल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के

मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी; और

(ग) ऐसे मामलों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में प्रतिवर्ष अवयस्क बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	मामलों की संख्या
1992	181
1993	224
1994	225
1995 (30.4.95 तक)	73

(ग) अवयस्क बालिकाओं के साथ बलात्कार की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं :-

(i) महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न अपराधों में साधारणतः तथा अवयस्क बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामलों के बारे में विशेष रूप से समाज में जागरूकता बढ़ाने के कई प्रयास किए गए हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा रेजीडेंट्स वेलफेयर संगठनों के माध्यम से जनता के साथ कई बैठकें की गई हैं। जिनमें बच्चों की अजनबी या पड़ौसियों से कोई उपहार या मिठाई आदि के लालच में न आने की जरूरत पर जोर दिया जाता है। लोगों को बालिकाओं का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हुए अखबारों में विज्ञापन भी दिये गये हैं।

(ii) विभिन्न अपराधों की शिकार हुई महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए वर्ष 1983 में ''महिला (अपराध निवारण) एकक ''नामक एक विशेष एकक की स्थापना की गयी थी। दिल्ली में प्रत्येक नौ पुलिस जिलों में भी ऐसे एकक स्थापित किए गए हैं।

(iii) जनता से सामने आकर अभियोजन पक्ष की सहायता करने, अवयस्क बालिकाओं के साथ बलात्कार के अभियुक्तों के खिलाफ खुलकर गवाही देने का अनुरोध किया गया है जिससे कि अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया जा सके।

(iv) अपराध की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए बलात्कार की शिकार महिलाओं/बालिकाओं के मामलों पर कार्रवाई करने के दौरान उनका विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

सभी दलों द्वारा इलेक्ट्रानिकी मीडिया का उपयोग

*719. **डा० जी. एल. कनोजिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी दलों द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग करने और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). हालांकि कोई विशिष्ट कार्य योजना विचाराधीन नहीं है तथापि, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन किसी एक पार्टी के प्रति पक्षपात दर्शाए बिना समाचारिक महत्व के आधार पर अपने समाचार बुलेटिनों में समाचार घटनाओं को शामिल करते रहेंगे। वे दलगत राजनीतिक प्रसारणों/टेलीकास्टों को शासित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार, राज्य विधान सभाओं/लोक सभा के चुनावों के दौरान मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को उपुर्यक्त प्रसारणों/टेलीकास्टों हेतु समान समय प्रदान करते रहेंगे।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

*720. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए राजस्थान को कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना के लिए कोई विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य की आठवीं योजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I के लिए 12.09 करोड़ रुपये और चरण-II के लिए 340 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

(ख) और (ग). जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ने मुख्य नहर तट सुदृढ़ीकरण, बलुई मिट्टी का नियंत्रण और जलीय खरपतवार नियंत्रण के उपचारात्मक उपायों पर परामर्श के लिए 49.8 मिलियन येन (122 लाख रुपये) का ऋण प्रदान किया है।

(घ) 649 किमी की लम्बाई में मुख्य नहर पूर्णतः बन गई है। 8,974 कि.मी. की वितरण प्रणाली में से मार्च, 1995 के अन्त तक 5,352 कि.मी. का वितरण प्रणाली को पूरा कर लिया गया है।

विज्ञापन पर खर्च

7105. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापन जारी करने पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ख) 31 मार्च, 1992, 1993, 1994 तथा 1995 तक डी.ए.वी. पी. की ओर समाचार पत्रों को देय कितनी राशि बढ़ाया है;

(ग) डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापनों के दर अंतिम बार किस तिथि को तय किये गये; और

(घ) विज्ञापन-दरों को प्रतिवर्ष संशोधित नहीं करने तथा विज्ञापन-बिलों को उचित समय के अंदर नहीं निपटाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सूचना नीचे दी गई है :-

	वर्ष	राशि (रू0)
1.	1992-93	29,86,27,428
2.	1993-94	31,49,60,257
3.	1994-95	27,43,36,135

(ख) सूचना नीचे दी गई है :

1.	31.3.1992	9,83,39,940
2.	31.3.1993	16,21,30,111
3.	31.3.1994	14,67,54,881
4.	31.3.1995	12,56,53,896

(ग) सरकार ने पिछली बार 1.4.95 से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन दरों में संशोधित किया था।

(घ) 1977 में स्थापित विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए फार्मूले के अनुसार 1981, 1985, 1988, 1990 तथा 1991 में विज्ञापन दरें संशोधित की गई थीं। 1991 में सरकार ने दर निर्धारण फार्मूले को संशोधित करने के लिए एक नई समिति गठित की थी जिसने सितम्बर, 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति द्वारा सिफारिश किए गए नए दर निर्धारण फार्मूले के आधार पर 1.4.95 से विज्ञापन दरों को संशोधित किया गया है।

जहां तक विज्ञापन बिलों के निपटान में विलम्ब का संबंध है, कम्प्यूटरों के उपयोग के माध्यम से भुगतान प्रणाली को कारगर बनाया गया है और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय बिलों को यथोचित समय में निपटाने में सक्षम हो गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापे

7106. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की विभिन्न तेल कम्पनियों के कुछ पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापे मारे गऐ थे;

(ख) यदि हाँ, तो इन छापों के क्या परिणाम रहे; और

(ग) दोषी पाए गए पेट्रोल केन्द्रों के मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जिला प्राधिकारियों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में तेल कम्पनियों के 28 खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापे मारे गए थे।

चूक करने वाले डीलरों के विरुद्ध बिक्रियों एवं आपूर्तियों को स्थगित करने, किसी अवधि विशेष के लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस को स्थगित करने आदि जैसी कार्रवाईयां की गयी थीं।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के विदेशी सप्लायर्स

7107. श्री प्रमथेश मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को किन-किन विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज से संबंधित कितने मूल्य के विभिन्न उत्पादों और उपस्करों की पूर्ति की गई और तत्संबंधी सेवाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किन-किन क्षेत्रों के लिए अगले दो वर्षों के दौरान विदेशी संसाधनों से खरीद की जाएगी;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आयातित उपस्करों का उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

7108. श्री जायनल अबेदिन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग में लोअर गंगा डिवीजन में दिहाड़ी मजदूर स्थापना के मृत कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले काफी समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) इनके इतनी देर तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इन मामलों को निपटाने के लिए कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). जी हाँ। केन्द्रीय जल आयोग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए तीन मामले अपूर्ण आवेदन एवं अपेक्षित रिक्तियों के अभाव के कारण लंबित हैं।

आन्ध्र प्रदेश में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

7109. श्री धर्मम्मिलम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में ए.टी.डी./आई.एस.डी., सार्वजनिक टेलीफोन (पी.सी.ओ.) के आबंटन के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) राज्य में आबंटित किए गए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों (पी.सी.ओ.) की जिलेवार अब तक संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	एस.एस.डी. का नाम	वर्ष 1994-95 के दौरान प्राप्त किए गए आवेदनों की सं.	आबंटित पी.सी.ओ. की संख्या
1.	श्रीकाकुलम	701	81
2.	विजियानागरम	113	39
3.	विशाखापट्टनम	790	685
4.	राजा मुन्दरी	1259	92
5.	इलुरू	377	269
6.	विजयवाड़ा	–	360
7.	गुंटूर	2761	686
8.	प्रकासम	1450	61
9.	नैल्लोर	986	148
10.	तिरूपति	1750	256
11.	कुड्डापाह	691	131
12.	अनन्थापुर	412	209
13.	कुरनूल	571	35
14.	महबूबनगर	329	43
15.	संगरेड्डी	407	150
16.	निजामाबाद	482	113
17.	आदिलाबाद	490	60
18.	करीमनगर	384	65
19.	वारंगल	223	27
20.	खामाम	546	128
21.	नालगोंडा	360	47
22.	हैदराबाद और आर.आर.	4756	1026

[हिन्दी]

पुलिस बल के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

7110. श्री एन.जे. राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार की ओर से राज्य के पुलिस बल के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी

नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में दूरसंचार सुविधाएं

7111. श्री राम कृपाल यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के संबंध में बिहार की अन्य राज्यों की तुलना में क्या स्थिति है;

(ख) क्या राज्य को आधारभूत सुविधाएं तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1995-96 की अवधि के दौरान देश में लगभग 20 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने की योजना है। इनमें से लगभग 40,000 लाइनें बिहार में लगाने की योजना है। टेलीफोन की मांग तथा लम्बित प्रतीक्षासूची के आधार पर लाइनों के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार, बिहार में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या 21225 है।

(ख) योजनाबद्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधा तथा निधियां प्रदान की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल अन्वेषण कार्यक्रम

7112. श्री ए0 वेंकटेश नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम अन्वेषण प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 6500 रुपये की लागत वाले त्वरित तेल अन्वेषण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इस कार्यक्रम के तहत अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्धित अन्वेषण कार्यक्रम वर्ष 1994-95 से कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

		लक्ष्य (1994-95)	उपलब्धि (1994-95)
क.	भूकम्पीय सर्वेक्षण (एस.एल.के.)		
	भूमि पर	38716	51337.21
	अपतटीय	36225	40054
ख.	अन्वेषणात्मक वेधन (000 मीटर)	533.29	524.11

तेल और प्राकृतिक गैस निगम का कार्यक्षेत्र

7113. श्री शिव शरण वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अपने कार्यक्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जारहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा आरम्भ की जा रही विभिन्न नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाए कहां-कहां पर स्थापित की जाएंगी; और

(घ) भारतीय और विदेशी कम्पनियों को क्या-क्या प्रोत्साहन/बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हाँ। आयल एण्ड नैचुरल गैस कारपोरेशन कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गेस के अपने उत्पादन को निरंतर बढ़ा रहा है तथा वर्धित अन्वेषण कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर रहा है।

(ग) आयल एण्ड नैचुरल गैस कारपोरेशन वर्तमान में निम्नांकित प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है

1. पश्चिमी अपतट में दक्षिण बेसीन क्षेत्र का विकास

   गुजरात में कंधार क्षेत्र का विकास

3. पश्चिमी अपतट मे बेसीन मुख्य गैस क्षेत्र का अतिरिक्त विकास

4. बम्बई हाई में एम । मेन्ड।

(घ) उत्पादन भागीदारी संविदाओं के अधीन वाली के आर [illegible] में तेल तथा गैस अन्वेषण के लिए निजी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है। संविदा अवधि 25 वर्ष तक है। कंपनियों को उनके तेल [illegible] अंश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर भुगतान किया जाता है। कम्पनियों को बोनस अथवा सांविधिक उदग्रहणों के भुगतान से छूट प्राप्त [illegible]

आदिवासियों के कल्याण हेतु निधियों का आवंटन

7114. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश में आदिवासियों के कल्याण हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित निधियों को अन्य योजनाओं में लगाया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राज्यवार धनराशि संलग्न विवरण I, II और III दी गई हैं।

(ख) और (ग). समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि का सामान्यतः समुचित उपयोग किया जा रहा है; तथापि, बिहार के मामले में सरकार को यह सूचना मिली है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त अनुदानों का उपयोग उन योजनाओं के लिए तत्परतापूर्वक किया गया जिनके लिए वे प्रदान किए गए थे। इसके अंतर्गत 1991-92 से 1994-95 तक आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 116.32 करोड़ रुपए और आदिवासी विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तु के तहत 21.69 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(घ) यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। 1994-95 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त बिहार सरकार को निर्युक्त नहीं की गई क्योंकि पहले मंजूर की गई धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। इस मंत्रालय ने इस बाबत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए अनुदान, कार्यान्वयन एजेंसियों को मंजूरी की तारीख से एक महीने के भीतर निर्मुक्त करें और उपयोग प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करें।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि का विवरण 1992-93

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष केंद्रीय सहायता	अनुच्छेद 275 (1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर	वी टी आई	आर एंड टी	गैर सरकारी संगठन	एस टी डी सी सी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	1529.34	233.22	-	-	35.00	-	14.78	4.81	2.96	10.00
2	असम	1077.61	160.80	16.38	16.00	-	-	-	10.70	20.75	-
3	बिहार	3175.25	427.20	-	-	-	-	-	9.82	23.30	50.00
4	गुजरात	1855.84	356.40	18.21	23.00	25.00	-	26.10	2.19	2.77	-
	हिमाचल प्रदेश	403.39	14.40	-	-	-	-	-	0.31		-
6.	जम्मू तथा कश्मीर	296.14	56.40	-	-	-	-	-	-	-	
7.	कर्नाटक	327.42	133.98	-	-	-	-	-	-	-	
8.	केरल	207.23	19.20	21.42	15.87	39.87	-	-	8.00	18.57	-
9.	मध्य प्रदेश	6785.01	880.80	63.06	63.74	-	-	-	28.28	7.89	51.02
10	महाराष्ट्र	1815.21	423.96	-	-	-	-		11.87	35.48	24.00
11.	मणिपुर	383.41	28.38	-	-	-	-		6.60	18.65	
12	उड़ीसा	3378.03	434.78	35.58	30.00	42.00	-	-	3.22	22.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	राजस्थान	1679.46	307.64	24.50	10.11	-	-	-	4.58	10.91	30.00
14.	सिक्किम	60.93	5.22	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	तमिलनाडु	270.72	38.40	6.12	6.74	24.69	-	14.78	9.44	9.11	-
16.	त्रिपुरा	414.94	42.78	8.00	18.38	10.00	-	-	0.69	7.19	-
17.	उत्तर प्रदेश	58.40	17.22	6.12	15.16	23.58	-	-	3.46	1.94	-
18.	पश्चिम बंगाल	1171.67	225.60	30.60	24.26	-	-	29.56	1.03	23.30	35.00
19.	अण्डमान एंव निकोबार द्वीप समूह	86.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	दमन और दीव	23.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	अरूणाचल प्रदेश	-	32.40	-	-	-	-	-	-	57.87	-
22.	मेघालय	-	79.20	-	-	-	-	-	-	34.52	-
23.	मिजोरम	-	34.02	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	नागालैंड	-	48.80	-	-	-	-	-	-	-	44.39
26.	दादर और नगर हवेली	-	-	43.74	-	-	-	-	-	2.09	-
	कुल	25000	4000	249	267	200	-	100	105	355	200

विवरण-II

आदिवासी विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष केंद्रीय सहायता	अनुच्छेद 275 (1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षणिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	गैर सरकारी संगठन	एस टी डी सी सी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	1593.22	437.25	53.11	30.74	34.50	5.28	-	5.66	10.74	25.00
2.	असम	1087.57	301.50	-	-	-	-	-	12.10	20.65	-
3.	बिहार	3497.39	801.00	-	-	-	-	-	12.71	31.64	-
4.	गुजरात	2234.77	668.25	19.51	39.23	-	25.32	3.46	0.55	-	-
5.	हिमाचल प्रदेश	755.03	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	जम्मू तथा कश्मीर	518.60	105.75	-	5.97	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	कर्नाटक	439.76	251.25	-	-	-	-	-	0.29	19.44	-
8.	केरल	167.25	36.00	20.00	20.00	47.10	4.93	14.53	7.85	19.70	41.00
9.	मध्य प्रदेश	8117.65	1651.50	27.03	39.28	-	35.20	44.34	23.35	15.86	60.00
10.	महाराष्ट्र	2234.35	795.00	-	-	69.42	6.33	-	23.75	42.63	53.00
11.	मणिपुर	417.12	53.25	10.11	10.11	-	-	70.03	3.50	1.05	10.00
12.	उड़ीसा	3603.23	815.25	77.24	29.40	16.20	31.75	44.34	3.73	43.38	50.00
13.	राजस्थान	2664.68	576.75	12.25	36.75	-	16.19	-	5.57	10.49	61.40
14.	सिक्किम	73.67	9.75	-	-	-	-	4.73	-	-	-
15.	तमिलनाडु	214.05	72.00	-	-	34.65	-	-	7.39	12.20	-
16.	त्रिपुरा	372.37	80.25	7.31	8.38	10.00	-	-	6.80	-	35.00
17.	उत्तर प्रदेश	69.22	32.25	3.65	3.65	40.68	-	8.57	4.98	1.28	-
18.	पश्चिम बंगाल	1319.06	423.00	23.74	26.40	-	-	-	0.93	14.74	-
19.	अरूणाचल प्रदेश	-	60.75	-	-	-	-	-	0.57	71.89	-
20.	मेघालय	-	148.50	9.80	9.80	-	-	-	-	52.34	15.00
21.	मिजोरम	-	63.75	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	नागालैंड	-	90.00	-	-	-	-	-	-	1.08	-
23.	नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00	-
	संघ राज्य क्षेत्र										
1.	अण्डमान एंव निकोबार द्वीप समूह	77.72		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	दमन और दीव	28.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	29484.5	7500.00	263.75	269.71	252.55	125.00	190.00	120.00	403.24	350.40

विवरण-III

आदिवासी विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1994-95 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष केंद्रीय सहायता	अनुच्छेद 275 (1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	गैर सरकारी संगठन	एस टी डी सी सी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	1947.10	460.60	50.00	58.47	66.80	2.01	-	16.98	9.19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	असम	1112.67	315.00	-	16.00	-	-	-	12.55	25.94	
3.	बिहार	1748.70	725.25	-	-	-	4.85	44.34	10.63	34.99	-
4.	गुजरात	2491.56	675.00	4.73	6.44	-	24.25	21.60	6.16	2.36	30 00
5.	हिमाचल प्रदेश	450.57	24.00	-	-	-	-	-	0.21	-	
6.	जम्मू तथा कश्मीर	550.63	95.25	-	86.02	-	-	-	-	-	
7	कर्नाटक	409.03	210.00	-	-	67.50	-	-	0.63	22.16	
8.	केरल	126.30	35.25	20.00	20.00	-	-	-	-	-	
9	मध्य प्रदेश	7535.72	1687.50	115.83	16.90	-	52.30	-	13.09	3.91	124.00
10.	महाराष्ट्र	2196.34	801.75	-	-	1.76	-	54.12	24.30	56 97	30.00
11.	मणिपुर	432.81	69.00	-	-	-	-	-	2.00	3.98	10.00
12.	उड़ीसा	3956.55	771.00	44.00	36.00	60.00	64.99	88.68	8.59	52.87	75.00
13.	राजस्थान	2202.79	600.00	-	-	24.50	48.19	-	6 14	11.37	30.00
14.	सिक्किम	75.10	9.75	-	-	-	-	-			
15.	तमिलनाडु	256.80	63.00	-	-	-	-	10.05	7.12	12.89	
16.	त्रिपुरा	480.01	93.75	19.44	29.17	18.44	-	-	10.41	4.22	
17.	उत्तर प्रदेश	70.41	31.50	-	-	-	-			3.25	-
18.	पश्चिम बंगाल	1335.83	417.75	-	-	-	-	6 22	1.18	27.62	
19.	अरूणाचल प्रदेश		60.00	-	-	-	-			83.40	
20.	मेघालय		166.50	11.00	11.00	-	-			48.63	15.00
21.	मिजोरम	-	72.60	-	-	-					-
22.	नागालैंड		116.25	-	-	-			-	64.36	
23.	नई दिल्ली	-		-	-	-					
	संघ राज्य क्षेत्र										
1.	दादर एवं नगर हवेली			37.00	-	-	-	-	-	-	
2.	अण्डमान एंव निकोबार द्वीप समूह	85.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	दमन और दीव	35.50	-	3.00	26.82	10.00	-	13.18	-	-	-
	कुल	27500.00	7500.00	305.00	306.82	250.00	196.59	238.18	130.00	496.24	350.00

[हिन्दी]

गुजरात में स्वैच्छिक संगठन

7115. श्री मडेश कनोडिया : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे कितने स्वैच्छिक संगठन हैं जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान कल्याण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या गुजरात में स्वैच्छिक संगठन केन्द्र सरकार को अपने लेखे प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) गुजरात में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या जिन्हें कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, निम्नलिखित है :-

वर्ष	सहायता प्रदत्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1992-93	26
1993-94	38
1994-95	50

(ख) से (घ). जी, हाँ। स्वैच्छिक संगठन, कल्याण मंत्रालय को प्रतिवर्ष आवधिक रिपोर्ट आय-व्यय के लिये परीक्षित ब्यौरे, प्राप्ति और भुगतान तथा तुलन पत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः वार्षिक सहायतानुदान की दूसरी किश्त प्रगति रिपोर्टों के सन्तोषजनक मूल्यांकन और लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्राप्त होने पर ही निर्मुक्त की जाती है।

विकलांगों को डीलरशिप/एजेंसियां

7116. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के निर्णय के अनुसार सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा आवंटित डीलरशिप/एजेंसियों में से 7.50 प्रतिशत डीलरशिप/एजेंसियां विकलांगों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विकलांगों को आंवटित डीलरशिप/एजेंसियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या 7.5 प्रतिशत आरक्षण का कोटा पूरी तरह से लागू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 10 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप, 2 एस.के.ओ./एल.डी.ओ. की डीलरशिप तथा 5 एल.पी.जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की गयी हैं।

(ग) और (घ). तेल चयन बोर्डों के माध्यम से दी जाने वाली डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप में शरीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए राज्यवार तथा उद्योग वार आधार पर 7.5 प्रतिशत के कोटे की व्यवस्था है। तेल चयन बोर्ड (मध्य प्रदेश) के माध्यम से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन का कार्य जारी है। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए निर्धारित कोटे को पूर्णतः पूरा किया जाता है। किसी भी श्रेणी में किसी भी कमी को आगामी विपणन योजना में पूरा कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

7117. श्री ए. इन्नाकरन रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1995 के ''टेलिग्राफ में स्टडी क्वेश्चन्स सी.आर.पी.एफ. एफीसैन्सी'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गए/करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग). यह लेख ए.एस.पी.आई. हैदराबाद द्वारा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कुछ प्रशासनिक और आपरेशनल प्रक्रियाओं की क्षमता में और वृद्धि करने की एक जारी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्य दल (एक्शन ग्रपु) के गठन के लिए तैयार की गई रिपोर्ट के प्रारूप का हवाला देता है। सरकार को प्रस्तुत करने के लिए ग्रुप प्रारूप को अभी भी अंतिम रूप दे रहा है।

गोवा के स्वाधीनता संग्राम पर टेलीफिल्म

7118. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या सूचना और

प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा के स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका पर टेलीफिल्म के निर्माण/प्रसारण हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी टेलीफिल्म का प्रसारण कब तक किया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) अभिलेख के अनुसार, दूरदर्शन महानिदेशालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गिरफ्तार न किए जा सकने वाले अपराधी

7119. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ऐसे अपराधियों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या उनमें से कुछ महिलाएं हैं जो घोषित अपराधी हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख). 15 मई, 1995 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में विभिन्न अपराधों में अन्तर्ग्रस्त कुल 5858 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, इनमें से 263 महिलायें थीं।

(ग) अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं :

(i) अपराधियों के छिपने के ठिकानों पर और जिन स्थानों पर वे अक्सर आते-जाते हैं, वहां पर बार-बार छापे मारना।

(ii) जमानतियों से सत्यापन।

(iii) पुलिस घोषणा पत्र के नोटिस जारी करना।

(iv) पुलिस राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशन।

(v) अपराधी आसूचना एकत्र करके उनकी गतिविधियों की जानकारी रखना।

(vi) इस प्रकार के अपराधियों/घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में एक विशेष टीम गठित करना।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

7120. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों की क्षमता, उपयोगिता, कुल कारोबार और लाभ का इकाई-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. ने हाल ही में ''पब्लिक इश्यू'' द्वारा पर्याप्त पूंजी बढ़ाने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ाई जाने वाली कुल राशि, पब्लिक इश्यू द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा आदि भी दर्शाया जाए;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय ने पूंजी बाजार का उपयोग करने हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हाँ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने पब्लिक इश्यू के माध्यम से पूंजी बढ़ाने की योजना बनाई है।

(घ) बढ़ाई जाने वाली कुल प्रस्तावित राशि समता इश्यू के माध्यम से लगभग 1500 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए (फेस वैल्यू) की सीमा तक है। इसका प्रयोग मूलभूत सेवाओं तथा मूल्य वर्धित सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए किया जाना है।

(ङ) अब तक कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग इस प्रकार है

31 मार्च की स्थिति के अनुसार

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
दिल्ली	85.4%	86.3%	85.5%	83.9%
बम्बई	88.4%	92.8%	89.6%	86.9%
टर्नओवर (करोड़ रुपए में)				
दिल्ली	692.92	827.06	1068.37	
बम्बई	880.07	1033.73	1453.38	
कर के बाद लाभ (रुपए करोड़ में)				
दिल्ली	77.83	106.12	150.70	
बम्बई	93.40	102.25	193.46	

निगमित कार्यालयों के आय/व्यय के दोनों यूनिटों को समानुपातिक रूप से आवंटित किए गए हैं। 1994-95 के अंतिम लेखे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए धनराशि

7121. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए धनराशि दी जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) आतंकवादी गतिविधियों के (निवारण से) संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई विशेष निधि आरक्षित नहीं की गई है। तथापि, राज्यों को (क) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन और (ख) राज्यों द्वारा झेली जा रही विशेष समस्याओं के संबंध में अपेक्षित जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता के अनुरोध संबंधी प्रस्तावों पर सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) विशिष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए राज्यों को, पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

मुम्बई में बम विस्फोट

7122. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
डा0 के.पी.आर. चौधरी :
श्री राम नाईक :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री महेश कनोडिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मुम्बई बम विस्फोट कांड के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार को अन्तिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). आपराधिक मामलों में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन सक्षम न्यायालय में रिपोर्ट फाईल की जानी होती है। तदनुसार, इस मामले में की गई जांच-पड़ताल के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत केन्द्रीय जांच ब्यूरो रिपोर्ट के रूप में नामित न्यायालय, बम्बई, में समय समय पर, पूरक आरोप-पत्र पेश करता रहा है। बम्बई पुलिस पर आरोप पत्र फाईल किए जाने के बाद की जांच-पड़ताल का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपने हाथ में लिया गया था। अपराध में संलिप्त अब तक पहचाने गए 198 व्यक्तियों में से, 160 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 38 अभियुक्त व्यक्ति अभी भी फरार हैं। फरार व्यक्तियों का ठीक-ठीक पता ठिकाना जानने के लिए इन्टरपोल और स्थानीय स्त्रोतों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु ब्याज मुक्त ऋण

7123. श्री नाथन सिंह देव (देवरिया): क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शारीरिक रूप से विकलांग को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु एक बैंक की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टी. सी. एम. आई. प्रणाली

7124. श्री राम कापसे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग ने विशेषरूप से व्यस्ततम घंटों के दौरान टेलीफोन काल करने तथा सुनने की प्रभावी व्यवस्था के लिए ट्रेफीलिया कन्ट्रोल एंड मैनेजमेंट इन्फारमेशंन सिस्टम शुरू किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ। इसे महानगर टेलीफोन निगम लि०, दिल्ली में शुरू किया गया है।

(ख) यह प्रणाली ई-10बी एक्सचेंजों से किये जाने वाले/को किये जाने वाले परियात पर निगरानी रखती है और विशेष रूटों पर संचार संपर्क में बड़ी खराबी आने या अचानक परियात बढ़ जाने के समय परियात को विपथित/अवरुद्ध करके परियात नियंत्रण का कार्य करने में मदद करती है। यह प्रणाली, आयोजना के लिए बहुमूल्य डॉटा उपलब्ध कराकर, जंक्शन नेटवर्क के कार्य-निष्पादन को बढ़ाने में भी मदद करती है।

[हिन्दी]

बिहार में तेल परियोजनाएं

7125. श्री छेदी पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में तेल परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान समय में बिहार से संबंधित कोई पेट्रोलियम परियोजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेलशोधक कारखानों का आधुनिकीकरण

7126. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के कुछ तेल शोधक कारखानों का आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकरण किए जाने हेतु किन-किन तेलशोधक कारखानों का चयन किया गया है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). सरकार द्वारा अनुमोदित आधुनिकीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र सं.	सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (करोड़ रू०)	अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन की तिथि से पूर्णता कार्यक्रम	समग्र वास्तविक प्रगति (प्रतिशत)
1.	डिग्बोई रिफाइनरी का आधुनिकीकरण	346.34	मई, 1993	30 महीने	87
2.	डिग्बोई में कैटेलिटिक रिफार्मर इकाई	112.00	8.9.1993	36 महीने	49
3.	बरौनी में कैटेलिटिक रिफार्मर इकाई	248.11	11.2.1994	36 महीने	43
4.	मथुरा में कैटेलिटिक रिफार्मर इकाई	545.00	11.3.1994	36 महीने	8
5.	डिग्बोई रिफाइनरी में नई कोकिंग इकाई से वर्तमान कोकिंग इकाई का प्रतिस्थापन	118.00	31.3.1995	45 महीने	डाल डी में अनुमोदित

[हिन्दी]

स्टीम कोल की मांग

7127. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों को विशेष रूप से गुजरात में उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों को 'स्टीम कोल' की कितनी आवश्यकता थी तथा कितनी आपूर्ति की गई;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों तथा विशेषरूप से गुजरात के संबंध में 'स्टीम कोल' की मांग पूरी की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्य-वार नहीं किया जाता है। समग्र देश के लिए इसका मूल्यांकन उद्योग/क्षेत्रवार किया जाता है। कोल इंडिया लि० उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजकता के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर की जाती है। गुजरात के उपभोक्ताओं के मामले में स्टीम कोयले की आवश्यकता अधिकांशतः साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से और कुछ हद तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से की जाती है। वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात के उपभोक्ताओं को 6.18 लाख टन (अनंतिम) की सीमा तक स्टीम कोयले की आपूर्ति की गई। कोयले की आपूर्ति स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा कार्यक्रमों को रद्द किए जाने/लम्बित किए जाने के कारण प्रभावित हुई है। गुजरात में उपभोक्ताओं को स्टीम कोयले की आपूर्ति कोयले के वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता, उपभोक्ताओं द्वारा कोयले का सड़क द्वारा उठान किए जाने वाले कोयले की कीमत सहित उनके द्वारा आवेदनों का प्रस्तुत न किया जाने के कारण प्रभावित हुई है।

कोल इंडिया लि० उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सम्पूर्ण कार्यक्रम को रेल अथवा सड़क द्वारा पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कई कोलियरियों से कोयले की पेशकश की जा रही है। कोयले की आपूर्ति उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत थोक बिक्री व्यापारियों और छोटे व्यापारियों को भी की जाती है, जो कि छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करते हैं।

[अनुवाद]

उपग्रह के माध्यम से मनीआर्डर

7128. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मनीआर्डर की डिलीवरी हेतु उपग्रह सम्पर्क के अंतर्गत कुछ और केन्द्र लाए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार ये कहां-कहां हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सेटेलाइट चैनल के माध्यम से मनीआर्डर भेजने की एक प्रायोगिक परियोजना को वी.एस.ए.टी. (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स) और अन्य कम्प्यूटर उपकरणों के साथ छह स्थानों अर्थात् दिल्ली, पटना, लखनऊ, मद्रास, बैंगलूर और शिमला में पिछले वर्ष सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। बम्बई जी.पी.ओ. में वी.एस.ए.टी. और अन्य सहायक उपकरणों की स्थापना के साथ अब वहां भी उपग्रह मनीआर्डर सेवा उपलब्ध है। अब निम्नलिखित 19 और स्थानों पर वी.एस.ए.टी. स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं :

1.	गुवाहाटी	(असम)
2.	हैदराबाद	(आन्ध्र प्रदेश)
3.	तिरूपति	(आन्ध्र प्रदेश)
4.	मुजफ्फरपुर	(बिहार)
5.	अहमदाबाद	(गुजरात)
6.	मंडी	(हिमाचल प्रदेश)
7.	अम्बाला	(हरियाणा)
8.	जम्मू	(जम्मू व कश्मीर)
9.	मैंगलूर	(कर्नाटक)
10.	एर्नाकुलम	(केरल)
11.	भोपाल	(मध्य प्रदेश)
12.	नागपुर	(महाराष्ट्र)
13.	शिलांग	(उत्तर पूर्व)
14.	भुवनेश्वर	(उड़ीसा)
15.	लुधियाना	(पंजाब)
16.	जयपुर	(राजस्थान)
17.	कोयम्बतूर	(तमिलनाडु)
18.	इलाहाबाद	(उत्तर प्रदेश)
19.	कलकत्ता	(पश्चिम बंगाल)

इन स्टेशनों के बहुत जल्दी चालू हो जाने की आशा है और तब उपग्रह मनीआर्डर की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में पाकेटमारी

7129. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों में पाकेटमारी तथा वस्तुओं की चोरी की कितनी घटनाओं का समाचार मिला है; और

(ख) इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम.सईद) : (क) 1994 के दौरान दिल्ली में डी.टी.सी. की बसों में जेब तराशी और सामान चोरी हो जाने की दर्ज घटनाओं की संख्या क्रमशः 34 और 6 हैं।

(ख) ऐसे अपराधों की रोकथाम/निवारण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :-

(i) सादे कपड़ो में स्टाफ को डी.टी.सी. बसों के साथ ही डी.टी.सी. बस स्टैण्डों पर ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए तैनात किया गया है।

(ii) डी.टी.सी. बसों की नियमित रूप से जांच की जाती है।

(iii) गश्त बढ़ा दी गई है और स्टाफ को कहा गया है कि क्षेत्र में गश्त के दौरान डी.टी.सी. बस स्टैण्डों पर कड़ी निगाह रखें।

(iv) संबंधित स्टाफ को निर्देश जारी किए गए हैं कि जब भी ऐसी घटना जानकारी में आए वे कानून के प्रावधानों के अधीन तत्काल कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

7130. श्री सुधीर सावन्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, लान्जा, राजापुर तथा रत्नगिरि जिले की संगमेश्वर तहसील में कितने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए गये हैं अथवा चालू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) मार्च, 1996 तक कितने स्थानों पर सीधी डायल सुविधा उपलब्ध की गई है या फिर किए जाने का विचार है;

(ग) मार्च, 1996 तक उपर्युक्त क्षेत्रों में किन-किन गांवों में टेलीफोन लगाये गये हैं अथवा लगाये जाने का विचार है;

(घ) सिंधुदुर्ग जिले के लिए पृथक टेलीफोन एक्सचेंजों की कब तक स्थापना की जायेगी; और

(ङ) रत्नगिरि के लिये टी.ए.सी. की स्थापना न करने का क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) 31.3.95 को ग्राम टेलीफोनों और मार्च, 96 तक उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्तावित ग्राम पंचायत टेलीफोनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

तहसील/जिले	31.3.95 को पंचायती टेलीफोनों की संख्या	1995-96 के दौरान प्रस्तावित पंचायती टेलीफोनों की संख्या
1. सिंधुदुर्ग जिला	225	200
2. लंजा तहसील	32	20
3. राजापुर	26	20
4. संगमेश्वर	46	10

(घ) सिंधुदुर्ग जिले में 42 अलग इलैक्ट्रानिक एक्सचैंज हैं और इनमें से एक एक्सचेंज सिंधुदुर्ग के जिला मुख्यालय कुदाल में स्थित है।

(ङ) विभागीय मानदंडों के अनुसार रत्नागिरि में एक अलग टी.ए.सी. बनाए जाने का औचित्य नहीं बनता। सर्किल स्तर पर निर्मित टी.ए.सी. रत्नागिरि के हितों की देखभाल करती है।

विवरण-I

महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले की सिंधु दुर्ग लांजा, राजापुर और संगमेश्वर तहसीलों में लगाए गए अथवा जिन्हें लगाने का प्रस्ताव है, उन इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या

क्र. सं.	तहसील/जिला	1.4.95 को लगाए गए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या	1995-96 के दौरान प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	सिंधुदुर्ग	42	2
2.	राजापुर	7	1

1	2	3	4
3.	लांजा	3	शून्य
4.	संगमेश्वर	8	शून्य

विवरण-II

महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले की सिंधुदुर्ग, लांजा, राजापुर और संगमेश्वर तहसीलों में सीधी डॉयलिंग सुविधा

क्रं. सं.	तहसील/जिला	31.3.95 को एक्सचेंजों का नाम	1995-96 के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों के नाम
1.	कुदाल	कुदाल	मॉनगॉव पारोला ओरसा
2.	मालवान	मालवान	मसुरे
3.	वैभववादी	वैभववादी	-
4.	कंकावल्ली	कंकावल्ली फोंडाघाट	कसारदा
5.	दिओगढ़	दिओगढ़	विजयदुर्ग, वाडा
6.	सावंतवाड़ी	अम्बोली बंडा सावंतवाडी	रेडी शिरोदा
7.	वेनबुरला	वेनबुरला	तालावाड़ा
8.	लांजा	लांजा	भामवेद सतवली
9.	राजापुर	राजापुर	पचल ओनीभू
10.	संगमेश्वर	-	देवरूख संगमेश्वर

सिंचाई के लिए निधियों का आवंटन

7131. श्री चून चन्द वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने बड़ी, मध्यम तथा लघु योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत चालू परियोजनाओं को पूरी करने के लिए अब तक कितनी धनराशि वार्षिक जारी की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.बी. रंगयया नायडू) : (क) योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश की बड़ी एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1791.29 करोड़ रुपए तथा लघु सिंचाई के लिए 728.37 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं।

(ख) आठवीं योजना के 92-93, 93-94 एंव 94-95 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की बड़ी एवं मझौली सिंचाई तथा लघु सिंचाई के लिए हुआ व्यय/अनुमोदित परिव्यय निम्न प्रकार है :

वर्ष	व्यय/परिव्यय (करोड़ रुपए)	
	बड़ी एंव मझौली सिंचाई	लघु सिंचाई
92-93	314.76	125.82
93-94	318.89	131.00
94-95	242.10	103.23

कोयले का नियतन

7132. श्रीमती दिव कुमारी भंडारी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम को कोयले की विभिन्न किस्मों का नियतन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी प्रत्येक किस्म की दर तथा प्रत्येक किस्म की नियतनालिकता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सिक्किम को सप्लाई किए गए कोयले की प्रत्येक किस्म का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार सिक्किम में उपभोक्ताओं को संयोजन/प्रायोजकता के आधार पर स्टीम/स्लेक कोयले तथा साफ्ट कोक का आवंटन किया जा रहा है। इनकी अधिसूचित कीमतों पर नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम के उपभोक्ताओं को को.इं.लि. स्रोतों से प्रेषित किए गए विभिन्न प्रकार के कोयले/कोक की यात्रा, नीचे दी गई हैं :-

टन में (अनंतिम)

	1992-93	1993-94	1994-95
स्टीम कोयला	5600	3340	4200
स्लैक कोयला	-	-	530
साफ्ट कोक	710	1500	2300
जोड़ :	6310	4840	7030

[हिन्दी]

भुवनेश्वर में डाक विभाग के मुद्रणालय में आग

7133. श्री पंकज चौधरी :
श्री जर्नादन मिश्र :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में डाक विभाग के मुद्रणालय में विगत छः महीने के दौरान आग लगने की कोई घटना घटी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशेष प्रबंध किये गये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हाँ। दिनांक 28.3.95 की रात में भुवनेश्वर स्थित डाक विभाग की प्रिंटिंग प्रेस में आग लगने की एक घटना हुई थी।

(ग) इसमें 10,60,689 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ). सुरक्षा और अग्निशमन प्रबंधों को मजबूत बनाने के लिए उपाय किए गये हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ

7134. श्री पी. कुमारासामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में एस.टी.डी./आई.एस.डी., सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आबंटन के लिए जिला-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान उनमें से कितने व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र आवंटित करने का विचार है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोनों की कोई प्रतीक्षा-सूची नहीं रखी जा रही है। समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर नए सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बाद एस.टी.डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोन आवंटित किए जाते हैं।

(ख) 1995-96 के दौरान, आवंटन हेतु जिलावार आवंटित किए जाने वाले प्रस्तावित एस.टी.डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ऊपर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	गौण स्विचनी क्षेत्र का नाम	स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन	एस.टी.डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोन
1	2	3	4
1.	चेंगलपट्टु	25	65
2.	कोयम्बतूर	294	883
3.	कुन्नूर	30	90
4.	कुड्डालोर	18	54
5.	धर्मपुरी	19	56
6.	इरोड	154	461
7.	करैकुडी	20	65
8.	मदुरै	128	383
9.	नागरकोइल	45	136
10.	पांडिचेरी	43	130

1	2	3	4
11.	सलेम	143	428
12.	तंजौर	75	227
13.	तिरूचिरापल्ली	65	194
14.	तिरूनेलवेली	72	215
15.	टूटीकोरिन	45	135
16.	वेल्लोर	10	35
17.	विठधुनगर	64	193

टेलीफोन की बकाया राशि

7135. श्री अमर रायप्रधान :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भूतपूर्व सांसदों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की ओर टेलीफोन की राशि बकाया है;

(ख) यदि हाँ, तो 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रत्येक भूतपूर्व सांसद और भूतपूर्व मंत्री की ओर कितनी-कितनी राशि बकाया है;

(ग) इन बकायों की वसूली के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इनकी वसूली कब तक हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना मंगवाई गई है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

7136. श्री अंकुशराव टोपे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 1995 के दौरान अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है; और

(ख) इन बलों में इन समुदायों का कोटा पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1995 के दौरान अब तक भा.ति.सी.पु., सी.सु.ब. और के.रि.पु.ब. में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :

	अनु.जाति	अनु. जनजाति
भा.ति.सी.पु.		
सहायक कमांडेंट	01	-
वेटरिनरी असिस्टेंट सर्जन	01	-
सी.सु.ब.		
सहायक कमांडेंट	32	18
उप-निरीक्षक (स्टेनो)	01	01
ए.एस.आई. (क्लर्क)	01	-
कांस्टेबल	976	801
के.रि.पु.ब.		
सहायक कमांडेंट	01	01
चिकित्सा अधिकारी	04	01
कांस्टेबल	160	78
नामांकित फालोअर	63	09
समूह "घ" स्टाफ (अनुसचिवीय)	09	03

(ख) इन बलों की भर्ती के एक भाग के रूप में अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति, एक सतत् प्रक्रिया है तथा अनु.जातियों/अनु. जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में आग की घटनाएं

7137. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान और 1995 में अब तक दिल्ली में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) इनके प्रमुख कारण क्या थे;

(ग) इनके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार अग्नि शमन सेवा का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) दिल्ली में वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 (19, मई 1995 तक) के दौरान आग लगने की हुई घटनाओं की संख्या क्रमशः 11982, 13063 तथा 5120 है।

(ख) आग लगने के मुख्य कारण, शार्ट सर्किट, लापरवाही, यांत्रिक ऊष्मा से निकली चिंगारी, आतिशबाजी तथा खुली लपटें थीं।

(ग) आग लगने की घटनाओं के कारण हुई सम्पत्ति की हानि के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

1993	-	22.78 करोड़ रुपए
1994	-	45.53 करोड़ रुपए
1995 (19.5.95 तक)	-	6.75 करोड़ रुपए

(घ) जी हाँ, श्रीमान।

(ङ) सन् 2001 तक दिल्ली में 63 नये दमकल केन्द्र बढ़ाये जाने की एक योजना है। हालांकि 17 नये दमकल केन्द्र पहले ही बढ़ा दिए गए हैं, और कुछ अन्य निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। इसके अलावा, अत्याधुनिक और आधुनिक अग्निशमन उपकरण तथा उपसाधनों, जैसे कि हाइड्रोलिक प्लेटफार्म-कम-टर्न केबल सीढ़ियां, ध्वनि रहित जेनरेटर, हाईपाउडर ट्रक, होज लेइंग लारी, श्वांस यंत्र गाड़ी, अग्नि-सह्य वस्त्र, थर्मल इमेज कैमरे आदि को दिल्ली दमकल सेवा के बेड़े में शामिल किया गया है।

ईरान को सहायता

7138. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बलराज पासी :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान को सरकार ने अपनी दूरसंचार प्रणाली को सुधारने के लिये किसी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास के हेतु योजनाएं

7139. **श्री रति लाल वर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी निधियां आंबटित की गई थीं;

(ग) क्या सरकार का गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए किसी अन्य योजना को स्वीकृति देने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ उक्त राज्य को कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उस मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदान के साथ गुजरात में चल रही योजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के लिए निर्मुक्त धनराशि संलग्न विवरण-II में है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, यदि गुजरात सरकार से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो सरकार वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों के गुणावगुण के आधार पर विचार करने के लिए तैयार है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण - I

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
2.	अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

4. लघु वन उत्पाद के संचालन के लिए एस.टी.डी.सी. को अनुदान
5. अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल
6. अनुसूचित जनजाति के लड़कों के होस्टल
7. आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल
8. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
9. कम साक्षरता पॉकेटों में लड़कियों के लिए शैक्षणिक परिसर
10. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण
(क) प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान तथा अनुसंधान फेलोशिप को अनुदान
(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय या अंतर-राज्यीय स्तर की समर्थित परियोजनाएं

विवरण - II

कल्याण मंत्रालय द्वारा गुजरात में आदिवासी विकास के लिए निर्मुक्त निधियां

(रुपए लाख में)

क्र.स.	योजना का नाम	वर्ष 1992-93	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	1855.84	2234.77	2491.50
2.	अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	356.40	668.25	675.00
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2.79	4.33	2.37
4.	लघु वन उत्पाद के संचालन के लिए स.टी.डी.सी. को अनुदान	-	-	30
5.	अनूसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	18.21	19.51	4.73
6.	अनूसूचित जनजाति के लड़कों के होस्टल	23.00	39.23	6.44
7.	आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	25.00 -	-	
8.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	26.10	3.46	21.6
9.	कम साक्षरता पॉकेटों में लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर	26.10	25.32	24.2
10.	प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (क) प्रशिक्षण, अनुसंधान संस्थान तथा अनुसंधान फेलोसिप का अनुदान (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिये अखिल भारतीय तथा अन्तर-राज्यीय स्तर की समर्थित परियोजनायें	2.19	0.55	6.1

[अनुवाद]

पुलिस की कार्यकुशलता में सुधार

7140. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पुलिस की कार्यकुशलता में सुधार करने संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कोचीन तेलशोधक कारखाने के टैंकर लारी की दुर्घटना

7141. प्रो० के.वी. थामस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफ तेलशोधक कारखाना लिमिटेड से एल.पी.जी. गैस ले जा रही टैंक लारियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के दो मामले हाल ही में कोचीन में हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ग) भविष्य में इस तरह की घटनाओं को होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए किस तंत्र का प्रयोग किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हाँ। प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में ब्यौरे निम्नवत् हैं :

क्र.सं.	ट्रक संख्या	दुर्घटना के कारण
1.	के एल-9-3973	एक मोड़ पार करते समय ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा तथा बुलेट ट्रक पलट गया।
2.	टीएसबी 8377	इदापल्ली में एनएच-47 में प्रवेश करने के लिए तेज गति से मोड़ पार करते समय बुलेट ट्रक फिसल गया।

(ग) एल.पी.जी. टैंक ट्रकों को चला रहे ड्राइवर स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित किए गए हैं तथा उन ट्रकों को उत्पाद ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। जिनके ड्राइवर प्रशिक्षित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने के क्षेत्र में के सभी परिवहनकर्त्ताओं से सी.सी.ओ.ई. इत्यादि से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। सेफ्टी रिलीज वाल्व्स को क्षति से बचाने के लिए ट्रकों को विस्फोटक विभाग द्वारा यथा अपेक्षित आच्छादक उपलब्ध कराये जाते हैं।

(घ) इन दुर्घटनाओं के संबंध में बचाव कार्य कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उपर्युक्त प्रत्येक दुर्घटना में कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा एक क्रेन और एक फोन टेन्डर उपलब्ध करवाया गया था।

[हिन्दी]

कोयला स्टाक

7142. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 को कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों में कोयले का कितना स्टॉक उपलब्ध था;

(ख) क्या कोयले के अधिक उत्पादन को देखते हुये यह एल. एस.एस. योजना के अन्तगर्त बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो 1994-95 के दौरान माहवार इस योजना के अन्तर्गत किस्मवार कितना कोयला बेचा गया और चुक किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) की सहायक कम्पनियों के पास 31.3.95 तक की स्थिति के अनुसार कोयले का स्टाक निम्नलिखित रूप में सूचित किया गया है :-

(आंकड़े लाख टन में)

(आंकड़े अनंतिम)

ई.को.लि.	61.73
भा.को.को.लि.	80.55
से.को.लि.	110.94
ना.को.लि.	14.13
वे.को.लि.	31.78
ला.ई.को.लि.	86.94
म.को.लि.	51.48
ना.ई.को.	11.55
जोड़	449.10

(ख) कोल इंडिया लि० द्वारा कोयले की बिक्री उदारीकृत योजना के अंतर्गत की जा रही है जो कि स्टाक की निकासी किए जाने तथा कोयले की उपलब्धता में और सुधार लाए जाने की दृष्टि से की जा रही है।

(ग) विभिन्न ग्रेड के चुक किए गए कोलये की महीना-वार कुल मात्रा और वर्ष 1994-95 के दौरान ''उदारीकृत बिक्री योजना'' के अंतर्गत कोल इंडिया के स्रोतों से बिक्री का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत की गई बिक्री की मात्रा का ब्यौरा केन्द्रीय रूप में नहीं रखा जाता है और विभिन्न स्थानों से सूचना एकत्रित करने में अन्तर्ग्रस्त प्रयास इस उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे जिसके लिए यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

विवरण

को.इं.लि. के स्रोतों से उत्पादीकृत बिजली योजना के अंतर्गत प्रेषित तथा बुक किया गया कोयला

(आंकड़े 000 टन में अनंतिम)

महीना	बुकिंग			प्रेषण		
	रेल	सड़क	जोड़	रेल	सड़क	जोड़
अप्रैल, 94	26.00	466.68	492.68	27.00	423.63	450.63
मई, 94	66.00	428.87	494.87	34.74	394.25	428.99
जून, 94	38.82	277.86	316.68	24.26	311.42	385.68
जुलाई, 94	22.09	203.54	225.63	26.61	185.22	211.83
अगस्त, 94	20.09	191.07	211.16	13.94	180.02	193.96
सितम्बर, 94	65.70	216.02	281.72	37.61	199.98	237.59
अक्टूबर, 94	37.35	247.30	284.65	63.89	226.98	290.87
नवम्बर, 94	106.96	378.98	485.94	75.67	296.45	372.12
दिसम्बर, 94	204.31	525.83	730.14	118.44	387.87	506.31
जनवरी, 95	255.72	547.43	803.15	85.39	510.21	595.60
फरवरी, 95	172.27	677.54	849.81	83.04	572.01	655.05
मार्च, 95	81.69	600.24	681.93	92.86	504.91	597.77
जोड़	1097.00	4761.36	5858.36	683.45	4192.75	4876.40

[अनुवाद]

गुजरात में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

7143. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी., पी.सी.ओ. कार्य कर रहे हैं;

(ख) नए पी.सी.ओ. के आंबटन के लिए जिले-वार कितने आवेदन पत्र लंबित हैं; और

(ग) ये कब तक निपटा दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मणिपुर के भा.ज.पा. नेता की हत्या

7144. डा0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उपप्रविधों द्वारा फरवरी, 1995 में मणिपुर के राज्य भा.ज.पा. नेता की हत्या के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) राज्य पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

7145. प्रो0 प्रेम धूमल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में लघु इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किये जायेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो 31 मार्च, 1995 तक जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्य में 31 दिसम्बर, 1995 तक ऐसे और एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में 31.3.95 की स्थिति के अनुसार 398 छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) हिमाचल प्रदेश में 31.12.1995 तक 34 कम क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

31.3.1995 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में छोटे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1.	बिलासपुर	23
2.	चम्बा	19
3.	हमीरपुर	30
4.	कांगड़ा	62
5.	किन्नौर	07
6.	कुल्लू	20
7.	लाहौल-स्पीति	03
8.	मंडी	56
9.	शिमला	81
10.	सिरमौर	30
11.	सोलन	43
12.	ऊना	24
	योग	398

विवरण-II

हिमाचल प्रदेश में 31.12.1995 तक खोले जाने वाले प्रस्तावित छोटे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे

क्र.स.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1.	बिलासपुर	2
2.	चम्बा	2
3.	हमीरपुर	2
4.	कांगड़ा	2
5.	किन्नौर	1
6.	कुल्लू	6
7.	लाहौल-स्पीति	1
8.	मंडी	6
9.	शिमला	3
10.	सिरमौर	3
11.	सोलन	3
12.	ऊना	3
	योग	34

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

7146. श्री सुरज मंडल :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार खनिज विकास निगम ने कोल इण्डिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बन्द पड़ी उसकी 80 कोलरियों को चलाने के लिए तेल इण्डिया के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खानों में कितनी मात्रा में अनुमानित कोयले का उत्पादन हुआ ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

7147. डा0 बसन्त पवार :
डा. के.वी.आर. चौधरी :
श्री एन. डेनिस :
श्री सुल्तान सलाउदीन ओवेसी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी सिंचाई परियोजना प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अस्वीकृत/वापस भेजे गये सिंचाई परियोजना प्रस्ताव राज्य-वार कौन-कौन से हैं और उसके कारण क्या हैं;

(ङ) केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उपरोक्त भाग (क) तथा (ङ) के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किए गये प्रस्तावित उपाय क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). विवरण-I संलग्न है।

(घ) सिंचाई परियोजनाओं के वापस करने के कारणों सहित लौटाई गयी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न हैं।

(ङ) और (च). सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा वन/पर्यावरण/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना स्वीकृतियां जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करती है। केन्द्रीय जल आयोग ने इन परियोजनाओं के शीघ्र मूल्यांकन में राज्यों की मदद करने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर फील्ड यूनिट स्थापित की हैं।

विवरण-I

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.3.95 को स्वीकृति के लिए लंबित नयी बड़ी मझौली और विस्तार/ नवीकरण/आधुनिकी-करण योजनाओं की संख्या	पिछले तीन वर्षों में निवेश स्वीकृति दी गयी बड़ी, मझौली और विस्तार/ नवीकरण/आधुनिकी करण योजनाओं की संख्या	आठवीं योजना में आगे लायी गयी निर्माणाधीन बड़ी और विस्तार/नवीकरण/ आधुनिकीकरण योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9	5	33
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	0	0
3.	असम	3	0	15
4.	बिहार	15	1	41
5.	गुजरात	10	4	46
6.	हरियाणा	3	0	10
7.	हिमाचल प्रदेश	4	0	4
8.	जम्मू एवं कश्मीर	7	0	17
9.	कर्नाटक	4	2	29
10.	केरल	2	0	12
11.	मध्य प्रदेश	20	1	57
12.	महाराष्ट्र	37	1	91
13.	मणिपुर	2	1	3
14.	मेघालय	0	0	0
15.	नागालैण्ड	0	0	0
16.	उड़ीसा	10	3	16
17.	पंजाब	4	2	7
18.	राजस्थान	10	1	35
19.	सिक्किम	0	0	0
20.	तमिलनाडु	4	1	6
21.	त्रिपुरा	0	0	3
22.	उत्तर प्रदेश	12	3	30
23.	पश्चिम बंगाल	3	0	22
24.	गोवा, दमन एवं दीव	0	0	2
	योग	160	25	479

विवरण - II

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लौटाई गयी नयी बड़ी, मझौली और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	17
2.	अरूणाचल प्रदेश	2
3.	असम	6

1	2	3
4.	बिहार	39
5.	गुजरात	7
6.	हरियाणा	15
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू एंव कश्मीर	8
9.	कर्नाटक	5
10.	केरल	6
11.	मध्य प्रदेश	13
12.	महाराष्ट्र	42
13.	मणिपुर	1
14.	मेघालय	0
15.	नागालैण्ड	0
16.	उड़ीसा	14
17.	पंजाब	3
18.	राजस्थान	20
19.	सिक्किम	0
20.	तमिलनाडु	8
21.	त्रिपुरा	0
22.	उत्तर प्रदेश	12
23.	पश्चिम बंगाल	9
24.	गोवा, दमन व दीव	0
	योग	228

टिप्पणी : परियोजनाओं के वापस भेजने के कारण निम्नलिखित में से एक या अधिक रहे :

(i) एक वर्ष से अधिक टिप्पणियों की अनुपालना न करना।

(ii) परियोजना बनाने में मूल कमियां।

(iii) अन्तर्राज्यीय मुद्दों को न सुलझाना।

(iv) योजना में शामिल न करना।

[हिन्दी]

राजस्थान में सिंचाई

7148. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितनी सिंचित भूमि है;

(ख) राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पंजाब से इस समय छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है;

(ग) इंदिरा गांधी नहर के द्वारा इस समय कितने क्षेत्र की सिंचाई की जाती है; और

(घ) इंदिरा गांधी नहर का कार्य पूरा होने के पश्चात् कुल कितने भूमि की सिंचाई होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संकलित भूमि प्रयोग सांख्यिकी के अनुसार राजस्थान में निवल सिंचित क्षेत्र 43.43 लाख हेक्टेयर है।

(ख) भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा रखे गये जल हिसाब किताब के अनुसार 21.5.94 से 20.5.95 की अवधि के दौरान इंदिरा गांधी नहर के जरिए राजस्थान को 8.596 बिलियन घन मीटर जल की निर्मुक्ति की गई।

(ग) मार्च, 1995 तक इंदिरा गांधी नहर से सालाना सिंचित क्षेत्र 7.10 लाख हेक्टयेर है।

(घ) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पूरी होने पर इससे कुल 15.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचित होने की संभावना है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में दूरसंचार सुविधाएं

7149. श्री एम.आर. कावम्बूर जनार्दनन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सभी औद्योगिक तथा तटीय क्षेत्रों में तथा विशेष रूप से तूतीकोरीन में आधुनिक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नवीनतम आधारभूत सुविधाओं सहित सम्पूर्ण और आधुनिक दूरसंचार प्रणाली लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दूर संचार सुविधाएं तूतीकोरिन सहित तमिलनाडु के सभी औद्योगिक तथा पोर्ट क्षेत्रों में विद्यमान हैं। तूतीकोरिन के सिपकोट औद्योगिक क्षेत्र तथा तूतीकोरिन टाउन में पोनटा-कोनटा क्रॉस बार एक्सचेंज द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि तूतीकोरिन बन्दरगाह को एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ख) और (ग). वर्तमान वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान तूतीकोरिन में 2500 लाइनों का एक सी-डॉट एक्सचेंज खोले जाने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

ओमान से एल.एन.जी.

7150. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान ने टैंकरों के माध्यम से भारत को भारी मात्रा में एल.एन.जी. (तरल प्राकृतिक गैस) की पूर्ति करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनों देशों के बीच समुद्री गैस पाईपलाइन योजना समाप्त कर दी गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा कारण सहित क्या है;

(ग) ओमान से टैंकरों के माध्यम से एल.एन.जी. लाने पर कितना व्यय होने की अनुमानित संभावना है; और

(घ) इस समझौते की नियम और शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

ओ.टी.बी.पी. योजना के अंतर्गत पदोन्नति

7151. श्री अनादि चरण दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग में ओ.टी.बी.पी. योजना के अंतर्गत पदोन्नतियां प्रभागीय आधार पर प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो मंडलीय और प्रभागीय आधार पर किस अवधि के दौरान ये पदोन्नतियां की गई थीं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ 40 सूत्रीय रोस्टर को भी प्रभागीय स्तर पर लागू किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के कर्मचारियों को उ.प्र. मंडल तथा म.प्र.मंडल में मंडल/क्षेत्रीय स्तर पर ओ.टी.बी.पी. के अंतर्गत पदोन्नति देने के क्या कारण हैं जबकि अन्य जातियों के कर्मचारियों को यह पदोन्नति मंडलीय आधार पर दी गई है;

(ङ) क्या सरकार का अनु.जातियों/अनु.जनजातियों के कर्मचारियों को भी मंडलीय आधार पर ओ.टी.बी.पी. के अंतर्गत पदोन्नति देने के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों को आरक्षण रोस्टरों को लागू करने हेतु निर्देश देने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ।

(ख) दूरसंचार विभाग में बी.सी.आर. स्कीम प्रारंभ होने से पहले ओ.टी.बी.पी. स्कीम सर्किल आधार पर सर्किल संवर्गों और प्रभागीय आधार पर प्रभागीय संवर्गों के लिए थी। द्विवार्षिक संवर्ग समीक्षा योजना प्रारंभ होने के बाद, ओ.टी.बी.पी. स्कीम के अंतर्गत आने वाले सभी सर्किल संवर्गों को गौण स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) संवर्गों में परिवर्तित कर दिया गया था और इसके बाद यह योजना गौण स्विचन क्षेत्र आधार पर प्रदान की गई।

(ग) जी हाँ।

(घ) 40 सूत्रीय रोस्टर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सर्किलों में पात्र कर्मचारियों के लिए प्रभागीय आधार पर कार्यान्वित किया गया है। किसी भी मामले में गलत ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया गया है। नियमानुसार रोस्टरों का सख्ती से पालन किया जाता है।

(ङ) आरक्षण रोस्टर की प्रभागीय स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्रों के लिए भवन

7152. डा0 साबी जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्रों के लिए नये भवनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो स्थापना-स्थलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इन्हें कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) रु0 14.00 करोड़। (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं)।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	अवस्थिति (स्टेशन)	एक्सचेंज भवन की किस्म	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख	प्रत्याशित व्यय (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
	टेलीफोन एक्सचेंज			
1.	कोटद्वार	"वाई" टाइप	मई, 1995	23.00
2.	आज़मगढ़	5 के सी-डॉट	मई, 1995	90.00
3.	मिर्जापुर	10 के सी-डॉट	मई, 1995	110.00
4.	पालिया (जिला लखीमपुर)	"वाई" टाइप	मई, 1995	16.00
5.	सुल्तानपुर	मौजूदा भवन का विस्तार	मई, 1995	7.00
6.	खलीलाबाद (बस्ती)	"जैड" टाइप	मई, 1995	14.00
7.	सिकंदरा	मौजूदा भवन का विस्तार	मई, 1995	3.00
8.	नैनीताल	5 के सी-डॉट	जून, 1995	145.00
9.	डोडरीघाट	मौजूदा भवन का विस्तार	जून, 1995	7.00
10.	नेहरूनगर (गाजियाबाद)	आर एल यू	जून, 1995	5.00
11.	बड़ौल (मेरठ)	मौजूदा भवन का विस्तार	अगस्त, 1995	28.00
12.	तिलपट्टा (गाजियाबाद)	आरएलयू	अगस्त, 1995	9.00
13.	निघासेन (लखीमपुर)	"वाई" टाइप	सितम्बर, 1995	16.00
14.	बांसगांव	"जेड" टाइप	सितम्बर, 1995	17.00
15.	प्रतापगढ़	5 के सी-डॉट	अक्टूबर, 1995	100.00
16.	बिलहौर (कानपुर)	"वाई" टाइप	-वही-	18.00
17.	सफीपुर (उन्नाव)	"जेड" टाइप	नवम्बर, 1995	14.00

1	2	3	4	5
18.	चन्दौसी (मुरादाबाद)	10केसी-डॉट	-वही-	93.00
19.	जलेसर (एटा)	''वाई'' टाइप	-वही-	20.00
20.	लालगंज (प्रतापगढ़)	वाई टाइप	दिसम्बर, 1995	27.00
21.	राय बरेली	10 केसी-डॉट	-वही-	110.00
22.	मऊ	मौजूदा भवन का विस्तार	जनवरी, 1996	10.00
23.	उन्नाव	5 के सी-डॉट	सितम्बर, 1996	140.00
24.	शिवपुर्वा (वाराणसी)	10 के सी-डॉट	-वही-	110.00
25.	बहराइच	5 के सी-डॉट	-वही-	150.00
			(क) जोड़	1274.00
	पारेषण भवन			
1.	चोपन (जिला भदोई)	''वाई'' टाइप	मई, 1995	28.00
2.	ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)	''जेड'' टाइप	-वही-	20.00
3.	डल्ला (जिला सोनभद्र)	''जेड टाइप''	जून, 1995	11.00
4.	नजीबाबाद (जिला बिजनौर)	''वाई टाइप''	-वही-	23.00
5.	कासरदेवी (अल्मोड़ा)	''जेड'' टाइप	जुलाई, 1995	18.00
6.	राबर्ट गंज	''वाई'' टाइप	मार्च, 1996	26.00
			(ख) जोड़	126.00
			सकल जोड़ (क) + (ख)	1400.00
				= 14.00 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

7153. श्री एम.जी. रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का गठन प्राकृतिक गैस के उत्पादन के बाद सभी प्रकार की गतिविधियों में सुधार और नियंत्रण करने की दृष्टि से किया गया था·

(ख) यदि हाँ, तो मार्च, 1994 तक इस संगठन में कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इससे औसतन वार्षिक शुद्ध लाभ के हिसाब से कितनी आमदनी हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) प्रत्येक गैस के परिवहन, शोधन, संसाधन, प्रभाजन, वितरण एवं विपणन संबंधी प्रमुख उद्देश्यों से गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी।

(ख) 31 मार्च, 1994 को चुकता पूंजी 845.32 करोड़ रुपए थी।

(ग) गत तीन वर्षों में निवल लाभ यह थे :-

1992-93	210.53 करोड़ रुपए
1993-94	320.54 करोड़ रुपए
1994-95 (अनंतिम)	360.72 करोड़ रुपए

सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल

7154. श्रीमती सरोज पुचे :
श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह ऐसे व्यक्तियों के लिए जोकि संविधान का उल्लंघन करते हैं तथा जनजातियों के लिए दी जा रही सुविधाओं का जाली प्रमाणपत्र बनाकर लाभ उठाते हैं, एक समान कानून बनाएं जिसमें दंड दिए जाने का प्रावधान हो;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने प्रमाण की जांच के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं ताकि सामाजिक स्थिति संबंधी प्रमाण-पत्र को जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाया जा सके;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख). जी, हाँ।

(ग) उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि (1) राजस्व उपमण्डल अधिकारी अथवा उप कलेक्टर द्वारा सामाजिक स्तर का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना (2) आवेदन पत्र के साथ जाति/उपजाति के ब्यौरों सहित शपथ पत्र (3) अपर/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन, तथा सामाजिक स्तर के प्रमाण पत्र की जांच के लिए राज्य स्तर पर वरिष्ठ उप पुलिस अधीक्षक के प्रभार में सतर्कता समिति का गठन (4) यदि दावा झूठा साबित हो, तो उम्मीदवार/उसके माता-पिता पर अभियोजन तथा (5) वास्तविक आदिवासियों के लिए आरक्षित लाभों को हटाने तथा संविधान का उपहास उड़ाने वाले व्यक्तियों के लिए दण्डात्मक परिणाम निर्धारित करने वाले समान विधान जिसमें आवश्यक मार्गनिर्देश तथा नियम हों।

(घ) उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देश की जांच की जा रही है।

कोयले की मांग

7155. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के लिए गुजरात द्वारा कितने कोयले की मांग की गई;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में कोलये की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्यवार नहीं किया जाता है। इनका मूल्यांकन सम्पूर्ण देश के लिये उद्योग/क्षेत्रवार किया जाता है। कोल इन्डिया लि० (को.इं.लि.) सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रायोजकता के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रमों के आधार पर कोयले की आपूर्ति करती है। विद्युत एवं सीमेन्ट क्षेत्रों को इन क्षेत्रों के लिये स्थाई संयोजन समिति द्वारा स्थापित अल्पकालीन संयोजन के आधार पर आपूर्ति की जाती है।

कोयला कम्पनियां वैगनों की उपलब्धता तथा कोयला आपूर्ति के एवज् में भुगतान सहित समग्र कमियों के बावजूद देश में कोयले की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है, जिसमें गुजरात भी शामिल है।

देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिये उठाये गये कदमों में अन्य बातों के अलावा निम्न कदम शामिल हैं - नई खानों का खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण, आगतों तथा अग्रसंरचनात्मक सुविधाओं की समय पर उपलब्धता का सुनिश्चय किये जाने के लिये प्रौद्योगिकी को लागू किया जाना, अच्छी क्षमता उपयोगिता तथा अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखा जाना।

[हिन्दी]

जेली केबल

7156. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1990 में फ्रांस की एक फर्म से बंबई और मद्रास दूर-संचार डिवीजनों के लिए भूमिगत जेली फिल्ड केबल मंगाये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केबलों का भारत में भेजे जाने से पूर्व इनके निरीक्षण के लिए कोई दल तैनात किया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो निष्कर्षों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और

(ख). जी हाँ। देश के विभिन्न भागों में केबल बिछाने के लिए फ्रांस की दो फर्मों को 1800 कि.मी. केबल के आदेश दिए गए थे जिसमें से 1078 कि.मी. केबल बम्बई और मद्रास के लिए प्राप्त की गई थीं।

(ग) से (ङ). जी हाँ। इन केबलों के भारत आने से पहले इनके निरीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ताओं की फैक्ट्री में एक निरीक्षण दल भेजा गया था। 1800 कि.मी. केबल में से आपूर्तिकर्ताओं ने केवल 856 कि.मी. केबल का निरीक्षण कराया। ये केबलें विनिर्देशनों के अनुरूप पाई गईं। विक्रेता के परिसर में जिन शेष केबलों का परीक्षण नहीं किया जा सकता उनका परीक्षण भारत में दूरसंचार विभाग के गुणवत्ता आश्वासन स्कन्ध द्वारा किया गया और कुछ पहलुओं से ये केबल विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं पाई गईं। विनिर्देशनों के अनुरूप न पाई जाने वाली केबलों की कीमतों में उपयुक्त कमी करने के बारे में आपूर्तिकर्ताओं से बात-चीत चल रही है।

[अनुवाद]

असम में अन्वेषण

7157. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में तेल अन्वेषण में तेजी लाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) इसके तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) असम राज्य के अंतर्गत वर्धित भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा अन्वेषी वेधन 1994 से 1997 तक की अवधि के लिए वर्धित अन्वेषण कार्यक्रम (एपेक्स) के अधीन नियोजित किए गए हैं।

(ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने असम और नागालैंड में द्विआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण 6450 एस.एल.के., 450 जी.एल.के. तथा त्रिआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण 344 एस.एस.के. करने तथा 92 अन्वेषी कूपों के वेधन का लक्ष्य बनाया है।

आयल इंडिया लिमिटेड ने 1995-97 के दौरान 3600 2डी एस. एल.के., 2000 2डी जी.एल.के. तथा 3 डी का 400 एस.क्यू. के सर्वेक्षण करने तथा 118 हजार मीटर अन्वेषी वेधन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

गुजरात में तेल की खोज

7158. श्री हरिभाई पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में तेल के भंडार होने का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्ष में गुजरात क्षेत्र में तेल की खोज करने से संबंधित योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हाँ। निम्नलिखित स्थानों पर तेल वाली संरचनाओं का पता चला है :

(1) कैम्बे की खाड़ी में गल्फ-क तथा गल्फ-ब

(2) कच्छ अपतट में के डी

(3) ताप्ती - दमन अपतट में बी-12, सी ए, सी डी, एस डी-1 और एस डी-4।

(ग) ओ.एन.जी.सी. गुजरात में आगामी दो वर्षों (1995-97) में 14575 एस.एल.के. तथा 1625 जी.एल. के द्विआयामी एवं 640 एस. एस. के त्रिआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा 451490 मी. अन्वेषण मीटरेज के वेधन का प्रस्ताव है।

आयल इंडिया लि० ने गुजरात में 8767 कि.मी. द्विआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण किया है। इनके आधार पर अन्वेषण वेधन के लिए कुछ भावी स्थानों की पहचान की गयी है। आरम्भ में तीन कूपों के वेधन की योजना है ।

[अनुवाद]

कांडला में एल.पी.जी. टर्मिनल

7159. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन पर आयातित तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई के लिए एक गैस टर्मिनल की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव को अब तक स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सरकार ने कांडला में एल.पी.जी. आयात सुविधाओं की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड को 30.4.1993 को पहले ही अनुमोदन दे दिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

तेल के भंडार

7160. श्री एस.एम. ज़ाकीर हुसैन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में नए तेल भंडारों के संवर्धन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या ये लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तेल भंडारों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाए करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). 8वीं योजना के 1325 एम.एम.टी. के भंडार अभिवृद्धि लक्ष्य की तुलना में 8वीं योजना के प्रथम दो वर्षों में उपलब्धि 155 एम.एम.टी. थी।

(घ) भंडार अभिवृद्धि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने 1994-97 की अवधि के लिए 6500 करोड़ रुपए के व्यय से एक वर्द्धित अन्वेषण कार्यक्रम आरंभ किया है जिसमें निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं:

(i) राष्ट्रीय भूकम्पीय सर्वेक्षण।

(ii) सीमावर्ती क्षेत्र में अन्वेषण।

(iii) गहरे समुद्र में अन्वेषण।

(iv) विदेशी एकबों का अर्जन।

[हिन्दी]

रियायती दरों पर गैस की आपूर्ति

7161. श्री दत्ता मेघे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रियायती दरों पर गैस की आपूर्ति करने हेतु कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ऊपरी कृष्णा परियोजना

7162. श्री वी. कृष्णा राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊपरी कृष्णा परियोजना की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) ऊपरी कृष्णा परियोजना (अलामट्टी बांध) की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). अपर कृष्णा परियोजना में 7.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सालाना सिंचाई करने के लिए.कृष्णा नदी पर नारायण पुर बांध और आलमत्ती बांध और इस नहर प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना है। इसमें 297 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए आलमत्ती के नीचे एक विद्युत घर के निर्माण की भी परिकल्पना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किए जाने की योजना है। अपर कृष्णा परियोजना चरण-I के संशोधित अनुमान को 1214.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा सितंबर, 90 में निवेश स्वीकृति दी गई। इसमें 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने की परिकल्पना है। 1215.88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अपर कृष्णा परियोजना चरण-IV की परियोजना रिपोर्ट, जिसमें 2.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सालाना सिंचाई करने की परिकल्पना है, केंद्रीय जल आयोग में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए दिसंबर, 1993 में प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल करने हैं। तथा थाला राज्यों की सहमति भी प्राप्त करनी है क्योंकि इससे कर्नाटक सरकार को कृष्णा जल के उसके हिस्से में अपर कृष्णा परियोजना के जरिए उसे आवंटित किए गए 173 हजार मिलियन घन फुट से अधिक जल का उपयोग करने के लिए भौतिक सामर्थ्य प्रदान करेगी।

(ग) इस पर 1347.40 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है तथा 1.81 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

चैयरमैन की नियुक्ति

7163. प्रो0 उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम कुछ समय से बिना पूर्णकालिक चैयरमैन के ही कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि तेल क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में उच्च पद समय पर भर दिए जायें ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). अध्यक्ष, इंडियन आयल कार्पोरेशन के निलंबन के कारण, इंडियन आयल कार्पोरेशन के अध्यक्ष का कार्यभार वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक को सौंपा गया था। अब 22 फरवरी, 1995 से इंडियन आयल कार्पोरेशन के नियमित अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है।

30 अप्रैल, 1995 को श्री एस.के. मांगलिक द्वारा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर 01 मई, 1995 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, का पद रिक्त हो गया है।

(ग) पी.ई.एस.बी. के माध्यम से तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत बोर्ड स्तर की रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई ऐसी रिक्तियों के होने के छह माह पूर्व आरम्भ की जाती है तथा समय से रिक्तियां भरने के संबंध में सभी प्रयास किए जाते हैं।

इटली के साथ समझौता

7164. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सहयोग हेतु इटली के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). आतंकवाद का मुकाबला करने, संगठित अपराध और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और सहायता पर इटली सरकार और भारत सरकार के बीच समझौते के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

मध्य प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली

7165. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में संचार नेटवर्क पिछले कुछ वर्षों से संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में अत्याधुनिक इलैक्ट्रानिक प्रणाली शुरू करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ।

(घ) मध्य प्रदेश में 1995-96 के दौरान चालू की जाने वाली नई प्रौद्योगिकी के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	स्थान का नाम	क्षमता
1.	भोपाल	10,000 लाइनें
2.	ग्वालियर	10,000 लाइनें
3.	इन्दौर	15,000 लाइनें
4.	जबलपुर	10,000 लाइनें
5.	रायपुर	10,000 लाइनें

राष्ट्रीय नेताओं पर फिल्म

7166. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मंडेश कनोडिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार द्वारा सरदार पटेल और महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक फिल्म के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) विशेष रूप से राष्ट्रीय नेताओं पर बनने वाली फिल्मों के वित्त पोषण के लिए क्या मानदंड रखे गए है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एन.एफ.डी.सी.) के जरिए सर रिचर्ड एटनबरो द्वारा गांधीजी पर एक फिल्म के निर्माण हेतु 6.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के रचनात्मक वर्षों जब उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह पर अपने अनुभव शुरू किए पर आधारित मैकिंग ऑफ ए महात्मा'' नामक फिल्म बनाने का एक प्रस्ताव भी है। साऊथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन (एस.ए.बी.सी.) एवं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच यह एक सहयोग होगा। इसकी अनुमानित लागत 4 करोड़ रुपये होगी जिसमें भारतीय शेयर 2.5 करोड़ रुपये का होगा।

सरदार पटेल पर एक फिल्म का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित कोई आवेदन सरकार अथवा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, सरदार पटेल पर एक फिल्म फाउंडेशन फॉर फिल्मस् ऑन इंडियाज वार ऑफ इंडिपेंडेंस द्वारा हाल ही में बनायी गयी है।

(ग) भारत सरकार का फिल्म प्रभाग समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं पर जीवनी संबंधी फिल्में बनाता है। फीचर लेंग्थ फिल्मों (राष्ट्रीय नेताओं पर फिल्मों सहित) के मामले में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम आलेख/प्रस्ताव की गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता देता है।

दिल्ली यातायात पुलिस

7167. श्री तारा सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिए उपायों को शुरू करने के बारे में कोई व्यापक नीति बनाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	सामान्य	घातक	कुल
1992	6637	1884	8521
1993	6584	1891	8475
1994	7260	1790	9050
1995 (30.4.95 तक)	2554	665	3219

(ग) और (घ). दिल्ली की सड़कों के बारे में यातायात अनुशासन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, दिल्ली यातायात पुलिस नियमित रूप से विशेष निरीक्षण कार्यक्रमों और वाहन चालकों के विरुद्ध चालान अभियानों का आयोजन करती है। इस संबंध में किए गए उपायों में राडार गन से वाहनों की गति का परीक्षण करना, सड़क सुरक्षा संबंधी साहित्य का वितरण करना, प्रमुख चौराहों पर जन संबोधन प्रणाली द्वारा यातायात के नियमों की घोषणा करना, वाहन चालकों को प्रशिक्षित करना, भिडन्त रहित यातायात परिवहन प्रणाली की शुरूआत करना, दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में यातायात बत्तियों/क्लिकर्स लगाना तथा सड़क विभाजक लाइन के बीच के अन्तरालों को भरना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जल आयोग में संवर्ग समीक्षा

7168. श्री प्रेम चंद राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग में ''क'' वर्ग के अधिकारियों की कितनी बार संवर्ग संमीक्षा की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की संवर्ग संमीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग के उपरि गंगा सर्किल को, जो 1952 से दिल्ली में है, स्थानान्तरित करने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसे किस स्थान पर स्थानान्तरित किया जाएगा;

(ङ) इस स्थानान्तरण से कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है;

(च) क्या सरकारी आवास सहित उनके हितों की रक्षा की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह ''क'') सेवा की काडर समीक्षा अब तक तीन बार की गई। यह सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है।

(ख) केंद्रीय जल आयोग में ड्राइंग स्टाफ, सांख्यिकीय और वैज्ञानिक काडर, बेतार आपरेटरों आदि जैसी अन्य श्रेणियों की काडर समीक्षा पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) अपर गंगा सर्किल का नाम बदलकर जल वैज्ञानिक प्रेक्षण सर्किल कर दिया गया है एवं उसे देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ङ) से (छ). केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीयकरण एवं पनुर्संरचना के कारण अपर गंगा सर्किल का स्थानांतरण किया गया है। अपर गंगा सर्किल में कार्यरत सभी कर्मचारी अब देहरादून स्थानांतरित हो जाएंगे। उनके हित संभव सीमा तक सुरक्षित हैं।

तेल अन्वेषण में निजी क्षेत्र

7169. श्री अमर पाल सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री भूलभूषण शरण सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण कार्य में विदेशी क्षेत्र को भी शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय कब तक लागू हो जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जी, हाँ। भारत सरकार ने अब तक भारतीय और निजी कंपनियों द्वारा 11 ब्लॉकों में तेल और गैस के अन्वेषण हेतु संविदाएं देने के लिए अनुमोदन दे दिया है। 4 ब्लॉकों के लिए संविदाओं पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

ईंधन की बचत करने वाले उत्पाद

7170. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ''नगोरिया इन्टरनेशनल'' जिसे ''बेन्जोप्लेक्स-एम०'' कहा जाता है द्वारा ईंधन बचत उत्पाद का उत्पादन किए जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने इस उत्पाद के प्रयोग की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). ''बेन्जोप्लेक्स-एम'' उत्पाद के नमूनों का पेट्रोलियम संरक्षण संबंधी परिणामों ने ईंधन कुशलता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं दर्शाया है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

7171. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप इनमें कितनी लागत वृद्धि हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगवूवा नायडू) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश की बड़ी व माझोली सिंचाई परियोजनायें जो अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कारण मोटे तौर पर ये हैं:

(i) **तकनीकी :** व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने के लिए सीमित अन्वेषण और परिणामस्वरूप क्रियान्वयन के दौरान परियोजना के व्यापित क्षेत्र और डिजाइन में परिवर्तन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एंव पुनर्स्थान और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों आदि के लिए मूल अनुमानों में अपर्याप्त प्रावधान।

(2) वित्तीय : निर्माण के दौरान मूल्यों में वृद्धि, पर्याप्त निधियों का उपलब्ध न होना, भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ जाना।

(3) अन्य कारण : श्रम समस्या, ठेके संबंधी समस्याएं, पर्यावरणविदों एवं भूविस्थापित द्वारा आन्दोलन, प्राकृतिक आपदाएं।

(घ) परियोजनाएं शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों में ये शमिल हैं। (1) उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जिन पर काफी प्रगति हो चुकी है, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित करना (2) चुनिन्दा परियोजनाओं की सघन मानीटरी (3) लागत नियंत्रणप कक्ष स्थापित करने के लिए राज्यों को सलाह देना।

(ङ) नर्मदा सागर एवं बाण सागर परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से अनुरोध मार्च, 1994 में प्राप्त हुआ था।

(च) कुछ परियोजाओं को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं घोषित करने के लिए प्रस्तावों को व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश के वृहद एंव मध्यम सिंचाई परियोजनाओं जो अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	नवीनतम अनुमानित लागत	लागत में वृद्धि
1	2	3	4
क. वृहद			
1. कोलार	25.75	157.40	131.65
2. पैरी	4.97	33.54	28.57
3. सिंध फेज-1	4.95	56.43	51.48
4. जोंक	4.14	46.38	42.24
5. अपर बेन गंगा	50.60	176.53	125.93
6. कोदार	2.94	49.82	46.88
7. बरियारपुरबायां तट नहर	18.40	143.00	124.60
8. उर्मिल	8.56	20.70	12.14
9. इलाली	13.06	24.71	11.65
10. माही	27.10	129.70	102.60
ख. मध्यम			
1. गुंघट्टा	1.99	39.10	37.11
2. मतियारी	4.89	48.20	43.31
3. बालारपुर व्यपवर्तन	0.95	6.30	5.35
4. बालार	2.67	10.90	8.23
5. शिवनाथ व्यपवर्तन	0.40	7.77	7.37
6. विपरिनल्ला	3.90	13.73	9.83
7. बंजार	2.09	7.74	5.65
8. बांकी	3.13	17.75	14.62
9. मोड विकपरिवर्तन	2.89	46.39	43.70
10. तिल्लार	5.77	36.46	30.69
11. मातिया मोति	1.61	20.00	18.39
12. छोरल	3.97	27.40	23.43
13. दुधो	2.86	19.70	16.84
14. चन्देरा	2.93	15.06	12.13
15. बदनाला	2.18	14.20	12.02
16. गोमुख	3.51	29.00	15.49
17. कलियासोते	9.33	55.63	46.30
18. बुधना	1.99	21.60	19.61
19. रामपुर खुर्द	1.51	10.90	9.39
20. दोलवाड़	4.68	18.04	13.36
21. बिरपानी	8.57	30.90	22.33
22. बाली	13.98	52.40	38.42
23. कनहरगांव	5.22	16.70	11.48
24. लखुंधर	4.27	27.40	23.13
25. कसेरटेड़ा	6.02	35.03	29.01
26. देजलावेधवा	16.40	50.12	33.72

1	2	3	4
27. बन्दियानाला	1.80	11.46	9.66
28. सागर	10.63	32.80	22.17
29. कुनवारी लिफ्ट	1.03	3.80	2.77

[अनुवाद]

भारत तिब्बत पुलिस बल को तैनात करना

7172. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वीरप्पन को गिरफ्तार करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को तैनात करने की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पुलिस बल तैनात करने पर कितना खर्च आया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

तेल क्षेत्रों का विकास

7173. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनरॉन रिलायंस कन्सोर्टियम द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम योजना ताप्ती, पन्ना और मुक्ता तेल क्षेत्रों के विकास हेतु बोली के समय प्रस्तुत की गई मूल योजनाओं से काफी भिन्न हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका इन तेल क्षेत्रों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). मैसर्स इनरोन आयल एण्ड गैस इंडिया लिमिटेड (ई.ओ.जी.आई.एल.) ने ताप्ती क्षेत्र के विकास के लिए अंतिम प्रारूप योजना प्रस्तुत कर दी है जो उनके द्वारा अपनी बोली के अन्तर्गत रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि० के साथ प्रस्तुत की गई संकल्पनात्मक योजना के अनुरूप है। पन्ना-मुक्ता क्षेत्रों के संबंध में अंतिम विकास योजना ई.ओ.जी.आई.एल. द्वारा अभी प्रस्तुत की जानी है।

[हिन्दी]

थरेजा समिति

7174. श्री मंजय लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थरेजा समिति ने नई दिल्ली नगर पालिका का कार्य अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से; और

(ग) समिति की रचना और निवेश पद क्या हैं तथा उसे सौंपे गये कार्य का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी .एम.सईद) : (क) से (ग). अनेक विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.89 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए थरेजा समिति का गठन किया गया था। इस समिति, जिसके अध्यक्ष न्यायपालिका का एक अधिकारी हैं, ने वर्ष 1990 में काम करना प्रारम्भ किया था इस समिति का गठन, नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में फेरीवालों/बैठकर सामान बेचने वालों के आवेदनों की जांच करने के लिए किया गया था। इस समिति को स्थान आवंटन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की छंटनी करने का काम सौंपा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग विनिर्दिष्ट स्थान पर 1977 के पहले से कब्जा धारण किए हुए हैं, उन्हें उक्त स्थान का आवंटन प्रथम दौर में किया जाए तथा यदि उसके बाद कोई स्थान बाकी बचता है तो उसके बाद के वर्षों में आने वाले आवेदकों को आवंटित किया जा सके। तथापि, इस समिति की रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

अर्द्ध सैनिक बल

7175. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अर्द्ध सैनिक बलों में अर्द्ध सैनिक कर्मियों की बल-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत दो पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान इन बलों की वृद्धि दर क्या थी; और

(ग) क्या इन अर्द्ध सैनिक बलों के विस्तार पर रोक लगाने का

कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). सूचना निम्न प्रकार से है :

बल का नाम	कुल संख्या	1985 से 94 तक बढ़ोत्तरी की दर
असम राईफल्स	52492	46.28 प्रतिशत
सीमा सुरक्षा बल	181381	77.06 प्रतिशत
के.ओ.सु.बल	90758	72.61 प्रतिशत
के.रि.पु.बल	165346	58.03 प्रतिशत
भा.तिब्बत सी.पु.	30291	108.31 प्रतिशत
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	7359	22.43 प्रतिशत

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

इलेक्ट्रानिक मेल-सेवा

7176. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितनी गैर-सरकारी इलैक्ट्रानिक मेल नेटवर्क कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या भारतीय नागर-विमानन महानिदेशक ने बलू डार्ट एविएशन लिमिटेड को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है;

(ग) क्या किसी अन्य कम्पनी को ऐसी अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) विभाग ने देश में इलेक्ट्रानिक मेल नेटवर्क के प्रचालन के लिए 10 पंजीकृत भारतीय कंपनियों को लाइसेंस जारी किए हैं। सभी लाइसेंस पूरे भारत के लिए हैं और लाइसेंसधारी देश में कहीं भी सेवा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। लाइसेंसधारियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ). संबद्ध मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर किए गए

इलेक्ट्रानिक मेल सेवा - दस

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लाइसेंस करार (एल.ए.) पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1.	मै0 आई.सी. नेट (आईसीएनईटी) प्रा0 लि0 सौरैंटो "6 लैटिस ब्रिज रोड़, अड्यार मद्रास-600020	लाइसेंस करार पर 7.1.94 को हस्ताक्षर किए गए। सेवा प्रारंभ हो चुकी है।
2.	मै0 डाटालाइन एंड रिसर्च टैक्नालॉजी, 31 ए, मोर्वेल चैम्बर, चौथी मंजिल, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट, बम्बई-40001	लाइसेंस करार पर 11.5.94 को हस्ताक्षर किए गए। सेवा प्रारंभ हो चुकी है।
3.	डाटाप्री इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलाजी प्रा. लि. ईएल-21, इलेक्ट्रानिक जोन, एम.आई.डी.सी. भोसारी, पुणे-411026	लाइसेंस करार पर 3.6.94 को हस्ताक्षर किए गए।
4.	मै0 विप्रो इन्फोटेक लि0, 88, एम.जी. रोड़, बेंगलूर-560001	लाइसेंस करार पर 21.7.94 को हस्ताक्षर किए गए।
5.	मै0 स्प्रिंट आर.पी.जी. इंडिया लि0, गुलमोहर हाउस 161/बी-4, गौतम नगर, युसुफ सराय, नई दिल्ली-49	लाइसेंस करार पर 10.8.94 को हस्ताक्षर किए गए। सेवा प्रारंभ हो चुकी है।
6.	मै0 ग्लोबल टेलीकॉम सर्विस लि0, 412, जन्मभूमि चैम्बर्स, 29, वालचन्द हीरा मार्ग, बंबई-38	लाइसेंस करार पर 24.8.94 को हस्ताक्षर किए गए।

1	2	3
7.	मै0 बी.एस.एल.एस., विदेश संचार भवन, एम.जी. फोर्ट, बंबई - 400001	लाइसेंस करार पर 25.10.94 को हस्ताक्षर किए गए।
8.	मै0 सी.जी. ग्रामपेट प्रा0 लि0 2-टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001	लाइसेंस करार पर 26.10.94 को हस्ताक्षर किए गए।
9.	मै0 अर्चना टेलीकॉम सर्विस प्रा0 लि0 प्रिंडले सिनेमा कंपलेक्स कम्यूनिटी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110065	लाइसेंस करार पर 15.12.94 को हस्ताक्षर किए गए।
10.	मै0 सी.एम.सी.लि., 1 रिंग रोड़ किलोकरी, महारानीबाग के सामने, नई दिल्ली-110014.	लाइसेंस करार पर 18.1.95 को हस्ताक्षर किए गए।

[हिन्दी]

बेतार प्रणाली

7177. श्री राम पूजन पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जा रहे हैं, टेलीफोन के तारों की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी गांवों में बेतार प्रणाली को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। तथापि, कम लंबाई की कुछ केबिलों की चोरी हुई है।

(ख) ऐसे मामलों में पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाती है।

(ग) और (घ). जी हाँ, बेतार प्रणालियों (एम.ए.आर.आर.) का प्रयोग मुख्य रूप से लम्बी दूरी के कनेक्शनों, पहाड़ी और रेगिस्तान जैसे दुर्गम क्षेत्रों आदि के मामलों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये प्रणालियां अधिक विश्वसनीय सेवा प्रदान करती हैं तथा इसकी चोरी भी नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

विकास योजना

7178. डा0 असीम बाला : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के लिए कोई नई विकास योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में क्षेत्रीय विसंगति को दूर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). किसी क्षेत्र की आयोजना तथा विकास और इस प्रयोजन के लिए निधियों का आवंटन प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्र सरकार विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों तथा राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले में पिछड़ेपन को उपयुक्त महत्व देने के माध्यम से क्षेत्रीय असमानता कम करने हेतु पूर्वी क्षेत्र स्थित राज्यों सहित सभी राज्यों की सहायता करती है।

कारागार निर्देशिका का उल्लंघन

7179. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मई, 1995 के दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में तिहाड़ जेल, दिल्ली में कारागार निर्देशिका के उल्लंघन के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के उल्लंघन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करना

7180. श्री जे. चोक्का राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को, विशेष रूप से आतंकवादियों से ग्रस्त राज्यों को पुलिस बल को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिये कोई विशेष धनराशि दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्यों द्वारा किस प्रकार के हथियारों की मांग की गई है, 1994-95 के दौरान कितनी सहायता दी गयी है तथा 1995-96 के दौरान कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता में, अन्य बातों के साथ-साथ आधुनिक लाईट हथियारों की खरीद की व्यवस्था भी है। इसके अतिरिक्त विशेष समस्याओं का मुकाबला करने वाले राज्यों द्वारा सहायतार्थ अनुरोध किए जाने पर उन राज्यों को तदर्थ अनुदान भी दिया जाता है। हालांकि 1994-95 में कोई तदर्थ सहायता नहीं दी गयी, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 1994-95 के दौरान राज्यों को दी गयी वास्तविक सहायता के ब्यौरे और 1995-96 के दौरान प्रस्तावित सहायता के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना

(रु० लाखों)

राज्य का नाम	1994-95 के दौरान दी गयी राशि	1995-96 के लिए आवंटन
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	104.780	209.560
असम	190.860	95.430
अरूणाचल प्रदेश	92.540	46.270
बिहार	116.560	233.120
गोवा	29.480	58.960
गुजरात	-	150.180
हरियाणा	35.855	71.710
हिमाचल प्रदेश	40.690	40.690
जम्मू और कश्मीर	121.540	81.540
कर्नाटक	150.800	150.800
केरल	153.990	113.990
महाराष्ट्र	125.645	251.290
मध्य प्रदेश	287.179	237.820
मणिपुर	69.260	34.630
मेघालय	51.880	25.940
मिजोरम	87.780	43.890
नागालैंड	76.860	38.430
उड़ीसा	114.610	104.610
पंजाब	84.650	84.650
राजस्थान	224.920	154.920
सिक्किम	25.830	17.220
तमिलनाडु	196.750	196.750
त्रिपुरा	93.060	46.530
उत्तर प्रदेश	279.710	336.300
पश्चिम बंगाल	214.770	174.770
कुल	3000.000	3000.000

[हिन्दी]

उर्दू कार्यक्रमों की गुणवत्ता

7181. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र तथा अन्य केन्द्रों के ई. एस.डी. तथा एन.एस.डी. समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित उर्दू कार्यक्रमों के स्तर में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की मांग

7182. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य-वार कोयले की अनुमानित मांग क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिये कोई विशिष्ट योजना बनाई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयले की मांग का राज्य-वार मूल्यांकन नहीं किया जाता है। सम्पूर्ण देश के लिए इस मांग का उद्योग/क्षेत्र-वार मूल्यांकन किया जाता है। आठवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1996-97 तक देश में कच्चे कोयले के संदर्भ में कोयले की मांग 311.00 मिलियन टन प्रक्षिप्त की गई है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त मांग को निम्नलिखित स्रोतों से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है :

स्रोत	(मिलियन टन में)
कोल इंडिया लि०	263.60
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०	30.20
अन्य	6.20
आयातित	6.00
स्टाक से निकासी	5.00
जोड़ :	311.00

देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ नई खानें खोलना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण, नई प्रौद्योगिकी को लागू करना, आवक तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, अच्छी क्षमता उपयोगिता तथा अच्छे औद्योगिक संबंध बनाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की कोयला खान में भागीदारी अनुमेय करते हुए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन से विद्युत के उत्पादन में कार्यरत कंपनी तथा ऐसे अन्य अंतिम उपयोग जो कि समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, उनके मामले में कोयला खनन किया जा सकेगा। यह व्यवस्था लौह एवं इस्पात के उत्पादन में कार्यरत कंपनियों को कोयला खनन अनुमेय करने के विद्यमान प्रावधानों के अतिरिक्त होगी।

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शनों के लिए जाली वाउचर

7183. डा० पी. बालजन पेरुमाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाने संबंधी जाली वाउचरों का पता लगाने हेतु कोई छापे मारे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जबकि बी.पी.सी.एल. ने नकली टर्मिनेशन वाउचरों (टी.वी.) के आधार पर जारी एल.पी.जी. कनेक्शनों का पता लगाने के लिए 1994-95 के दौरान मदुरई जिले में दो स्थानों पर छापे मारे हैं, वहीं आई.ओ.सी. और एच.पी.सी. द्वारा कोई छापा नहीं मारा गया है। तथापि, एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए नकली वाउचरों के कुछ मामले सरकारी तेल कंपनियों की दृष्टि में आए हैं। नकली वाउचरों का पता लगाने देने के लिए डिस्ट्रिब्यूटरों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जहां भी नकली वाउचरों का पता लगाया

जाता है, वहां जमा राशि को जब्त कर लिया जाता है और रीफिलों की आपूर्ति को निलंबित कर दिया जाता है कुछ मामलों में उपस्कर वापस ले लिए गए हैं। और पुलिस केस दर्ज किए गए हैं।

तेल उद्योग का विकास

7184. श्री प्रकाश बी. पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल उद्योग का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आवंटन 26552 करोड़ रुपए था।

(ग) लगभग 9133 करोड़ रुपए वर्ष 1994-95 में व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति हुई है।

अल्प संख्यक वित्त तथा विकास निगम

7185. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम किन-किन राज्यों ने स्थापित कर दिए हैं और वे किन-किन वर्षों में स्थापित किए गये;

(ख) इन निगमों की स्थापना के बाद से प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये गये;

(ग) प्रति वर्ष कितनी धनराशि का बैंक ऋण दिया गया और इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) इन निगमों और बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि का अनुपात कितना-कितना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में बैंकों को कोई दिशा-निर्देश अथवा अनुदेश जारी किए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों ने अब तक राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथियों से स्थापित किया है :

(1) आन्ध्र प्रदेश	19.01.1985
(2) बिहार	24.01.1983
(3) कर्नाटक	07.02.1986
(4) उत्तर प्रदेश	17.11.1984

(ख) से (घ). आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के बारे में सूचना संलग्न विवरण- I, II और III में दी गई है। तथापि, बिहार के मामले में सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) और (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण - I

वर्ष	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश
1985-96	7.85	-	-
1996-87	109.09	1.98	28.09
1987-88	85.93	38.45	85.00
1988-89	78.63	23.75	123.66
1989-90	92.41	20.38	189.40
1990-91	175.04	34.01	120.77
1991-92	144.91	56.63	101.00
1992-93	154.30	142.27	53.21
1993-94	150.01	199.94	57.60
1994-95	147.45	273.75	82.57

विवरण - II

वर्ष	आंध्र प्रदेश		कर्नाटक		उत्तर प्रदेश	
	लाभग्राहियों की संख्या	बैंक ऋण (लाख रु.)	लाभग्राहियों की संख्या	बैंक ऋण (लाख रु0)	लाभग्राहियों की संख्या	बैंक ऋण (लाख रु0)
1985-86	1722	41.05	-	-	-	
86-87	7807	295.61	77	4.66	149	117.0
87-88	8683	322.41	1413	105.40	681	383.4
88-89	8043	296.82	927	57.55	1139	518.0
89-90	5968	306-49	693	60.57	1932	751.0
90-91	8908	596.42	1122	103.55	1317	473.8
91-92	5943	498.83	1508	176.66	1035	504.6
92-93	5259	341.92	4096	503.50	512	260.0
93-94	4726	527.85	4937	698.46	506	273.1
94-95	3868	542.66	5675	983.11	548	405.1

विवरण - III

कर्नाटक

क्र. सं.	ऋण राशि	अधिकतम सीमांत ऋण	कुल ऋण में सीमांत धन का %	बैंक का हिस्सा
1.	5000 रु0 तक	2500	50 "	50 "
2.	5001 से 10000 रु0 तक	3000	30	70
3.	10001 से 50000 रु0 तक	10000	20 "	80 "

आन्ध्र प्रदेश

क्र. सं.	यूनिट लागत	निगम से सीमांत धन	बैंक का हिस्सा	लाभग्राही का हिस्सा
1.	10,000 रु0 तक	25 "	75 "	- "
2.	2,00,000 रु0 तक	20 "	70 "	15 "

उत्तर प्रदेश

वर्ष	निगम का हिस्सा	बैंक का हिस्सा
1	2	3
1986-87	28.09	117.0
87-88	85.00	383.4
88-89	123.66	518.0
89-90	189.40	751.0
90-91	120.77	473.8
91-92	101.00	504.6
92-93	53.21	260.0
93-94	57.60	273.1
94-95	82.57	405.1

[हिन्दी]

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग

7186. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अनुवादक तकनीकी विषयों का अनुवाद भी करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस सवंर्ग को तकनीकी सेवा सवंर्ग के अंतर्गत लाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो यह कब तक किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हाँ।

(ख) इस प्रकार को कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सदस्यों द्वारा तकनीकी विषयों से संबंधित अनुवाद का काम तकनीकी/वैज्ञानिक सेवाओं/सवंर्गों द्वारा किए जा रहे तकनीकी काम से तुल्य नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

7187. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्यात की गई फिल्मों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. की स्थापना अच्छे सिनेमा का वित्त पोषण करने तथा उसे प्रोत्साहित करने और भारतीय फिल्म उद्योग के स्वीकृत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है।

(ख) निर्यात की गई फिल्मों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्यात की गई फिल्मों का ब्यौरा 1992-93

क्र. सं.	नाम	भाषा	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	हलोधिया चोरेई	असमी	ईरान
2.	आगंतुक	बंगला	जापान
3.	आंगतुक	बंगला	आस्ट्रेलिया
4.	आंगतुक	बंगला	ताइवान
5.	आंगतुक	बंगला	फ्रांस, यूरोप
6.	अपराजितो	बंगला	यू.एस.ए. तथा कनाडा
7.	अपराजितो	बंगला	मैक्सिको
8.	अपूर संसार	बंगला	मैक्सिको
9.	आत्मजा	बंगला	सिंगापुर
10.	गणशत्रु	बंगला	मारीशस
11.	जलसागर	बंगला	यू.एस.ए. तथा कनाडा
12.	पाथेर पांचाली	बंगला	मैक्सिको
13.	पाथेर पांचाली	बंगला	ब्रिटिश एअरवेज
14.	पाथेर पांचाली	बंगला	यू.एस.ए. तथा कनाडा
15.	मीटिंग-ए-माइलस्टोन	अंग्रेजी	ईरान
16.	आज का गुण्डाराज	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
17.	अधर्म	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
18.	अधूर फैसला	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
19.	अग्निकाल	हिन्दी	श्री लंका
20.	अजूबा	हिन्दी	थाइलैण्ड
21.	अकेला	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
22.	अकेला	हिन्दी	ईरान
23.	अनाड़ी खिलाड़ी	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
24.	अपना जहां	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
25.	अपना जहां	हिन्दी	श्रीलंका
26.	अपने पराए	हिन्दी	श्रीलंका

1	2	3	4
27.	बाघ बहादुर	हिन्दी	ईरान
28.	बागी सुलतान	हिन्दी	थाईलैण्ड
29.	बैराग	हिन्दी	श्री लंका
30.	बंजारन	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
31.	बेटा	हिन्दी	थाइलैण्ड
32.	भूमिका	हिन्दी	फ्रांस
33.	बुरे फंसे	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
34.	चार कुंवारे	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
35.	चुपके-चुपके	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
36.	करंट	हिन्दी	श्रीलंका
37.	दौलत की जंग	हिन्दी	चीन
38.	दौलत की जंग	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
39.	दीवाना	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
40.	दीवार	हिन्दी	श्रीलंका
41.	देवी और दुर्गा	हिन्दी	थाईलैण्ड
42.	धारावी	हिन्दी	यूरोप
43.	दिशा	हिन्दी	आस्ट्रेलिया
44.	दो कैदी	हिन्दी	श्रीलंका
45.	दृष्टि	हिन्दी	सिंगापुर
46.	दुल्हन खुद दहेज है	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
47.	एक लड़का एक लड़की	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
48.	गंगा का वचन	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
49.	गीत	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
50.	घायल	हिन्दी	चीन
51.	हम दोनों	हिन्दी	मलेशिया
52.	हम फरिश्ते नहीं	हिन्दी	मलेशिया
53.	हमला	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
54.	हमशक्ल	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
55.	आई.लव.यू.	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
56.	इंसाफ की देवी	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
57.	इंसानियत	हिन्दी	श्रीलंका
58.	इंसानियत के देवता	हिन्दी	थाईलैण्ड
59.	इंतेहा प्यार की	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
60.	जाग उठा इंसान	हिन्दी	श्रीलंका
61.	जागते रहो	हिन्दी	आस्ट्रेलिया
62.	झुठी शान	हिन्दी	श्रीलंका
63.	झुठी शान	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
64.	जो जीता वही सिंकदर	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
65.	जंगल का बेटा	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
66.	कमला की मौत	हिन्दी	श्रीलंका
67.	कर्मासन	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
68.	कर्मयोद्धा	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
69.	खुदा गवाह	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
70.	खुले आम	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
71.	खुले आम	हिन्दी	थाईलैण्ड
72.	किंग अंकल	हिन्दी	थाईलैण्ड
73.	कोरा कागज	हिन्दी	श्रीलंका
74.	कुंदन	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
75.	लॉट साब	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
76.	लक्ष्मण रेखा	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
77.	लम्बू दादा	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
78.	लम्हे	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
79.	लम्हे	हिन्दी	थाईलैण्ड
80.	लव	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
81.	मैं जिंदा हूँ	हिन्दी	श्रीलंका
82.	मनोरंजन	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
83.	माया	हिन्दी	फ्रांस

1	2	3	4
84.	मजदूर	हिन्दी	ईरान
85.	महबूबा	हिन्दी	श्रीलंका
86.	मेरे सजना साथ निभाना	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
87.	मेरी जानेमन	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
88.	मिर्जा की शादी	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
89.	म्यूजिक ऑफ सत्यजीत रे	हिन्दी	मारीशस
90.	नाच गोविन्दा नाच	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
91.	नया जहर	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
92.	नजर	हिन्दी	श्रीलंका
93.	नेहरू दी ज्वेल ऑफ इण्डिया	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
94.	निश्चय	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
95.	पायल	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
96.	पनाह	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
97.	पनाह	हिन्दी	श्रीलंका
98.	परिन्दा	हिन्दी	थाईलैण्ड
99.	परिवार	हिन्दी	थाईलैण्ड
100.	प्रहार	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
101.	प्यार दिवाना होता है	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
102.	प्यार का साया	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
103.	राम अवतार	हिन्दी	थाईलैण्ड
104.	रुपए दस करोड़	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
105.	सड़क	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
106.	सदगति	हिन्दी	फ्रांस
107.	सदगति	हिन्दी	जर्मनी आदि
108.	सफर	हिन्दी	श्रीलंका
109.	सलाम बाम्बे	हिन्दी	चेकोस्लोवाकिया
110.	सनम आप की खातिर	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
111.	सनम बेवफा	हिन्दी	यू.एस.एस.आर.
112.	सन्नाटा	हिन्दी	श्रीलंका
113.	सौ करोड़	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
114.	शोल और शबनम	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
115.	श्रीमान आशिक	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
116.	सितम	हिन्दी	श्रीलंका
117.	सियासत	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
118.	सोने पे सुहागा	हिन्दी	मलेशिया
119.	सुपरमैन	हिन्दी	थाईलैण्ड
120.	सुपरमैन	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
121.	त्रिदेव	हिन्दी	चीन
122.	तुलसीदास	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
123.	त्यागी	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
124.	उत्तर दक्षिण	हिन्दी	चीन
125.	वंश	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
126.	वारिस	हिन्दी	श्रीलंका
127.	यारा दिल दारा	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
128.	युगान्तर	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
129.	जख्मी रूह	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
130.	जख्मी रूह	हिन्दी	थाईलैण्ड
131.	जंजीर	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
132.	जिंदगी एक जुआ	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
133.	मुतीनडारा	कन्नड़	सिंगापुर
134.	इलिपयथम	मलयालम	आस्ट्रेलिया
135.	पीरावी	मलयालम	ईरान
136.	चौकर्ट राजा	मराठी	दक्षिण अफ्रीका
137.	चौकर्ट राजा	मराठी	मारीशस
138.	कलट नक्कलड	मराठी	मारीशस
139.	दलपति	तमिल	दक्षिण अफ्रीका

1	2	3	4
140.	इरूमलारग	तमिल	श्रीलंका
141.	मरूपक्कम	तमिल	श्रीलंका
142.	मरूपक्कम	तमिल	मलेशिया
143.	मरूपक्कम	तमिल	सिंगापुर
144.	मोटर सुन्दरम पिल्लई	तमिल	श्रीलंका
145.	पेसई देईवम	तमिल	श्रीलंका
1993-94			
1.	कुरिंजी मलार	तमिल	श्रीलंका
2.	आगन्तुक	बंगला	सिंगापुर
3.	खोल	हिन्दी	श्रीलंका
4.	संलगई ओली	तमिल	श्रीलंका
5.	मुथल मोरियाथाई	तमिल	श्रीलंका
6.	विभिन्न फिल्मों के 59 गाने	हिन्दी	श्रीलंका
7.	वेदम भरदा	तमिल	श्रीलंका
8.	एक फूल दो माली	हिन्दी	श्रीलंका
9.	पट्टुम भरदा	तमिल	श्रीलंका
10.	अभिमान	हिन्दी	श्रीलंका
11.	परम्परा	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
12.	आम्रपाली	हिन्दी	श्रीलंका
13.	सौगति	बंगला	बेल्जियम स्वीटजं
14.	आईना	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
15.	अनानी	हिन्दी	श्रीलंका
16.	अन्नाकिल्ली	तमिल	श्रीलंका
17.	इलरम ओलियम	तमिल	श्रीलंका
18.	पर्सी	हिन्दी	मारीशस
19.	पेस्टन जी	हिन्दी	मॉरिशस
20.	धारवी	हिन्दी	मॉरिशस
21.	मिर्च मसाला	हिन्दी	मॉरिशस
22.	कस्बा	हिन्दी	मॉरिशस
23.	माया	हिन्दी	सिंगापुर
24.	औरे वनम औरे भूमि	तमिल	श्रीलंका
25.	अंकुर	हिन्दी	श्रीलंका
26.	सांग ऑफ वैरियस फिल्मस	हिन्दी	श्रीलंका
27.	सफराम सजेर देशे	बंगला	फ्रांस
28.	एक डाक्टर की मौत	हिन्दी	मारीशस
29.	मैं जिन्दा हूँ	हिन्दी	मारीशस
30.	मण्डी	हिन्दी	मारीशस
31.	भूमिका	हिन्दी	मारीशस
32.	मणि	कन्नड़	मारीशस
33.	मीकिक्कु अरू पेन्न	तमिल	श्रीलंका
34.	गोमाता एन कुलमाता	तमिल	श्रीलंका
35.	मारमरम	मलयालम	सिंगापुर
36.	पूल	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
37.	जल संग्रम	बंगला	मारीशस
38.	माथेर पंचाली	बंगला	मारीशस
39.	अपराजितो	बंगला	मारीशस
40.	कंचनचंघा	बंगला	मारीशस
41.	सद्गति	हिन्दी	मारीशस
42.	नपूर संसार	बंगला	मारीशस
43.	पुलिसवाला	हिन्दी	दक्षिण अफ्रीका
44.	घरे बाहरे	बंगला	मारीशस
45.	आगन्तुक	बंगला	मारीशस
46.	वन अरण्य	बंगला	मारीशस
47.	हीरेक राजार देशे	बंगला	मारीशस
48.	तहदिर कथा	बंगला	जापान
49.	अंधी गली	हिन्दी	मारीशस
50.	भवन्तरामा	उड़िया	जर्मनी
51.	झरियाली और रास्ता	हिंदी	मारीशस

1	2	3	4
52.	कटी पतंग	हिन्दी	श्रीलंका
53.	आराधना	हिंदी	श्रीलंका
54.	दृष्टि	हिंदी	श्रीलंका
55.	मिर्च मसाला	हिंदी	हांगकांग
56.	धारावी	हिंदी	हांगकांग
57.	गरम हवा	हिंदी	हांगकांग
58.	मिस बीटीज चिल्ड्रन	अंग्रेजी	हांगकांग
59.	तृषाग्नि	हिंदी	इस्रराएल
60.	एक डॉक्टर की मौत	हिंदी	इस्रराएल
61.	मिर्च मसाला	हिंदी	इस्रराएल
62.	नजर	हिंदी	इस्रराएल
63.	आशा	हिंदी	इस्रराएल
64.	धारावी	हिंदी	इस्रराएल
65.	देवशिशु	हिंदी	इस्रराएल
66.	दीक्षा	हिंदी	इस्रराएल
67.	मैसी साहब	हिंदी	इस्रराएल
68.	लड़ाकेर कथा	हिंदी	इस्रराएल
69.	एक होता विदूषक	हिंदी	इस्रराएल
70.	मिस बीटीज चिल्ड्रन	हिंदी	इस्रराएल
71.	कारवां	हिंदी	श्रीलंका
72.	भुवन शोम	हिंदी	हांगकांग
73.	गणशत्रु	बंगला	हांगकांग
74.	रूदाली	हिंदी	जापान
75.	चन्न परदेशी	पंजाबी	सिंगापुर
76.	शाखा ओ प्रोशाखा	बंगला	सिंगापुर
77.	शोला और शबनम	हिंदी	सिंगापुर
78.	माँ	हिंदी	सिंगापुर
79.	राम और श्याम	हिंदी	श्रीलंका
80.	बैराग	हिंदी	मारीशस
81.	माया	हिंदी	मारीशस
82.	सती	बंगला	इस्रराएल
83.	आदि मीमांसा	उड़िया	इस्रराएल
84.	माने	कन्नड़	इस्रराएल
85	दृष्टि	हिंदी	इस्रराएल
86.	रूवाली	हिंदी	इस्रराएल
87.	मारूपक्कम	तमिल	इस्रराएल
88.	स्वारोप्पम	मलयालम	इस्रराएल
89.	पिरावि	मलयालम	इस्रराएल
90.	चलते-चलते	हिंदी	मलेशिया
91.	जूली	हिंदी	मेलेशिया
92.	सलाम बॉम्बे	हिंदी	मारीशस
93.	डिवार राजार देशी	बंगला	श्रीलंका
94.	अपुर संसाद	बंगला	श्रीलंका
95.	अपराजितो	बंगला	श्रीलंका
96.	पाथेर पंचाली	बंगला	श्रीलंका
97.	जन अरण्य	बंगला	श्रीलंका
98.	आगंतुक	बंगला	श्रीलंका
99.	जलसागर	बंगला	श्रीलंका
100.	डम	हिंदी	बुल्गारिया
101.	तूफान	हिंदी	बुल्गारिया
102.	जादूगर	हिंदी	बुल्गारिया
103.	निश्चय	हिंदी	बुल्गारिया
104.	राज बन गया जेण्टलमैन	हिंदी	बुल्गारिया
105.	पत्थर के फूल	हिंदी	बुल्गारिया
106.	जिंदगी एक जुआ	हिंदी	बुल्गारिया
107.	लव लव लव	हिंदी	बुल्गारिया
108.	श्रीमान आशिक	हिंदी	बुल्गारिया
109.	कुर्बानी रंग लाएगी	हिंदी	बुल्गारिया

1	2	3	4
110.	फूल	हिंदी	बुल्गारिया
111.	आशिकी	हिंदी	बुल्गारिया
112.	दीवाना	हिंदी	बुल्गारिया
113.	मुस्कुराहट	हिंदी	बुल्गारिया
114.	दिल	हिंदी	बुल्गारिया
115.	संगीत	हिंदी	बुल्गारिया
116.	दिल है कि मानता नहीं	हिंदी	बुल्गारिया
117.	मास्टरजी	हिंदी	बुल्गारिया
118.	इन्द्रजीत	हिंदी	बुल्गारिया
119.	पनाह	हिंदी	बुल्गारिया
120.	थिराय	तमिल	श्रीलंका
121.	सीता और गीता	हिंदी	श्रीलंका
122.	अंदाज	हिंदी	श्रीलंका
123.	ब्रह्मचारी	हिंदी	श्रीलंका
124.	रूदाली	हिंदी	मारीशस
125.	सरगस	मलयालम	सिंगापुर
126.	मेरे जीवन साथी	हिंदी	मलेशिया
127.	एक डाक्टर की मौत	हिंदी	सिंगापुर
128.	अपराजिता	बंगला	इसरायल
129.	अपूर संसार	बंगला	इन्नाइएल
130.	पत्थर पंचाली	बंगला	इन्नाएयल
131.	आंगतुक	बंगला	इन्नाएयल
132.	बैलट एंड छाऊ डांसर	अंग्रेजी	इटली
133.	भावनी भवाई	गुजराती	सिंगापुर
134.	कभी-कभी	हिंदी	मलेशिया
135.	दीपक	तमिल	श्रीलंका
136.	सुरभि (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	जापान
137.	रॉकी	हिंदी	मलेशिया
138.	49 सांग्स	हिंदी	श्रीलंका
139.	करंट	हिंदी	मारीशस
140.	सूरज का सातवां घोड़ा	हिंदी	सिंगापुर
141.	रूदाली	हिंदी	श्रीलंका
142.	माया	हिंदी	श्रीलंका
143.	मिर्च मसाला	हिंदी	श्रीलंका
144.	सलाम बाम्बे	हिंदी	श्रीलंका
145.	मैसी साहेब	हिंदी	श्रीलंका
146.	यामाम	मलयालम	श्रीलंका
147.	उत्तोरन	बंगला	श्रीलंका
148.	नृत्य भारती	अंग्रेजी	सिंगापुर
149.	सुनया थेरे सुरू	बंगला	सिंगापुर
150.	इलयायम मुल्लूम	मलयालम	सिंगापुर
151.	देवीचाथिटे विकरू	मलयालम	सिंगापुर
152.	अन्तरिम	बंगला	सिंगापुर
153.	शिल्पी	बंगला	सिंगापुर
154.	जन अरणय	बंगला	यू.एस.ए./कनाडा
155.	उत्तोरन	बंगला	यू.एस.ए./कनाड़ा
156.	आंगतुक	बंगला	यू.एस.ए./कनाडा
157.	सतगति	हिंदी	फ्रांस
158.	हिरक राजर दीसी	बंगला	फ्रांस
159.	विधेयन	मलयालम	श्रीलंका
160.	मारथम्	मलयालम	श्रीलंका
161.	हिज हाइनैस अब्दूला	मलयालम	श्रीलंका
162.	बड़ी बहन	मलयालम	श्रीलंका
163.	कभी हाँ कभी ना	हिंदी	श्रीलंका
164.	शान्ति नीलायम	तमिल	श्रीलंका
165.	इरात्तई वाल कुरूवि	तमिल	श्रीलंका
166.	थुंगये थम्बी	तमिल	श्रीलंका
167.	नल्लावनुकू	तमिल	श्रीलंका

1	2	3	4
168.	मुल्लुम मक्कारम	तमिल	श्रीलंका
169.	कल्याणारमण	तमिल	श्रीलंका
170.	कारपागम	तमिल	श्रीलंका
171.	आवेशा	तमिल	श्रीलंका
172.	तीन चोर	हिंदी	श्रीलंका
173.	सुरभि (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	जापान
174.	सद्गति	हिंदी	फ्रांस
1994-95			
1.	आगंतुक	बंगला	यू.एस.ए./कनाडा
2.	आगंतुक	बंगला	श्रीलंका
3.	आगंतुक	बंगला	आयरलैंड
4.	आगंतुक	बंगला	ईरान
5.	अन्तर्धान	बंगला	सिंगापुर
6.	अन्तरिन	बंगला	आयरलैंड
7.	अन्तर्जलि यात्रा	बंगला	श्रीलंका
8.	अपराजितो	बंगला	श्रीलंका
9.	अपूर संसार	बंगला	श्रीलंका
10.	गणशत्रु	बंगला	यू.एस.ए./कनाडा
11.	हिरमंक राजर दीसी	बंगला	श्रीलंका
12.	जलसागर	बंगला	श्रीलंका
13.	जन अरण्य	बंगला	श्रीलंका
14.	पत्थर पंचाली	बंगला	श्रीलंका
15.	सती	बंगला	कनाडा
16.	सती	बंगला	यू.एस.ए.
17.	शिल्पी	बंगला	आयरलैंड
18.	शिल्पी	बंगला	स्विटजरलैंड
19.	शिल्पी	बंगला	जापान
20.	उत्तोरन	बंगला	आयरलैंड
21.	उत्तोरन	बंगला	फ्रांस
22.	उत्तोरन	बंगला	मारीशस
23.	इन्टरोस्पेक्शन-सत्यजितरे (वृत्तचित्र)	अंग्रेजी	ईरान
24.	कत्थक कली/भारत नाट्यम/कुचीपुड़ी (वृत्तचित्र)	अंग्रेजी	आयरलैंड
25.	मिस चिटिज चिल्ड्रन	अंग्रेजी	आयरलैंड
26.	मिस चिटिज चिल्ड्रन	अंग्रेजी	यू.एस.ए./कनाडा
27.	मिस चिटिज चिल्ड्रन	अंग्रेजी	मारीशस
28.	म्यूजिक ऑफ सत्यजीत रे (वृत्तचित्र)	अंग्रेजी	आयरलैंड
29.	नेहरू वि ज्वैल आफ इंडिया	अंग्रेजी	इण्डोनेशिया
30.	नृत्य भारती (टी.वी. धारावाहिक)	अंग्रेजी	मारीशस
31.	सत्यजीत रे (वृत्तचित्र)	अंग्रेजी	ईरान
32.	आज की आवाज	हिंदी	मॉरीशस
33.	आखिरी रास्ता	हिंदी	इन्डोनेशिया
34.	आप की कसम	हिंदी	मलेशिया
35.	आशीर्वाद	हिंदी	मॉरीशस
36.	अग्नि परीक्षा	हिंदी	मॉरीशस
37.	अकेला	हिंदी	इन्डोनेशिया
38.	अनुराग	हिंदी	इन्डोनेशिया
39.	अरण्यक	हिंदी	श्रीलंका
40.	औलाद	हिंदी	ईरान
41.	बानो बेगम (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	मॉरीशस
42.	बेखुदी	हिंदी	मॉरीशस
43.	बोल राधा बोल	हिंदी	इन्डोनेशिया
44.	कारवां	हिंदी	मलेशिया
45.	छोटी सी बात	हिंदी	मॉरीशस
46.	चिराग कहां रोशनी कहां	हिंदी	मॉरीशस
47.	कुली	हिंदी	इन्डोनेशिया

1	2	3	4
48.	करन्ट	हिंदी	सिंगापुर
49.	देश प्रेमी	हिंदी	ईरान
50.	धारावी	हिंदी	इन्डोनेशिया
51.	दीक्षा	हिंदी	मॉरीशस
52.	दीक्षा	हिंदी	यू.एस.ए./कनाडा
53.	दीक्षा	हिंदी	जापान
54.	डिस्को डांसर	हिंदी	मलेशिया
55.	दिशा	हिंदी	जापान
56.	दूध का कर्ज	हिंदी	ईरान
57.	दोस्ताना	हिंदी	इन्डोनेशिया
58.	दोस्ताना	हिंदी	मलेशिया
59.	दस लाख	हिंदी	मॉरीशस
60.	एक फूल दो माली	हिंदी	श्रीलंका
61.	गंगा जमुना	हिंदी	ईरान
62.	गोलमाल	हिंदी	मॉरीशस
63.	हम हैं राही प्यार के	हिंदी	सिंगापुर
64.	इंसाफ का तराजू	हिंदी	मॉरीशस
65.	इत्तफाक	हिंदी	मॉरीशस
66.	जादूगर	हिंदी	इन्डोनेशिया
67.	जय संतोषी मां	हिंदी	मॉरीशस
68.	जवानी दीवानी	हिंदी	मलेशिया
69.	जंगल बुक (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	मॉरीशस
70.	जंगली	हिंदी	मलेशिया
71.	कमला की मौत	हिंदी	ईरान
72.	कर्म	हिंदी	मॉरीशस
73.	कसम तेरी कसम	हिंदी	चीन
74.	कश्मीर की कली	हिंदी	इंडोनेशिया
75.	जंगल बुक (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	मॉरीशस
76.	कायदा कानून	हिंदी	मॉरीशस
77.	खेल	हिंदी	चीन
78.	खुले आम	हिंदी	मॉरीशस
79.	क्रांति	हिंदी	ईरान
80.	लम्हे	हिंदी	इण्डोनेशिया
81.	माने (एक घर)	हिंदी	इंडोनेशिया
82.	मर्द	हिंदी	इंडोनेशिया
83.	मैसी साहिब	हिंदी	आयरलैण्ड
84.	मिर्च मसाला	हिंदी	ईरान
85.	मिर्च मसाला	हिंदी	एयर बोर्न
86.	नमक हलाल	हिंदी	इंडोनेशिया
87.	नया दौर	हिंदी	इंडोनेशिया
88.	नया दौर	हिंदी	मारीशस
89.	नेहरू	हिंदी	जापान
90.	निकाह	हिंदी	मारीशस
91.	पाले खां	हिंदी	ईरान
92.	परिणति	हिंदी	यूएसए/कनाडा
93.	फुलवारी बच्चों की (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	मारीशस
94.	फुलवारी बच्चों की (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	मारीशस
95.	प्रहार	हिंदी	सिंगापुर
96.	प्रोफेसर की पड़ोसन	हिंदी	मारीशस
97.	प्यार का मौसम	हिंदी	मलेशिया
98.	प्यार का सागर	हिंदी	मारीशस
99.	राजू बन गया जेण्टलमैन	हिंदी	इंडोनेशिया
100.	रखवाली	हिंदी	आयरलैण्ड
101.	रखवाली	हिंदी	यूएसए/कनाडा
102.	सबूत	हिंदी	चीन
103.	सड़क	हिंदी	सिंगापुर

1	2	3	4
104.	सलीम लंगड़े पे मत रो	हिंदी	यूएसए/कनाडा
105.	सलीम लंगडे पे मत रो	हिंदी	ईरान
106.	सलीम लंगड़े पे मत रो	हिंदी	मारीशस
107.	शबाब	हिंदी	सिंगापुर
108.	शक्ति	हिंदी	इंडोनेशिया
109.	सुडाग	हिंदी	इंडोनेशिया
110.	सुरभि (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	मारीशस
111.	सुरभि (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	मारीशस
112.	सुरभि (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	मारीशस
113.	सुरभि (टी.वी. धारावाहिक)	हिंदी	मारीशस
114.	सूरज का सातवां घोड़ा	हिंदी	यूएसए/कनाडा
115.	सूरज का सातवां घोड़ा	हिंदी	मारीशस
116.	तीसरी मंजिल	हिंदी	मलेशिया
117.	तेजस्विनी	हिंदी	मारीशस
118.	दि ट्रेन	हिंदी	मलेशिया
119.	तृषाग्नि	हिंदी	यूएसए/कनाडा
120.	तृष्णाग्नि	हिंदी	कोरिया
121.	तुम करो वादा	हिंदी	मारीशस
122.	व्हील चेयर	हिंदी	श्रीलंका
123.	यादों की बारात	हिंदी	मलेशिया
124.	इलायुम मुल्लुम	मलयालम	आयरलैण्ड
125.	पिरावी	मलयालम	यूएसए/कनाडा
126.	मुक्ता	मराठी	श्रीलंका
127.	वीरा सुमंगली	तमिल	श्रीलंका
128.	हरिश्चन्द्र	तमिल	सिंगापुर
129.	करपगम	तमिल	सिंगापुर
130.	मौंग रागम	तमिल	श्रीलंका
131.	नालई नमाधे	तमिल	श्रीलंका
132.	पराशक्ति	तमिल	सिंगापुर
133.	राजापर्त रंगादुरई	तमिल	सिंगापुर
134.	स्वर रागा सुधा (टी.वी. धारावाहिक)	तमिल	मारीशस
135.	विधि	तमिल	श्रीलंका
136.	वीरा नेंजम	तमिल	श्रीलंका
137.	स्वाति किरणम्	तेलुगु	सिंगापुर
138.	ट्रेजडी ऑफ एन इंडियन फार्मर (वृत्तचित्र)	अंग्रेजी	आयरलैण्ड

हाइड्रोकार्बन सम्भावना

7188. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल के बेसिन में हाइड्रोकार्बन की सम्भावनाओं की व्यापक समीक्षा करने के लिए अमरीका की अर्थ साइंसेज और रिसोर्सेज इन्स्टीट्यूट तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ कार्य करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन डेल्टा में बड़े पैमाने पर तेल की खोज करने में अमरीका की ऑयल जायन्ट एक्सीडेन्टस सहित बडे तेल कम्पनियां उत्सुक बताई गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सुन्दरवन में तेल खोज आरंभ करने के लिए इन विश्वव्यापी कम्पनियों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हाँ। के. डी. एम. आई. पी. ई., ओ. एन. जी. सी. तथा अर्थ साइंसेज एण्ड रिसोर्सेज इन्स्टीट्यूट (ई. एस. आर. आई.) उताह विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. ने "ए कम्प्रीहेंसिव रिव्यू आफ द हाइड्रोकार्बन प्राप्सेक्टिविटी ऑफ बंगाल बेसिन, आनशोर एण्ड आफ शोर इंडिया" शीर्षक के संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दिनांक 22 मार्च, 1995 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

(ग) और (घ). सुन्दरवन क्षेत्र के अन्तर्गत एक ब्लॉक बोली 5 वें दौर में प्रस्तावित किया गया था। अब तक किसी भी निजी कंपनी के साथ किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

रसोई गैस वितरण प्रणाली

7189. श्री तारा सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल कम्पनियों की वर्तमान रसोई गैस वितरण प्रणाली से उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से लखनऊ-आगरा और कानपुर में उपभोक्ताओं को असुविधा हुई है;

(ख) क्या गत तीन महीनों से उपभोक्ताओं को इन शहरों में रसोई गैस के प्रति सिलिंडर पर अधिक पैसा देना पड़ रहा है;

(ग) क्या कुछ वितरक उपभोक्ताओं को कम वजन वाले रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को समुचित सेवा सुनिश्चित करने और दोषी वितरकों की पहचना करते हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सरकारी तेल कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के प्रचालन और कार्यनिष्पादन की निरन्तर निगरानी करती हैं और विभिन्न उपायों के माध्यम से उपभोक्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करती हैं।

(ख) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) और (घ). भरण सयंत्रों पर एल.पी.जी. रिफिल सिलेंडरों के वजन की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित पद्धतियां विद्यमान हैं। जब भी कम वजन के सिलिंडरों की बिक्री के संबंध में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो एल.पी.जी. विपणन कंपनियों द्वारा इनकी जांच की जाती है और यदि शिकायत साबित हो जाती है, तो विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने माप तौल विभागों के माध्यम से एल. पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

मौसमी विज्ञाड़ी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

7190. श्री जायनल अबेदिन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य कर रहे मौसमी विज्ञाड़ी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) सर्वाधिक अवधि से कार्य कर रहे मौसमी विज्ञाड़ी कर्मचारियों को किस वर्ष काम पर लगाया गया था;

(ग) क्या मौसमी विज्ञाड़ी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) देश भर में केन्द्रीय जल आयोग के फील्ड कार्यालयों में कार्यरत लगभग 2277 मौसमी कर्मचारी हैं।

(ख) 1973-74 से प्रत्येक वर्ष निर्दिष्ट अवधियों के लिए कुछ मौसमी खलासी काम करते रहे हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय जल आयोग में मौसमी कर्मचारियों को शैक्षणिक अर्हताएं, आयु और अन्य शर्तें पूरी करने पर, जब कभी रिक्तियां होती हैं, नियमित कार्य प्रभारित स्थापना में नियुक्त किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा वृद्धों का कल्याण

7191. श्री राम नाईक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धों के कल्याण के लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता से कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गैर सरकारी संगठनों का चुनाव करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में ऐसे चुने गए गैर-सरकारी संगठनों का क्या ब्यौरा है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन्हें कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों की योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान निर्मुक्त करने के मानदण्ड निम्नलिखित हैं :

(1) स्वैच्छिक संगठन को ऐसा होना चाहिए :

(क) भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 18600 (अधिनियम, 1860 का 21) के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसायटी, अथवा

(ख) लाभ न कमाने वाली धर्मार्थ कम्पनी, अथवा

(ग) इस समय लागू किसी कानून के अधीन पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास, अथवा

(घ) कल्याण का कार्य करने वाला तथा प्रोत्साहित करने वाला कोई पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन।

(2) संगठन को कम से कम दो वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए तभी योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के लिए आवदेन करने हेतु पात्र होंगे।

(3) कल्याण कार्य करने के लिए सुविधाओं, संसाधनों तथा कार्मिकों सहित संगठन को सुप्रबंधित और स्थायी होना चाहिए।

(4) इसे किसी व्यक्ति विशेष अथवा निकाय के लाभ के लिए कार्यरत नहीं होना चाहिए।

(5) इसमें समुचित रूप से गठित प्रबन्ध निकाय होना चाहिए, जिसके अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो।

(6) इसकी सेवाएं, जाति, मत, धर्म या भाषा के भेदभाव के बिना सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिएं।

(7) संगठन को उक्त कार्यक्रम संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए अथवा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने के लिए सहायता को प्रस्तुत करना चाहिए।

(ग) अपेक्षित सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान मंजूर किए गए महाराष्ट्र के गैर-सरकारी संगठन

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	निर्मुक्त सहायता अनुदान
1	2	3
	1992-93	
1.	मुक्त द्वार उन्नति मण्डल	0.76
2.	इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेल्फेयर बम्बई	0.07
3.	बम्बई सबअर्बन सीनियर सिटिजन ऐसोसिएशन, बम्बई	0.09
4.	जानकीबाई ट्रस्ट, धूले	0.92
5.	इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिटायरड पर्सन्स, मेहम, बम्बई	0.12
	1993-94	
1.	इंस्टिट्यूट फॉर रूरल हेल्थ एंड सोशल वैलफेयर सर्विसेज, चन्दर, जिला कोल्हापुर	1.59
2.	राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज टेक्निकल एंड एजूकेशन सोसायटी, गणेश पेठ, नागपुर	1.35
3.	मातृ सेवा संघ, नागपुर	0.48
4.	वेस्ट खण्डेश भगिनी सेवा मण्डल, धूले	0.75
	1994-95	
1.	वेस्ट खण्डेश भगिनी सेवा मण्डल, कमला बाई अजमेरा, विद्यानगर, देवपुर, धूले जिला, महाराष्ट्र	1.32
2.	इंस्टिट्यूट फॉर रूरल हेल्थ एंड सोशल वेल्फेयर सर्विस, कोवाड़ तालुक, चंगद, जिला कोल्हापुर	0.51
3.	राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज टेक्निकल एंड एजूकेशन सोसायटी, सगनार, जिला नागपुर	0.67
4.	मातृ सेवा संघ, पश्चिम हाई कोर्ट रोड़, बजाजनगर, नागपुर	0.36
5.	कागल एजूकेशन सोसायटी, जिला कोल्हापुर .	1.25
6.	जानकीबाई ट्रस्ट, धूले, सरस्वती कालोनी, देयोनर, धूले	0.94
7.	बम्बई सबअर्बन सीनियर सिटिजन, महाराष्ट्र	0.28
8.	मुक्त द्वार उन्नति मण्डल, जलगांव, महाराष्ट्र	1.92

पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

7192. श्री धर्मभिक्षम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में विज्ञापन तथा अनुकम्पा के आधार पर अलग-अलग पेट्रोल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किए गए; और

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान पेट्रोल के ऐसे कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आंवटित किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश

में तेल चयन बोर्ड के माध्यम से और अनुकम्पा आधार पर क्रमशः 15 और 6 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप आबंटित की गई।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के लिए, 1988-93 की विपणन योजना में 65 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप शामिल की गई हैं तथा 1993-96 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में 80 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप शामिल की गई हैं। किसी खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप को चालू करने के लिए विज्ञापन की तारीख से सामान्यतया लगभग 1-2 वर्ष लग जाते हैं।

[हिन्दी]

एल.एन.जी. की आपूर्ति

7193. श्री एन.जे. राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने केन्द्रीय सरकार से ओमान/ईरान से आयात हो रही एल.एन.जे. की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गुजरात सरकार ने ओमान से आयात के लिए प्रस्तावित गैस में से 20 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के आबंटन के लिए मांग की है।

(ग) आयातित गैस का राज्यवार वितरण, पंजीकृत मांग तथा आपूर्ति की तकनीकी-आर्थिक साध्यता पर निर्भर करेगा।

सरदार सरोवर परियोजना

7194. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना की ऊँचाई के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का ब्यौर क्या है; और

(ख) निर्णय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) सरदार सरोवर परियोजना के बांध की ऊंचाई के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डायरेक्टरी इन्क्वारी सेवाओं का निजीकरण

7195. श्री आर0 सुरेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि महानगरों ने महानगर टेलीफोन निगम की डायरेक्टरी इन्क्वारी 197 की सेवाओं के मौजूद कार्य से सामान्यतः जनता और विशेषरूप से टेलीफोन उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास 197 सेवाओं के कार्यकरण को कारगर बनाने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सेवाओं को कारगर बनाने के रूप में दूरसंचार विभाग ने डायरेक्टरी इन्क्वारी 197 की सेवाओं का निजीकरण करने तथा प्रायोगिक आधार पर निजी पार्टियों की सेवा का अधिकार देने का प्रस्ताव किया है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ). एम.टी.एन.एल. दिल्ली तथा बम्बई में डायरेक्टरी पूछताछ सेवा 197 संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

यदा-कदा प्राप्त होने वाली शिकायतें अधिकांशतः नम्बर व्यस्त होने के बारे में होती हैं। कारण का पता लगाने के लिए समुचित विश्लेषण करने के पश्चात इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। 197 से सम्बद्ध सेवाओं में आगे और सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) मौजूदा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के स्थान पर आर.डी.बी. एम.एस. आधारित कम्प्यूटर प्रणाली लगाना। इसे 1995-96 के दौरान लगाया जा रहा है।

(ii) 1995-96 के दौरान परिवर्तित नम्बरों की केन्द्रीकृत स्वचालित उदघोषणा प्रणाली शुरू करना।

(iii) 1995-96 के दौरान आपरेटरों के स्थानों का विकेन्द्रीकरण।

(च) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया।

(छ) उपर्युक्त (च) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल का कोटा

7196. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने राज्यों को आवंटित किए जाने वाले कैरोसीन तेल के कोटे में वृद्धि करने के लिए संघ सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) राज्यों को कैरोसीन तेल की राज्य-वार कितनी मात्रा में आपूर्ति की जा रही है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारों का राज्य-वार कुल कितना नियतन किया गया; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान कैरोसीन तेल के नियतन में कितनी वृद्धि की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आवंटन के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। परन्तु उत्पाद उपलब्धता विदेशी मुद्रा और अपेक्षित भारी रियायत की कठिनाइयों के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग पूरी करना संभव नहीं है। वर्ष 1995-96 के दौरान देश में समग्र रूप से मिट्टी के तेल के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 3% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और 1995-96 के लिए मिट्टी के तेल का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान मिट्टी के तेल का राज्यवार आवंटन

(आंकड़े मीटरों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	151020	154532	153992	156469
2.	हिमाचल प्रदेश	36588	38471	40374	42229
3.	जम्मू और कश्मीर	68992	68206	77815	85537
4.	पंजाब	319304	322461	325679	328935
5.	राजस्थान	265136	285702	305612	327346
6.	उत्तर प्रदेश	914410	971517	1015016	1075789
7.	असम	246696	249181	251586	254230
8.	बिहार	469313	518590	558436	606929
9.	मणिपुर	20664	21367	22262	21285
10.	मेघालय	15196	15448	15703	16086
11.	नागालैंड	10285	10184	10324	10630
12.	उड़ीसा	155472	173952	194954	211447
13.	सिक्किम	7404	7481	7556	7635
14.	त्रिपुरा	21174	21493	22188	23115
15.	पं० बंगाल	733757	745094	748188	756049
16.	अरूणाचल प्रदेश	9300	9391	9566	9579
17.	मिजोरम	6277	6134	6422	6364
18.	गुजरात	702480	790313	805680	806278
19.	महाराष्ट्र	1482364	1501193	1507874	1527649
20.	गोवा	27132	27132	29132	27403
21.	मध्य प्रदेश	382066	411534	444420	479220
22.	आंध्र प्रदेश	585482	594223	602688	615429
23.	कर्नाटक	451100	448427	455696	465240
24.	केरल	265008	267647	272537	274839
25.	तमिलनाडु	655344	666903	668258	675273
26.	चण्डीगढ़	20928	20928	20928	21137
27.	दिल्ली	238540	238540	238540	240925
28.	अण्डमान और निकोबार	4132	3041	4348	4630
29.	दमण और दिउ	2944	2944	2944	2973
30.	दादरा और नगर हवेली	3108	3108	3108	3139
31.	पांडिचेरी	14580	14720	14860	15012
32.	लक्षद्वीप	876	876	876	885

विशेष केन्द्रीय सहायता

7197. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यों पर इसमें से कितनी-कितनी धनराशि वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान खर्च की गई ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) उत्तर प्रदेश को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.) के तहत 1993-94 और 1994-95 के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि क्रमशः 197.06 करोड़ रुपये और 197.06 करोड़ रुपये थी। 1995-96 के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के वास्ते विशेष केन्द्रीय सहायता 225.00 करोड़ रुपये है जिसमें से 217.07 करोड़ रुपये एच.ए.डी.पी. के तहत आवंटित किए गए हैं और शेष धनराशि अन्य विशेष कार्यक्रमों के लिए है।

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान उपलब्ध कराई गई विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल धनराशि उपयोग में लाई गई है।

[हिन्दी]

डाक वितरण प्रणाली

7198. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). जी हाँ। प्रचालन की कठिनाइयों के अध्यधीन ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की आवधिक पुनरीक्षा की जाती है और उसमें सुधार लाया जाता है।

[अनुवाद]

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए मार्गनिर्देश

7199. श्री के. प्रधानी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए जारी किए गये मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मार्गनिर्देशों में संशोधनों करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में जिलाधीश तथा संसद सदस्य के बीच इस बात पर विवाद होने पर कि क्या कोई विशेष परियोजना/योजना संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्षेत्राधिकार में है अथवा नहीं, निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही सभा पटल पर रखे जा चुके हैं।

(ख) और (ग). मार्गदर्शी सिद्धान्तों को हाल ही में दिसम्बर 1994 में संशोधित किया गया है। उन्हें संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, किसी विशेष परियोजना/योजना से संबंधित सभी विवाद जो सां. स्था.क्षे.वि.यो. के क्षेत्राधिकार में आते हैं, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को भेजे जाएंगे, जोकि समाधान के लिए भारत सरकार का नोडल विभाग है।

असम समझौते का कार्यान्वयन

7200. डा0 पी0 बल्लाल पेरुमाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ''असम छात्र संघ'' को असम समझौते के कार्यान्वयन हेतु हाल ही में कोई आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). सरकार असम समझौते के लिए वचनबद्ध है और इसे शीघ्रता से लागू करने की दिशा में वह प्रयास कर रही है। इस दिशा में हो रही प्रगति

का प्रबोधन संबंधित मन्त्रियों और असम सरकार के साथ समय-समय पर किया जाता है।

[हिन्दी]

कोयला खानें

7201. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र में नई कोयला खानों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड ने महाराष्ट्र के वार्धा तथा कामटी कोयला क्षेत्र में 9 ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया है और लगभग 340.59 मि. टन कोयले के भण्डार स्थापित किए गए हैं।

इन क्षेत्रों में खानों के विकास के लिए कार्यक्रम निम्न मुद्दों पर निर्भर करता है, जैसे - भूमि की उपलब्धता, प्रत्येक परियोजना की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय तथा वनीय अनुमोदनों की उपलब्धता, वित्तीय संसाधनों, आदि की उपलब्धता।

अर्द्धसैनिक बल

7202. डा0 मदनदीपक सिंह शाक्य :
डा0 चिन्ता मोहन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों में सुधार लाने के लिए तथा उनकी कार्यप्रणाली को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान की गई विभिन्न जांच-पड़तालों तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को उनकी दक्षता के शिखर पर बनाए रखने का सरकार का प्रयास है। उत्पन्न परिस्थितियों और निवेश के आधार पर केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को अधिक प्रभावकारी बनाना, इस दिशा में किए जा रहे अनवरत उपायों का एक भाग है।

कोयला उत्पादक एककों को घाटा

7203. श्री गुमान मल लोढ़ा :
डा0 चिन्ता मोहन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ कोयला उत्पादक एकक वित्तीय घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन एककों का ब्यौरा क्या है जिनको 1994-95 के दौरान वित्तीय घाटा हुआ है;

(ग) प्रत्येक एकक को कुल कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या घाटे में चलने वाले इन कोयला उत्पादक एककों को लाभप्रद बनाने के लिए कोई प्रयास किए गये हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों में कोई विदेशी पूंजीनिवेश किया गया है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान इन एककों में कितनी विदेशी मुद्रा का पूंजी निवेश किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोल इंडिया लिमिटेड से उलब्ध सूचना के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड का दानकुनी कोयला परिसर (दा.को.प.) और को.इ.लि. की दो सहायक कम्पनियां कुछ वर्षों से घाटा उठा रहीं हैं। चूंकि वर्ष 1994-95 के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए वर्ष 1994-95 की स्थिति की जानकारी नहीं है। किन्तु इन यूनिटों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कमाए गए लाभ/उठायी गयी हानि (कोयला कीमत विनियमन लेखा समायोजन से पूर्व) नीचे दी गई है :-

(करोड़ रु0 में)
(+) लाभ / (-) हानि

कम्पनी	1991-92	1992-93	1993-94
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	(-) 380.10	(-) 370.26	(-) 341.87
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	(-) 326.39	(-) 354.28	(-) 477.98
दानकुनी कोयला परिसर (दा.को.प.)	(-) 22.95	(-) 40.76	(-) 36.57

(घ) कोयला खानों के घाटे को कम करने के लिये किये गये प्रयासों में उत्पादन लागत का प्रभावी नियंत्रण, फालतू श्रमशक्ति का पुनः नियोजन तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन सहित श्रमशक्ति की योजना में सुधार, ''सभी व्यक्तियों को काम'' के पहलू का प्रयास करना, भारी अर्थ मूविंग मशीन की उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार, कोयले की बिक्री में कैश एण्ड कैरी योजना का कार्यान्वयन तथा अलाभकारी खानों को चरणबद्ध रूप में किया जाना शामिल है।

(ङ) से (छ). कोल इन्डिया लिमिटेड की घाटा देने वाली यूनिटों में पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया विदेशी निवेश निम्न प्रकार था :

(करोड़ रु० में)

	1992-93	1993-94	1994-95
कोल इन्डिया परियोजनाएं			
(1) राजमहल	25.86	20.47	8.88
(2) कोटाडीह	82.37	16.81	8.56
जोड़	108.23	37.28	17.44

जल भराव

7204. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने जल भराव की समस्या से निपटने संबंधी कुछ योजनाएं स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

7205. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की मुख्य गतिविधियां क्या हैं;

(ख) उक्त बोर्ड द्वारा अरूणाचल प्रदेश में शुरू किये गये निर्माण कार्य क्या हैं;

(ग) क्या बोर्ड द्वारा तैयार की गई किन्हीं प्रमुख परियोजनाओं को अरूणाचल प्रदेश में निष्पादित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) ब्रहम्पुत्र बोर्ड के मुख्य कार्यकलापों में ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदी थालों में बाढ़ नियंत्रण की मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करना है। बहुप्रयोजनीय जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बोर्ड को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना अपेक्षित है।

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अरूणाचल प्रदेश में दिंहग तथा सुबनसिरी जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में डाकघर

7206. श्री पी० कुमारासामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-1994 तथा 1994-95 के दौरान तमिलनाडु के लिए मंजूर किए गए शाखा डाकघरों, उपडाकघरों तथा विभागेत्तर डाकघरों की क्या संख्या है;

(ख) क्या ये डाकघर खोल दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन डाकघरों को कब तक खोल दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान तमिलनाडु के लिए मंजूर किए

गए शाखा डाकघरों और उप डाकघरों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1993-94	9	5
1994-95	-	2

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ). उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों में खनिज उत्पादन

7207. श्री अंकुशराव टोपे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोयले को छोड़कर अन्य खनिजों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उत्पादों का कुल मूल्य कितना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) ने यह सूचित किया है कि वे अपनी खानों से कोयले को छोड़कर किसी अन्य खनिज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

दूरभाष केन्द्रों का विस्तार/आधुनिकीकरण

7208. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री राम सिंह कस्वा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से दूरभाष केन्द्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने हेतु कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). 1995-96 के दौरान, दूरसंचार विभाग ने 35.4 लाख लाइनों (सकल) की एक्सचेंज क्षमता संस्थापित करने की योजना बनाई है जिसमें मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार के साथ-साथ देश में नए एक्सचेंजों का संस्थापन भी शामिल है। दूरसंचार नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दृष्टि से पुराने इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों की लगभग 6.3 लाख लाइनों को बदलने की भी योजना बनाई गई है। वर्ष 1995-96 के दौरान, इलेक्ट्रानिक डिजिटल एक्सचेंजों के रूप में नई क्षमता जोड़ी जाएगी जिसमें डायनेमिक एस.टी.डी. नियन्त्रण, विस्तृत बिलिंग संक्षिप्त डायलिंग आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

7209. श्री रतिलाल वर्मा :
श्री हरिभाई पटेल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन-कौन सी बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है तथा इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इससे क्या-क्या लाभ हुए हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन परियोजनाओं हेतु कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि जारी की गई;

(ङ) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) तथा (ङ) और (च). निर्माणाधीन बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) गुजरात में निर्माणाधीन बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं पर वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान व्यय/परिव्यय क्रमशः 407.08 करोड़ रुपए, 437.08 करोड़ रुपए और 485.98 करोड़ रुपए रहा।

विवरण

गुजरात की निर्माणाधीन बड़ी एवं मझोली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वार्षिक योजना 94-95 के अनुसार उद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु)	योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	पूरा करने का संभावित समय
1	2	3	4	5	6
निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं					
1.	दमनगंगा	214.95	28.10	51.56	आठवीं योजना
2.	पानम	84.33	10.50	49.37	-बड़ी-
3.	साबरमती	110.72	5.00	56.68	-बड़ी-
4.	करजन	264.10	39.22	77.56	-बड़ी-
5.	सुजी	113.40	5.85	25.20	-बड़ी-
6.	सिपु	97.75	25.00	22.08	-बड़ी-
7.	वतरक	63.03	7.68	18.34	-बड़ी-
8.	सरदार सरोवर	8338.27	2966.00	1792.00	आठवीं योजना से आगे
9.	झंकारी	78.70	2.60	24.00	-बड़ी-
10.	वजाज सागर (हिस्सा)-	0.25	सीधे लाभ नहीं		-बड़ी-
निर्माणाधीन मध्यम परियोजनाएँ					
1.	हिरन (एस)-11	12.20	4.56	6.40	आठवीं योजना
2.	सुखभादर	22.05	1.70	5.41	-बड़ी-
3.	मच्छुन्दरी	21.05	3.73	8.08	-बड़ी-
4.	कालुभर	21.62	1.41	4.70	आठवीं योजना
5.	मच्छुनाला	16.82	0.65	5.33	-बड़ी-
6.	वेर-II (आमलो)	23.10	4.63	5.47	-बड़ी-
7.	देव	56.98	2.50	10.16	-बड़ी-
8.	वेणु-II	23.77	3.38	5.25	-बड़ी--
9.	उन्ध (जीवपुर)	38.36	18.00	9.59	-बड़ी-
10.	भादुर (पंचमहल)	47.93	5.89	8.00	-बड़ी-
11.	माजम	32.06	1.26	4.72	-बड़ी-
12.	हावफ	25.23	0.50	5.24	-बड़ी-
13.	गुडाई	71.53	4.73	7.51	-बड़ी-
14.	वलिया	21.01	2.62	3.46	-बड़ी-
15.	हरनव-II	8.20	0.98	3.44	-बड़ी-
16.	सानो	12.20	4.05	2.76	-बड़ी-
17.	अमिपुर	9.62	0.90	6.77	-बड़ी-
18.	उमरिया	6.73	0.75	2.37	-बड़ी-
19.	अजी-II	13.61	0.71	2.38	-बड़ी-
20.	अजी-III	28.54	1.01	6.84	-बड़ी-
21.	मुज	41.42	3.02	5.89	-बड़ी-
22.	उचेन	13.20	0.20	2.46	-बड़ी-
23.	मुक्तेश्वर	22.80	5.22	6.19	-बड़ी-
24.	दामी-II	11.13	1.34	2.42	-बड़ी-
25.	उन्ध-II	27.09	21.38	4.25	-बड़ी-
	गुनीतीत सरोवर				

रसोई गैस भराई संयंत्र

7210. श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री काशीराम राणा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रसोई गैस भराई संयंत्रों की क्षमता बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उन भराई संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी गत दो वर्षों के दौरान क्षमता बढ़ा दी गई है; और

(ग) उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी क्षमता रसोई गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हाँ उन एल.पी.जी. भरण संयंत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिनकी क्षमता 1993-94 और 1994-95 के दौरान बढ़ाई गए है:

(टी.एम.टी.पी.ए.में)

	स्थान	मूल क्षमता	अंतिम क्षमता
1.	हरिद्वार	10	22
2.	बद्दी	10	22
3.	हल्द्वानी	10	22
4.	जालंधर	34	68
5.	जमशेदपुर	25	44
6.	जलगांव	22	44
7.	शोलापुर	22	44
8.	कोयम्बत्तूर	34	68
9.	तूतीकोरिन	10	20
10.	मंगलौर	22	44
11.	त्रिवेन्द्रम	22	44

(ग) उन भरण संयत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है, जिनकी क्षमता एल.पी.जी. की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बढ़ाई जानी प्रस्तावित है :

(टी.एम.टी.पी.ए. में)

	स्थान	मूल क्षमता	अंतिम प्रस्तावित क्षमता
1	2	3	4
1.	वाराणसी	25	44
2.	अजमेर	10	22
3.	बालासोर	25	44
4.	कोचीन	25	44
5.	कालीकट	18	32
6.	करनाल	44	88
7.	जमशेदपुर	44	88
8.	भोपाल	44	88
9.	हुबली	22	44
10.	औरंगाबाद	22	44
11.	जयपुर	10	20
12.	बरेली	10	20
13.	लखनऊ	10	20
14.	हिसार	10	20
15.	भिटोनी	44	88

[अनुवाद]

बुलेटप्रूफ जैकेटों का आयात

7211. श्री रवि राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सुरक्षा बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेटों के उत्पादन के लिए सार्वजनिक निविदाएं आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में एक गैर-सरकारी उद्यमी और आग्नेयसास्त्रों तथा परीक्षण उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). उदारीकृत औद्योगिक नीति के तहत देश के सुरक्षा बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करने के लिए किसी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ). जी हाँ, श्रीमान्। चूंकि औद्योगिक विकास मंत्रालय और रक्षा मन्त्रालय ने प्रोटेक्टिव गियरों के उत्पादन के लिए मैसर्स टाटा एडवांस मेटीरियल लिमिटेड को अपनी अनुमति दे दी थी, अतः गृह मन्त्रालय ने बेलैस्टिक प्रूफ परीक्षण उपस्कर के एक भाग के रूप में प्रोजेक्टाईल वेलोसिटी मापक प्रणाली सहित आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद का आयात करने के लिए मैसर्स टाटा एडवांस मेटीरियल लिमिटेड के अनुरोध पर वाणिज्य मंत्रालय को अपनी अनापत्ति जारी कर दी थी।

योजना परिव्यय

7212. श्री वित्त वसु : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की योजना के निष्पादन हेतु निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता में काफी अंतर है; और

(ख) यदि हाँ, तो अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु आठवीं योजना का सम्मत परिव्यय 4500 करोड़ रुपये है जिसमें 3015 करोड़ रुपये संघ राज्य क्षेत्र के अपने संसाधनों से और 1485 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित होंगे।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को सामान्य केंद्रीय सहायता के अलावा तदर्थ योजना सहायता दी जाती है। अतिरिक्त संसाधन जुटाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने बिक्री कर और सम्पत्ति कर संग्रहण में वृद्धि, सड़क कर, विद्युत शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में संशोधन और उत्पाद नीतियों आदि में संशोधन सहित अनेक कदम उठाए हैं।

मुम्बई के "टाडा" न्यायालय के न्यायाधीश की हत्या करने की साजिश

7213. श्री मोहन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायालय परिसर में मुम्बई के "टाडा" न्यायालय के न्यायाधीश की हत्या करने संबंधी कथित साजिश की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त न्यायाधीश को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या जांच के लिए इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). बम्बई बम विस्फोट मामले के मुकदमे की जांच के लिए नामित टाडा न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.एन. पटेल के जीवन पर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान की गई है। श्री पटेल को पहले ही "जैड" श्रेणी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। राज्य सरकार को, मामले में उच्च स्तरीय चौकसी बरतने की सलाह दी जा रही है।

भूमिगत खान परियोजना

7214. डा0 वसंत पवार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रभातपुर ब्लाक को ग्रीनफील्ड भूमिगत खान परियोजना की भांति विकसित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोयला पर भारत-चीन कार्यकारी दल की दिसम्बर, 1994 में हुई दूसरी बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने प्रथम कदम के रूप में, उपलब्ध भू-भर्गीय सूचना के आधार पर पर्वतपुर भूमिगत परियोजना के लिये एक संकल्पनात्मक टिप्पणी तैयार करने के लिये सहमति दे दी थी। उन्हें अपेक्षित तकनीकी सूचना मुहैया करा दी गई है और इस मामले में आगे की कार्यवाही चीनी पक्ष से संकल्पनात्मक टिप्पणी प्राप्त होने पर ही निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में दूर संचार प्रणाली

7215. प्रो0 रासा सिंह रावत : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अजमेर और ब्यावर जिलों में टेलीफोन प्रणाली ठीक से कार्य कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं;

(घ) पुरानी दूरसंचार प्रणाली के स्थान पर इलेक्ट्रानिक प्रणाली कब से कार्य करने लगेगी;

(ङ) किन-किन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे; और

(च) किन-किन स्थानों पर एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ। अजमेर और ब्यावर जिलों में टेलीफोन प्रणाली संतोषजनक है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अजमेर में 8000 लाइनों वाला क्रास-बार प्रौद्योगिकी का टेलीफोन एक्सचेंज तथा मदनगंज किशनगढ़ में 1700 लाइनों वाला इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (मैक्स-II) एक्सचेंज (यू/एस टाइप) काम कर रहा है। अभी इन दोनों की मियाद समाप्त नहीं हुई है। तथापि, आठवीं योजना के दौरान अजमेर के क्रॉस-बार एक्सचेंज की 200 लाइनें बदल दी जाएंगी बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

(ङ) मदनंगज किशनगढ़ में 1995-96 के दौरान सी-डॉट किस्म का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है। 1995-96 के दौरान बेगल तथा साम्पला मे भी नये एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है।

(च) आठवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार सभी एक्सचेंजों को मार्च 1997 तक एस.टी.डी. सुविधाएं प्रदान की जानी है बशर्ते कि संसाधन समय पर उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

अपरिष्कृत तेल की खोज और उत्पादन

7216. श्री चेतन पी. एस. चौहान :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुमान के अनुसार देश में अपरिष्कृत तेल की खोज और उत्पादन के लिए आगामी 15 वर्षों के दौरान 250,000 करोड़ रुपए के अलग अलग पूंजी निवेश की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या-क्या विशिष्ट योजनाएं बनाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). आगामी 15 वर्षों के लिए निवेश की जरूरत का हिसाब नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्वैच्छिक संगठन

7217. डा0 सावित्री : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और हरियाणा के उन स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों ने कितनी सहायता मांगी तथा उन्हें कितनी निधियां प्रदान की गई;

(ग) निधियां स्वीकृत करने/ऐसी मांगों को नामंजूर करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) उन स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें काली-सूची में रखा गया है और जिन संगठनों को सहायता देना बंद कर दिया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) (क) से (ङ). सूचना समेकित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन काटे जाना

7218. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शन काटे गए और इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे टेलीफोन प्रयोक्ताओं की संख्या कितनी है जिनके टेलीफोन कनेक्शन टेलीफोन सेवा प्रभार की कथित रूप से त्रुटिपूर्ण बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण काट दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा काटे गए टेलीफोन कनेक्शनों को पुनः चालू करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1994-95 के दौरान टेलीफोन देयताओं का भुगतान न करने के कारण काटे गए टेलीफोनों की संख्या 131836 है। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य मामलों में भी टेलीफोन भारतीय टेलीफोन नियमों के दुरुपयोग/उल्लंघन करने के कारण काटे गए थे।

(ख) और (ग). उन उपभोक्ताओं से भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें टेलीफोन कुछ बैंकों से भुगतान विवरण न प्राप्त होने के कारण काट दिए गए थे।

ऐसे उपभोक्ताओं के टेलीफोन उनसे भुगतान विवरण प्राप्त होने के तत्काल बाद चालू कर दिए गए थे और उनसे टेलीफोन पुनः चालू किए जाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था।

[अनुवाद]

तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण कार्यक्रम

7219. श्री एस. एम. जाफर शाह :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं योजना के अन्तिम चरण में ''वर्द्धित तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण कार्यक्रम'' आरम्भ कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) सरकार तेल के कम भण्डार की स्थिति को किस प्रकार सुधारेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जी, हाँ। भंडार वृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार ने लगभग 6,500 करोड़ रुपए के व्यय वाले अन्वेषण के वर्द्धित कार्यक्रम (एपेक्स) को आरंभ किया है। कार्यक्रम के निम्नलिखित घटक हैं :

(i) राष्ट्रीय भूकम्पीय सर्वेक्षण।

(ii) सीमावर्ती क्षेत्र अन्वेषण।

(iii) गहन समुद्र अन्वेषण।

(iv) विदेशी रकबों की अधिप्राप्ति।

[हिन्दी]

रसोई गैस की आपूर्ति

7220. श्री बत्ता मेघे :
श्री ए0 इन्द्रकरण रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में रसोई गैस की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति क्या थी; और

(ख) महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में एल.पी.जी. के विद्यमान ग्राहकों की मांग को, जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत हैं, कमोबेश पूर्णरूपेण से पूरा किया जा रहा है। उत्पन्न होने वाले अस्थायी बकाये को बढ़ाए घंटों के दौरान तथा अवकाश के दिनों में भरण संयंत्रों का प्रचालन करके एल.पी.जी. की आपूर्तियों में वृद्धि करके तथा आसपास के क्षेत्रों में भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके निपटाया जाता है।

महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में एल.पी.जी. की बिक्री निम्नानुसार थी :

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

	महाराष्ट्र	आंध्र प्रदेश
1993-94	553550	234647
1994-95 (अनंतिम)	600427	253147

बच्चों और युवा लोगों के लिए राष्ट्रीय फिल्म केन्द्र

7221. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष बच्चों और युवा लोगों के लिए राष्ट्रीय फिल्म सेंटर (एन. सी.वाई.पी.) को सहायतानुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ख) सरकार द्वारा एन.सी.वाई.पी. द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) एन.सी.वाई.पी. द्वारा देश में बाल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और बाल फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु क्या नीति अपनायी जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र (एन. सी. वाई. पी.) के मामले में दी गई सहायतानुदान की राशि अथवा बजट में उपलब्ध कराई गई राशि निम्न प्रकार से है :

वर्ष	सहायता अनुदान	
	आयोजना	गैर आयोजना-मिन्न (लाख रु० में)
1993-94	111.51	-
1994-95	110.00	-
1995-96	150.00	10.00

(ख) राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र के लेखों विशेष रूप से सहायतानुदान की निदेशक, लेखा-परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय बाल एंव युवा चलचित्र केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट तथा इसकी कार्यकारी परिषद एवं सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित लेखा-परीक्षित लेखों को प्रतिवर्ष लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ग) राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र बच्चों के लिए एन्मीमेशन कार्यशालाओं तथा आलेख कार्यशालाओं का आयोजन करता है। मंच कार्यशाला तथा फिल्म समालोचना कार्यशाला के रूप में अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यकलापों में यह सहयोग एवं सहायता देता है। यह बाल एवं युवाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का भी आयोजन करता है जिससे भारतीय निर्माताओं की उच्च कोटि की बाल फिल्में प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

भारतीय नागरिकता प्रदान करना

7222. श्री काशीराम राणा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी संख्या में लोग घुसपैठ करके और भारत में विवाह करने के बाद पिछले कई वर्षों से भारत में रह रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसी कोई प्रवृत्ति सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्रों की संख्या	स्वीकृत हुए परन्तु औपचारिकताओं की पूर्णता के अभाव में प्रमाण-पत्र जारी न किए गए मामलों की संख्या	प्रक्रिया अधीन मामलों की संख्या	अस्वीकृत किए गए मामलों की संख्या
1992	905	675	82	01	147
1993	897	582	93	46	176
1994	962	389	80	223	270

[अनुवाद]

भारत में विदेशी तेल क्षेत्र

7223. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
डा० के.वी.आर. चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी कंपनियों को भारत के तेल क्षेत्र में भागीदारी करने की अनुमति देने हेतु उनके सुझावों पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इन कंपनियों ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कुछ कार्य उन्हें सौंपने का भी सुझाव दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन विदेशी तेल कंपनियों ने उन क्षेत्रों से तेल निकालने

(ड्रिल) का प्रस्ताव किया है जिनकी खोज तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो खोज कार्य के बाद उक्त कार्य के लिए विदेशी कंपनियों के इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सरकार की उदारीकृत आर्थिक नीतियों के अंतर्गत तेल क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). जी, हाँ। हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण की गति को बढ़ाने और कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने तथा अत्याधुनिक प्रोद्योगिकी को अपने यहां लाने के लिए सरकार ने विदेशी कंपनियों सहित निजी कंपनियों द्वारा अन्वेषण के लिए ब्लॉकों तथा विकास के लिए क्षेत्रों को प्रस्तावित किया है।

एस.टी.डी. का समय

7224. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एस.टी.डी. के समय का पुनर्निधारण करने का है ताकि उपभोक्ता एक चौथाई शुल्क सुविधा का लाभ उठा सकें;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एस.टी.डी. सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक उपभोक्ताओं से तीन स्लैब दर वसूल करने का भी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग के लिए शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक एक चौथाई शुल्क के आधार पर पूरे सप्ताह के लिए सुविधा पहले से ही है।

(ग) और (घ). तीन स्लैब दरें पहले से ही मौजूद हैं :

पूरी दर : सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक

आधी दर : शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक
: और सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक

चौथाई दर : रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक

रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी के दिन ये सेवाएं सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आधी दर पर उपलब्ध होती हैं।

अव्यस्त घंटों के दौरान सर्किट के सही उपयोग को दृष्टि में रखकर रियायती शुल्क दरें उपलब्ध करायी गई हैं।

कच्चे तेल का उत्पादन

7225. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान देश में कच्चे तेल का आयात काफी कम मात्रा में किया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1994-95 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में सुधार हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए वर्ष 1994-95 के दौरान किस सीमा तक कच्चे तेल के आयात में कटौती की जाएगी;

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान आयात में और कितनी कमी की जाएगी;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया गया; और

(च) इन तीन वर्षों के दौरान तेल आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (घ). 1995-96 के दौरान कच्चे तेल का आयात अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, स्वदेशी क्रूड उत्पादन, शोधन क्षमता के क्रियान्वित होने तथा मांग के वास्तविक कार्यान्वयन, पर निर्भर करेगा।

(ख) 1993-94 में कच्चे तेल के लगभग 27.03 एम.एम.टी. स्वदेशी उत्पादन की तुलना में 1994-95 के दौरान यही लगभग 32.23 एम.एम.टी. था।

(ग) (ङ) और (च). गत 3 वर्षों के दौरान कच्चे तेल का आयात और उसका मूल्य निम्नवत था :

(मात्रा एम.एम.टी.)
(मूल्य करोड़ रुपए)

	ब्रूड मात्रा	मूल्य
1992-93	29.25	10685.86
1993-94*	30.82	10688.52
1994-95*	27.35	10316.03

*अनंतिम

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण और भूसंरक्षण

7226. श्री सुरजभानु सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और भूसंरक्षण संबंधी कोई योजना स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोयले का खनन और विपणन

7227. श्री बोज्जा बुल्ली रामय्या : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने सघन खनन कार्य और कोकिंग कोयले के विपणन करने में रुचि दिखायी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव से सहमत है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) इस संबंध में माननीय सदस्य शायद कोककर कोयले के खनन और विपणन को संदर्भगत कर रहे हैं। सरकार, कोयला मंत्रालय को दामोदर घाटी निगम से गहन रूप में खनन क्रियाकलापों को चलाये जाने और कोककर कोयले का वितरण किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

माइक्रोवेव प्रणाली

7228. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से गुजरात माइक्रोवेव प्रणाली में कोई सुधार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसका सर्किल-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात सहित सम्पूर्ण देश में डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों को शामिल करके माइक्रोवेव प्रणालियों में सुधार लाया गया है। ये प्रणालियाँ आधुनिक डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंजों के साथ कार्य-निष्पादन, विश्वसनीयता और संगतता की दृष्टि से बेहतर हैं।

(ख) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 की अवधि के दौरान चालू की गई डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों के, गुजरात सर्किल सहित अलग-अलग सर्किलों के, सर्किलवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1992-93 में चालू की गई प्रणालियां

क्र. सं.	सर्किल का नाम	चालू की गई माइक्रोवेव प्रणालियों के रूट कि.मी.		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	391	772	693
2.	असम	-	6	196
3.	बिहार	-	-	253
4.	गुजरात	32	274	180

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	-	205	293
6.	हिमाचल प्रदेश	72	196	904
7.	जम्मू और कश्मीर	-	-	316
8.	कर्नाटक	350	442	445
9.	केरल	30	142	25
10.	महाराष्ट्र	342	103	109
11.	मध्य प्रदेश	550	110	710
12.	उड़ीसा	252	143	74
13.	पंजाब	59	60	446
14.	राजस्थान	250	231	856
15.	तमिलनाडु	21	287	364
16.	उत्तर प्रदेश	495	5	1294
17.	पश्चिम बंगाल	17	496	399

आर. डी. एक्स. जब्त करना

7229. श्री राम कापसे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पुणे से लाया गया आर.डी.एक्स. जब्त किया गया;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तस्करी करके लाए गए आर.डी.एक्स. को गुजरात ले जाया गया है;

(घ) यदि हाँ तो कितनी मात्रा में आर.डी.एक्स. भेजे जाने की सूचना मिली है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रसोई गैस की मांग

7230. श्री मंजय लाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में रसोई गैस की मांग का बाजार सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रसोई गैस की वार्षिक मांग और आपूर्ति कितनी-कितनी है; और

(घ) रसोई गैस की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). जी, हाँ। आठवीं योजना से पूर्व एल.पी.जी. बाजार अध्ययन, रिफाइनरियों तथा फ्रैक्शनेटिंग संयंत्रों से देशी एल.पी.जी. के उत्पादन से जुड़ी एल.पी.जी. विलयन कार्यक्रमों पर आधारित थे। इसका प्रधान लक्ष्य मिट्टी के तेल के आयात में कमी करना था। तथापि, एल.पी.जी. के घरेलू रसाई ईंधन के रूप में बढ़ती लोकप्रियता तथा अत्यधिक राज सहायता प्राप्त कीमत के चलते इसकी मांग क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई जो देशी उपलब्धता से अधिक बढ़ गयी। प्रतीक्षा सूची में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तेल उद्योग को आठवीं योजना अवधि के दौरान एक व्यापक एल.पी.जी. मांग की संतृप्ति के संबंध में कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा जिसमें एल.पी.जी. के उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त एल.पी.जी. के आयात की सुविधाओं का विकास भी शामिल होगा ताकि मांग में अंतराल को आयातों से पूरा किया जा सके। इसी के अनुरूप आठवीं योजना का एल.पी.जी. कार्यक्रम तैयार किया गया जिसके तहत यह अनुमान लगाया गया कि आठवीं योजना के अंत तक मांग 4536 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। इसमें यह भी अभिकल्पित है कि देशी एल.पी.जी. का उत्पादन 1992-93 के 2.278 मि.मी. टन प्रति वर्ष से बढ़कर अंतिम वर्ष तक 3.818 मि.मी. टन प्रति वर्ष हो जाएगा तथा 1996-97 तक कांदला एंव मंगलौर में प्रत्येक की नयी बर्थरगाह सुविधाओं की क्षमता 0.6 मि.मी. टन प्रति वर्ष तक आयात करने की हो जाएगी।

पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन

7231. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के तेल चयन बोर्डों के पास पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन के अनेक मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 31 मार्च, 1995 तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने मामले लंबित पड़े थे;

(ग) 1994 और 1995 में अब तक विभिन्न बोर्डों द्वारा कितने मामलों की संस्तुति की गई तथा कितने आंबटन किए गए; और

(घ) विभिन्न राज्यों में 1995 तथा 1996 के दौरान डीलरशिप के आबंटन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क)और(ख). जी, हाँ। तेल उद्योग ने यह सूचित किया है कि 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 374 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रस्ताव तेल चयन बोर्डों के पास लम्बित थे।

(ग) 1.1.1994 से अब तक तेल चयन बोर्डों ने तेल विपणन कम्पनियों को 671 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए योग्यता सूचियाँ सुझाई हैं। तेल उद्योग ने उपर्युक्त में से 649 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए आशय पत्र जारी किए हैं।

(घ) तेल चयन बोर्डों के लिए डीलरशिपों के आबंटन हेतु ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम

7232. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स स्कीम के कार्यकरण के संबंध में ऑकलन कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक छात्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अपना अध्ययन पूरा नहीं कर पाते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के उम्मीद्वारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना का छात्रों, भारतीय मिशनों तथा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा योजना के अधीन विद्यमान सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में निवेश के माध्यम से मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) योजना को अंतिम बार 1.4.1992 से संशोधन किया गया था और संशोधन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(1) छात्रवृत्ति की संख्या को 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया था।

(2) अनुरक्षण भत्ते की दरों और विभिन्न स्तरों के निर्धारित पाठ्यक्रमों की अवधि और साथ ही साथ अन्य अनुमत्य भत्तों को भी बढ़ा दिया गया था जिसके ब्यौरे इस प्रकार है:-

(1) अनुरक्षण भत्ते को 5400 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5940 अमेरीकी डॉलर प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अनुमत्य अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष 6 माह कर दिया गया है।

(2) स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी. स्तर के पाठ्यक्रम के मामले में अनुरक्षण भत्ते की दर को 6,000.00 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 6600.00 अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष कर दिया गया। इसके साथ ही छात्रवृत्ति सहित पाठ्यक्रम को पूरा करने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर स्नातकोत्तर मामले में तीन वर्ष तथा पी.एच.डी. में तीन वर्ष से चार वर्ष कर दिया गया।

(3) पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान/प्रशिक्षण के मामले में पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर एक वर्ष 6 माह करते हुए अनुरक्षण भत्ते की दर को 7000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 7700 अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष कर दिया गया।

(4) पुस्तक, आवश्यक उपकरणों, अध्ययन दौरों, थीसिस के टंकण तथा जिल्दसाजी के लिए आकस्मिकता भत्ते को 350 अमरीकी डॉल्र से बढ़ाकर 385 अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष किया गया।

(5) उपस्कर भत्ते को 1000 रु0 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है।

(6) आनुषांगिक यात्रा व्यय (एक तरफ का) 200 रुपए से बढ़ाकर 15 अमरीकी डॉलर किया गया।

(7) माता-पिता/अभिभावक/कमाने वाले लाभग्राहियों की आय सीमा को 5,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया था।

(8) 150 अमरीकी डॉलर व्यक्ति कर जहां लागू हो, की अनुमति दी गई।

(ग) और (घ). कुछ छात्रों के मामले में उनके शैक्षिक निष्पादन के पुनरीक्षण पर जहां पाठ्यक्रम पर्यवेक्षक तथा सम्बन्धित विदेश में स्थित भारतीय उच्चायोग किसी खास अवधि तक समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश करता है ताकि उन्हें अध्ययन पूरा करने के योग्य बनाया जा सके, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की समय सीमा का विस्तार कराया जाता है।

तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विकास योजनाएं

7233. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल और गैस के लिये इस समय पृथक-पृथक, 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कौन-कौन सी विकास योजनायें चलाई जा रही हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक योजना पर कितनी लागत आएगी, इसके अंतगर्त शुरू किये गये/शुरू किये जाने वाले विकास कार्य का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) विकसित किये जा रहे प्रत्येक क्षेत्र में तेल और गैस पृथक-पृथक पुष्ट और अपुष्ट भंडारों के नाम क्या हैं; और

(घ) ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में, यदि वहां पहले से ही उत्पादन हो रहा है, तेल और गैस का पृथक-पृथक वार्षिक उत्पादन कितना है, आगे से इसमें कितनी वृद्धि होगी तथा भविष्य में ''फील्ड'' विकास हेतु प्रस्तावित योजनाओं के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरदार सरोवर परियोजना

7234. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों पर संदेह व्यक्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो विश्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्रीराम सागर परियोजना

7235. श्री जे. चौका राव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने श्रीराम सागर चरण-दो परियोजना स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब भेजा गया और प्ररियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या मंदाकिनी नहर भी स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित है जो कि इस परियोजना का एक हिस्सा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी हाँ। यह परियोजना, केन्द्रीय जल आयोग में सितम्बर, 1986 में प्राप्त हुई थी। इसे मई, 1989 में राज्य सरकार को वापस भेजा गया था क्योंकि जल उपलब्धता स्थापित नहीं की गई थी। जल वैज्ञानिक अध्ययनों को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और राज्य सरकार को सिंचाई आयोजना के संबंध में टिप्पणी की अनुपालना करनी है तथा उसके द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(ग) मन्दाकिनी नहर, श्री राम सागर परियोजना चरण-II का एक भाग है और यह मुख्य परियोजना स्वीकृति से जुड़ी है।

(घ) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती हैं और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय और वन दृष्टि से तथा कल्याण मंत्रालय से कल्याण योजनाओं की दृष्टि से स्वीकृतियां प्राप्त करती हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

7236. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सांविधिक आयोग का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात् कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) उनमें कितनी सिफारिशें की गई हैं;

(ग) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं; और

(घ) स्वीकृत सिफारिशों पर क्या कार्यवाही शुरू की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ). 17 मई, 1993 से सांविधिक निकाय के रूप में कार्यरत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट सहित अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत

नहीं की है। तथापि, आयोग ने तत्कालीन अल्पसंख्यक आयोग की 1.4.1991 से 31.3.1992 की अवधि की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट फरवरी, 1995 को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

मंडल आयोग की सिफारिशें

7237. श्री राम कृपाल यादव :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंडल आयोग की सिफारिशों का अनुपालन न किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग). सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(क) सरकार ने अपने 8.9.93 के कार्यालय ज्ञापन के तहत निम्नलिखित प्रावधान किया है :-

(1) सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को हटाने की शर्त पर भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीधी भर्ती में 27% रिक्तियों का आरक्षण।

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों को जिनकी भर्ती उसी योग्यता के आधार पर हुई है जो सामान्य उम्मीद्वारों के लिए लागू है, उन्हें 27% आरक्षण कोटे के सम्मुख समायोजित नहीं किया जाएगा।

(3) भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण की योजना लागू की गई है।

(ख) दिनांक 25 जनवरी, 1995 के आदेश से सीधी भर्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में जो अन्य प्रकार से पात्र हैं, सिविल सेवा परीक्षाओं के बारे में प्रयासों की संख्या को बढ़ाकर 7 कर दिया गया है।

(ग) 22 अक्टूबर, 1993 के आदेश के तहत सरकार ने अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर सीधी भर्ती के मामले में विद्यमान आरक्षण रोस्टर को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को शामिल करने के उद्देश्य से संशोधित कर दिया है।

(घ) सरकार ने अपने 29 दिसम्बर, 1993 के आदेश से अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती में, जो खुली प्रतियोगिताओं से नहीं भरे जाते, पदों को भरने के लिए रोस्टर को संशोधित कर दिया है।

(ङ) 29 दिसम्बर, 1993 के आदेश से समूह ''ग'' और ''घ'' पदों में सीधी भर्ती के मामले में, जो आमतौर पर सभी क्षेत्रों और इलाकों के उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, संशोधन रोस्टर जारी किया गया है।

(च) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम की 13.1.1992 को इस उद्देश्य से स्थापना की गई है कि यह पिछड़े वर्गों को व्यवहार्य स्वरोजगार अवसरों के लिए तथा उनके तकनीकी और उद्यमी कौशल के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। तभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपर्युक्त सभी मदों के बारे में उनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं।

मण्डल आयोग की शेष सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कुछ पक्षों से मांगे भी प्राप्त हुई हैं। इस मामले में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

कृषि विकास हेतु निवेश

7238. श्री नुरुल इस्लाम : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान देश में कृषि विकास हेतु क्षेत्र-वार और राज्य-वार किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कृषि विकास हेतु निवेश में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) कृषि में 1991-92 से 1993-94 तक सेक्टर-वार सकल स्थिर पूंजी निर्माण और 1990-91 से 1992-93 तक राज्य-वार सकल पूंजी निर्माण से संबंधति उपलब्ध नवीनतम सूचना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों जैसे, बागवानी, मछलीपालन, वर्षा सिंचित

काश्तकारी, लघु सिंचाई के लिए आधार संरचना का सृजन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन आदि में महत्वपूर्ण निवेश किए जाने का प्रस्ताव है। कृषि के लिए आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एक नया ग्रामीण आधारभूत संरचनात्मक विकास फंड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह फंडल मंझौली और लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, वाटर-शेड प्रबंधन और अन्य ग्रामीण आधारभूत संरचना से संबंधित चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण उपलब्ध कराएगा।

विवरण

(क) कृषि में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जी.एफ.सी.एफ.) (चालू कीमतों पर)

(लाख रुपये)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93
1. आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2. असम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3. गुजरात	39285	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4. हरियाणा	47431	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5. केरल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6. मध्य प्रदेश	94832	102345	111898
7. महाराष्ट्र	120654	127584	153365
8. उड़ीसा (1)	33972*	44406*	47113*
9. पंजाब	79415	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10. राजस्थान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11. तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत : राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

(1) प्राइवेट निगमित सेक्टर को छोड़कर

* केन्द्र सरकार प्रशासन के आंकड़ों को छोड़कर

(ख) 1991-92 से 1993-94 के दौरान कृषि में सेक्टर-वार सकल पूंजी निर्माण

वर्ष	(1980-81 कीमतों पर) अखिल भारतीय	प्राइवेट सेक्टर	(करोड़ रुपये) पब्लिक सेक्टर
1991-92	4497	3496	1001
1992-93	4617	3552	1065
1993-94	4695*	3621	1074

* त्वरित अनुमान।

तमिलनाडु में एस.टी.डी. सुविधायें

7239. डॉ पी. वल्लल पेरुमाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तमिलनाडु के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका जिले-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). दूरसंचार विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में मार्च, 1997 एक तमिलनाडु के सभी जिलों में स्थित एक्सचेंजों सहित देश में सभी एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना है।

रसोई गैस एजेन्सियां

7240. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक मे इस समय रसोई गैस की कितनी एजेन्सियां हैं; और

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी नई एजेन्सियां आवंटित किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में 275 एल.पी.जी. डिस्ट्रिब्यूटरशिप थी।

(ख) 1992-94 की विपणन योजना में शामिल 22 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के अलावा कर्नाटक के लिए 43 एल.पी.जी.

डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एल.पी.जी. विपणन योजना 1994-95 में सम्मिलित किए गए हैं।

योजना परिव्यय

7241. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्यों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र-वार कितना मूल परिव्यय स्वीकृत किया गया है;

(ख) योजना ने पहले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा क्षेत्र-वार अनुमानतः कितना व्यय किया गया;

(ग) उपरोक्त (ख) के संबंध में सम्पूर्ण आंकड़ों और मूल परिव्यय की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई अथवा कमी आई है; और

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी निवेश बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ). प्रथम तीन वर्षों के योजना व्यय में आधिक्य अथवा कमी का पूर्णतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आठवीं योजना मूल परिव्यय पांच वर्षों की अवधि के लिए है तथा इसीलिए तीन वर्षों के व्यय से तुलनीय नहीं है। योजना व्यय में निष्पादन की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय पर की जाती है तथा विभिन्न उपचारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं ताकि योजना लक्ष्यों को यथा सम्भव प्राप्त किया जाए।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना (91-97) अनुमोदित परिव्यय तथा प्रथम तीन वर्षों 92-95 के लिए व्यय

क्र. सं.	क्षेत्रक	8वीं योजना अनुमोदित परिव्यय (91-92 मूल्यों पर करोड़ रु0)			92-95 के दौरान व्यय)* (91-92 मूल्यों पर करोड़ रुपये)			8वीं योजना का प्रतिशत
		केंद्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जोड़	केंद्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जोड़	
1.	कृषि तथा संबद्ध कार्य कलाप	11118.00	11349.21	22467.21	5824.00	6683.00	12507.00	55.67
2.	ग्रामीण विकास	24170.00	10255.36	34425.36	11574.00	5650.00	17224.00	50.03
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	6750.16	6750.16	0.00	3488.00	3488.00	51.67
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1500.00	31025.29	32525.29	610.00	12923.00	13533.00	41.61
5.	ऊर्जा	66795.00	48766.09	115561.09	45642.00	21108.00	66750.00	57.76
6.	उद्योग तथा खनिज	37539.00	9382.75	46921.75	21384.00	4044.00	25428.00	54.19
7.	परिवहन	40977.00	14948.57	55925.57	25055.00	7424.00	32479.00	58.00
8.	संचार	25097.00	12.98	25109.98	15638.00	7.00	15645.00	62.31
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	5139.00	3902.69	9041.69	2933.00	136.00	3000.00	33.94
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	968.00	3581.52	4549.52	1678.00	1995.00	3673.00	80.73
11.	सामाजिक सेवाएं	34445.45	44566.45	79011.90	15237.00	21071.00	36311.00	45.96
12.	सामान्य सेवाएं	116.55	1693.93	1810.48	305.09	861.00	1166.00	64.40
	जोड़	247865.00	186235.00	434100.00	145880.00	85393.00	231273.00	53.28

* अनंतिम।

कुओं की खुदाई

7242. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने वैज्ञानिक भूमिगत जल अन्वेषण कार्यक्रम के अंतगर्त उड़ीसा में किसी कुंए की खुदाई की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में कड़े चट्टानों वाले क्षेत्र में कुछ कुओं की खुदाई भी की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उड़ीसा के कड़े चट्टानों वाले क्षेत्र में कुओं की खुदाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई/करने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रगंय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने मार्च, 1995 तक उड़ीसा राज्य में 630 बेधनछिद्र ड्रिल किए हैं जिनमें से 438 अन्वेषणात्मक कुएं, 114 प्रेक्षण कुंए, 21 स्लिम छिद्र और 57 पोजोमीटर हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) उड़ीसा में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा ड्रिल किए गए बेधनछिद्रों का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	जिले का नाम	ड्रिल किए गए बेधनछिद्र	
		अन्वेषणात्मक बेधनछिद्र	प्रेक्षण बेधनछिद्र
1.	कालाहन्डो	41	9
2.	सम्बलपुर	53	14
3	सुन्दरगढ़	40	7
4.	कोरापुट	45	14
5.	फुलबानी	26	1
6.	क्योंझार	39	10
7.	मयूरभंज	14	–
8.	बोलंगीर	39	11

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी दिल्ली में के नों का बिछाया जाना

7243. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री 19 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं या 1761 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड प्राधिकारियों ने दिल्ली लोक निर्माण विभाग की भुगतान की गई राशि का औचित्य किस प्रकार से ठहराया;

(ख) क्या सरकार का विचार वसूल किए गए प्रभार की औचित्य संवीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का कार्य सही ढंग से हुआ था, विशेषज्ञों का अपना एक प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) दक्षिण दिल्ली के निवासियों द्वारा दिल्ली लोक निर्माण विभाग द्वारा जगह-जगह छोड़े गए छेदों को भरने हेतु बार-बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप नालियों में पानी का रिसाव हो रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और निवासियों के अभ्यावेदन पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली लोक निर्माण विभाग सहित स्थानीय एजेंसियों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित की जाती है, जो समय-समय पर प्रचलित उनकी दरों की अनुसूचियों पर आधारित होती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सड़कें, पटरियां, फुटपाथ इत्यादि जहां केवल बिछाई जाती हैं, वे संबंधित स्थानीय एजेंसियों की संपत्ति होती हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सड़कों तथा पटरियों इत्यादि की तोड़-फोड़ के मुआवजे के रूप में स्थानीय निकायों को केवल पुनः निर्माण प्रभारों का भुगतान करता है। ऐसे पुनः निर्माण प्रभार स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत बिलों के अनुसार समय-समय पर प्रचलित उनकी दरों की अनुसूचियों पर आधारित होते हैं।

(घ) यह मामला दिल्ली लोक निर्माण विभाग सहित स्थानीय निकायों से संबंधित है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्थानीय निकायों से उन स्थानों पर पुनः निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध करता है, जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्य समाप्त हो गए हैं।

(ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास स्थानीय निकायों

इत्यादि द्वारा किए जाने वाले पुनः निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

रसोई गैस एजेन्सियों का आवंटन

7244. श्री धर्मभिक्षमः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस एजेन्सियों तथा पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों को आवंटित करने सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी के लिए 78 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप 30 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 19 एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिप क्रमशः खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1988-93, एल.पी.जी. विपणन योजना 1992-94 और एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. विपणन योजना 1989-93 में आरक्षित की गई है जिनके लिये चयन का कार्य तेल चयन बोर्डों के माध्यम से पहले ही जारी है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के लिए, विज्ञापन जारी होने के बाद, सामान्यतया लगभग 1-2 वर्ष लग जाते हैं। खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 और एल.पी.जी. विपणन योजना 1994-96 में स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी के लिए 3% डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरक्षित हैं।

[हिन्दी]

समुद्र से भू-कटाव

7245. श्री एन. जे. राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने समुद्री कटाव से तटीय क्षेत्रों को बचाने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मौजूदा मानदण्डों में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में कितनी-कितनी सहायता दी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) समुद्री कटाव से तटीय क्षेत्रों को बचाने के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में मानदंडों को संशोधित करने के लिए गुजरात सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) विकेन्द्रीकरण के उपाय के रूप में समुद्र कटावरोधों कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता आठवीं योजना में बंद कर दी गई है तथापि राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 1991 में हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय सहायता के आवंटन के संशोधित फार्मूले के अंतर्गत विशेष समस्याओं की चुनौती का सामना करने के लिए 7.5 प्रतिशत भार अनुमोदित किया था। इस प्रकार 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात सहित समुद्रवर्ती राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई तथा 1995-96 के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, योजना आयोग ने गुजरात राज्य के लिए सिर्फ समुद्र कटावरोधी परियोजना के लिए परिव्यय अनुमोदित किए हैं। 1993-94 और 94-95 के लिए अनुमोदित परिव्यय 20 लाख रुपए सालाना है। 1995-96 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 26 लाख रुपए है।

[अनुवाद]

कोयला खनन

7246. श्री के. प्रधानी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने देश में कोयला खनन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें निम्नलिखित भारतीय पार्टियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; जिन्होंने कोल इंडिया लि० के साथ कोयला खनन के लिए संयुक्त रूप में उद्यम स्थापित किए जाने में दिलचस्पी दिखाई है:

1. मैसर्स आर.पी.जी.इंडस्ट्रीज/कलकत्ता इलैक्ट्रानिक सप्लाई कम्पनी।
2. मैसर्स निप्पोन डेनटरो इस्पात लिमिटेड,
3. मैसर्स भगत एंड कम्पनी,
4. मैसर्स हिंडालसों इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
5. मैसर्स ईस्टर्न मिनरल एंड ट्रेडिंग कंपनी,

6. मैसर्स इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र एंड कैमिकल लि0,

7. मैसर्स इंटरनेशनल लांगवाल (इंडिया) लि0

(ख) सरकार ने को.इं.लि. के मामले में कोयला खनन के किसी संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव को अनुमोदन नहीं दिया है।

[हिन्दी]

नहरों की खुदाई

7247. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में नहरों की खुदाई के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सरदार सरोवर परियोजना

7248. डा0 महादेवक सिंह शाक्य :
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरदार पटेल आर्थिक सामाजिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए उस अध्ययन की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि सरदार सरोवर परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ की प्रतिशतता 15.25 प्रतिशत के आस-पास होगी;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से होने वाले लाभ की प्रतिशतता के संबंध में कोई मूल्यांकन कराया है;

(घ) यदि हाँ, तो इनकी औसत प्रतिशतता कितनी है; और

(ङ) लाभ की न्यूनतम और अधिकतम प्रतिशतता वाली परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और इनसे कितना लाभ हुआ है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी हाँ। अध्ययन के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना के वित्तीय मूल्यों एवं आर्थिक मूल्य पर लाभ की आंतरिक दर क्रमशः 14.69 प्रतिशत से 20.00 प्रतिशत और 16.77 प्रतिशत से 21.88 प्रतिशत है। सरकार परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में संतुष्ट है।

(ग) से (ङ). इस समय, लाभ लागत अनुपात विधि का प्रयोग सामान्यतः सिंचाई परियोजनाओं के आर्थिक मूल्यांकन में किया जाता है। योजना-आयोग के मानक के अनुसार जिन परियोजनाओं का कम से कम 1:5:1 होता है प्रायः उन्हें ही क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया जाना चाहिए। सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए न्यूनतम सीमा 1.0 स्वीकार्य है। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण एवं बहु उद्देश्यीय परियोजनाएं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत 9 वृहद सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में लाभ की आंतरिक दर का औसत मूल्य 15.01 प्रतिशत आता है, ओंकारेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा बार्गी दिकपरिवर्तन परियोजना के संबंध में लाभ की आंतरिक दर अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य क्रमशः 25.75 प्रतिशत एवं 9.26 प्रतिशत रहा।

कोयला लदान

7249. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान 27 फरवरी, 1995 के 'आब्जर्वर' में सी.आई.एल. एक्यूज्ड ऑफ नाट यूटिलाइजिंग वैगन केपेसिटी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोल इंडिया लिमिटेड कोयले का लदान करने लिये समय पर रेल वैगन नहीं भेजता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड ने रेल वैगनों को अधिक समय तक अपने पास रोके रखने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान विलम्ब शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) कोलियरी साइडिंग पर रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए वैगनों को रेलवे द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर लदान किया जाना चाहिए। अधिकांशतः वैगनों का लदान छूट की अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाता है। किन्तु कुछ मामलों में लदान छूट की अवधि के अंतर्गत पूरा नहीं किया जा सकता है, जिससे वैगनों को रोकना पड़ता है।

किन्तु कोल इंडिया लि० में रेलवे वैगनों की कमी को नीचे दर्शाया गया है:

(एफ.डब्लू.डब्लू. प्रतिदिन में)

माह	लक्ष्य	वास्तविक	कमी
अप्रैल, 95	17344	16787	557
मई, 95 (15 तारीख तक)	17888	16230	1658

(ग) कोल इंडिया लि० के अनुसार कुछ मामलों में वैगनों के लदान में देरी निम्न के कारण होती है—भारी वर्षा होने के कारण अस्तव्यस्तता, खुले वैगनों के स्थान पर ढके वैगनों की आपूर्ति होने, वैगनों की देरी रात्रि में आपूर्ति प्राप्त होना, विद्युत की खराबी और अन्य खराबी, जो कि लदान को प्रभावित करती हैं।

(घ) कोल इंडिया लि० के अनुसार इसकी सहायक कंपनियों/यूनिटों द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों के दौरान रेलवे को अदा की गई जुर्माने की राशि को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	अदा किया गया जुर्माना (करोड़ रु० में) (आंकड़े अनंतिम)
1992-93	16.54
1993-94	16.50
1994-95	19.98

[अनुवाद]

"टाडा"

7250. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री दत्ता मेघे :
श्री राम विलास पासवान :
श्री सोमजीभाई डामोर :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने "टाडा" एवं कश्मीर संबंधी मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में सभी विपक्षी दलों एवं सभी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो विपक्षी दलों एवं मुख्यमन्त्रियों द्वारा क्या मुख्य सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या "टाडा" कानून में संशोधन करने अथवा इसे रद्द करने के संबंध में किन्हीं ठोस प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया; और

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक कोई परिवर्तन किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). सरकार ने इस बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों/राज्यपालों तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श किया है। मुख्यमन्त्रियों और राज्यपालों के साथ-साथ विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने "टाडा" को आगे न बढ़ाकर, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों के निवारण और उनसे निपटने के लिए "दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1995" नाम से एक नया कानून लाने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियां

7251. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अपनाये गये मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या ये सभी एजेंसियां उक्त मानदण्डों का पालन कर रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो चूककर्त्ता एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) पत्र सूचना कार्यालय के लिए प्रत्यायित निजी समाचार एंव फीचर एजेंसियों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए मान्यता/विचारार्थ पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं :

(i) एजेंसियों द्वारा परिचालित/प्रस्तुत समाचारों की विषयवस्तु में भारत सरकार के मुख्यालयों से निर्गम होनेवाले समाचार एवं सूचना शामिल होने चाहिए।

(ii) समाचार एजेंसी को टेलीग्राफिक अथवा इलैक्ट्रानिक सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए और कम से कम 6 राज्यों में फैले समाचार मीडिया संगठनों में सशुल्क अंशदाता होने चाहिए।

(iii) समाचार फोटो एजेंसी के पास चार्टरित लेखाकारों की सुस्थापित फर्म द्वारा यथा प्रमाणित कम से कम 6 सशुल्क अंशदाता एवं 30,000/-रू0 की वार्षिक अंशदान आय और समाचार मीडिया संगठनों से 50,000/-रू0 की एक टेलीविजन संस्था होनी चाहिए।

(iv) एक फीचर एजेंसी के पास समाचार मीडिया संगठनों में कम से कम 12 सशुल्क अंशदाता होने चाहिए।

(v) वायर एजेंसियों को नियमित वाणिज्यिक आधार पर आडियो-विजुअल नेटवर्कों सहित समाचार माध्यम संगठनों की सेवाएं प्रदान करनी चाहिए तथा अपनी अंशदान आय के बारे में चार्टर्ड लेखाकारों की किसी प्रतिष्ठित फर्म से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क. वायर एजेन्सीज

1. एशियन न्यूज इंटरनेशनल-इंडिया
2. हिन्दुस्तान समाचार
3. प्रैस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
4. पी.टी.आई.(भाषा)
5. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया
6. यूनीवार्ता

ख. नान-वायर एजेंसीज

1. एशियन फिल्मस्
2. ऐज ऑफ एनलाइटमेंट न्यूज एण्ड फीचर सर्विस
3. कार्टोग्राफिक न्यूज सर्विस
4. सिने इंडिया इंटरनेशनल
5. डेवलपमेंट न्यूज सर्विस
6. इंडिया न्यूज एण्ड फीचर एलायंस (आई.एन.एफ.ए.)
7. इंडिया प्रेस एजेंसी
8. नैशनल प्रेस एजेंसी
9. न्यूज टुडे, न्यूज एण्ड फीचर एजेंसी
10. न्यूज फ्राम नॉन-एलाइन्ड वर्ल्ड
11. प्रेस एशिया इंटरनेशनल
12. पी.ओ.टी. एनालिसिस न्यूज सर्विस
13. संवाद न्यूज सर्विस
14. सिंडिकेटिड जर्नलिस्ज न्यूज/फीचर एजेंसी
15. साना व्यूज एण्ड न्यूज एजेंसी
16. संवाद परिक्रमा न्यूज/फीचर एजेंसी
17. शब्दार्थ संचार फीचर एजेंसी

ग. विदेशी समाचार एजेंसियां

1. एजेंसी फ्रांस प्रेस (एएफपी)
2. इटालियन न्यूज एजेंसी (एएनएसए)
3. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका (एपी)
4. सीएनएन (केबल न्यूज नेटवर्क)
5. डीएनए (डेप्थ न्यूज एशिया)
6. डीपीए (जर्मन प्रेस एजेंसी)
7. डुकास न्यूज एजेंसी, स्विट्जरलैण्ड
8. ई.एफ.ई. स्पेनिशि न्यूज एजेंसी
9. जेमिनी न्यूज सर्विस, लंदन
10. इंटर प्रेस सर्विस थर्ड वर्ल्ड न्यूज एजेंसी, इटली
11. इराक न्यूज एजेंसी, बगदाद
12. इतार तास न्यूज एजेंसी, मास्को
13. कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी
14. नाइट-राइडर फाइनेंसियल न्यूज, जापान
15. क्योडरे न्यूज सर्विस, जापान
16. रियुटर्स, लंदन

17. सीरियन अरब न्यूज एजेंसी
18. यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, यूएसए
19. विएतनाम न्यूज एजेंसी
20. एक्सिनहुआ न्यूज एजेंसी, चाइना
21. ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पो0, लंदन
22. भारत वाणी, न्यूयार्क
23. चाइना रेडिया इंटरनेशनल, बीजिंग
24. इको-टेलीविसा, मैक्सिको सिटी
25. जर्मन टीवी नैटवर्क, जर्मनी
26. जर्मन रेडिया एंड टीवी, हैम्बर्ग
27. एन.एच.के. (जापान ब्राडकास्टिंग कार्पो0), टोक्यो
28. नेशनल ब्राडकास्टिंग कार्पो0, न्यूयार्क
29. पाकिस्तान ब्राडकास्टिंग कार्पो0, इस्लामाबाद
30. रेडियो नीदरलैण्ड्स, हालैण्ड
31. रेडियो, हारमोनी, इंगलैण्ड
32. डब्ल्यूटीएन, लंदन
33. विसन्यूज, लंदन
34. वॉयस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन

ब. भारतीय समाचार फोटो एजेंसियां

1. ए.एन.आई. (इंडिया), नई दिल्ली।
2. अशोक न्यूज फोटोज, नई दिल्ली।
3. एशियन फिल्मस्, नई दिल्ली
4. बेदी फिल्मस्, नई दिल्ली
5. ब्लैक स्टार फोटो एजेंसी, नई दिल्ली
6. कैपिटल न्यूज फोटोज, नई दिल्ली
7. सैन्ट्रल न्यूज फोटो सर्विस, नई दिल्ली
8. सिने इंडिया इंटरनेशनल टी.वी. न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
9. नेशनल न्यूज फोटोज, दिल्ली
10. पाना इंडिया, नई दिल्ली
11. पी.टी.आई. फोटो सर्विस, नई दिल्ली
12. पी.टी.आई.-टी.वी., नई दिल्ली
13. पंजाब फोटो सर्विस, नई दिल्ली।
14. स्पॉट फिल्मस् न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
15. यू.एन.आई. (फोटो), नई दिल्ली

ग. विदेशी टी.वी. संगठन

1. अमेरिकन ब्राडकास्टिंग कंपनी, न्यूयार्क
2. सी.बी.एस. न्यूज, न्यूयार्क
3. यूरोपियन टी.वी. सर्विस जर्मनी
4. जर्मन रेडिया एण्ड टी.वी.
5. जर्मन टी.वी. नेटवर्क, जर्मनी
6. इंडिपेंडेन्ट टी.वी. नेटवर्क, लन्दन
7. डब्ल्यू. टी.एन., लन्दन
8. विसन्यूज, लन्दन

घ. विदेशी फोटो एजेंसियां/समाचार पत्र

1. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, न्यूयार्क
2. गामा लायजन एजेंसी, न्यूयार्क
3. ए.एफ.पी., पेरिस
4. सी.एन.एन., यू.एस.ए.
5. एन.एच.के., जापान
6. नियोर बर्लिनर, बर्लिन
7. इन्फॉरमेशन एजेंसी, नॉवोस्ती, मास्को
8. पान-एशिया, टोक्यो

9. रियटर्स, लन्दन

10. सिपा प्रेस, पैरिस

11. सिग्मा, पेरिस।

[अनुवाद]

जनजातीय विकास परियोजनाएं

7252. श्री लाईता उम्मे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त जनजातीय विकास परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय बहुल राज्यों में किसी परियोजना पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ). संबंधित राज्यों से सूचना मंगाई गई है और इसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानन टर्बाइन ईंधन

7253. डा0 आर0 मल्लू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी विमानन टर्बाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) की तुलना में आयातित विमानन टर्बाईन ईंधन का प्रति कि.मी. के हिसाब से मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) का आयात बंद करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका देश के अंदर विमानों के परिचालन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ए.टी.एफ. का भंडारण स्थल पर उच्चतम विक्रय मूल्य उत्पाद शुल्कों के बिना 9852.33 रुपए/किलो लीटर है। पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ हमेशा तुलनीय नहीं होते।

(ख) से (घ). विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत ए.टी.एफ. के आयात की अनुमति है। आयात/निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति

7254. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्राकृतिक गैस की प्रतिदिन की मांग की तुलना में आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या अभी भी प्राकृतिक गैस संबंधी भारी मांग को पूरा नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति में अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान वर्ष में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 62 एम.एम.एस.सी.एम.डी. होने का अनुमान है। जिन इकाइयों को गैस आवंटित की गई है उनकी वर्तमान मांग लगभग 75 एम.एम. एस.सी.एम.डी. है।

(ख) और (ग). पहले से किए गए आवंटनों के अतिरिक्त गेल के पास दर्ज मांग की मात्रा 260 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है।

(घ) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में मौजूदा क्षेत्रों का और विकास, नए क्षेत्रों का विकास आदि शामिल है। सरकार प्राकृतिक गैस का आयात करने की व्यवहार्यता की जांच भी कर रही है।

सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग

7255. श्री चित्त बसु : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रचना क्या है;

(ग) क्या आयोग को सरकार ने कार्यालय, कर्मचारी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक ये सभी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएगीं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993(64) के अनुसरण में 12 अगस्त, 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ था। आयोग में निम्नलिखित सदस्य हैं :

श्री मांगी लाल आर्य	- अध्यक्ष
श्री आई.पी.डी. सेलप्पा	- उपाध्यक्ष
श्री वसुदेव राव चांगे	- सदस्य
श्री मंगल राम प्रेमी	- सदस्य
श्रीमती माया देवी	- सदस्य
श्री ईश्वरभाई पटेल	- सदस्य
डा0 हनुमान प्रसाद	- सदस्य

(ग) और (घ). आयोग के गठन के बाद तत्काल कार्य शुरू करने के लिए इसको समर्थ बनाने हेतु आर.के. पुरम में कल्याण मंत्रालय को आबंटित स्थान में से अस्थायी कार्यालय स्थान प्रदान किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय ने लोक नायक भवन में आयोग के लिए कार्यालय स्थान आबंटित किया है। तथापि, यह आवास संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के अंतिम अनुमोदन के अध्यधीन है। इस आयोग की शीघ्र ही लोक नायक भवन में स्थानान्तरित होने की सम्भावना है। न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी कल्याण मंत्रालय द्वारा अपनी नफरी में से आयोग को भी प्रदान किए गए हैं। निकट भविष्य में शेष कर्मचारी प्रदान किए जाने की संभावना है। आयोग को टैक्सी वालों की सेवाओं को किराए पर लेकर परिवहन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। टेलीफोन, कार्यालय उपकरण आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी आयोग को प्रदान कर दी गई हैं।

ओमान और ईरान से आयात की जाने वाली गैस की सप्लाई

7256. श्री मोहन रावले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ओमान/ईरान से आयात हेतु प्रस्तावित प्राकृतिक गैस की सप्लाई की संभावना के संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने तटीय टर्मिनलों की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान करने की पेशकश भी की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र सरकार के उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने ओमान से आयातित होने हेतु प्रस्तावित गैस में से गैस की 30 एम.एम.एस.सी.एम.डी. मात्रा के आबंटन के लिए अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने उसार में नए गैस टर्मिनल की स्थापना तथा महाराष्ट्र में इकाइयों को पश्चिमी अपतट से गैस के अधिक आबंटन के लिए प्रस्ताव किया है तथा टर्मिनल के लिए भूमि मुफ्त में दी है। तथापि, पश्चिमी अपतट से उपलब्ध होने हेतु अनुमानित गैस पूर्णतया आबंटित है और वर्तमान में अधिक आबंटन के संबंध में विचार करना व्यवहार्य नहीं है। जहां तक आयातित गैस के राज्यवार वितरण का संबंध है, यह पंजीकृत मांग तथा आपूर्ति संबंधी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

अजमेर में डाक-तार सेवाएं

7257. प्रो0 रासा सिंह रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के अजमेर जिले में डाक-तार सेवाओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). डाक विभाग.

जी, हाँ। अजमेर टाउन के आदर्श नगर, ओल्ड आक्ट्रॉय, विज्ञान नगर तथा सुभाष नगर क्षेत्रों में डाक के अनियमित वितरण तथा अजमेर जिले में नासिराबाद प्रधान डाकघर, नासिराबाद में पर्यवेक्षकों के न मिलने और डाक कर्मियों के अभद्र व्यवहार के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

दूरसंचार विभाग

अजमेर की टेलीफोन सेवाओं के संबंध में भारतीय जनता पार्टी से 21.4.95 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह अभ्यावेदन नए कनेक्शन प्रदान करने, ग्राहकों को 7 दिन से अधिक तक टेलीफोन

खराब रहने के कारण छूट देने, भूमिगत केबिल बिछाने, केकरी की एसटीडी सेवाओं, 197, 198 तथा 199 की घटिया सेवाओं, लाइनों के क्रॉस, कनेक्शन, एसटीडी लाइनों पर संकुलन तथा एक्सचेंज में खराबी, नई टेलीफोन डायरेक्ट्री की प्रिंट में विलंब तथा स्टाफ द्वारा किए जाने वाले अनाचारों के संबंध में था।

(ग) डाक विभाग

उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों में डाक के संतोषजनक वितरण के लिए आवश्यक प्रबंध कर दिए गए हैं। अन्य शिकायतें निराधार पाई गईं।

दूर संचार विभाग

(i) अजमेर में 10.3.95 को 5000 लाइनों वाला एक ई-10 बी एक्सचेंज चालू किया गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेजों के 2700 एसटीडी सुविधा वाले उपभोक्ता को ई-10 बी एक्सचेंज में अंतरित किया गया।

(ii) नए कनेक्शन का लक्ष्य समय पर प्राप्त कर लिया गया है।

(iii) जब टेलीफोन सात दिन से अधिक समय तक खराब रहता है तो उपभोक्ताओं को किराए में स्वतः ही छूट दी जाती है।

(iv) अधिकांश मामलों में, केबिल भूमिगत ही बिछाई जाती हैं। मानसरोवर कालोनी में नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए कुछ ओवर हैड केबिल बिछाए गए। इन्हें जल्दी ही भूमिगत केबिलों द्वारा बदल दिया जाएगा।

(v) ओपन हाउस सत्र में विभिन्न ग्रुपों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

(vi) केकरी की एसटीडी सेवायें, केकरी-मालपुरा यूएचएफ सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। यह पूर्णतया संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। 197-198 तथा 199 की सेवायें सामान्यतः संतोषजनक हैं। इसकी उच्च स्तर पर भी मानीटरिंग की जा रही है।

(vii) जहां तक क्रॉस-कनेक्शन तथा अन्य ऐसी खराबियों का संबंध है, ज्यों ही ये खराबियां ध्यान में आती हैं तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। अजमेर में नई टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई जा रही है और अभ्यावेदनों में दिए गए सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। अजमेर में कुल मिलाकर सेवायें संतोषजनक हैं।

(viii) यदि अनाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के नैमित्तिक कर्मचारी

7258. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में श्रेणी-वार कितने नैमित्तिक कर्मचारी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन नैमित्तिक कर्मचारियों के लिए कोई स्थाई सवंर्ग निर्धारित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में नैमित्तिक श्रमिकों की श्रेणी-वार संख्या निम्न प्रकार से है :-

(क)	(ख)	(ग)	(घ)
शून्य	शून्य	98	3572

(ख) से (घ). जिन नैमित्तिक श्रमिकों ने 31.3.95 को अपनी सेवा के 750 दिन पूरे कर लिए हैं उन्हें नियमित मस्टर-रोल में दर्ज कर लिया गया है जिससे वे, भविष्य में होने वाली रिक्तियों पर नियमित आधार पर नियुक्ति किए जाने के लिए विचार करने के पात्र हो गए हैं।

मीडिया आयोग

7259. श्री एस. एम. जाजजान वाशा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीडिया आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग). इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

''डेवलप-इन्वेस्ट-ट्रांसफर'' नीति

7260. प्रो0 उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्रों के विकास के लिए ''डेवलप-इन्वेस्ट-ट्रांसफर'' नामक कोई नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह नीति कब से कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) क्या 1994-95 में इस नीति पर नए सिरे से बल दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस नीति के अन्तर्गत पूंजी निवेश करने के लिए रुचि दिखाई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

वंशधारा परियोजना

7261. श्री घोज्जा चुज्जी रामय्या : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वंशधारा परियोजना के घटकों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ख) वंशधारा परियोजना चरण-I तथा चरण-II की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) वंशधारा परियोजना चरण-I कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) वंशधारा परियोजना चरण-II पर कब से कार्य शुरू किया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) वम्सधारा परियोजना चरण-I में गोटा में वम्सधारा नदी पर 467 मीटर लम्बा बराज तथा इसकी वितरण प्रणाली सहित बायें तट पर 105 कि.मी. लम्बी कन्दूर नहर शामिल है। वम्सधारा चरण-II परियोजना में ये शामिल हैं :-नराड़ी (गोटा के 58 कि.मी. के अपस्ट्रीम पर) में वम्सधारा नदी पर एक बराज, दायीं ओर 6 कि.मी. लम्बा बांधतट, बायी ओर 3.8 कि.मी. लम्बा चिनाई बाढ़ सुरक्षा दीवार, दायें तटपर सिंचाई द्वार, बायीं ओर मुख्य द्वार के लिए प्रावधान नराड़ी बराज के दायें छोर से हीरामण्डलम् जलाशय तक 32 कि.मी. लम्बी बाढ़ प्रवाह नहर, लगभग 538 मिलियन घन मीटर की क्षमता का हीरामण्डलम् जलाशय, हीरामण्डलम् जलाशय से 30 कि.मी. लम्बी उच्च स्तरीय नहर, हीरामण्डलम जलाशय और गोटा बराज को जोड़ने वाली एक संपर्क नहर तथा इस संपर्क नहर से 58.825 कि.मी. लम्बी दायां तट नहर।

(ख) वम्सधारा चरण-I परियोजना का 8.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1972 में निवेश स्वीकृति दी गयी थी। इस परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 78.60 करोड़ रुपए है और इस पर मार्च, 1995 तक 64.41 करोड़ रुपए की राशि व्यय किये जाने की संभावना है।

(ग) वम्सधारा परियोजना चरण-I को आठवीं योजना में पूरा किया जाना निर्धारित है।

(घ) वम्सधारा चरण-II परियोजना को 275.74 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सलाहकार समिति द्वारा दिसम्बर, 1991 में इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया था कि कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण एंव वन स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायें। राज्य सरकार को ये स्वीकृतियां प्राप्त करनी हैं।

भारत-ओमान पाइप लाइन परियोजना

7262. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :
श्री रवि राय:
डा0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गहरे समुद्र में पांच बिलियन डालर की लागत से बनी भारत-ओमान पाइप लाइन परियोजना को संचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओमान ने इस पाइप लाइन परियोजना के स्थान पर भारत को किसी वैकल्पिक माध्यम से गैस आपूर्ति करने की पेशकश की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्तावित वैकल्पिक परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

लंबी दूरी की टेलीफोन लाइनें

7263. श्री राम कापसे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''लंबी दूरी की टेलीफोन लाइनों के लिये पेशकश'' के संबंध में जापान के साथ कोई चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

कमांड क्षेत्र का विकास

7264. डा0 साबीजी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमांड क्षेत्र में विकास के लिए उत्तर प्रदेश को विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि दी गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कमांड क्षेत्र में सिंचाई नेटवर्क के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कमान क्षेत्र विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता सहित हुआ व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	हुआ व्यय (लाख रुपए)
1992-93	3300.14
1993-94	3711.73
1994-95	4589.26 (संशोधित परिव्यय)

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कमान क्षेत्रों में सिंचाई नेटवर्क के लिए फील्ड चैनलों के लक्ष्य और उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

(हजार हेक्टेयर)

	फील्ड चैनल	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	268.00	90.16
1993-94	128.50	130.26
1994-95	129.00	129.00

रसोई गैस आयात सुविधा परियोजना

7265. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर, कर्नाटक में रसोई गैस आयात सुविधा परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी;

(ख) 31 मार्च, 1995 तक हुए खर्च सहित परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान इस परियोजना का बजटीय आवंटन कितना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कर्नाटक के मंगलौर में एल.पी.जी. की आयात सुविधा के सितम्बर, 1996 तक पूरा होने की आशा है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 175.65 करोड़ रुपए है। 31.3.95 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रति 54.60 करोड़ रुपए के व्यय का वहन किया है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान परियोजना के लिए 70.00 करोड़ रुपए की राशि का आंवटन किया गया है।

पानी का बंटवारा

7266. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी व्यास नदी का लगभग कितना पानी फालतू है;

(ख) बेसिन राज्यों में पानी आवंटित करने का क्या आधार है;

(ग) राजस्थान ने रावी व्यास नदी के कुल कितने पानी की मांग की है;

(घ) इस समय राजस्थान को कितने पानी की आपूर्ति की जा रही है; और

(ङ) राजस्थान को पानी का पूरा हिस्सा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) रावी-व्यास के फालतू जल को 21.19 बिलियन घन मीटर आंका गया है।

(ख) रावी-व्यास के फालतू जल को दिनांक 31.12.81 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार थाला राज्यों द्वारा बांटा जा रहा है।

(ग) और (घ). राजस्थान द्वारा की गई मांग 1981 के समझौते के अनुसार उसके हिस्से तथा विगत पांच वर्षों के दौरान किया गया जल वितरण इस प्रकार है :

(बिलियन घन मीटर)

अवधि	मांग	हिस्सा	वितरण
21.5.90 से 20.5.91	11.265	8.462	10.543
21.5.91 से 20.5.92	11.92	7.946	10.002
21.5.92 से 20.5.93	10.367	8.382	9.108
21.5.93 से 20.5.94	12.208	7.021	7.299
21.5.94 से 20.5.95	12.011	9.119	10.619

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन

7267. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, सम्मेलन में क्या-क्या सिफारिशें की गई/सुझाव दिए गए; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). दिनांक 2.5.95 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा विभिन्न पदक्रमों के पुलिस कार्मिकों के लिए मानवाधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में चर्चा करने के उद्देश्य से कुछ पुलिस महानिदेशकों तथा पुलिस महानिरीक्षकों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जिसमें विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा अकादमियों के पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानवाधिकारों को शामिल किए जाने पर चर्चा की गई थी। यह सम्मेलन विभिन्न रैंकों के पुलिस कार्मिकों के लिए आदर्श मानवाधिकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में नौ पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों ने भाग लिया था। आयोग ने मानवाधिकार पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले बाकी पुलिस महानिदेशकों के साथ एक अन्य बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

बंगलौर में सेमिनार

7268. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र के लिये संसाधन जुटाने के विषय पर एशिया-प्रशांत महासागर देशों के हाल ही में बंगलौर में सम्पन्न हुए पांच दिवसीय सेमिनार के विभिन्न निष्कार्षों और सिफारिशों को सरकार ने नोट किया है;

(ख) क्या एक सिफारिश में क्षेत्र के सदस्य देशों से उसके देशों में दूरसंचार के नियमित और निरन्तर विकास के लिये स्पष्ट और सुदृढ़ नीति अपनाने को कहा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). भारत सरकार को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में इस सिफारिश का ध्यान रखा गया है।

कृष्णा नदी जल विवाद

7269. श्री धर्मिमलम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नदी के जल विवाद के निपटारे हेतु आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं;

(ख) क्या यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम

उठाये गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हिप्परगी परियोजना, अपर तुंग्र परियोजना के निर्माण और अलमत्ती बांध का पूर्ण जलाशय स्तर बढ़ाने के बारे में आपत्ति की है जबकि कर्नाटक सरकार ने तेलुगू गंगा परियोजना को सहमति नहीं दी है। इन राज्यों द्वारा ये मुद्दे आपस में हल करने हैं।

(ख) और (ग). कृष्णा बेसिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने तेलुगू गंगा परियोजना के मामले में मुद्दे के हल करने के लिए तीन बैठकें पहले ही आयोजित कर ली हैं परन्तु किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। कर्नाटक परियोजनाओं के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाई गयी आपत्ति के मामले में केन्द्र का मत है कि इन तीन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित जल उपयोग, कृष्णा जल विवाद अधिकरण पंचाट के तहत कर्नाटक राज्य सरकार के समग्र हिस्से में से उसके द्वारा किए गए आबंटन के अन्दर है। तथापि अपर कृष्णा परियोजना चरण-II की आयोजना ऐसी है कि यह कृष्णा जल के उसके समग्र हिस्से में से इस परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा आवंटित 173 हजार मिलियन घनफुट से अधिक जल का उपयोग करने के लिए कर्नाटक को सक्षम करेगी। कर्नाटक सरकार को कृष्णा बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त करनी है।

दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कालेजों के लिए धनराशि

7270. श्री के. प्रधानी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में दण्डकारण्य परियोजना में परियोजना को समाप्त करने से पूर्व मलकानगिरी, एम.वी. 79, बालोनी, उमरकोट ओर टुनडिही के पांच कालेजों के लिए धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हाँ तो क्या इन पांच संस्थाओं के लिए धनराशि जारी की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (घ). राज्य सरकार को वर्ष 1988-89 के दौरान ''अग्रिम धन राशि के तौर पर'' +2 महाविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों के रख-रखाव और कमियों के लिए कुल 120.00 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी। प्रयुक्त कर लिए जाने/लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के कारण उड़ीसा सरकार को इसके बाद की धनराशि जारी नहीं की गई।

उमरकोट तथा तुनूडीह में + 2 महाविद्यालयों के निर्माण के लिए वर्ष 1987 में स्वीकृति दी गई थी परन्तु राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 1990 तक स्वीकृति की वैध अवधि तक न तो परियोजना कार्यान्वित की गई और नहीं इस संबंध में कोई व्यय किया गया था इसलिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

मानसून द्वारा टेलीफोन की हानि

7271. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून सत्र के दौरान टेलीफोन के तारों के क्षतिग्रस्त हो जाने के परिणामस्वरूप टेलीफोन सेवा ठप्प हो जाती है;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम द्वारा इसका विश्लेषण करने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) सरकार द्वारा टेलीफोन के मूलभूत ढांचे को वर्षा से क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ। कभी-कभी विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले खुदाई कार्यों के कारण भूमिगत टेलीफोन केबिल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे केबिलों में पानी भर जाता है जिससे सेवा में खराबी उत्पन्न होती है। खराब टेलीफोनों को यथाशीघ्र ठीक करने के लिए रात-दिन मरम्मत कार्य किया जाता है।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ). मानसून के दौरान केबिलों में खराबी आ जाने के कारणों का अध्ययन करने हेतु 1993 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी और समिति ने ऐसी खराबियों को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए गए हैं ताकि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो:

(i) ब्राफ राउन्ड आर.सी.सी. पाइपों/डामर द्वारा जोड़ेगें (ज्वाइन्ट्स) की सुरक्षा,

(ii) केबिल मार्गों पर गश्त,

(iii) मानसून से पहले केबिलों की खाइयों में पानी भरना,

(iv) खुदाई कार्य में लगे स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय।

लम्बित विधेयक

7272. श्री सैयद शहाबुद्दीन क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 तक कौन से राज्य विधेयक सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) राज्य विधान सभा ने विधयेक को किस तिथि को भेजा था;

(ग) किस तिथि को विधेयक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया था; और

(घ) इन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). राष्ट्रपति के विचारार्थ विभिन्न राज्यों के राज्यपालों द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों तथा इस मंत्रालय में उसकी प्राप्ति की तारीख का एक विवरण संलग्न है। राज्य विधायन, भारत सरकार के सम्बद्ध विभागों/मन्त्रालयों तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके जांच करा सकता है। संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों को इस मामले में अपने विचार शीघ्रता से व्यक्त करने के लिए लगातार याद कराया जाता है। विधेयकों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए जहां आवश्यक समझा जाता है, चर्चा भी की जाती है।

विवरण

दिनांक 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार

क्रमं.	प्राप्ति की तारीख	विधयेक का नाम
1	2	3
1.	29.5.86	मद्रास रेस क्लब (उपक्रम का अधिग्रहण और स्थानान्तरण) विधेयक, 1986
2.	17.4.89	भारतीय विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989
3.	09.8.89	असम राजमार्ग विधयेक, 1989
4.	11.9.89	मणिपुर होम गार्ड्स विधेयक, 1989
5.	1.11.89	सिक्किम भू-स्वामित्व परिवर्तन (विनियमन) विधेयक, 1989
6.	1.11.89	सिक्किम भू-स्थानान्तरण (विनियमन) विधेयक, 1989
7.	20.11.89	आन्ध्र प्रदेश राजमार्ग विधेयक, 1989
8.	28.11.89	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक कामगार (प्रबंधन में प्रतिनिधित्व, भागीदारी तथा राहत) विधेयक, 1989
9.	20.6.90	असम भू-अतिक्रमण (निषेध) अधिनियम, 1990
10.	22.8.90	राजस्थान विलास वस्तुकर (होटल तथ लांजिग हाउस) विधेयक, 1990
11.	29.4.91	केरल महिला आयोग विधेयक, 1991
12.	8.7.91	त्रिपुरा वन (इमारती लकड़ी की कटाई का विनियमन) विधयेक, 1991
13.	29.10.91	तमिलनाडु भूमि सुधार (भू-सीमा निर्धारण) संशोधन विधेयक, 1991
14.	1.6.92	उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992
15.	15.9.92	पश्चिम बंगाल करैक्शनल सर्विसेज विधेयक, 1992
16.	29.10.92	लिमिटेशन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1990
17.	7.12.92	राजस्थान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र विधेयक, 1990
18.	9.12.92	मणिपुर लोक परीक्षा कदाचार निवारण विधेयक, 1992
19.	11.2.93	आंध्र प्रदेश, मुक्त स्थल विरूपण निवारण तथा अश्लील तथा आपत्तिजनक पोस्टर व विज्ञापन निषेध, विधेयक, 1992
20.	1.9.93	उड़ीसा विवाह खर्च सीमा विधयेक, 1993
21.	27.9.93	पश्चिम बंगाल सरकारी भूमि (स्थानान्तरण विनियमन) विधेयक, 1993
22.	30.9.93	पश्चिम बंगाल कालेज सर्विस कमीशन (संशेधन) विधेयक, 1993
23.	13.10.93	ग्रेज्युटी का भुगतान (पश्चिम बंगला संशोधन) विधेयक, 1993

1	2	3
24.	13.10.93	मजदूरी का भुगतान (पश्चिम बंगला संशोधन) विधेयक, 1993
25.	31.1.94	तमिलनाडु भूमि-अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक, 1993
26.	23.3.93	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ धर्मादाय (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1994
27.	26.4.94	आंध्र प्रदेश को-ओपरेटिव सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1993
28.	23.5.94	पंजाब खनिज-पदार्थ (अधिकार निहित करना) विधेयक, 1994
29.	16.6.94	त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार (छठा संशोधन) विधेयक, 1994
30.	8.7.94	दण्ड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगला संशोधन) विधेयक, 1994
31.	8.7.94	तमिलनाडु अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक, 1994
32.	11.7.94	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ धर्मदास (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994
33.	25.7.94	हावड़ा नगर निगम, (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994
34.	25.7.94	दुर्गापुर नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994
35.	26.8.94	भ्रष्टाचार रोकथाम (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधयेक, 1994
36.	16.9.94	भा.द.संहिता (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 1994
37.	2.11.94	भारतीय बिजली (पश्चिम बंगला संशोधन) विधेयक, 1994
38.	2.11.94	बिजली (आपूर्ति) (पश्चिम बंगाल) (संशोधन) विधेयक, 1994
39.	11.11.94	राजस्थान जन परिसर (अनधिकृत कब्जा धारियों से खाली कराना) (संशोधन) विधेयक, 1994
40.	23.11.94	पश्चिम बंगला सरकारी परिसर (किराएदारी विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1994
41.	14.12.94	हिमाचल प्रदेश सहायता प्राप्त कालेज कर्मचारियों की सेवा-सुरक्षा) विधेयक, 1994
42.	19.12.94	मद्रास शहर किराएदार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1994
43.	19.12.94	तमिलनाडु भू-सुधार (भूमि पर सीमा तय करना) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994
44.	21.12.94	तमिलनाडु अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 1994
45.	3.1.95	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1994
46.	16.1.95	अरूणाचल प्रदेश पंचायत राज विधेयक, 1994
47.	25.1.95	तलचर ताप विद्युत स्टेशन (अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) विधेयक, 1994
48.	30.1.95	अरूणाचल प्रदेश पारम्परिक कानून तथा सामाजिक रीति संरक्षण विधेयक, 1994
49.	2.3.95	मध्य प्रदेश सम्पत्ति निरूपण निवारण विधेयक, 1995

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज

7273. डॉ0 आर0 मल्लू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने-कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हैं;

(ख) इनमें से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) शेष एक्सचेंजों के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में कब तक परिवर्तित कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार मार्च, 1997 तक सभी मौजूदा मैक्स-III एवं मैक्स-II (एल.एफ.किस्म) तथा अन्य पुराने पड़ गए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों

में बदलने की योजना है। शेष इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से उनके कार्यकाल की उपयोगिता समाप्त हो जाने पर बदलने की योजना है।

विवरण

31.3.95 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों के राज्यवार ब्यौरे

क्रं. सं. सर्किल/राज्य	ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1 2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेा	1794	1235
2. असम	192	192
3. बिहार	663	663
4. गुजरात	1188	1168
5. हरियाणा	578	578
6. हिमाचल प्रदेश	393	393
7. जम्मू एवं कश्मीर	125	87
8. कर्नाटक	1370	1670
9. केरल	596	541
10. मध्य प्रदेश	2363	2362
11. महाराष्ट्र एवं गोवा	2022	1965
12. नार्थ ईस्ट		
अरूणाचल प्रदेश	50	50
मणिपुर	10	10
मेघालय	26	26
मिजोरम	27	27
नागालैंड	22	22
त्रिपुरा	39	39
13. उड़ीसा	581	581
14. पंजाब	632	623
15. राजस्थान	1210	1210
16. तमिलनाडु	1023	1009
17. उत्तर प्रदेश	1359	1320
18. पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम	374	374
जोड़	16937	16145

इराक से तेल

7274. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इराक से तेल की आपूर्ति हेतु कोई समझौता है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). इराक के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार प्रतिबंध के कारण अगस्त, 1990 से इराक से कच्चे तेल के आयात को स्थगित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

लंबित परियोजनाएं/योजनाएं

7275. श्री एन. जे. राठवा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के पास निवेश के लिए मंजूरी हेतु राज्यवार कौन-कौन सी परियोजनाएं/योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं/योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). योजना आयोग के पास राज्यों की कोई परियोजना/स्कीम कार्रवाई के लिए लंबित नहीं हैं।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों को तेल क्षेत्र दिया जाना

7276. प्रो0 उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 में कुछ विदेशी कम्पनियों को विकसित गैस क्षेत्र तथा तेल क्षेत्र सौंपने हेतु समय-सारिणी बनाई है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी कम्पनियों को इन क्षेत्रों को सौंपे जाने की योजना क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों को सौंपने से पूर्व कोई सार्वजनिक घोषणा की जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी आकर्षित करने के लिए सरकार ने उत्पादन हिस्सेदारी के अन्तर्गत तेल/गैस क्षेत्र विकसित करने हेतु निजी कंपनियों को आमंत्रित करने की एक नीति तैयार की है।

पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता और उपलब्धता

7277. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता, उपलब्धता तथा उत्पादन पर गौर करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क)से(घ). सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों से अग्रणी विशेषज्ञों को मिलाकर राष्ट्रीय तेल उद्योग के पुनर्गठन के संबंध में एक ''नीति निर्धारण नियोजन दल'' तैयार किया गया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

सेल्लुलर टेलीफोन

7278. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट पार्टियों को सैल्लुलर टेलीफोन लाइसेंस किन शर्तों पर दिए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : भारतीय पंजीकृत कंपनियों को, गैर-विशिष्ट आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस मंजूर किये गये हैं। सेवा को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से एक वर्ष भीतर शुरू किया जाना है।

लाइसेंस धारक को अदा किया जाने वाला लाइसेंस शुल्क और सेवा प्रदान करने के लिए टेरिफ की सीमा संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

विवरण-I

लाइसेंस शुल्क का भुगतान

1. प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए लाइसेंस धारक द्वारा अदा किया जाने वाला लाइसेंस शुल्क नीचे लिखे अनुसार विनियमित होगा :

सेवा क्षेत्र	पहले वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क (करोड़ रुपयों में)	दूसरे वर्ष	तीसरे वर्ष
बम्बई	3	6	12
दिल्ली	2	4	8
कलकत्ता	1.5	3	6
मद्रास	1	2	4

चौथे वर्ष और उससे आगे

प्रति 100 (एक सौ) उपभोक्ता या इसके किसी भाग के लिए रु० 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) की दर से बशर्ते निम्नलिखित से कमी नहीं हो।

सेवा-क्षेत्र	पांचवें से छठे वर्ष प्रत्येक वर्ष के लिये	सातवें वर्ष और उससे आगे न्यूनतम लाइसेंस शुल्क
बंबई	18	24
दिल्ली	12	16
कलकत्ता	9	12
मद्रास	6	8

2. सेवाएं चालू/प्रदान करने की तारीख से तीन वर्ष पूरे होने पर प्राधिकरण के पास, लाइसेंस धारक के सेल्लुलर नेटवर्क से प्रदान की गई सभी अन्य सेवाओं के लिए, अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के तौर

पर किराया, एयर टाइम प्रभार में से सकल राजस्व का हिस्सा निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

विवरण - II

टेरिफ सीमा

1.	सेवा के लिए मासिक किराया	156 रु0 प्रति
2.	प्रतिभूति जमा	3000 रु0
3.	संस्थापना प्रभार	1200 रु0

4. काल प्रभार :

4.1 सचल उपभोक्ता द्वारा की गई कालों के लिए : स्थानीय, एसटीडी और आईएसडी कालों के लिए स्थिर नेटवर्क के यथा अनुमत्य काल प्रभारों के साथ-साथ प्रति यूनिट काल 10 सेंकण्ड की दर से एयर टाइम प्रभार। एक ही सेल्लूलर सेवा क्षेत्र के भीतर संचल टेलीफोन से सचल टेलीफोन को की गई काल के लिए केवल एयर टाइम प्रभार वसूल किया जाएगा।

4.2 सचल उपभोक्ता को की गई कालों के लिए : 10 सेकेण्ड प्रति यूनिट काल की दर से एयर टाइम प्रभार वसूल किया जाएगा। यदि सचल उपभोक्ता इनकमिंग काल 5 सेकेण्ड के भीतर समाप्त कर देता है तो उससे कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

5. टेरिफ पर टिप्पणियाँ :

5.1 सचल उपभोक्ता के लिए काल का समय एयर टाइम आधार पर होगा।

5.2 एयर टाइम यूनिट काल प्रभार, दूरसंचार विभाग के स्थित नेटवर्क के उच्चतम स्लैब पर लागू यूनिट दर (इस समय रु0 1.40 प्रति यूनिट) पर वसूल किया जाएगा। सभी कालों के लिए यूनिट दर उपरोक्तानुसार लागू होगी और कोई टेलिस्कोपिक दरें नहीं होंगीं।

5.3 कार्य की व्यस्त अवधि के दौरान एयर टाइम के लिए काल प्रभार उपर्युक्त पैरा 4 में निर्धारित दरों से दो गुणा दर से अधिक नहीं होंगे। कार्य की व्यस्त अवधि प्रति दिन 4 घंटों से अधिक की नहीं होगी।

5.4 रविवार तथा तीन राष्ट्रीय अवकाशों (26 जनवरी, 15 अगस्त तथा 2 अक्टूबर) के दौरान की गई कालों के एयर टाइम प्रभार उपर्युक्त पैरा-4 में निर्धारित दर से आधी दर पर वसूल किए जाएंगे।

5.5 सचल उपभोक्ता से स्थिर नेटवर्क को की गई कालों के लिए लाइसेंस धारक सचल उपभोक्ता से काल के समय और दिन के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर प्रभार वसूल करेगा। ऐसी कालों के लिए यूनिट दर दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क की उच्चतम स्लैब दर (इस समय 1.40 रु0 प्रति यूनिट) के बराबर होगी। सभी कालों के लिए उपर्युक्त यूनिट दर लागू होगी और कोई टेलिस्कोपिक दरें नहीं होंगी।

5.6 एयर टाइम में कोई निःशुल्क काल नहीं दी जाती है।

5.7 स्थिर नेटवर्क से सचल नेटवर्क को की गई कालों के लिए, सचल उपभोक्ता से एयर टाइम प्रभार वसूल किया जाएगा और दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्लूलर प्रचालक को कोई संपर्क (एक्सेस) शुल्क नहीं देना होगा, एयर टाइम प्रभार, सेल्यूलर प्रचालक वसूल करेगा।

5.8 सचल से सचल तक के लिए कॉल करने वाले और जिसे काल की गई, दोनों प्रभार वसूल किया जाएगा।

6. टैरिफ में सभी वृद्धियां, प्राधिकरण का पूर्व अनुमति से की जाएगी। लाइसेंसधारक सचल उपभोक्ता से सेवा के लिए अपेक्षाकृत कम दर पर टेरिफ, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बगैर वसूल कर सकता है।

7. किराए में सचल सेट (उपभोक्ता का टर्मिनल) शामिल नहीं है। उपभोक्ता सचल सेट किसी भी स्रोत से खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

कच्चे तेल का रिसाव

7279. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1994 के मध्य में बम्बई के निकट उरन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की रसोई गैस परियोजना में कच्चे तेल का रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की जांच हेतु कोई समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हाँ। बम्बई के समीप उरान में ओ.एन.जी.सी. के एल.पी.जी. संयंत्र परिसर में हौदी से तेलयुक्त जल के छलकाव की एक बहुत मामूली सी घटना हुई। यह बिजली के अचानक बंद होने के कारण हौदी के पम्प के रुकने की वजह से हौदी के छलकने के परिणामस्वरूप हुआ।

(ख) और (ग). कोई जाँच समिति गठित नहीं की गई।

(घ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड उरान में ओ.एन.जी.सी. की स्थापनाओं को विद्युत की सतत आपूर्ति के लिए एक विशेष फीडर प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

7280. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अप्रैल, 1995 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में ''एक्ट कम्स इन द वे ऑफ ए मिशन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) संबद्ध सोसायटी द्वारा विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम का किस प्रकार उल्लंघन किया गया; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (घ). मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा ऑयल इण्डिया लिमिटेड को स्वायत्तता

7281. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र की समीक्षा करने हेतु गठित ''आर-ग्रुप'' ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा आयल इंडिया लिमिटेड को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस ग्रुप द्वारा खोज तथा उत्पादन के संबंध में की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त ग्रुप द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने की सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शीर्षस्थ प्रबन्धकों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञों को शामिल करके राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्संरचना पर एक ''कार्यनीतिक विनियोजन दल'' बनाया गया है। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्र का विकास

7282. श्री एन.के. राठवा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कितनी धनराशि निर्धारित की है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) योजना आयोग को 1994-95 के दौरान राज्य की वार्षिक योजना में कार्यान्वयन के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए गुजरात सरकार से अनुमोदन के लिए कोई विशिष्ट स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र में अकुशल श्रमिक

7283. प्रो0 उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों की संख्या का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कोयला खनन क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये

कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस विशाल श्रमिक बल को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोल इन्डिया तथा इसकी सहायक कम्पनियों में 3,74,635 अकुशल कामगार कार्यरत हैं।

(ग) और (घ). कामगारों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा बहु-कुशलता के विकासार्थ भी तथा उन्हें विभिन्न कुशल श्रेणियों के पदों पर चयन के लिये परीक्षा देने हेतु तैयार किये जाने के संबंध में उन्हें खान व्यवसायिक केन्द्रों तथा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र पर विशेष श्रेणियों में प्रशिक्षण, मूल प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, ''कार्य पर'' प्रशिक्षण दिया जाता है।

नए तेल शोधक कारखाने

7284. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के उत्तरी क्षेत्र में नए तेल-शोधक कारखानों की स्थापना के कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अन्य बातों के साथ-साथ नए तेल-शोधक कारखानों की प्रवर्त्तक कम्पनी के ब्यौरों, इनमें होने वाले व्यय, परियोजनाओं के वित्त पोषण की प्रणाली, अनुमानित उत्पादन, स्थापना स्थल और इनकी स्थापना के लिए निर्धारित अवधि सहित स्थापित किए जाने वाले तेलशोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास मथुरा तेल-शोधक कारखाने के विस्तार की भी कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार ने 3868 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आई.ओ.सी. द्वारा पानीपत में 6 मि.मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए पहले ही अनुमोदन दे दिया है। परियोजना का वित्त प्रबंध आई.ओ.सी. के आन्तरिक स्रोतों से किया जाता है तथा इसे अप्रैल, 1997 तक पूरा किया जाना है। उत्तर प्रदेश में भी एक ग्रास रूट रिफाइनरी प्रस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव का विवरण तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). फिलहाल मथुरा रिफाइनरी के विस्तारण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में रसोई गैस-कनेक्शन

7285. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को अतिरिक्त गैस कनेक्शन दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने उड़ीसा राज्य नागरिक पूर्ति निगम लिमिटेड को रसोई गैस डीलर के रूप में नियुक्त किए जाने का भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से समय-समय पर एल.पी.जी. कनैक्शनों के आबंटन में वृद्धि के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। नए गैस कनेक्शनों का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता। नए एल.पी.जी. कनैक्शन, देश के स्तर पर नए ग्राहकों के कुल पंजीकरण, राज्य में वितरकों के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूचियों और उत्पाद उपलब्धता के आधार पर जारी किए जाते हैं। आवेदकों को यथासंभव संख्या में और यथाशीघ्र कनैक्शन जारी करने के प्रयास जारी हैं। निम्नतर संख्या में पंजीकरण और कनैक्शन जारी होने का मुख्य उत्पाद उपलब्धता की कठिनाई है। इस प्रयोजन के लिए मौजूदा उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके, नए संयंत्र लगाकर और आयातों के माध्यम से आपूर्ति को सुदृढ़ बनाकर एल.पी.जी. की अधिकाधिक उपलब्धता के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ख) और (ग). मौजूदा नीति के अनुसार, राज्य के स्वामित्व के कार्पोरेशन संबंधित राज्य के तेल चयन बोर्ड के माध्यम से एल.पी.जी. डिस्ट्रिब्यूटरशिपों के आंबटन के लिए ''मुक्त'' श्रेणी के अन्तर्गत तेल विपणन कंपनियों के विज्ञापन के प्रति आवेदन कर सकते हैं। उनकी उम्मीदवारी पर अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ गुण-दोष आधार पर संबंधित तेल चयन बोर्डों द्वारा विचार किया जाता है। तेल चयन बोर्ड शक्ति प्रदत्त निकाय हैं जिनमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं जो सुविख्यात व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/समाज के अन्य कमजोर वर्गों का होता है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के लिए एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के सीधे आबंटन पर विचार सरकार, केवल दूरदराज के स्थानों और निम्न संभाव्यता वाले आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में करती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त शिकायतें

7286. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ऐसी जगहों से जहां अर्द्धसैनिक बल तैनात थे, कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) राष्ट्रीय और मानवाधिकार आयोग/सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) अक्टूबर, 1993 में अपने गठन के बाद से लेकर 31.3.95 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अर्द्धसैनिक बलों के खिलाफ 20 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रमांक	शिकायतकर्ता का नाम	संलिप्त अर्द्ध सैनिक बल	की गई कार्रवाई
1.	प्रेस रिपोर्टों के आधार पर अपनी ओर से	सी.सु.बल.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और मामले को आयोग के समक्ष रखा जा रहा है।
2.	-वही-	-वही-	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से रिपोर्ट आनी है।
3.	-वही-	-वही-	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग ने मामले को बन्द करने का आदेश दिया।
4.	श्री जी. अहमद बट	-वही-	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट आयोग के समक्ष रखी जा रही है।
5.	श्री नूर मुहम्मद	-वही-	जम्मू एवं कश्मीर सरकार के गृह सचिव से रिपोर्ट आनी है।
6.	श्री जी. मोहिउद्दीन हजाम	-वही-	जम्मू एवं कश्मीर सरकार से रिपोर्ट आनी है।
7.	श्री मुहम्मद मकबूल वानी	-वही-	-वही-
8.	श्री मोहिनुद्दीन मलिक	-वही-	-वही-
9.	अध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर मेडिकल एम्पलॉयीज फेडरेशन यूनिट	वही-	-वही-
10.	श्री अब्दुल हमीद काजी	सी.सु.बल	जम्मू एवं कश्मीर सरकार से रिपोर्ट आनी है।
11.	बार एसोसिएशन, जे. एण्ड के. हाईकोर्ट	-वही-	-वही-
12.	सर्वदलीय सिख कार्रवाई समिति, जम्मू	के.रि.पु.	जम्मू एवं कश्मीर (सरकार) से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसे आयोग के समक्ष रखा जा रहा है।
13.	श्रीमती हरीमा कैसियां	-वही-	-वही-
14.	श्री अली मुहम्मद बट	सी.सु.बल	-वही-
15.	श्री गुलाम मुहम्मद दाव	-वही-	-वही-
16.	अध्यक्ष, अंजुमन इस्लामिक मदेवार	-वही-	जम्मू एवं कश्मीर सरकार से रिपोर्ट आनी है।
17.	ताप विद्युत स्टेशन-II कामगार, नेवैली लिग्नाइट कारपोरेशन	के.ओ.सु.बल	कोयला मन्त्रालय से रिपोर्ट आनी है।
18.	मणिपुर छात्र एसोसिएशन और श्री एन.सनेजओबा	सी.सु.बल	मणिपुर सरकार से रिपोर्ट आनी है।
19.	मुहम्मद राशि अली	सी.सु.बल	त्रिपुरा सरकार से रिपोर्ट आनी है।
20.	मुहम्मद मोहलाल हुसैन	-वही-	-वही-

रसाई गैस के सिलेण्डरों की अवैध रूप से बिक्री

7287. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े नगरों एवं शहरों में कुछ रसोई गैस वितरकों द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा अप्राधिकृत उपभोक्ताओं को काफी संख्या में घरेलू रसोई गैस के सिलेण्डरों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान चारों महानगरों में विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा घरेलू रसोई गैस के सिलेण्डरों की अवैध रूप से बेचे जाने के कम्पनी वार कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को घरेलू रसोई गैस के व्यापारिक उपभोग को रोकने को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर गैर नियमित जांच करने के संबंध में कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा वर्तमान रियायती मूल्यों पर गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति धीरे-धीरे समाप्त कर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) व्यावसायिक संस्थापनाओं समेत अनधिकृत ग्राहकों द्वारा घरेलू सिलिंडरों के प्रयोग के बारे में रिपोर्ट कभी कभार प्राप्त होती हैं।

(ख) सिलिंडरों की अनधिकृत बिक्री की पता चली संख्या निम्नानुसार है :-

कंपनी का नाम	1993-94	1994-95
	सिलेंडरों की संख्या	
आई.ओ.सी.	720	46
बी.पी.सी.	-	-
एच.पी.सी.	103	234

(ग) और (घ). घरेलू एल.पी.जी. सिलिंडरों के भंडारण का पता लगाने तथा इसे रोकने के लिए लगातार जांच किए जाते हैं। सिद्ध मामलों में विपणन अनुशासन दिशा निर्देश, जिसे हाल ही में और कठोर बना दिया गया है, के तहत तथा एल.पी.जी. नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तेल कंपनियां कभी कभार अनधिकृत प्रयोगकर्ताओं पर छापे मारती हैं तथा सिलिंडर आदि जब्त कर लेती है एवं एल.पी.जी. नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई शुरू करती हैं। गलती करने वाली डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ अर्थदंड लगाने, चेतावनी देने, स्थगित करने तथा यहां तक की समाप्त करने जैसे भी कार्रवाई की जाती हैं।

(ङ) से (छ). जैसे-जैसे समानांतर विपणनकर्ता गैर घरेलू ग्राहकों को एल.पी.जी. की आपूर्ति आरंभ करेंगे वैसे-वैसे सरकारी तेल कंपनियां घरेलू आपूर्तियों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।

अल्पसंख्यक मामले संबंधी मंत्रालय बनाए जाने की मांग

7288. श्री सी.पी. मुडन्ना गिरियप्पा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों से अल्पसंख्यक मामले संबंधी मंत्रालय बनाए जाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पत्र के अतिरिक्त जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्र में अलग से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना की जाए। ऐसे मंत्रालय के सृजन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में आयोग की सिफारिशों के निष्पादन के लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारित है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूँगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद दूसरे को बोलने की अनुमति दूंगा। श्री हरि केवल प्रसाद।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश किसान प्रधान देश है और यहां किसानों के ऊपर सीलिंग एक्ट लागू है। यहाँ जमींदार लोगों से जमीन लेकर भूमिहीनों में बांटने की यहां प्रथा है जिसे मैं उचित प्रथा मानता हूँ। जब भी कोई प्राकृतिक विपत्ति

आये, बाढ़ आये, सूखा पड़ जाये या आग लग जाये तो किसान पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मार पड़ती है लेकिन शहरों में ऐसी कोई हदबंदी लागू नहीं है। जितने हमारे यहां नगर पालिकायें, टाउन एरियाज, महानगरपालिकाएं हैं, वहां अभी जमींदारी नहीं टूटी हैं। उनमें पिछड़े वर्ग के जो गरीब आदमी रहते हैं आज उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। जब वे अपना मकान बनाने के लिये निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो उन्हें अपने जमींदार को शुक्राना देना पड़ता है, उसके बाद ही वे अपना मकान बना सकते हैं। इन लोगों की आज एक नारकीय जिन्दगी बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह देश में किसानों के लिये सीलिंग एक्ट लागू करके, भूमि सुधार के द्वारा, पात्र व्यक्तियों में भूमि वितरित करने की प्रक्रिया चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से देश के जितने बड़े धन्ना सेठ हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए शहरों में भी सीलिंग एक्ट लागू करना चाहिए ताकि यहां भी ऐसी व्यवस्था हो जिससे समता-मूलक समाज की उत्पत्ति हो सके। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि आज इतने दिनों की आजादी के बाद भी एक ऐसा खेमा शहरों में है जो गुलामी की जिंदगी व्यतीत करता है और पराधीन है तथा दूसरा ऐसा खेमा है जो शहरों में ऐशोआराम की जिंदगी जीता है। इन्हीं शब्दों के साथ में भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वह इस दोहरी प्रथा को समाप्त करने का काम करे।

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (कुड़प्पा) : महोदय, आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले में गोरनतला विधान सभा क्षेत्र में एक उप-चुनाव हो रहा है, इस गोरनतला क्षेत्र में पुट्टापार्थी की पवित्र भूमि भी आती है जहां के मदान संत साई बाबा हैं।

आप जानते होंगे कि साई बाबा धार्मिक संत होने के नाते मानवीय परियोजनाओं में करोड़ो रुपया खर्च कर रहे हैं जबकि उसी स्थान पर दुर्भाग्यवश कुछ लोग तेलुगूदेशम के छद्म में ऐसी कानून तथा व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं जो अकल्पनीय है और जिसके लिए इतिहास में कोई शब्द नहीं है।

महोदय, इस महीने की 23 तारीख से मतदान की पूर्व संध्या पर वहां अभूतपूर्व हिंसा की शुरूआत हुई। 23 तारीख को सभी चार मंडलों में, जिससे मिलकर यह विधानसभा क्षेत्र बनता है, तीन-चार जीपों में लदे हुए तेलुगूदेशम के युवा लोग ए.के.-47 दिखाते हुए निकले और वे कांग्रेसजनों को गालियां दे रहे थे कि यदि कोई कांग्रेसी किसी मतदान में या उसके आसपास घूमते हुए पाया जाता है तो उसे मार दिया जाएगा, वास्तव में एक मंत्री (व्यवधान)....*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में नाम नहीं जाएगा। .....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, चुनाव 27 तारीख को हो रहे हैं, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय आप मुझे इसके बाद बोलने की अनुमति दीजिए ? (व्यवधान) यह सही नहीं है। यह राजनैतिक कारणों से है. ...(व्यवधान) उनकी वहां पराजय होगी, इसलिए वे आरोप लगा रहे हैं....(व्यवधान)

[हिन्दी]

महोदय, ए.के. 47 लेकर ये लोग घूम रहे हैं, ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, हमें भी यह बताने के लिए बोलने दिया जाए कि उड़ीसा में क्या हो रहा है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूँगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों में बहुत सही और कानूनी निर्णय लेना बहुत कठिन है क्योंकि पहले भी ऐसे मामले उठाए गए थे और तब मैंने विरोध किया, और विरोध किया पर अंत में मानना पड़ा। अब यह असम्भव बन गया है। कृपया ऐसी बातें कहने में सीमा के अंदर रहें और उसे सही परिप्रेक्ष्य में पूछें ताकि यदि कुछ जांचने योग्य हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : महोदय, जब हम कुछ कह रहे हैं तो हमे बोलने की अनुमति दी जाए...(व्यवधान) कृपया हमें सुनिए। उनके पास हमें सुनने के लिए धैर्य होना चाहिए। तब उन्हें उत्तर देने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यही हम कर रहे हैं।

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : महोदय, 23 तारीख को जब यह पता चला कि कांग्रेस उम्मीदवार और एक पूर्व विधायक चुनाव प्रचार के लिए एक खास गांव गए हैं तो कोई एक हैसियत वाला व्यक्ति अपने आदमियों और शस्त्र लेकर मतदान केन्द्र पहुंचा और लोगों को धमकियां देने लगा। इससे कांग्रेस उम्मीदवार और विधायक को वहां से भागना पड़ा और वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कल जिला कांग्रेस कमेटी और महत्वपूर्ण लोगों की बैठक हुई। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि वे सुरक्षा देने को तैयार हैं। लेकिन जब कांग्रेसजनों ने पूछा कि क्या हमारे जीवन की रक्षा की जाएगी तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस तरह की स्थिति है।

मैं अनंतपुर जिले के इस विशेष क्षेत्र के बारे में बताऊँगा इसमें चार विधान सभा क्षेत्र आते हैं जिनके नाम है : गोरनतला, पेनुगुंडा, धर्मवरम और ताड़ी पत्री। यहाँ पिछले 3-4 महीने से डर व्याप्त है, यहाँ भूमिगत विस्फोट होने से जीप में यात्रा कर रहे 8 कांग्रेसजन मारे गए, तीन महत्वपूर्ण कांग्रेसजनों के मकानों को विस्फोट किया गया। इस क्षेत्र में वस्तुतः भय व्याप्त है। प्रेस भी ठीक से समाचार नहीं दे पा रहा है। अभी परसों जब कांग्रेसियों को तंग किया गया था, प्रेस में यही आया था कि कांग्रेस में पार्टी की आंतरिक कलहबाजी है। ....(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : सभी-राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने ऐसा कहा है....(व्यवधान)

श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : प्रेस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पूर्व विधायक श्री रविन्दर रेड्डी और वर्तमान कांग्रेस उम्मीदवार श्री रमन्ना रेड्डी आपस में लड़ गए थे जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हुई। ऐसी बात नहीं है। प्रेस को मजबूर किया जा रहा है कि वह गलत बात लिखे। महोदय, वहां प्रेस को स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं मिली हुई है।

महोदय, अभी तीन महीने पहले समाप्त हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में तेलुगूदेशम को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को अपना नामांकन दायर करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इससे चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से तेलुगूदेशम के लोग जीत गए। आप देख लीजिए कि किस तरह से लोकतंत्र चल रहा है।

महोदय, यह चुनाव नहीं है जो वहां 27 तारीख को होने जा रहा है। चुनाव से पूर्व वहां आंतक फैला दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह स्थिति वहां चलती रही तो वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। इसी कारण से कांग्रेस वहां चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं।

यदि केन्द्रीय सरकार हमें बचा सकती है तो हम महसूस करेंगे कि वहां न्याय है। केन्द्रीय सरकार केवल यह नहीं कह सकती है कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। उन्हें सही रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी चाहिए।

महोदय, गृह मंत्री महोदय यहां हैं, उन्हें उत्तर देना पड़ेगा..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए।
....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैं कह रहा हूँ।
....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह सच भी है तो सभा क्या कर सकती है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें इसी बात पर विचार करना है।
....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस मामाले में सांविधिक विशेषता क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग्य केवल बिहार के लिए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, अभी मैं कल पंजाब से आया हूँ। पंजाब में भी ठीक इस तरह की घटना हुई है। वहां लोग डरे हुए हैं ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

आप पहले के भाषण सुन लीजिए, आपको पता चल जायेगा कि उनका क्या रोल है।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में भी चर्चा हो रही है ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि तेलगुदेशम पार्टी और आंध्र प्रदेश में एन.टी. रामाराव के मंत्रिमंडल से एक जिम्मेदार मंत्री के विरुद्ध बेहूदे आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकतंत्र सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अशोभनीय घटना हुई है तो उसकी हम निन्दा करते हैं। श्री एन. टी. रामाराव और तेलुगूदेशम पार्टी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हैं, वह पहले व्यक्ति हैं ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।
....(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : ...(व्यवधान) इस घटना से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है ....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, हमारी पार्टी लोकतंत्री मूल्यों विशेषकर चुनाव प्रक्रियाओं के प्रति अधिक प्रतिबद्ध है। यदि वहां चुनाव का दुरुपयोग होता है या गड़बड़ी की जाती है तो यह कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है जो वह आंध्र प्रदेश में अनेक वर्षों से विशेषकर इन दिनों कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री आर. अम्बाराजु (मद्रास मध्य) : इसे कार्यवाही वृतांत से निकालना होगा। उन्होंने कहा है कि चुनाव का दुरुपयोग कांग्रेस की संस्कृति है जो हम आंध्र प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। कृपया संक्षेप में बोलिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप संक्षेप में नहीं बोल रहे हैं।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, दो दिन पहले एक पूर्व विधायक के सुरक्षाकर्मी ने तेलुगूदेशम के एक कार्यकर्ता पर गोली चलाई थी जिसमें वह मारा गया था। यह कांग्रेस पार्टी कर रही है। यह रिकॉर्ड में है। यह समाचार पत्रों में आया है ....(**व्यवधान**)।

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : यह पूरी तरह से गलत है।

[हिंदी]

श्री तेज नारायण सिंह (चक्सर) : जनता से आकर देखें कि जनता इनको पूछती है या नहीं ....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, अनंतपुर में आंतकवाद केवल कांग्रेस द्वारा लाया गया है। वहां कभी भी चुनाव का दुरुपयोग नहीं हुआ। तेलुगुदेशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में आंतकवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच कराने के आदेश दिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कोई भी हो दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। श्री एन. टी. रामाराव राज्य में लोकतंत्री मूल्यों के प्रति वचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष जी, आन्ध्र प्रदेश में अभी बाइ इलैक्शंस हो रहे हैं, जैसा माननीय सदस्य श्री राय चौधरी जी ने बताया था। वहां विशेषकर अनन्तपुर जिल में बहुत सेंसिटिव एटमोस्फियर बना हुआ है। अनन्तपुर जिला रायलसीमा में आता है। रायलसीमा के बारे में पहले सैशन में भी यहां चर्चा हुई थी। रायलसीमा जिले में बहुत सी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। उसका राजनीतीकरण करके उससे फायदा उठाने के लिए दो पार्टियों ने कोशिश की है। पहले कांग्रेस ने की और आज तेलगूदेशम् भी वही कर रही है। कारण यह है कि पहले जो लोग कांग्रेस में थे, अब वही सब तेलगूदेशम में आ गये हैं, वह तेलगूदेशम के एम.एल.ए. भी बन चुके हैं।...(**व्यवधान**) अगर जनता दल वाले नहीं जानते हैं, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए।

आज वहां भय का वातावरण है। आप जानते हैं कि वहां हिंसा की घटनाऐं हुई और उनमें एक पार्टी के लोग मारे गये। यहां कोई भी हिंसा पैदा करता है तो वह कांग्रेस का आदमी ही हो सकता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज की स्थिति में जो बाइ इलैक्शन हुए और लोकल बोडीज के इलैक्शंस भी हुए, उनमें भी 18-20 लोग मर गये। लोकल बोडी के इलैक्शन में भी इस तरह लोग मर गये। वहां जो लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है, वह सिचुएसन भी ठीक नहीं है। वहां जहां-जहां हत्यायें हुई हैं, उसकी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी कराने की मांग की गई थी। उसमें तेलगूदेशम के मुख्य मंत्री श्री एन.टी. रामाराव ने ज्यूडीशियल इन्क्वायरी कराने की घोषणा की। वहां आज की स्थिति में बहुत ही अनफोर्चुनेट बात यह है कि इसके पहले जो क्रिमिनल रिकार्ड के लोग थे, वह पूर्व सरकार में मंत्री थी। आज के मंत्रिमंडल में भी 3-4 क्रिमनल रिकार्ड के लोगो को मंत्रिमण्डल में लिया गया है। इसके कारण रायलसीमा में बहुत से लोगों ने प्रावेट आर्मी बनाकर वहां पर बहुत से ग्रुप बनाये हैं, वहां शान्ति व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। वहां ठीक से इलैक्शन कराने के लिए इलैक्शन कमीशन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और वहां पर सर्वाधिक वोटिंग हो, इसलिए वहां इलैक्शन कमीशन को, विशेषकर सैण्ट्रल फोर्स भेजकर वहां पर शान्तिपूर्वक इलैक्शन कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ....(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं 19 से 21 तारीख तक आन्ध्र प्रदेश में था और मैं कल....(**व्यवधान**) हाँ, आपके साथ में ही आये थे....(**व्यवधान**) यह अनपार्लियामेंटरी है ?....(**व्यवधान**) यह कहना कि मैं 19 तारीख से 21 तारीख तक आन्ध्र प्रदेश में था, अनपार्लियामेंटरी है ?....(**व्यवधान**)

श्री येल्लैया नंदी (सिदीपेट) : हकीकत क्या है, आप देखकर बोलिये। ....(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : मैंने तो इतना ही कहा कि मैं 19

से 21 तारीख तक आन्ध्र प्रदेश में था, इसमें क्या अनपार्लियामेंटरी था कि हल्ला करने लगे ?

अध्यक्ष मडोदय : थे या नहीं, इसके ऊपर वह कह रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। इलैक्शन कमीशन को वहां निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, वह करने के बावजूद भी वहां कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष मडोदय : हम यहाँ पर सभा में पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला परिषद् की चर्चा कैसे करें ?

....(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे राज्यों में ...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : श्री राम विलास पासवान आंध्र प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं ? वह तो केवल हैदराबाद जाकर वापस लौटें होंगे।

अध्यक्ष मडोदय : कृपया इन बातों पर राज्य विधान मंडलों में चर्चा कीजिए।

....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष मडोदय : इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

....(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री हरपाल पंवार (कैराना) : अध्यक्ष जी, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है। क्या यह जमानत का सर्टिफिकेट देने का अधिकार हाउस की तरफ से दिया गया है ? मैं जानना चाहता हूँ कि यह अधिकार इनको क्या ? ... (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : विभिन्न राज्यों में इलैक्शंस हो रहे हैं और इलैक्शन हर पार्टी शासित राज्यों में हो रहे हैं।...(**व्यवधान**)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : आप बोलते इधर हैं और देखते पत्रकारों को हैं।

अध्यक्ष मडोदय : ठीक है।

....(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : विभिन्न राज्यों में इलैक्शंस हो रहे हैं; कांग्रेस शासित राज्य में भी हो रहे हैं, जनता दल के शासन के राज्यों में भी हो रहे हैं।

हर पार्टी की कहीं न कहीं सरकार हैं और वहां चुनाव हो रहे हैं। मैं कल ही पंजाब से आया हूँ। मैंने देखा कि गिद्दड़बाहा में ऑपोजिशन की तरफ से एक ही कैंडिडेट है। पूरा का पूरा पंजाब का प्रशासन वहां पर लगा हुआ है और पंजाब के मंत्री गिद्दड़बाहा में जाकर बैठ गये हैं...(**व्यवधान**) मैं आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में नहीं बोल रहा हूँ। आप क्यों हल्ला कर रहे हैं ? पंजाब के लोगों को इस बात की आंशका है कि वहां पुलिस के बल पर वोट डाले जायेंगे। वहां अभी से लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है। उड़ीसा में भी वही कहानी चल रही है...(**व्यवधान**) यदि 10 बाई-इलैक्शन भी इलैक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से नहीं करा सकता है तो इलैक्शन कमीशन क्या करा सकता है ? इसलिये मैं मांग करना चाहता हूँ कि चाहे आन्ध्र प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे उड़ीसा का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, वहां चुनाव निष्पक्ष तरीके से...(**व्यवधान**) बिहार के बारे में भी मैंने कहा है....(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : राजस्थान में चुनाव निष्पक्ष तरीके से चल रहे हैं।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष मडोदय : इस पर चर्चा नहीं होगी।

....(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान : बिहार में भी चार बाई-इलैक्शन हो रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी पार्टी के लोगों ने बिहार के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि बिहार में कोई धांधली हो रही है। यह धांधली कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रही है। पंजाब और उड़ीसा में भयंकर धांधली होने की सम्भावना है। इसलिये मैं इलैक्शन कमीशन से मांग करता हूँ कि वह पंजाब और उड़ीसा में निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था कराये...(**व्यवधान**) प्रधानमंत्री नन्दयाल सीट से साढ़े पांच लाख वोटों से जीत कर आये थे। क्या वहां निष्पक्ष चुनाव हुए थे ?...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : यह बात आपत्तिजनक है। वह प्रधान मंत्री के चुनाव की बात कर रहे हैं। यह बातें कार्यवाही वृत्तांत में नहीं आनी चाहिए।

[**हिन्दी**]

जो जी में आये वही बोलना शुरू कर देंगे...(**व्यवधान**) जो कहा

वही सच है, बाकी सब गलत है....(व्यवधान) अगर इस तरीके से बोलोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस तरह के मामलों पर चर्चा नहीं हो सकती। यदि सदस्य अपनी समझ से इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो यह सभा आपकी अपनी है, इसका जैसा उपयोग करना चाहे कीजिए पर एक के बाद एक आइए।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने कहा था। कृपया बैठ जाइए। जब मैं आपका नाम बोलूंगा तब आप अपनी बात कहना।

....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यदि यह चुनाव के मामलों तक सीमित है तो आप लाइन कैसे खींच सकते हैं? यदि चुनाव के नाम पर हर विषय पर बोला जाता है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। कृपया इसके लिए सीमा बांधिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। पर आप मेरा दर्द नहीं जान सकते, मैं बेबस हूँ। यह सभा आपकी है आप इसका अपने तरीके से उपयोग कर सकते हैं।

....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब क्या होगा ...(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, यह एक संवेदनशील मामला है और यह राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। जो नहीं किया जाना चाहिए यह इस सम्मानीय सभा की जिम्मेदारी है कि वह लोकतंत्र और देश की एकता को बरकरार रखे...(व्यवधान) गोरनतला से आने वाली रिपोर्ट बड़ी चिन्ताजनक है, वहां कानून तथा व्यवस्था तंत्र नहीं रहा है। वहां आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता। यह वहां के लोगों का दर्द है। आतंकवादी प्रैस वाले लोगों के घरों में जबरन उन्हें मार डालने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सभा का एक सर्वदल प्रतिनिधिमंडल वहां जाये तो यह अच्छा रहेगा। वहां चुनाव होने में दो दिन शेष रह गए हैं। सर्वदल प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर तत्स्थानिक अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे ताकि दोषियों को दंड दिया जा सके। तब हम देश में प्रजातंत्र की रक्षा कर सकेंगे। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है ....(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, सभी राजनीतिक दलों ने आदर्श आचरण संहिता का पालन करना स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग जहां कहीं भी चुनाव होते हैं वहीं आदर्श आचरण संहिता लागू करता है। चाहे यह आम चुनाव हों या उपचुनाव।

श्री ए.चार्ल्स : आपकी पार्टी भी इसमें शामिल है। आरोप आप पर भी है ....(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : श्री चार्ल्स, मैं इस पर आ रहा हूँ। यदि कोई आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करता है तो लोग चुनाव आयोग के पास जायेंगे। आंध्र प्रदेश में भी यदि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव लड़ने वाली पार्टियाँ चुनाव आयोग के पास जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात आपसे जानकर बहुत खुश हुआ हूँ।

...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मुद्दा यह है कि 27 मई को ही उड़ीसा में भी उप चुनाव हो रहे हैं जहां उड़ीसा के मुख्य मंत्री बेगुनिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हैं। पन्द्रह संसद सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाकर यह शिकायत की कि मुख्य मंत्री ने उस निर्वाचन क्षेत्र में 400 गाड़िया काम में लगायी हैं और कोई भी उसे देख सकता है। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक, मैं आपको बोलने की अनुमति दूँगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री श्रीकान्त जेना : वहां राज्य के विभिन्न भागों से हजारों लोगों को मतदान केंद्रो पर गड़बड़ी करने के लिए भेजा गया है। हम उड़ीसा में चुनाव अधिकारियों और यहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भी गए। धन और सामग्री का खुलेआम रात्रि को वितरण हो रहा है, यदि श्री संतोष मोहन देव जी जो वहां पर्यवेक्षक के रूप में गये हैं यदि वहां जाते हैं तो वह देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई सवाल नहीं है। यदि वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो संतोष दा, आपके मुख्य मंत्री वहां 20,000 मतों से हारेंगे।

इसलिए, मैं मांग करता हूँ कि चुनाव आयोग को वहां उसी तरह चुनाव कराए जाने की अनुमति देने चाहिए जैसा कि बिहार में कराया गया था। उसी प्रकार के दृष्टिकोण का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पालन किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पहले ही घोषित कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में हिंसा की स्थिति में वहां न्यायिक जांच कराई जाएगी।

परन्तु उड़ीसा में मुख्य मंत्री को इस उप-चुनाव में आदर्श आचरण संहिता का पालन करना चाहिए...(व्यवधान) इसलिए मैं मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री को आदर्श आचरण संहिता को क्रियान्वित करना चाहिए

*और उड़ीसा में इस निर्वाचन क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसे देखना चाहिए। ....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री मृत्युन्जय नायक (कूजंगी) : अध्यक्ष महोदय यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि श्री जेना ने आज सभा में बेगुनिया में उप चुनाव का मामला उठाया है। कल तक वह चुप थे और उन्होंने मामला सभा में नहीं उठाया था जो भी श्री जेना ने कहा वह वहां घटित नहीं हुआ है।

श्री श्रीकांत जेना : मैं समझता हूँ कि तुमने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है, यदि आप चाहते हैं तो प्रेस कटिंग दिखा सकता हूँ।

श्री मृत्युंजय नायक : मुझे बोलने दीजिए। महोदय, मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि पिछले विधान सभा चुनाव में जब जनता दल सत्ता में आया था तब उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया था और काफी बड़ी मात्रा में धन खर्च किया था। मतगणना के समय जाली मत पत्र भी मत पेटी में पाए गए थे।

श्री श्रीकान्त जेना : आपने यहां इस निर्वाचन क्षेत्र में कितना धन खर्च किया है।

श्री मृत्युंजय नायक : आपको मुझे सुनना पड़ेगा।

महोदय, मेरा वक्तव्य गलत पाया जता है तो मैं इस सभा से त्यागपत्र दूँगा। वह यह बताएं कि क्या पिछले विधान सभा के चुनावों में जाली मत पत्रों का प्रयोग हुआ था या नहीं। ऐसा श्री बीजू पटनायक के शासन में हुआ। मुझे विश्वास है कि बेगुनिया में अब ऐसा नहीं हुआ। ... (व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय परिणाम घोषित होने से 48 घंटे पहले मुख्यमंत्री जी ने मुझे टेलीफोन करके कहा था कि "कांग्रेस पार्टी को केवल 8 सीटें मिल रही हैं। उसने कहा था कि वह जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी केवल 8 सीटें मिल रही हैं। यह उनका आरोप है। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को उद्धृत कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : तभी आपने कोटा बढ़ा दिया है।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने आपके संसदीय क्षेत्र में आपके लोगों को हरा दिया है। आप यहां हीरो हैं पर वहाँ जीरो हैं, मैं जानता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 7 *विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में से हमने 3 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल* की है। एक निर्वाचन क्षेत्र में हम केवल 50 वोट से हारे हैं और दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में हम केवल 200 वोटों के मार्जिन से हारे। संतोष मोहन देव जी मैंने आपके मुख्यमंत्री को 2 लाख वोटों के मार्जिन से हराया और मैंने आपके मुख्यमंत्री की पत्नी को दो लाख वोटों से हराया तथा इस बार भी मैं आपके मुख्यमंत्री को 2 लाख और वोटों से हराऊँगा।

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, अब आप बैठ जाएं।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने आपके मुख्यमंत्री को दो बार हराया था।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या हम इन वक्तव्यों का मतलब समझते हैं जो हम सभा में दे रहे हैं और यदि सभी ओर से आरोप लगाए जाते हैं और इससे यदि किसी को नुकसान होता है तो वह लोकतंत्री व्यवस्था है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं अध्यक्ष पीठ को उत्तर दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जोर नहीं दे रहा हूँ कि आप वक्तव्य दें। यदि आप वक्तव्य देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : महोदय, यहां लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को भी अप्रिय स्थिति में मत लाओ। उन्हें तथ्य जानने चाहिए। आप उन्हें तथ्य लाने को कहें।

...(व्यवधान)

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : मंत्री जी से कुछ उत्तर आना चाहिए ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको पहले समझने दीजिए। उन्हें तथ्य दीजिए। कृपया उन्हें भी अप्रिय स्थिति में मत डालिए।

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.39 म.प.

(इस समय, श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जानकारी एकत्रित करने दीजिए।

... (व्यवधान)

12.40 म.प.

(इस समय श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा 2.30 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.40½ म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

2.37 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.37 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

2.37½ म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : मैं श्री एस. वी. चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी विशेष आदेश, जिसके द्वारा राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की तीसरी अनुसूची की "विद्युत" और "सुधार" संबंधी मदों के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान अतिरिक्त व्यय करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7690/95]

भारतीय बेतार, तार (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर का प्रमाण पत्र, विश्व समुद्रीय संकट और सुरक्षा प्रणाली के संचालन में दक्षता और अनुज्ञप्ति) नियम, 1994

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री सुखराम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय बेतार, तार (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर का प्रमाण पत्र, विश्व समुद्रीय संकट और सुरक्षा प्रणाली के संचालन में दक्षता और अनुज्ञप्ति) नियम, 1994, जो 28 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 42 में प्रकाशित हुए थे तथा इसका एक शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) जो 1 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 163 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7691/95]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 2 की उपधारा (47) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ. 22(11)/यू.डी./94/12758, जो 2 दिसम्बर, 1994 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 24 अक्टूबर, 1994 को अधिसूचना संख्या एफ. 22(11)/यू.डी./94/11422 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7692/95]

2.38 म.प.

राज्य सभा के संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (सं. 2) विधेयक, 1995 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मई, 1995 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था। वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

[अनुवाद]

2.38½ म.प.

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

नौंवा प्रतिवेदन

श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्म चौधरी (कोकराझर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

2.38¼ म.प.

याचिका समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

डा० रमेश चन्द्र तोमर (डापुड़) : मैं याचिका समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ. ..(व्यवधान)

2.39 म.प.

(इस समय श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

2.40 म.प.

(इस समय श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब धैर्यवान लोग हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बहस पिछले दो घंटे से सुन रहा हूँ। यह मामला सभा के सभी तरफ के सदस्यों ने उठाया। मैंने भा.ज.पा. के माननीय सदस्य को सुना। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में सब ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश का उल्लेख किया है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी शिकायतें की हैं। यदि सभा इस पर इतनी उत्तेजित है तो राज्य से हम इस विषय पर रिपोर्ट मंगा सकते हैं कि क्या किया गया है और ऐसा क्यों किया गया है। रिपोर्ट मंगाने पर कोई नुकसान नहीं है। हम यह पूछ सकते हैं कि ऐसे क्या मामले हैं जिसके कारण सदस्यों ने शिकायतें की है और जिन पर वे इतने उत्तेजित हैं हम इसके बारे में तथ्य मंगा सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (कुड़प्पा) : महोदय, यह क्या प्रश्न है* ... आंध्र प्रदेश में मंत्रालय... के मंत्री ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह इस घटना से संबंधित तथ्य मंगाए...(व्यवधान)। गोरनतला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव इन परिस्थितियों में शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं हो सकता। क्या वहां भय की मानसिकता बनी हुई है या नहीं इन तीन पहलुओं पर राज्य से रिपोर्ट प्राप्त की जाए...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिस्टर का मामला है, उसकी बिना जांच किए* कहा है, इसलिए इसको रिकार्ड से निकाल दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश की सरकार में मंत्री* शब्द कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्यों ...(व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : हाँ, इसमें क्या आतंकवाद चल रहा है ?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ इसे देखेगी यदि कोई अनावश्यक, अकारण और असंसदीय शब्द होंगे तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : राज्य में कानून तथा व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है। राज्य द्वारा स्वयं उचित जांच की जाएगी। ऐसा आरोप लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। कि आंध्र प्रदेश की सरकार में* **...(व्यवधान)** इसलिये मैं चाहता हूँ कि इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन सभी बातों को देखूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको दुख पहुंचे।

अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामले लेंगे।

2.43 म.प.

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में और अधिक रसोई गैस वितरण केन्द्र खोलने की आवश्यकता

श्री भवानीलाल वर्मा (जांजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षे. जांजगीर, जिला बिलासपुर, म.प. जहां की जनसंख्या लगभग 20 लाख की है तथा अनेक औद्योगिक नगर कोरबा, चांपा, नैला, जांजगीर आदि स्थित हैं, वहां रसोई गैस एजेंसी का सर्वथा अभाव है। नगर कोरबा जिसकी जनसंख्या लगभग 2 लाख है, मात्र एक एजेंसी कार्यरत है। वहां जनसंख्या की दृष्टि से कोरबा में और एजेंसी खोलने की जरूरत है, वहीं जांजगीर नगर की जनसंख्या 30 हजार से अधिक है और नगर चांपा की जनसंख्या 35 हजार के साथ औद्योगिक नगर है, एक-एक गैस एजेंसी खोली जा सकती है। इन नगरों में गैस एजेंसी खोलने के मापदंड पूरे होते हैं। लोगों की लगातार मांग आ रही है तथा म.प्र. शासन ने भी उक्त नगरों में एजेंसी खोलने का प्रस्ताव भी दिया है।

अतएव केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तत्काल नगर कोरबा, जांजगीर, नैला और चांपा में गैस एजेंसी खोलने की स्वीकृति दें।

[अनुवाद]

(दो) पश्चिम रेलवे के भुसावल-सूरत खंडेवज्ञान पर पावसे रेलवे स्टेशन के समीप एक चौकीदार युक्त रेलवे फाटक का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री बापू हरि चौधरी (धुले) : उपाध्यक्ष महोदय, बरास्ता बेरवाड़ एम.डी.आर. संख्या 28 (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़) जो महाराष्ट्र में धुले और जलगांव जिले से होते हुए जाती है, से नरदाना और अमालनेर को जोड़ने के लए पश्चिम रेलवे के भुसावल-सूरत सैक्शन पर पावसे रेलवे स्टेशन के निकट रेल लाईन पर एक गेट बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

इस गेट के न होने के कारण वाहनों को रेल पुल संख्या 294 के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है जो बहुत तंग है, और मात्र 10 फीट चौड़ा है। इसलिए बारिश के मौसम में वहां घंटों यातायात अवरुद्ध रहता है क्योंकि इसके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। वाहनों को इस पुल के नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे लाइन के साइड में लगभग आधा कि.मी. पक्की सड़क नहीं बनाई है।

जब तक गेट का निर्माण नहीं होता है, दोनों तरफ से रेलवे लाइन आने वाली सड़कों को जोड़ना संभव नहीं है।

मेरा इसलिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही पावसे रेलवे स्टेशन के निकट एक रेल फाटक का निर्माण किया जाए।

[हिन्दी]

(तीन) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से पानी छोड़ने के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने की आवश्यकता

श्री वीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोद, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक था जो कि 3.00 क्यूसेक कर दिया गया है। इससे इस क्षेत्र की पैदावार में काफी कमी आएगी।

वाटर अलाउंस कम करने का आधार सेम वाटर लौगिंग माना गया है। परियोजना क्षेत्र में किसी भी ब्रांच या माइनर का संपूर्ण क्षेत्र सेमग्रस्त नहीं हैं।

ब्रांच या माइनर का बहुत कम हिस्सा सेम प्रभावित है। क्षेत्र का वाटर अलाऊंस कम करना पैदावार की दृष्टि से न्यायोचित नहीं होगा।

खरीफ में प्रभावित क्षेत्र में पिछले तीन-चार वर्षों से धान की फसल ली जा रही है तथा अच्छी पैदावार हो रही है। अगर सेम क्षेत्र में वाटर अलाउंस कम कर दिया जाएगा तो धान की खेती कर पाना संभव

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

नहीं होगा। खेत पडत रह जाएंगे। पडत खेत में सेम क्षेत्र में ऐरा नाम का शीघ्र पनपने वाला खरपतवार पैदा हो जाएगा तथा जमीन ऊसर हो जाएगी। ऐसे खेतों को बाद में सुधार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम प्रभावित क्षेत्र में आधुनिक उपकरण लगाकर या नाल (ड्रेन सिस्टम) बनाकर या किसी अन्य विकल्प द्वारा ही इस समस्या का निराकरण किया जाए।

सेम का बहाना बना कर प्रथम स्टेज का पानी कम करके द्वितीय स्टेज में दिया जा रहा है जो इस क्षेत्र के कृषकों के साथ न्यायोचित नहीं होगा। प्रथम स्टेज की भूमि दोमट है। तथा सेकेण्ड स्टेज की भूमि अधिकतर रेतीली है। अतः यहां की भूमि अच्छी पैदावार वाली होने के कारण भी वाटर अलाउंस कम करना न्यायोचित नहीं होगा। अगर वाटर अलाउंस कम किया जाता है तो इस क्षेत्र के किसान अपने हक के लिए जन आन्दोलन कर सकते हैं।

अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में यथास्थिति रखते हुए वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक ही रखा जाए।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा में नवरंगपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूँ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 43 रायपुर से आंध्र प्रदेश तक नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरता है। उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट और मल्कागिरी जिलों को सड़क परिवहन ही आसानी से उपलब्ध है। क्योंकि इसके विजयनगरम की निकटम रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए बहुत कम समय लगता है। सड़क तंग है परन्तु धीरे-धीरे पहाड़ियों तक यह चौड़ी की जा रही है। पूर्वी घाट तथा सालूर के बीच सड़क नीची है। बारिश के मौसम में सड़क पर बाढ़ का पानी जमा रहता है और इससे सड़क खराब होती रहती है। जिसके कारण इस सड़क से गुजरने वाले वाहनों को कठिनाई का समाना करना पड़ता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि पहाड़ियों से सालूर कस्बे तक सड़क को चौड़ा करने और इसे ऊंचा उठाने के लिए तत्काल पर्याप्त धनराशि दी जाए जिससे उस सड़क से गाड़ियां कम समय में गुजर सकें और बारिश के दौरान सड़क को क्षति न पहुंचे।

(पांच) सम्पूर्ण देश में अहिल्याबाई की 200वीं वर्षगांठ मनाने और उनकी स्मृति में एक राष्ट्रीय पुरस्कार आरम्भ करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय , देवी अहिल्याबाई होलकर देश की गौरवशाली विरासत है। आज से 200 वर्ष पूर्व अत्यन्त कुशलतापूर्वक शासन करते हुए सम्पूर्ण देश में उन्होंने अपने शासन, प्रशासन की धाक कायम की। देश की अखंडता, प्रभुसत्ता और सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण रखते हुए कई मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया। जगह-जगह नदियां पर घाट बनवाये, धर्मशालाएं बनवाई। यह कार्य हिन्दुस्तान के चारों कोनों के तीर्थों पर करते हुए एक व्यवस्था के साथ कार्य सम्पन्न किया। एक कुशल राजनीतिक, निपुण प्रशासक के साथ प्राणीमात्र की चिन्ता करते हुए मछलियों से लेकर पक्षियों तक के भोजन तथा जीवन का ध्यान रखते हुए व्यवस्था रखने वाली वह श्रेष्ठ पर्यावरणवादी भी थी। ऐसी श्रेष्ठ महिला की मृत्यु श्रावण वद् चतुर्दशी 1975 को हुई। इस वर्ष उनकी 200वीं पुण्य तिथि है। अतः रानी से लोकमाता बनी उस प्रातः स्मरणी महिला को पूरा हिन्दुस्तान याद करे, इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी 200वीं पुण्य तिथि मनायी जाए जिसके लिए केन्द्र सरकार एक राष्ट्रीय समिति का गठन करे और राष्ट्रीय स्तर पर अहिल्या के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करे जो राष्ट्र की ऐसी सर्वश्रेष्ठ महिला को दिया जाए जिसने राजनीति, प्रशासन, मानव सेवा, धर्म रक्षण -- इन चार विधाओं में से, जो अहिल्याबाई के जीवन की सर्वश्रेष्ठ विधायें थीं, किसी भी विधा में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो। इसी प्रकार से अहिल्याबाई के नाम से डाक-टिकट, तथा दूरदर्शन पर एक सीरियल भी प्रदर्शित किया जाए।

[अनुवाद]

(छह) राजस्थान सरकार को अनुसूचित जातियों के विकास के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को बहाल करने और अनुसूचित जाति प्रधान गांवों में पेयजल आदि उपलब्ध कराने के लिए इस सहायता राशि का उपयोग करने की अनुमति की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को अनुसूचित जाति के विकास के लिए प्रति वर्ष 18 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा दिया जाता था, परन्तु इस वर्ष इस रकम को केवल 8 करोड़ रुपये कर दिया गया है और इसमें से अभी दो करोड़ रुपये की राशि ही दी गई है। शेष करोड़ की राशि की जा रही है, परन्तु इस राशि को व्यय करने पर शर्त लगा दी है कि इस राशि को अनुसूचित जातियों के गांवों में पेयजल, विद्युत और सड़कों के विकास पर खर्च नहीं किया जाएगा, जबकि इन जातियों

के गांवों का विकास करने पर अन्य राज्यों पर जोर दिया जा रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कृपया राजस्थान सरकार पर लगाई गई पाबंदी हटाई जाए और राज्य को पूरी राशि 18 करोड़ रुपये पूर्व की भांति दी जाए। बल्कि इस वर्ष इस राशि को कम से कम 25 करोड़ रुपये किया जाए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहले नियम 377 के अधीन उठाए गए विषयों का सरकार की तरफ से एक या दो सप्ताह में उत्तर अवश्य दिया जाता था, परन्तु अब यह प्रथा समाप्त हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि नियम 377 के अधीन उठाए गए विषयों का उत्तर पूर्व की भांति ही माननीय सदस्यों को दिया जाना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी नियम 377 के अन्तर्गत इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया है और अगर उसका उत्तर भी नहीं मिले, तो फिर हमारे सांसद रहने का क्या फायदा है? यहां पर राजेश पायलट जी, गृह मंत्री बैठे हुए हैं और ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हुए हैं, यदि वे भी मौन रहे, कोई उत्तर न दें तो हमारे यहां इस विषय को उठाने का क्या फायदा है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल जी, सरकार इसका उत्तर देगी।

(सात) बिहार के मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डे का विकास करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। वहां छोटी-बड़ी बहुत सी नदियाँ बहती हैं। वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। पर उत्तरी बिहार बाढ़ और सुखाड़ से परेशान रहता है। वहां फूल, फल, साग और सब्जी आदि की काफी उपज है। यदि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को विकसित कर उत्तर बिहार के फल, फूल, साग तथा सब्जियों को हवाई जहाज द्वारा अरब के मुल्कों में मुजफ्फरपुर से सीधा भेजने का केन्द्र सरकार प्रबन्ध करे तो उत्तरी बिहार की गरीबी, बेरोजगारी आसानी से घट सकती है। क्षेत्रीय विषमता भी दूर हो सकती है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मुजफ्फरपुर के हवाई अड्डे का विकास कर वहाँ से साग-सब्जियों तथा फल-फूल का निर्यात सीधे अरब देशों में करने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत एक अन्य मामला भी है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : प्रो० रावत के सुझाव को जो भी हुआ, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। श्री राजेश पायलट ने आश्वासन दिया था कि सरकार नियम 377 में दिए गए सुझाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। आपने भी कहा कि ऐसा किया जाएगा परन्तु क्या यह कार्यवाही वृतांत में आया है ...**(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने अपने साथी से पता किया है कि ग्रामीण विकास विभाग संबंधी मामले का क्या किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम नियम 377 के अंतगर्त उठाए गए सभी मामलों का उत्तर दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रकरण यहां नियम 377 के अधीन उठाए जाते हैं, उनके उत्तर हमें नहीं मिलते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : मैंने पाया कि वक्तव्य के पीछे की भावना वास्तविक है, मैंने अपने साथी से इसकी जांच की है। मैंने उनसे पूछा कि "क्या ऐसा हो रहा है?" उन्होंने कहा, "नहीं हम नियम 377 के अन्तर्गत सभी मामलों का उत्तर दे रहे हैं", मैं उनसे इसकी बात कर रहा था ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह हमें आश्वासन दे रहे हैं वह आश्वासन दे रहे हैं

...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं संबंधित मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री से इसकी जांच कराऊंगा। मेरे साथी यहां हैं। ऐसे मामलों का उत्तर माननीय सदस्यों को दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों को जाकर बता सकें, कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमें एक साल से तो इस प्रकार के प्रकरणों के उत्तर आए नहीं हैं ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे एक

रिक्वेस्ट है कि आपकी चेयर से ऐसी रूलिंग होनी चाहिए जिससे ऐसे मामलों पर हमें उत्तर मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार स्वयं आपके अनुरोध का आदर करती है। इसलिए मेरे निवेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम कापसे : मैं वस्तुतः उपाध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय श्री राजेश पायलट का धन्यवाद करता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि यहां संसदीय कार्य मंत्री भी मौजूद हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस आश्वासन का सभी मंत्री अनुसरण करेंगे और यह लोगों के लिए बहुत सहायक होगा।

(आठ) अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले छह-सात महीने में अखबारी कागज की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि से अखबार उद्योग के सामने संकट खड़ा हो गया है। आज के बदलते राजनैतिक माहौल में अखबारों की भूमिका पहले से ज्यादा बढ़ गयी है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण नये-नये अखबारों का प्रकाशन शुरू होना तो दूर, पुराने अखबार भी एक-एक कर बंद हो रहे हैं। सबसे बुरा हाल भारतीय भाषाओं के अखबारों का है। यह देश के लोकतंत्र के लिये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ अखबारी कागज ही नहीं बल्कि दूसरी किस्मों के कागज भी महंगे हो रहे हैं, जिसमें किताबें, कापियां महंगी हो रही हैं। इनके कारण पढ़ाई भी मंहगी होती जा रही हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अखबारी कागजों की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाई जाये।

2.56 म.पू.

व्यापार चिन्ह विधेयक

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :*

"कि व्यापार चिन्हों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने, माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण करने और कपटपूर्ण चिन्हों के प्रयोग का निवारण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

व्यापार चिन्ह विधेयक 1993 का उद्देश्य व्यापार तथा पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 में संशोधन करना है। इसकी आवश्यकता भारत और विदेशों में व्यापार एवम् वाणिज्यिक प्रथाओं के कारण हुई। इस बात की भी आवश्यकता है कि व्यापार चिन्ह प्रबन्ध प्रणाली को सरल बनाया जाए तथा उसमें सामंजस्य स्थापित किया जाए और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को प्रभावी बनाने के अलावा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और पूंजी निवेश के साधनों को बढ़ावा दिया जाए। विधेयक में जिन महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। वे हैं - सेवाओं के लिए व्यापार चिन्ह का पंजीकरण, सामूहिक चिन्हों की व्यवस्था और अपीलों के त्वरित निपटान के लिए अपीलीय बोर्डों की स्थापना। इस विधेयक को जिसे अप्रैल, 1993 में लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय समिति को सौंपा गया था। समिति ने विधेयक पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जिसमें कतिपय धाराओं में संशोधन करने का सुझाव दिया गया। मैं विधेयक में इन संशोधनों को करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस विधेयक को विचारार्थ लेने के लिए इस सम्मानीय सभा की अनुमति चाहती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि व्यापार चिन्हों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने, माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण करने और कपटपूर्ण चिन्हों के प्रयोग का निवारण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है। और प्रत्येक राजनीतिक दल को आंवटित समय इस प्रकार है।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे नोट करें ताकि हमें उस परेशानी का सामना न करना पड़े जो हमें कल हुई थी।

कांग्रेस - 1 घंटा 27 मिनट

भा.ज.पा. - 37 मिनट

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : केवल 37 मिनट।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसमें 'केवल' शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।

3.00 म.प.

सी.पी.आई. (एम) 11 मिनट, जनता दल 7 मिनट, सी.पी.आई. 4 मिनट, समता पार्टी 4 मिनट, आल इंडिया अन्ना डी.एम.के. 4 मिनट, जनता दल (अ) 3 मिनट, तेलुगु देशम 2 मिनट, जे.एम.एम. 2 मिनट, सभी अन्य पार्टियों को इकट्ठा मिलाकर 6 मिनट। वाद-विवाद का आरम्भ और मंत्रीजी का उत्तर इन सभी बातों को इन 3 घंटों में शामिल किया गया है इसको अलग-अलग नहीं किया जा सकता है।

माननीय सदस्य राजनैतिक दलों के मान्यताप्राप्त सचेतकों द्वारा हस्ताक्षरित पर्चियां भेज सकते हैं। क्या मैं श्री भगवान शंकर रावत से अनुरोध करूं कि वह वाद-विवाद का आरम्भ करें ?

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, ट्रेड मार्क बिल का जन्म अंडे के रूप में 1993 में हुआ लेकिन अब यह पूरा जीवन पाने के लिए लोक सभा में विचारण के लिए प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद भी मुझे इस बात की तकलीफ है कि जिस समय यह बिल लाया गया था, उस समय देश और व्यापार की परिस्थितियां और भारत सरकार की जो नीति थी, उसमें और आज बड़ा अन्तर आ गया है। मुझे लगता है कि यह बिल अच्छा बिल होते हुए भी शायद सरकार की उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा जिन आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार करना चाहती है। उसी का यह दुष्परिणाम दिख रहा है कि सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा सजग नहीं है। वह यह भी नहीं चाहती कि सारे मामले को अपटू डेट किया जाए। इसलिए मंत्री जी ने बड़ी लम्बी संख्या में आज अमैंडमैंट्स प्रस्तुत किए हैं जबकि ये अमैंडमैंट्स, जिस समय बिल पेश किया गया था, उस समय आ सकते थे, उसके बीच में आ सकते थे। स्टैंडिंग कमेटी ने विचार किया, ज्वांइट पार्लियामेंट्री कमेटी ने विचार किया, उस समय भी ये व्यवस्थाएं बन सकती थी। मैं सरकार द्वारा इतने महत्वपूर्ण विषय के प्रति उपेक्षा अपनाई जाने वाली नीति की आलोचना करना चाहता हूँ, अपना असन्तोष प्रकट करता हूँ।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने संसदीय समिति की संस्तुतियों में से एक संस्तुति ली। संविधान का आर्टिकल 226 है जिसमें हाई कोर्ट में रिट जूरिस्डिक्शन है। सरकार का कहना था कि वह रिट जुरिस्डिक्शन है इसलिए किसी और नए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसदीय समिति का मत था कि उसे लायर्स पैराडाइज मत बनाइए और ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे मुकदमेबाजी लम्बी न चले, खर्चीली और टाइम कन्ज्यूमिंग न हो। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि उसकी समझ में आ गया। उर्दू में कहावत है - देर आयद दुरूस्त आयद, यदि अकल देर से भी आ जाए तो भी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक काम कर लिया। सरकार ने इसे माना, उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। ...**(व्यवधान)** मुझे एक तकलीफ है कि जो ज्वांइट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, वह दोनों सदनों की मिलाकर बनी थी, उसमें प्रपोर्शनल रिप्रैजैनटेशन भी था। उसने करीब 18-19 मीटिंग की, बड़ी भारी एक्सरसाइज की, वह बम्बई तक दौड़ी गई, उन्होंने वहां पर बहुत लोगों को ऐवीडैंस लिए। उसमें जो सुझाव दिए गए, वे सुझाव स्वीकार नहीं किए गए।

मैं धारा 19 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। धारा 19 में परिवर्तन की बात सुझाई गई थी। धारा 19 के सैक्शन 8 और 9 में अमैंडमैंट सुझाया गया था और 19 (ए) के इनसर्शन की बात कही गई थी और यह कहा गया था कि जो सैन्सस की बता हो रही है, उन कारीगरों, उन लोगों, जो साहित्यकार हैं, व्यवसायी हैं, हुनरदार हैं, के हितों का समर्थन किया जाना आवश्यक है।

लेकिन उनके हितों के संरक्षण के लिए जो किया जाना चाहिए था, जो सुझाव कमेटी ने दिये थे, उन सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि जब संसद् की जोइण्ट पार्लियामेंटरी कमेटी बनती है और कोई विमति नहीं होती है तो फिर सरकार को उसे सम्मान के साथ, ड्यू वेटेज, पूर्ण वजन देकर, पूर्ण गम्भीरता के साथ ग्रहण करना चाहिए। इसमें समस्या इस बात की है कि बड़े लोगों के हितों का संरक्षण तो हो गया, लेकिन जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए समिति ने जो सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया, वह मेरी पीड़ा है और उस पीड़ा को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

कापीराइट सोसाइटी द्वारा मालिकों के अधिकारों को लागू करना, उसको भी इनकारपोरेट नहीं किया गया। कापीराइट सोसाइटी रायाल्टियों पर लगाए गए शुल्क का विवरण दायर करेगी उसमें भी वह नहीं किया गया। कापीराइट सोसाइटी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान इस प्रोविजन को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। अनेक संस्तुतियां की गई हैं। जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, मूल प्रतियों में शेयर अधिकार की पुनः बिक्री नई धारा 53 (क) में अन्तःस्थापन

[हिन्दी]

वह भी शामिल नहीं किया गया तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि काश, जोइण्ट पार्लियामेंटरी कमेटी की रिकमेण्डेशंस को गम्भीरता से एग्जामिन कर लिया गया होता तो यह विधेयक एक अच्छा विधेयक बन सकता था। इस विधेयक को लाने की आवश्यकता भी इसलिए पड़ी कि जो पुराना विधेयक था, वह पुराना हो चुका था, वह आज की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा था और इसीलिए इसमें डर है कि यह हस्तान्तरणीय अधिकार का मामला है। सैक्शन 38-क में ट्रांसफरेबल राइटस में कहीं ऐसा नहीं हो, जो आज

तक होता चला आ रहा है कि अध्यापक, प्रोफेसर बुद्धिजीवी, पुस्तकें लिखता है और पब्लिशर उसके सारे राइट्स चन्द चांदी के टुकड़े देकर उसकी मजबूरियों में खरीद लेता है और फिर वह सारी रायल्टी जिंदगी भर खाता कमाता है। उस हुनरदार व्यक्ति को, जो बुद्धि के माध्यम से कोई साहित्यिक, वैज्ञानिक शोध करता है या कोई कृति बनाता है या संगीत की कोई कृति बनाता है, उस कृति के मामले में पर उसकी गरीबी आड़े नहीं आनी चाहिए और इसलिए वह विवश नहीं होना चाहिए कि चन्द पैसों में पैसों के सौदागर उसकी कृति लेकर दौलत कमायें और हुनरदार व्यक्ति, जिसके हुनर के कारण वह चीज बने, वह फिर भी पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो। इसमें संरक्षण की आवश्यकता थी, लेकिन वह संरक्षण इस बिल में ठीक प्रकार से प्रोवाइड नहीं किया गया, जब कि समिति की यह संस्तुति थी कि इसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मैं जानता हूँ चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वकील हो, चाहे वह आर्टीजन हो, चाहे वह साहित्यकार हो, चाहे फिल्मी गीतकार हो, चाहे वह नाट्य कलाकार हो, वादक हो, हमने बम्बई में सब की एवीडेंस ली थी और उन्होंने कहा था कि पैसे के आधार पर सिनेमा की दुनिया में भी हमको ऐसी मजबूरी में खरीद लिया जाता है कि हम अपने हुनर का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं।

दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, वह यह है कि उन्होंने जहां तक इसकी व्यवस्था करने की कोशिश की है, वह ठीक है और व्यवस्था होनी भी चाहिए, लेकिन उन व्यवस्थाओं के साथ-साथ जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, वह दो हैं। एक-हमने पंजीकरण की बात कही है कि जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन ट्रेड मार्क्स को, अगर वह पंजीकृत नहीं है तो उनकी मान्यता समाप्त हो गई। अगर बीस वर्षों से, 40 वर्षों से एक चलन चला आ रहा है, देश जानता है, समाज जानता है कि यह ट्रेड मार्क फलां का है और चल रहा है और अगर नीयत में खलल आ गया है तो उस ट्रेड मार्क को अगर मैं अपने नाम से रजिस्टर करा लेता हूँ तो इस एक्ट में कोई रोकटोक नहीं है। हिन्दुस्तान जैसे गरीब लोगों के देश में, बेपढ़े-लिखे लोगों के देश में यह समस्या आनी है कि जहां पर आज भी ऐसी अनेक आयुर्वेद की औषधियां हैं, जड़ी-बूटियां तक हैं, नीम तक की बात कहीं जाती है, जिनका पंजीकरण तो नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से दवाऐं खूब बनती हैं, लेकिन दवाऐं जब बनती हैं, उसके बाद कोई ट्रेड मार्क किसी का नहीं बन पाता। अब ऐसे लोगों के लिए, जो ट्रेडीशनल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन चीजों को संरक्षण देने का कोई प्रावधान इस अधिनियम में नहीं है, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। स्टेंडिंग कमेटी में यह चर्चा आई है, मैंने प्रोसीडिंग्स को देखा है, लेकिन यह चीज शासन की निगाह से कहीं ओझल रह गई है कि ऐसे लोगों को जो ट्रेडीशनल आइटम्स बनाते हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो ग्लोबलाइजेशन का मामला है, जहां तक माननीय मंत्री महोदय ने विधेयक के उद्देश्य बताये हैं, वह उद्देश्य बड़े पवित्र हैं, उद्देश्य बड़े सटीक हैं, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आफ ट्रेड की बात हम सुनते हैं तो मन घबरा जाता है। घबराता इसलिए है कि मेरे पास आंकड़े हैं कि यह विदेशी कम्पनियां इस देश के अन्दर आकर यहां भी अपने ट्रेड मार्क का रजिस्ट्रेशन करा लेंगी और वह हमारी चीज का ही पंजीकरण करा लेंगी और हम अपने ही देश में परदेशी बन जायेंगे। मैं उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर एक रिबोक कम्पनी आ गई है और उसका फीनिक्स नामक जूतों की कम्पनी से एक समझौता हुआ है। अब फीनिक्स तो गायब हो गई और रिबोक रह गई। अब रिबोक के जूते वह बेचेगी। कहां वह स्वयं जूते बनाती है, एक बहुत बड़ी कम्पनी है,

मैं बाटा की बात करना चाहूंगा, जब मैं छोटा था और हम पूंजीपतियों की बात कहा करते थे तो बाटा को इस देश के उद्योग का सम्राट कहते थे। तब बिड़ला, बाटा और टाटा, यह तीन ही रईस समझे जाते थे, लेकिन आज बाटा का ग्लोबलाइजेशन आफ ट्रेड में पैक्ट हुआ, काण्ट्रेक्ट हुआ एडीडास से तो बाटा भी केवल उनके जूते बेचने वाला बनकर रह गया। इसलिए मैं इस बात का आग्रह कर रहा हूँ कि ब्राण्ड नाम के मामले में जो पंजीकरण का मामला है, इस पंजीकरण के मामले में देशी उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को दोनों कमेटी की रिकमेण्डेशंस में प्रतिपादित किया गया है, लेकिन शासन ने उस आवश्यकता की अनुभूति नहीं की, उसकी व्यवस्था नहीं की है।

मुझे इस बात की जानकारी है कि अभी जापान की सुजूकी कम्पनी ने, जो मारुति के साथ उनका तालमेल चल रहा है, वह नया प्रोडक्ट जो हिन्दुस्तान में बनाने वाली है, वह सुजूकी के नाम से बनाने वाली है, मारुति का नाम उसमें से हटने वाला है। जब मारुति का नाम हट जायेगा तो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हमारा नामोनिशान मिट जायेगा और हम केवल इनते काम के लिए रह जायेंगे कि सस्ती लेबर उनको उपलब्ध करा दें, जो एक काण्ट्रैक्टर का काम है कि बड़े मालिक के लिए मजदूर लाकर जुटा दो, 'व्यवस्थाऐं' जुटा दो। वह तो हम जुटाते रहेंगे लेकिन हम उनके भागीदार नहीं बन पायेंगे। भागीदारिता तब होगी, जब सुजूकी के साथ मारुति का नाम जुड़ा होगा। विदेश में जो हिन्दुस्तान की बनी हुई सुजूकी जायेगी तो उसमें हिन्दुस्तानी कम्पनी का भी अगर नाम होगा, तब तो इस देश का नाम चलेगा। हमको अनुभूति होगी कि हम चाहें छोटे हों, लेकिन हम पार्टनर हैं। लेकिन ट्रेड मार्क एक्ट में यह व्यवस्था है कि विदेशी कम्पनियां यहां पर पंजीकरण करायेंगी, उसमें इस तरह का कोई संरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, जिसमें इस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जा सके। मैं कहना चाहूंगा कि इसी भांति मजदूरों की आपूर्ति और अन्य सेवा कार्य करने का काम केवल उनके जिम्मे रहेगा, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है।

इसके साथ ही सैक्शन 33 में एक प्रावधान बनाया गया है कि पांच साल तक आपत्ति न करने से पूर्व पंजीकृत व्यक्ति अपने ट्रेड

मार्क को बाद में कराये गये ट्रेड मार्क पर आपत्ति न करने पर निषिद्धता रहेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्टेज पर वह पकड़ा जाता है, वह व्यक्ति नाजानकारी के कारण, उसको इन्फोर्मेशन न मिल पाने के कारण पांच साल के बाद वह चोरी पकड़ में आती है तो उसका कोई टाइम बार नहीं होना चाहिए, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, यह मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा।

ट्रांसफरेबल राइट्स के बारे में जैसा मैंने शुरू में जोर देकर कहा, उसके संरक्षण की व्यवस्था सरकार करे और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब इतने एमेण्डमेंट्स आप लाये हैं जो उन बुद्धिजीवी व्यवसायियों और आर्टीजंस को, जिन सर्विसेज की बात आप कर रहे हैं और बुद्धिजीवियों की बात आप कर रहे हैं, कला की बात कर रहे हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए कुछ कड़ी व्यवस्था बनाइये।

जो कमेटी की रिकमंडेशन में दिया हुआ है। इसके साथ ही मुझे जो आशंका है, अगर वह ईश्वर की कृपा से और आपके प्रयासों से निर्मूल हो जाये तो अच्छी बात होगी। स्टैंडिंग कमेटी की दो रिकमंडेशन्स को अगर माननीय मंत्री महोदया सम्मिलित कर लेती तो अच्छी बात होती।

समिति के आठवें प्रतिवेदन में कहा गया है कि ट्रेड मार्क में अपमानजनक और अश्लील सामग्री नहीं होनी चाहिये। आपके बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे जनता की किसी श्रेणी या वर्ग में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। स्टैंडिंग कमेटी के इन दो सुझावों को शासन ने स्वीकार किया होता तो एक अच्छी बात होती। कमेटी की रिकमंडेशन्स में यह भी कहा गया कि :

> ''समिति के कुछ सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि समनुदेशन के प्रतिफल पर एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिये और अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों को समनुदेशन के लिये आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये। सदस्यों का यह भी मत था कि रजिस्ट्रार की स्वीकृति के बजाय समनुदेशन प्रमाण पत्र, समनुदेशन की वैधता के लिये दिये जाने चाहिये।''

लेकिन यह व्यवस्था नहीं की गई है। नीड टू इनक्रेज इनवैस्टमेंट फ्लो ऐंड ट्रांसफर आफ टैक्नॉलोजी के लिये कड़ी व्यवस्थायें करनी होंगी जिससे भारत की प्रतिभा नष्ट न हो, कुंठित न हो। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं और पढ़े-लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार हैं। उन बेरोजगारों को रोजगार मिलता रहे, प्रतिभा कुंठित न हो, प्रतिभा का पलायन न हो, विदेशी कम्पनियां यहां आकर हावी न हों क्योंकि सर्विस सैक्टर में हम इन्हें शामिल कर रहे हैं, इसलिये आवश्यक है कि इस तरफ हम ध्यान दें।

इसके साथ ही ग्लोबल ट्रेडिंग की भी बात हो रही है। इसमें भी जिस प्रकार का आक्रमण मल्टी नैशनल का हो रहा है, उससे भारत की औद्योगिक गतिविधियाँ और व्यापार कुंठित न हो जाये, नष्ट न हो जाये, उसके लिये यह बहुत आवश्यक है कि इस तरफ ध्यान दिया जाये। इसके बारे में चारों तरफ से चिन्तायें व्यक्त की गई हैं।

जिस समय यह बिल कमेटी के समक्ष था, उस समय गैट पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। अगर गैट समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते और वह समिति के सदस्यों के समक्ष होता तो हो सकता था बिल के बारे में और संशोधन और सुझाव आते। इसलिये बाद में उत्पन्न परिस्थितियों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर यह व्यवस्था नहीं की गई, ध्यान नहीं रखा गया, सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो बहुत नुकसान हो जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैंने जिन बिन्दुओं पर चिन्ता प्रकट की है और आपत्ति की है, उनको माननीय मंत्री महोदया अपना उत्तर देते समय ध्यान में रखें, ऐसा मेरा आग्रह है जिससे देश का व्यापार और उद्योग कायम रहे और देश के हितों को कोई खतरा न पहुंचे।

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकन्दपुरम) : महोदय मैं व्यापार चिन्ह विधेयक का समर्थन करती हूँ क्योंकि इसका उद्देश्य व्यापार चिन्ह से संबंधित कानून को समेकित करना, पंजीकरण करना, माल तथा सेवाओं के लिए व्यापार चिन्हों का बेहतर संरक्षण और कपटपूर्ण चिन्हों में वृद्धि को रोकना है जैसा कि सभा में माननीय मंत्री ने बताया है। यद्यपि 13 नवम्बर को भाग्यशाली अंक नहीं माना जाता है, कापर चिन्ह विधेयक के 13 अध्याय इस विशेष विधेयक से संबंधित सभी संभावित मामलों के बारे में हैं। सभी संशोधन राष्ट्र की भलाई के लिए हैं, जैसा कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 20 (1) की उपधारा (2) में कहा गया है।

> ''पूर्वोल्लिखित शक्ति की सामान्यधर्मिता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, कोई नाम जो पहले से पंजीकृत विद्यमान किसी कंपनी के नाम के समान है या लगभग उससे मिलता-जुलता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे उप धारा (i) के अर्थ के अन्दर अवांछनीय समझा जाए।''

और उक्त उप धारा के संशोधन में दिया गया है:

> ''पूर्वोल्लिखित शक्ति की सामान्यधर्मिता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, कोई नाम जो समान है अथवा लगभग मिलता-जुलता है, (i) उस नाम से जिससे कोई विद्यमान कम्पनी पहले से पंजीकृत है अथवा (ii) उस पंजीकृत व्यापार चिन्ह से जो पंजीकरण के लिए आवेदन का विषय है अथवा व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति से जो उप-धारा (1) के अर्थ के अन्दर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवांछनीय समझा जाए।''

इसका तात्पर्य यह है कि ''कोई पंजीकृत चुनाव चिन्ह जो व्यापर चिन्ह अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र का विषय है'' कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) की उपधारा (2) में जोड़ा जाए, धारा 22 में उपधारा (1) के लिए दूसरा संशोधन लीजिए जिसमें कहा गया है :

''यदि किसी गलती से या अन्यथा कोई कंपनी अपने पहले पंजीकरण के नाम से या नए पंजीकरण के नाम से ऐसे नाम से पंजीकृत होती है जो केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसे नाम के समान है अथवा लगभग मिलती जुलती है जिस नाम से कोई कंपनी पहले से पंजीकृत कंपनी के नाम से अस्तित्व में है चाहे इस अधनियम अथवा दिल्ली कपंनी के कानून के अंतर्गत हो -''

महोदय, इसको इस प्रकार से संशोधित किया जा रहा है :

''यदि गलती से या अन्यथा कोई कंपनी अपने पहले पंजीकरण से, अथवा एक नए नाम से पंजीकरण से एक ऐसे नाम से पंजीकृत होती है - (i) जो केन्द्रीय सरकार की राय में उस के समान है अथवा उसमें बहुत मिलती-जुलती है जिस नाम से कोई कंपनी पहले से पंजीकृत नाम से अस्तित्व में है चाहे इस अधिनियम के अन्तर्गत हो या किसी पिछली कंपनी विधि के तो पहली उल्लिखित कंपनी अथवा (ii) किसी व्यापार चिन्ह के पंजीकृत मालिक के द्वारा दिए गए आवदेन पत्र पर केन्द्रीय सरकार की राय में व्यापार चिन्ह अधिनियम 1993 के अंतर्गत ऐसे मालिक के पंजीकृत व्यापार चिन्ह के समान है अथवा बहुत मिलता जुलता है, ऐसी कंपनी''

परन्तु किसी व्यापार चिन्ह के पंजीकृत मालिक द्वारा खंड (ii) के अन्तर्गत दिए गये किसी भी आवेदन पत्र पर कंपनी के नाम से पंजीकरण के 5 वर्ष बाद ध्यान में आने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसका तात्पर्य यह है कि इस संशोधन में भी एक भाग वास्तव में जोड़ा गया है जो यह प्रमाणित करता है :

''व्यापार चिन्ह के किसी पंजीकृत मालिक के आवेदन पर यदि केन्द्रीय सरकार के विचार में यह व्यापार चिन्ह अधिनियम 1993 के अन्तर्गत पंजीकृत चुनाव चिन्ह के समान है या उससे बहुत मिलता-जुलता है तो ऐसी कंपनी - परन्तु किसी व्यापार चिन्ह के पंजीकृत मालिक द्वारा खंड (ii) के अन्तर्गत दिए गए किसी भी आवेदन पत्र पर कंपनी के नाम से पंजीकरण के 5 वर्ष बाद ध्यान में आने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।''

महोदय, मेरी राय में ये दो संशोधन - मैंने उदाहरण के तौर पर लिए हैं - जिनके कंपनी के नए लोगों को सहायता मिलेगी और हमारा लक्ष्य हासिल होगा।

इसलिए मैं मंत्रालय को पुराने अधिनियम में इन संशोधनों को करके नया विधयेक पुरःस्थापित करने के लिए बधाई देती हूँ।

प्रति वर्ष अतिरिक्त 10,000 प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं और आवेदनकर्त्ताओं की सुविधा के लिए व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यदि नए आवेदनकर्ताओं की संख्या देखें और वर्तमान विभाग का कार्यभर देखें तो उसके आगे 12.3 लाख रुपये का आवर्ती व्यय और 2 लाख रुपये का अनावर्ती व्यय कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य को देखते हुए कि व्यापार चिन्ह अपीलीय बोर्ड हताश आवेदकों द्वारा जो यह समझते हैं कि उनका उचित अनुरोध रजिस्ट्रार ने किसी न किसी आधार पर अस्वीकार कर दिया है की गई अपीलों को देख सकता है। बोर्ड के गठन में 15.5 लाख रुपये और 4 लाख रुपये का क्रमशः आवर्ती व्यय और अनावर्ती व्यय पर विचार किया जाना चाहिए।

अतः मेरा निष्कर्ष है कि यदि हम भारत सरकार द्वारा खर्च की जा रही अल्प राशि से भारतीय नागरिकों को मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखें तो यह पाएंगे कि इस विधेयक के साथ लगाने वाला वित्तीय ज्ञापन उचित है।

महोदय मैंने व्यापार चिन्ह विधेयक का खंड 1-160 को पढ़ा है। इनमें परिवर्तन उन लोगों की भलाई के लिए किए गए हैं जो नए व्यापार चिन्ह चाहते हैं, यह बात नोट की जानी चाहिए कि व्यापार चिन्ह किसी विशेष उत्पाद की प्रतिष्ठा बताता है। इसलिए किसी उत्पाद की आशाओं को पूरा करने के लिए बेहतर होगा यदि इस बारे में नया विधेयक लाया जाए बजाए इसमें संशोधन किए जाएं या परिवर्तन किए जाए। वर्तमान कानून 30 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है। हमें व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीयकरण को भी ध्यान में रखना है। जहां तक मैं इस नए विधेयक को समझी हूँ, जब इसके अन्तर्गत किसी चुनाव चिन्ह के पंजीकरण के खंडों को लाया जाता है तो यह विशिष्ट बन जाता है। यह किसी तरह से भ्रांति पैदा नही करता है। यह किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुचाता।

इस विधेयक में अब 'सेवाएं' भी शामिल की गई हैं जो कि वर्तमान कानूनों में शामिल नहीं थी। 'सेवाओं' से तात्पर्य अनेक क्षेत्रों से है जैसे विज्ञापन और व्यापार, बीमा और वित्त, निर्माण और मरम्मत, परिवहन और भंडारण, शिक्षा और मनोरंजन आदि। मेरा विचार है कि इन परिवर्तनों का सभी स्वागत करेंगे।

इस विधेयक में अनेक प्रभावी प्रावधान हैं। सुप्रसिद्ध व्यापार चिन्हों की नकल करने से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पार्ट 'ए' और पार्ट 'बी' में चुनाव चिन्ह के रजिस्टरों को रखने की 'टू टियर' व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। मैं समझती हूँ कि इससे व्यापार चिन्ह पहचानने में काफी मदद मिलेगी जो बाजार में तथा कानून की नजर में विशिष्ट हैं।

अपीलों के त्वरित निपटान के लिए अपीलीय बोर्ड और रजिस्ट्रार, जिसके पास केन्द्रीय सरकार के स्थान पर पंजीकरण का अन्तिम प्राधिकार है, व्यापार चिन्ह से संबंधित प्रक्रिया को अधिक सरल बनाएंगे। तथापि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की तरह व्यापार चिन्हों के संबंधित अपराधों के लिए कम-से-कम तीन वर्ष का दंड देने का प्रावधान भी है।

माल और सेवाओं के वर्गीकरण के वर्णक्रम सूचकांक के प्रकाशन के प्रावधान, जो नया है, से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं था यद्यपि रजिस्ट्रेशनों की आसानी के लिए यह बहुत आवश्यक है।

वे खंड जो जीवित व्यक्ति अथवा हाल ही में मरे व्यक्तियों के नाम और प्रतिनिधित्व के प्रयोग से सम्बन्ध रखते हैं अथवा जिसमें स्वीकृति के बाद अथवा स्वीकृति से पूर्व आवेदन करने का प्रावधान हैं जिससे जनता को किसी चिन्ह के पंजीकरण का विरोध करने का अवसर मिले; अथवा जिसमें स्वीकृति से पूर्व अथवा बाद के आवेदन पत्रों के संबंध में किसी गलती को ठीक करने का प्रावधान है, वर्तमान अधिनियम के या तो समान हैं अथवा लगभग उसके अनुरूप है। उसमें इन सब बातों का विरोध करने का प्रावधान नहीं है बल्कि हमें उनकी प्रशंसा करनी होगी।

इस विधेयक में पंजीकरण की अवधि सात वर्ष से दस वर्ष बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उस पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जैसा किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। मैं इन प्रस्तावों का खुलासा नहीं कर रही है। संक्षेप में मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश खंड पर्याप्त परिवर्तन के साथ मौजूदा अधिनियम के अनुरूप ही हैं। इसलिए मैं व्यापार चिन्ह विधेयक का पूरा समर्थन करती हूँ और आशा करती हूँ कि इसे सर्वसम्मति से सदन में पारित किया जाएगा।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सर्वप्रथम संसद में 1993 में पुरःस्थापित हुआ था। बाद में, यह विधेयक संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने इसका गहन अध्ययन किया और विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए तर्कों को सुना और तदुपरान्त सर्वसम्मत से सिफारिशें की। इसलिए मैं संबंधित मंत्री महोदय से सिफारिश करता हूँ कि वे स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर प्रस्तावित विधेयक को त्रुटिहीन बनाएं।

महोदय, व्यापार चिन्ह आमतौर पर माल और सेवाओं के संबंध में प्रयोग किया जाने वाला दृष्टिगोचर चिन्ह है। व्यापार चिन्ह का प्राथमिक प्रयोजन माल अथवा सेवाओं के वाणिज्यिक अथवा व्यापार मूल की पहचान करना है। इसलिए व्यापार चिन्ह एक विशेष उत्पाद की पहचान दूसरे उत्पाद से अलग करता है। व्यापार चिन्ह ग्राहक को आश्वस्त करता है कि वह गुणवत्ता की वस्तु खरीद रहा है। इसलिए कोई व्यापार चिन्ह एक विशेष उत्पाद की ख्याति और नाम को दर्शाता है। यह किसी के लिए व्यापार चिन्ह पंजीकृत करना सांविधिक है न कि अनिवार्य। यदि व्यापार चिन्ह किसी के द्वारा पंजीकृत होता है तो उस दशा में उसके पास उस विशेष उत्पाद की सुरक्षा के लिए निहित अधिकार हैं।

किसी चुनाव चिन्ह के लिए पंजीकरण कराने हेतु उक्त चुनाव चिन्ह को निम्न मापदंड पूरे करने होते हैं। (क) यह विशिष्ट होना चाहिए, अर्थात यह दूसरे चिन्हों से पृथक किया जा सकता हो (ख) इससे कोई भ्रांति या धोखा नहीं होना चाहिए (ग) इससे किसी अपकीर्ति अथवा अश्लील का संदर्भ न आता हो (घ) व्यापार चिन्ह से भारत में रहने वाले किसी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए।

व्यापार चिन्ह का पंजीकरण व्यापार चिन्ह के धारक को कोई नया अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस प्रस्तावित विधेयक को व्यापार तथा पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 के स्थान पर लाना है। यह अधिनियम 37 वर्षों से अस्तित्व में है। इस बीच देश ने 'गैट' समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आए हैं, अनेक मामलों में न्यायालयों ने अपने निर्णय दिए हैं इसीलिए इसे नवीनतम बनाने के लिए इस नए विधेयक का प्रस्ताव किया गया है। कुछ मामलों में व्यापार का बढ़ता हुआ अन्तर्राष्ट्रीयकरण होने से वर्तमान विधेयक में कुछ कमियां भी पाई गई हैं जैसा कि गैर टैरिफ अवरोधों के मामले में हुआ था। इसलिए सरकार ने इस विधेयक को लाना आवश्यक समझा।

यह वर्तमान विधयेक अधिक व्यापक और पारदर्शी है। क्योंकि इसमें न केवल माल को अपितु सेवाओं को भी शामिल किया गया है और ऐसे व्यापार चिन्ह के पंजीकरण को, जो पुराने और सुविख्यात व्यापार चिन्ह की नकल हैं, अनुमति नहीं दी गई है। पंजीकरण अस्वीकार करने के आधार को बढ़ाया गया है, दो रजिस्टर रखने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब तक दो रजिस्टर रखे जाते थे परन्तु विधेयक में केवल एक रजिस्टर रखने का प्रस्ताव है, विधेयक में पंजीकृत मालिक के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में अपीलों के त्वरित निपटान के लिए एक अपीलीय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव हैं जो इस समय न्यायालयों में ले जाये जाते हैं। काम का बहुत अधिक भार होने से इनका त्वरित समाधान नहीं हो जाता है। इसलिए अपीलीय बोर्ड का यह प्रावधान स्वागत योग्य है।

व्यापार चिन्ह के पंजीकरण अथवा प्रमाणीकरण से संबंधित अंतिम प्राधिकार रजिस्ट्रार होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार। विधेयक में नकली माल की बिक्री रोकने के लिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के समान व्यापार चिन्ह से संबंधित अपराधों के लिए दंड बढाने का प्रस्ताव है। व्यापार चिन्ह के दुरुपयोग के लिए दंड तीन वर्ष का होगा। जबकि यह अब तक केवल दो वर्ष है। यह एक संज्ञेय अपराध होगा। विधेयक में किसी अन्य का चुनाव चिन्ह, जैसे कि नियमित कंपनी अथवा व्यापारिक कंपनी का नाम से प्रयोग कर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

यह सच है कि कुछ लोग इस विधयेक की आलोचना करते हैं, महोदय, हमने 'गैट' समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसी आशंकाए व्यक्त की गई हैं कि प्रस्तावित विधयेक का लाभ उठाकर बहुराष्ट्रीय कंपनिया भारती बाजार पर छा जायेंगी और हमारी स्वदेशी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः समिति चरण पर यह तर्क दिया गया है कि व्यापार चिन्ह इस समय विदेशी कपंनियों को नहीं दिया जाना चाहिए और इस संबंध में अधिक चर्चा होनी चाहिए और इसमें और विलम्ब किया जाना चाहिए। ऐसे तर्क दिए गए थे कि 'गैट' संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हमें कुछ समय और इंतजार करना चाहिए था क्योंकि भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में भी शीघ्र पुनरीक्षा की जानी है।

महोदय मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं जिसके कारण लोग व्यापार में अनुचित आचरण कर सकते हैं, इनमें कुछ खिलाड़ियों को एकाधिकार भी मिल सकता है। यह जनहित के प्रतिकूल है। इसलिए इस विधेयक में उपर्युक्त खण्ड जोड़कर इन कमियों को दूर किया जाये ताकि व्यापार में अनुचित आचरण को रोका जा सके।

इस विधेयक में चिन्ह की जो परिभाषा दी गई है उसमें तरीका सामानों के आकार तथा पैकेज आदि को भी शामिल किया गया जिनका अन्य वस्तुओं की भांति क्रियात्मक मूल्य नहीं है, यदि किसी क्रियात्मक वस्तु के प्रयोग का एकाधिकार दिया जाता है तो इससे अवरोधक व्यापार व्यवहार होगा, उस मामले में अन्य को क्रियात्मक सुविधा के उपयोग से वंचित किया जा सकता है। इसलिए किसी भी वस्तु को जिसका क्रियात्मक प्रयोग हो, व्यापार चिन्ह के रूप में पंजीकरण नहीं किया जान चाहिए बल्कि उनसे अलग से पेटेन्ट कानून से निबटा जा सकता है अन्यथा इन क्रियात्मक मदों के प्रयोग को ठीक ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए अथवा इस तरीके से बनाया जाये जिससे उसमें निहित तंत्र की व्यवस्था हो सके।

इस विधेयक में उन लोगों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यापार चिन्ह से रूप में पंजीकृत एक ही प्रकार का तरीका, पैकेजिंग और आकार का प्रयोग करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी व्यापार चिन्ह के रूप में पंजीकृत किए गए हैं।

इस विधेयक से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष तरीके, आकार अथवा पैकेंजिंग के क्रियात्मक प्रयोग का एकमात्र एकाधिकार दिया जाए जो संयोग से किसी विशेष तरीके, अथवा पैकेंजिंग का पंजीकरण करा लेता है। क्योंकि व्यापार चिन्ह का आशय क्रियात्मक उपयोग के लिए नहीं है, विधेयक में ऐसी बातों को रोकने के लिए उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए।

विधेयक में सिरीज पंजीकरण और प्रयोग में न करने के लिए पंजीकरण रद्द करने हेतु दो खंडों में प्रावधान किया गया है। लेकिन विधेयक में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित नहीं किया गया है कि जब एक साथ सिरीज में चिन्हों का पंजीकरण किया जाता है और उनमें से किसी का प्रयोग बंद हो जाता है तो उसका क्या होगा। पंजीकरण आंशिक रूप से रद्द करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यदि पंजीकृत सिरीज में कुछ नामों का लम्बे समय तक प्रयोग न करने के बावजूद पंजीकरण जारी रखने दिया जाता है तो बड़े रेंज के सिरीज में पंजीकरण कराने की संदिग्ध प्रथा शुरू हो सकती है, इसका प्रयोजन नए प्रतियागियों के प्रवेश को रोकना होगा लम्बे समय तक किसी ट्रेड मार्क को उपयोग में न लाने से उपभोक्ताओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक एसोसिएटे व्यापार चिन्ह का सम्बन्ध है, उसमें किसी खास उत्पाद का एकाधिकार प्राप्त करने की संभावना रहती है। कुछ संगठित प्रतिष्ठानों द्वारा जो कुछ विशेष प्रकार के सामान और सेवाओं का कारोबार करते हैं संघ बनाने और दूसरों को उन क्षेत्रों में प्रवेश से रोकने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए, इस बात का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए कि उसी अथवा समान सामान और सेवाओं का करोबार करने वाले व्यक्तियों के एसोएिशन को सामूहिक व्यापार चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इसमें खुली सदस्यता न हो, अन्य शब्दों में जब एक बार नया आने वाला व्यक्ति मूल मापदंड को पूरा कर लेता है तो सदस्यता के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। अन्य शब्दों में सामूहिक व्यापार चिन्ह देने में सावधानी बरतनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

डा० मुमताज अंसारी (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन दिनों में विश्व भर में बड़ी संख्या में माल और सेवाओं का सृजन हो रहा है। पहले भी व्यापार चिन्ह का अधिक महत्व था आज की उत्पादन प्रक्रिया बड़ी जटिल बन गई है। सारे विश्व में उपयोग की विभिन्न तरह की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। समान तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। समान तरह का माल और सेवाएं सृजित की जा रही हैं। बड़ी संख्या में समान स्वरूप की, समान रंग की समान आकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए इन परिस्थितियों में व्यापार चिन्ह विधेयक का अधिक महत्व हो जाता है। यह 1993 से लंबित है और अब यह सभा के समक्ष लाया गया है इसलिए मैं ऐसे विधेयक का स्वागत करता हूँ।

परन्तु जहां तक व्यापार चिन्ह के पंजीकरण का प्रश्न है, इसमें अनेक विसंगतियां हैं। पंजीकरण के लिए माननीय मंत्री महोदय ने एक लंबी प्रक्रिया अपनायी या बनायी है। पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत लम्बी है और बोझिल है। इसके अलावा इसके लिए जो शुल्क लगाया गया है वह भी बहुत अधिक है।

इसी तरह, व्यापार चिन्ह का समय सात से दस वर्ष का दिया हुआ है जो बहुत अधिक है। यह इस कारण से है क्योंकि हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में आज विद्यमान समय पांच या छः वर्ष, चाहे यह कितनी की भी क्यों न हो, बंद हो जाते हैं। इसलिए यदि ये सभी

एकक बंद हो जाते हैं और आप लम्बे समय के लिए व्यापार चिन्ह देते हैं तो उस स्थिति में व्यापार चिन्ह को इतने अधिक समय लंबित रखना उचित नहीं है।

इसी तरह व्यापार चिन्ह का पंजीकरण समाप्त करने की भी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। यह प्रतिस्पर्द्धा का जमाना है। प्रतिस्पर्द्धा के जमाने में हम पाते हैं कि एक उत्पादक द्वारा उत्पादित की जाने वाली बहुत सी चीजें दूसरे उत्पादकों द्वारा भी उत्पादित की जा रही हैं और कभी-कभी समान तरह का व्यापार चिन्ह भी जारी किया जाता है।

अतः किसी प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए और इन उपबंधों को देखते हुए कुछ लघु उपाय भी होने चाहिए। एक न्यायाधिकरण होना चाहिए। एक ऐसा प्राधिकरण होना चाहिए जिसके समक्ष आवेदन किया जा सके जिसके समक्ष अपील की जा सके। इस बात का निर्धारण वह प्राधिकरण करे कि कौन-सा उत्पादक या उत्पादक एकक कौन-सा व्यापार चिन्ह उपयोग में लाये। न्यायाधिकरण बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। ऐसे सभी मामले न्यायाधिकरण बोर्ड या अपीलीय बोर्ड को भेजे जाने चाहिए चाहे नाम इसका कुछ भी हो। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य में एक अपीलीय बोर्ड होना चाहिए क्योंकि यदि यह केंद्र द्वारा नियन्त्रित केंद्र द्वारा प्रायोजित और केंद्र द्वारा विनियमित प्राधिकरण है तो छोटे उत्पाद को या उत्पादक एककों के लिए यह संभव नहीं होगा कि इस तरह के अपीलीय बोर्ड के पास सीधे पहुंच सके। इसीलिए देश के किसी दूर-दराज के क्षेत्र में भी उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन का एक व्यापार चिन्ह हो सकता है। चाहे वह देश के सबसे दूर के ही इलाके में ही क्यों न हो। उत्पाद चाहे गरीब वर्ग के लोगों द्वारा विनिर्मित हो और अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए मेरा यह अत्यधिक महत्वपूर्ण सुझाव है कि अपीलीय बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव चाहे जो कुछ भी हो, यदि यह दिल्ली जैसे किसी केंद्र में स्थित स्थान पर हों, छोटे एककों या छोटे या उन गरीब लोगों के लिए, जो ऐसा ही सामान उत्पादित कर रहे हैं, यह संभव नहीं होगा कि वे अपीलीय बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सके। इसीलिए मेरा सुझाव है कि यदि संभव हो तो अपीलीय बोर्ड की ऐसी शाखायें विभिन्न राज्यों में खोलीं जायें या अगर यह संभव न हो तो क्षेत्रवार आधार पर भी शाखायें खोली जायें। महोदय, पूरे देश को कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए अथवा इस प्रकार के अपीलीय बोर्डों की स्थापना क्षेत्रवार की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि बहुत सी वस्तुएँ विदेशों से भी मंगायी जाती है। यदि उत्पाद का व्यापार चिन्ह समान ही हो तो हमारे देश में लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। इसलिए यदि हमारे 463 देशवासी समान व्यापार चिन्ह वाले उत्पादों का आयात करते हैं तो उनके बीच स्पष्ट विभाजन होना चाहिए और यदि समान व्यापार चिन्ह वाले उत्पादों का हमारे देश में आयात किया जाता है तो उस स्थिति में उन्हें दंड देने के लिए किसी तरह का प्रावधान होना चाहिए और यदि यह संभव हो तो उस स्थिति में समान व्यापार चिन्ह वाले उत्पादों का हमारे देशवासियों द्वारा यहां आयात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसमें कुछ प्रतिबंध होने चाहिए।

इसी तरह, कंपनी के नाम के बारे में यह कहना है कि यह निर्धारित किया गया है कि यदि एक बार कोई कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार किसी विशेष नाम से पंजीकृत होती है तो वही नाम किसी अन्य कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई विसंगति है तो उस मामले में भारतीय कंपनीज अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार इसमें सुधार करने का भी कोई प्रावधान होना चाहिए और सुधार करने की यह प्रक्रिया बहुत साधारण होनी चाहिए, इस मामले में साधारण कि इस आशय का एक सरल संकल्प व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजा जा सकता है। उस मामले में इसको ठीक किया जा सकता है क्योंकि विद्यमान कंपनियों के प्रसिद्ध नाम होते हैं और उनकी साख बन जाती है यदि एक बार कंपनी किसी नाम के अंतर्गत पंजीकृत होती है और वह पिछले अनेक वर्षों से कार्य कर रही है और कई वर्षों से उसकी प्रसिद्धि और साख बन जाती है तो उस स्थिति में कोई दूसरी कंपनी उस नाम को ले तो इससे भ्रांति पैदा होगी और उससे उस प्रसिद्ध कंपनी की साख कम हो जाएगी। अतएव उस मामले में भी कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो यह निर्धारित करे कि यदि इस प्रकार का कोई नाम किसी अन्य कंपनी को दिया गया है और यदि दो या अधिक कंपनियों के बीच किसी तरह का संघर्ष होता है तो उस स्थिति में इस बारे में कोई स्पष्ट निर्णय होना चाहिए और इसका निर्णय एक सरल संकल्प द्वारा हो सकता है, विशेष संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और यदि कोई उस आशय का सामान्य संकल्प पारित किया जाता है और यदि इसे उस कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजा जाता है तो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार उसको ठीक किया जाना चाहिए, विशेष संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार कंपनी का उद्देश्य खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल क्या हो रहा है? उद्देश्य खंड भिन्न है। वे व्यक्ति जो देश के हर भाग से और विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से धन एकत्रित कर रहे हैं, वे अपने परोक्ष प्रयोजनों के लिए निवेश के विभिन्न अन्य माध्यमों को यह पैसा भेज रहे हैं। इसलिए यदि एक बार कंपनी समझौता ज्ञापन तैयार करती है और एक बार जब उद्देश्य खंड निर्धारित किया गया है, उस उद्देश्य खंड के अनुसार यह सौदा, यह व्यापार और व्यवसाय चलते रहना चाहिए। यदि वे निर्धारित मार्ग से हटते हैं तो उस उद्देश्य खंड के अनुसार ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे देश में काफी सट्टेबाजी हो रही है। यह सट्टेबाजी जारी है और इतने अधिक घोटाले भी हुए हैं। किसी शू कंपनी, इस कंपनी और उस कंपनी के इतने निदेशक और प्रबंध निदेशक, मैं उन सबका नाम नहीं लेना चाहता गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है क्योंकि वे उद्देश्य खंड से हट कर कार्य कर रहे थे। जिस किसी भी उद्देश्य के लिए कंपनी स्थापित की गई थी वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि वे धन को कहीं और लगा

रहे थे। इसलिए इन सब बातों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

इसी तरह दंड का भी प्रावधान होना चाहिए यदि कोई व्यापारिक इकाई वही नाम अथवा समान नाम अपनाना चाहती है जो किसी अन्य कंपनी को व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है अथवा यदि कोई जाली कंपनी अथवा नकली कंपनी उसी नाम को धारण करती है और यदि वह वही ख्याति अर्जित करना चाहती है तो उस स्थिति में यदि वे इन सभी व्यापार चिन्हों का उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। यदि संभव है तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए ताकि व्यापार नाम अथवा व्यापार चिन्ह किसी तरह का दुरुपयोग नहीं हो क्योंकि यह ऐसा मामला है जो उस उत्पादक एकक की प्रतिष्ठा और साख से संबंधित है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार द्वारा लाया गया व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1993 जो 1995 में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका स्वागत करता हूँ क्योंकि जो सरकार का उद्देश्य है वह हमारे यहां के व्यापार चिन्हों के बारे में बढ़ते हुए वाणिज्य को सुव्यवस्थित और नियमित करने की भावना संजोये हुये है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो हमारा व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1958 चल रहा था जिसका 30 वर्षों से निरन्तर प्रयोग हो रहा था, उसमें जो जटिलतायें, समस्यायें, कठिनाइयां या विषमताओं का निवारण इस नये अधिनियम में संशोधन के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका निवारण कर दिया गया है या नहीं क्योंकि यदि बार-बार इस प्रकार के अधिनियमों के अंदर संशोधन होते रहेंगे तो आगे जाकर हमारे लिये कठिनाई पैदा हो सकती है। आज सारा विश्व एक परिवार बन गया है और व्यापार तथा वाणिज्य में कोई भी देश एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। जैसाकि अभी कहा गया कि भारत की आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद, व अनेक प्रकार के विश्व के देशों के साथ व्यापारिक समझौतों के बाद गाट पर हस्ताक्षर करने के बाद अब तक भारत के द्वार एम.एन.सीज के लिये खोल दिये गये हैं, मुद्रास्फीति को हम बड़ी उदारता के साथ आमन्त्रित कर रहे हैं तो क्या उन विदेशी कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा में भारत का व्यापार बढ़ सकेगा, उन्नति कर सकेगा, अपनी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता को बनाये रख सकेगा? इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि विदेशी व्यापार के लिये, विदेशी व्यापार के अंतर्गत एम.एन.सीज द्वारा पैदा की गयी विदेशी वस्तुओं से हमारा सारा बाजार पट जाये।

हमारे यहां के जो ट्रेड मार्क वाली चीजें हैं, वह धीरे-धीरे सर्वीर्डिनेशन को प्राप्त कर लें, सेकेण्डरी स्टेट्स प्राप्त कर लें और प्राथमिकतावादी स्थिति पर, प्रभुखता वाली स्थिति पर विदेशी ब्राण्ड वाली वस्तुएं आ जाएं।

अक्सर एक मनोवृत्ति लोगों में काम करती है। हम जब बाजार में कोई चीज खरीदते हैं तो देखते हैं कि जापान में बनी है या जर्मनी में बनी है या अमेरिका में बनी है या इंग्लैण्ड में बनी है। अगर भारत में बनी चीज अच्छी भी है, उससे बढ़िया भी है तो भी उसे नहीं खरीदते। पता नहीं कैसे हमारी मानसिकता में इस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है कि विदेशी कंपनी की बनी हुई वस्तुओं को या विदेशी मार्के वाली वस्तुओं को खरीदने में हम शायद कहीं न कहीं गौरव का अनुभव करते हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि जो स्वदेशी की भावना है वह धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। इसलिए मैं जहां इस बिल का समर्थन करता हूँ, वहां आपके माध्यम से मैं सरकार को भी सजग और सावधान करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि वह मल्टीनेशनल के सामने इस प्रकार से घुटने टेक न दें कि जिससे भारतीय व्यापार और वाणिज्य को धक्का लगे और यहां की जो सुप्रसिद्ध कंपनियां हैं, वह धीरे-धीरे विदेशी मल्टीनेशनल्स को यहां बुलाकर उनके कौलेबोरेशन से जोइण्ट वैंचर लगाकर कोई धन्धा या ब्राण्ड शुरू करें और धीरे-धीरे भारतीय नामकरण भी हटा दे, भारतीय परिवेश की बातें भी हटा दें और विदेशी नामों का बोलबाला उसमें हो जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। 'पेप्सी' नाम का मल्टीनेशनल इस देश में आई और उसने 'लहर पेप्सी' के नाम से अपना कोला बेचना शुरू किया। अब यह धीरे-धीरे सोच रही है कि 'लहर' नाम को हटा दिया जाए और 'पेप्सी' का नाम ही चले या और कोई विदेशी नाम चले।

मान्यवर, अभी हमारे मित्र ने कहा कि 'सुजुकी' जो जापान की कंपनी है और मारुति उद्योग लिमिटेड जो कभी भारत सरकार का प्रतिष्ठान था और बाद में गैर सरकारी हाथों में चला गया, उस मारुति उद्योग ने 'मारुति सुजुकी' से 'मारुति' हटाने वाली बात कही है। मैं इसके खिलाफ सावधान करना चाहता हूँ। इसी प्रकार से प्रौक्टर ऐण्ड गैम्बल नाम की कम्पनी है। वह कंज्यूमर गुड्ज के क्षेत्र में आ रही हैं और धीरे-धीरे उसका डोमिनैन्स प्रबल होता जा रहा है और वह उत्पादित वस्तुएं भी भारतीय ट्रेडमार्क की हैं उनका वर्चस्व कम होता जा रहा है। इसलिए सरकार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐण्ड इंडस्ट्री का संयुक्त दायित्व है कि वह धीरे-धीरे मिलकर भारत की कंपनियों को प्रोत्साहित करें और नये भारतीय ट्रेडमार्कों को प्रचारित करें, उनको प्रमुखता दे ताकि वह मल्टीनेशलन कंपनीज का भली प्रकार से मुकाबला कर सकें।

जैसा इस बिल में कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की सर्विसेज या जो व्यापार का सामान है, अथवा जो सेवाएं हैं, उन सबके ट्रेडमार्क को पंजीकृत कराने के लिए और समुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए यह बिल बनाया गया है। इसमें एक बात अच्छी है कि पंजीकरण की जो प्रक्रिया है, उसका थोड़ा सरलीकरण कर दिया गया है और इसके साथ-साथ ''जिसका प्रयोग'' जिसकी आज्ञा प्रदान की गई है, जिसको काम में लाने के लिए उसको काम में विस्तारित करने की बात भी

उस ट्रेडमार्क के बारे में है। फिर विभिन्न संगठनों द्वारा उनके स्वामित्व में चलने वाले जो सामूहिक मार्क्स हैं, उनको भी ट्रेडमार्क प्रदान करने वाली बात है। संगठनों के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क्स से सामूहिक मार्क्स ऐस्टेबलिशमेंट और अपीलेट बोर्ड इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब तक इस प्रकार की व्यवस्था बड़ी जटिल होती थी और इसके लिए शीघ्र ही इस प्रकार के विवादों को मिटाने के लिए, मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अपीलेट बोर्ड का प्रावधान भी इसमें किया गया है। हाई कोर्ट में जो सारे मामले चलते थे, अब हाई कोर्ट के स्थान पर जो भी अपीलेट हैं, एक एप्लीकेशन और रेक्टीफिकेशन है, वह अपीलेट बोर्ड के सामने भली प्रकार हो सकेगी, इस प्रकार की व्यवस्था भी इसमें की गई है।

4.00 म.प.

इन सारी व्यवस्थाओं का तो हम स्वागत करते है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि गैट का समझौता होने के बाद क्या विदेशी मल्टीनेशनल्स या आई.एम.एफ. या वर्ल्ड बैंक का हमारे ऊपर कोई दबाव आया जिसके कारण हम ये सारे परिवर्तन कर रहे हैं अथवा वास्तव में भारतीय व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये, भारतीय ट्रेड मार्क्स के मानदंडों को विस्तारित करने के लिये, भारतीय ट्रेड मार्कों को विस्तृत करने के लिये, उनके प्रचार और उन्हें सुव्यवस्थति करने के लिये या उनके अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिये या दुनिया के अंदर उन भारतीय ट्रेडमार्कों के लिये, यहाँ की वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिये ऐसा किया जा रहा है, यह मैं स्पष्ट तौर से जानना चाहूंगा। यदि ऐसा नहीं है तो यह बिल यहां 1993 में लाया गया था, आज हम 1995 में चल रहे हैं, पिछले दो साल तक यह सरकार क्यों सोई रही, क्यों इस बिल को जल्दी नहीं लाया गया। यदि यहां ऐसा कहा जाता है कि स्टैंडिग कमेटी के पास विचार करने के लिये इसे भेजा गया था या किसी संयुक्त संसदीय समिति के सामने विचार के लिये रखा गया था तो उस समिति की क्या अनुशंसाएं हैं, उन अनुशंसाओं को इस बिल में स्वीकार करके शामिल करना चाहिये था।

आप जानते हैं कि ढाके की मलमल हमारे यहां कितनी प्रसिद्ध थी। जब ईस्ट इंडिया कम्पनी यहां आयी तो हमारे देश में ऐसे कारीगर मौजूद थे जो ढाके की मलमल के पूरे थान को एक अंगूठी में से निकाल सकते थे, इतना अच्छा कपड़ा उन दिनों हमारे देश में बनाया जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कम्पनी के लोगों ने यहां के करीगरों के धंधे को चौपट करने के लिये, इस कला को हमेशा के लिये मिटाने के लिये, इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा हिन्दुस्तान के बाजारो में बिकवाने के लिये, बाद में उन कारीगरों के हाथ कटवा दिये। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रतिलिप्यधिकार या कॉपी-राईट के अधिनियम में लेखकों की कृतियों के बारे में, साहित्यकारों की रचनाओं के बारे में व्यवस्था की गयी है, जिस प्रकार कलाकारों की कला और उद्यमियों की उद्यम-कला, जैसे हमारे यहां अनेक प्रकार की चित्र-शैलियां प्रचलित हैं, कांगड़ा शैली है, हिमाचल शैली है, देवगढ़ शैली हैं, नाथद्वारा शैली हैं, अनेक प्राकर की चित्र शैलियां हमारे यहां हैं, उनकी प्रामाणिकता, उनकी विश्वसनीयता को, उनके ट्रेड मार्क को बनाये रखने के लिये, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिये।

आजकल होड़ और प्रतिस्पर्धा का जमाना है और इसमें - भारतीय बनो, भारतीय माल खरीदो की भावना को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अगर हममें यह भावना आ जाये कि हम पहले भारतीय बनें, भारतीय वस्तुओं का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करें, तब तो ठीक हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यह बिल तो यहां लाया जा रहा है और इसमें कुछ अच्छे प्रावधान भी किये गये हैं, लेकिन उन प्रावधानों के बावजूद, मुझे ऐसी स्थिति नजर आ रही है जैसे दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है। जैसे सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया का मौडल ट्रेड मार्क के क्षेत्र में हैं, उन्होंने अपने ट्रेड मार्क को विश्व-व्यापी लोकप्रिय बना दिया है ताकि उनका व्यापार उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। आज वे देश आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उसी तरह हमारे देश को भी उस मॉडल को मानना चाहिये। हमारे यहां खुले रूप से मल्टी-नेशनल्स आ रहे हैं, हमें उन पर थोड़ी पाबंदी लगाकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि वे उन्हीं क्षेत्रों में आयें जहां हमें टैक्नोलोजी अपग्रेडेशन की आवश्यकता हो, जहां टैक्नोलौजी के मामले में हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं, और बाकी क्षेत्रों में केवल भारतीय वस्तुओं, भारतीय व्यापार की ट्रेडमार्क वाली चीजों को ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा स्वदेशी की भावना बलवती हो सकती है और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन कम्पनियों को यह भी कहा जाये कि भारतीय परिवेश में, अपनी कम्पनी का नामकरण भारतीय भाषाओं में करें, किसी अंग्रेजी नाम या विदेशी नाम को न अपनायें, इस देश में कोई स्वदेशी नाम ही रखें। नाम के मामले में उन पर हमारा कंट्रोल हो, किसी भी तरह वे भारतीय व्यापार को नुकसान न पहुंचा सकें। हमारे देश में केवल भारतीय व्यापार की वस्तुएं, उनके ट्रेड मार्क या उनके ब्रांड की वस्तुएं ही बिक सकें, उन्हें ही आगे विकास के लिये प्रोत्साहित किया जाये, विदेशी चीजों को प्रोत्साहित न किया जाये, इसका भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ। कई बार नकली ब्रांड भी चलने लग जाते हैं। कोई आदमी एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाता है कोई दूसरा आदमी उसके आधार पर चार सौ बीसी का सहारा लेकर नकली माल चला देता है। परिणाम यह होता है कि ''सेवन ओ क्लाक'' के नाम पर हम बाजार में ब्लेड खरीदने जाते हैं, तो असली ''सेवन ओ क्लाक'' तो मिलता नहीं, नकली मिलता है और बाद में उपभोक्ता को बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसलिए इसके अंदर इस प्रकार की सख्ती भी होनी चाहिए कि जो इस प्रकार से दूसरे के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करते हैं, नकल करते हैं या उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या किसी की गुडविल को बिगाड़ते हैं, तो ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातों के बारे में बोल कर अपनी

बात समाप्त करूंगा। प्रेम चन्द, निराला और प्रसाद के उदाहरण हमारे सामने हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत, आपसे एक अनुरोध है। आप जानते हैं कि अध्यक्ष पीठ कल बहुत उदार थे और कड़ुवाहट से भरी टिप्पणी की गई थी। इसलिए यह ठीक होगा कि सभी माननीय सदस्य समय का पालन करें। किसी भी अन्य सदस्य के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं केवल एक मिनट लूँगा और इसमें केन्द्र सरकार के स्थान पर अब रजिस्ट्रार को सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। रजिस्ट्रार आफ सर्टीफिकेशन का अधिकार भी उसको दे दिया गया है। सात वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की अवधि रजिस्ट्रेशन के रिनुअल की कर दी गई है। ये सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन अगर कोई गलती से रजिस्ट्रेशन न करा पाए ''गलतियां इंसान करता है भगवान क्षमा करता है'' वाली नीति अपनानी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है। हालांकि कहते हैं ''कानून से अनभिज्ञता कोई तर्क नहीं है'' लेकिन फिर भी गांवों के अंदर रहने वाले, छोटे कस्बों में रहने वाले या आयुर्वेदिक या देशी उत्पादन करने वाले, देशी औषधियां बनाने वाले, देशी समाग्रियां बनाने वाले लोगों को अगर कानून की जानकारी नहीं है, और कानून की जानकारी के अभाव में यदि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने लग जाए, या उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे को दे दिया जाना चाहिए और भारतीय लघु उद्योगों को और सहकारिता के क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं और जो सेवाएं उपलब्ध होती हैं, उन सारी सेवाओं को भी सरकार को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात भारतीयता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां का श्रम सस्ता अवश्य है और हमारे यहां सब प्रकार के संसाधन विद्यमान हैं, लेकिन उन संसाधनों का दुरुपयोग मल्टी नेशनल यहां आकर केवल पैसे कमाने के नाम पर और इस देश को उपभोक्तावाद का बाजार बनाने के नाम पर, इसका शोषण न करें। इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, जो यह व्यापार चिन्ह विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना भाषण समाप्त किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यापार चिन्ह विधेयक, 1993 लाया गया है, इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह चीज इसलिए अच्छी है कि इसमें आपने जो बहुत से लोग कपटपूर्ण चिन्हों को चलाकर जो गलत काम करते हैं गलत सामान बनाते हैं उस पर रोक लगाने की बात कही है और मान और सेवाओं को सम्मान देने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि जो व्यापार चिन्ह कानून इस समय है, उसको और सशक्त बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। आपने ट्रेडमार्क के सम्बन्ध में इसमें जो कहा है, उसके ऊपर स्टैंडिग कमेटी में भी चर्चा हुई थी और संयुक्त संसदीय समिति में भी इसकी चर्चा हुई थी और उनकी रिपोर्ट्स भी सरकार के सामने पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें जो सिफारिश की गई है, उसको सरकार ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है।

लेकिन स्टैडिंग कमेटी की उस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जब उस स्टैडिंग कमेटी में लोगों ने बैठकर विचार-विमर्श किया, उस पर बहसें हुई और उसके बाद जब उसका एक निचोड़ आया जिससे हमें लाभ होने वाला था, तो उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यह सरकार के लिए उचित नहीं था।

4.10 म.प.

[श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई]

दूसरी बात यह है कि आपने इस बिल को 1993 से लेकर अब तट लटकाया रखा। उससे क्या हुआ ? बहुत सी चीजों के बारे में आप जानते होंगे कि आजकल बाजार के अंदर हमें नकली सामान बेचा जा रहा है। जब आपने एक चीज का रजिस्ट्रेशन करके चिन्ह दे दिया है तो फिर कैसे कोई दूसरा आदमी उसी चिन्ह का इस्तेमाल करके नकली सामान बाजार में ले आया ? उससे क्या होता है ? हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो खरीददार हैं, उससे उनके धन का काफी नुकसान होता है और उनको सामान भी नकली मिलता है। अगर आप इसका लेखा-जोखा करें तो आपको पता चलेगा कि इससे कितना नुकसान हुआ है। जहानाबाद और बाकी सब जगह पर नुकसान हुआ है लेकिन आपके यहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि आपके यहां सब कुछ ज्यादा होता है। जहानाबाद में इस तरह की बातें कम होती हैं क्योंकि वह एक छोटा सा क्षेत्र है।

माननीय सभापति जी, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आप जो बिल लाये हैं, उसको कैसे लागू करेंगे ? आप इसको ठीक तरह से लागू नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत गड़बड़ियां हैं। किसी भी बिल को लागू करने के लिए सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है। जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं आयेगी तब तक यह बिल लागू नहीं होगा, बेशक वह बिल ध्वनिमत से पास हो जाये। जब हम लोग इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, इसको अच्छा बिल मान रहे

हैं कि यह व्यापार के लिए बहुत अच्छी चीज है तो फिर अच्छी चीज तभी होगी जब हम इसे सही-सही लागू करें। हमने देखा है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करके चिन्ह प्राप्त करते हैं, माल तैयार करते है, उसी चिन्ह का कोई दूसरा आदमी प्रयोग करके नकली माल तैयार कर देता है। वह नकली माल ही असली माल समझा जाता है। आपका जो नियम बना हुआ है उसमें यह मान लिया जाता है कि वह चीज असली है। इसमें सबसे बड़ी चीज पैसा है, इसमें पैसा भी काफी दिया जाता है और उसी पैसे के जरिये सही चीज गलत हो जाती है और गलत चीज सही हो जाती है। इसको आप कैसे देखेंगे? आपने कानून तो बना दिया है, सजायें भी बहुत ज्यादा कर दी हैं, परन्तु अब तक कुछ नहीं हुआ है।

मैं आपसे यह कहूंगा कि यदि आपने इसको सही मायने में लागू करना है तो जो चीज नकली रूप में हमारी मार्केट में आ गयी है, उसको बाजार में आने से पहले रोकें। बहुत सी चीजें नकली रूप में आती हैं जैसे सनलाइट साबुन है। यही साबुन नकली रूप में, मार्केट में आ रहा है बल्कि खूब बिक रहा है। इसको देखने वाले जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वे चुप क्यों हैं? उनके चुप रहने का कारण क्या है, आपको यह तजवीज़ करके देखना होगा। साथ ही साथ व्यापार चिन्ह से संबंधित बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई ट्रेडमार्क नहीं है लेकिन वे अच्छी चीज हैं जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर एक गावं है जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं वहां के लोग इसी पेशे में लगे हुए हैं। जापान में वे मूर्तियां आठ लाख, दस लाख या पन्द्रह लाख में बिक रही हैं लेकिन उसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है। ऐसी चीजें जो हमारे देश के अंदर बन रही हैं, गांव के अंदर बन रही हैं, वे भी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आप उन्हें कैसे विकसित करें।

इसी तरह हमारे जो लेखक हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, चित्र शैली बनाने वाले हैं, उनको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। उन लोगों के संरक्षण की बात होनी चाहिए। देहात में ज्यादातर यही सब काम करते हैं। आपको इसका प्रचार करना चाहिए कि हम इस तरह के लोगों को रजिस्ट्रेशन करके एक चिन्ह देंगे ताकि उस चिन्ह का कोई दूसरा आदमी इस तरह से फायदा न ले जायें। इसको भी दिमाग में रखना होगा। इन चीजों को रोकने के लिये आपने वर्तमान कानून में जो संशोधन किए हैं, वह बहुत अच्छी बात है। हम आपको इस बात के लिए बधाई देते हैं। साथ-साथ विधेयक के खंड 158, जो अभी प्रस्तावित है, को आपने अधिकार दिया है, वह इस अधिकार से केन्द्र सरकार को सशक्त करता है। व्यापार चिन्ह में सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसमें बहुत परेशानी होती है। अब उसमें आपने थोड़ा सुधार किया है। 10 साल का जो रजिस्ट्रेशन रखा गया है, वह ठीक है।

जहां तक व्यापार की बात है, आप मल्टी नैशनल कम्पनियों को लाए हैं, हमारे यहां के छोटे-छोटे व्यापारी, जिनको आप रजिस्ट्रेशन देते हैं, वे उन लोगों के सामने टिक पाएंगे या नहीं, इसे भी आपको देखना चाहिए। जो सामान हमारी कम्पनियां बनाती हैं, वैसा ही सामान विदेशी कम्पनियां मार्किट में बनाकर न लाएं क्योंकि इससे हमारी मार्किट खत्म हो जाएगी। इसे भी आपको देखना चाहिए। हमने यह भी देखा है कि जिस कम्पनी ने चिन्ह लिया है, कुछ वर्षों के बाद वह बैठ गई और उसे कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करने लगा। आपको यह भी देखना है कि आपने जिस कम्पनी का रजिस्ट्रेशन किया है, वह कम्पनी क्यों बैठ गई, उसके बैठने का क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही सामान कोई नकली कम्पनी बनाने लगी जिसकी वजह से उसका उत्पादन कम हो गया, लागत खर्च के मुताबिक फायदा नहीं हुआ, इसलिए वह बन्द हो गई।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) : महोदया, देश में व्यापार और पण्य वस्तुचिन्ह अधिनियम 1958 से लागू है। यह स्पष्ट है कि इस अवधि में इसमें कुछ त्रुटियां पाई गई। यह अच्छी बात है कि अनुभव को दृष्टि में रखते हुए इसकी पुनरीक्षा की जा रही है लेकिन मेरे मन में एक संदेह है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह है इसके समय की बात जब यह नये विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया।

और अब यह विधेयक दो ढाई वर्ष बाद लाया जा रहा है इसलिए यह संदेह होता है कि कहीं ऐसा विदेशी दबाव में तो नहीं किया जा रहा है। इस विधेयक में अनेक अच्छी बातें हैं इसमें प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसमें ट्रेड मार्क और ब्रांड नाम को संरक्षण देने के लिए इसकी अवधि बढ़ाई गई है, यदि यह केवल भारतीय व्यापार और सेवाओं में लागू होता तो इसका खुशी से स्वागत किया जाता, तथ्य तो यह है कि उद्देश्य तथा कारण वाले विवरण में इस विधेयक का प्रयोजन विश्व अर्थव्यवस्था को सार्वभौम बनाने, व्यापार और उद्योग को सार्वभौम बनाने, पूंजी निवेश के आगमन को बढ़ावा देना और व्यापार चिन्ह प्रबंध प्रणाली को सरल और सामंजस्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता बताया गया है जो निश्चय ही स्वागतयोग्य है। लेकिन आज विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया है, संभवतः इस विषय पर हमें कानून बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैं पारस्परिकता के सिद्धान्त का विचार कर रहा हूं। क्या हम ये रियायतें एक तरफा दे रहे हैं तथा क्या माल और सेवाएं सिर्फ हम ही भेजेंगे अथवा क्या हमें उन देशों से लाभ मिलेगा जिन्हें हम माल तथा सेवाएं सप्लाई कर रहे हैं? क्या वे भी बराबरी के तौर पर हमारे माल तथा सेवाओं को संरक्षण प्रदान करेंगे? लेकिन यह बात अलग है कि हम इसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकेंगे। स्पष्टतः यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या हमारे पास माल बेचने के लिए और सेवाएं देने के लिए है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : हमारे पास है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : कुछ मामलों में हमारे पास है और कुछ मामलों में नहीं हैं। परन्तु कम से कम सिद्धान्ततः हमें अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। इसलिए इस अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी माल

अथवा सेवाओं को दी जाने वाली सुविधा पारस्परिकता के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए अर्थात सिद्धांत उस देश को भी जब हम उन्हें इसकी पेशकश करने की स्थिति में होंगे। बराबरी के विधायी उपाय अपनाकर उसी तरह के माल और सेवाओं को बराबरी का संरक्षरण और पारस्परिक संरक्षण देना चाहिए। मैं ऐसी बात विधेयक में नहीं देखता हूँ इसलिए मैं वास्तव में थोड़ा नाखुश हूँ। अन्यथा इस विधेयक में बहुत अच्छी बातें हैं और जैसा कि मैंन कहा है कि मैं इसका स्वागत करता हूँ।

इस मूल बात को करने के बाद मैं एक या दो छोटे-छोटे सुझाव और देना चाहूँगा। उदाहरण के लिए अपीलीय बोर्ड की सदस्यता को लीजिए। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति है या रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार के समक्ष चयन का विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए न कि किसी स्थिति में एक व्यक्ति ''है अथवा रहा है''। लेकिन वह इस प्रकार की नियुक्ति के लिए पात्र हो। इससे इस अपीलीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त करते समय सरकार के पास विस्तृत चुनाव की सुविधा होगी। मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि उन अनेक लोगों जो वास्तव में सरकार में काम नहीं कर रहे हैं अथवा जिन्होंने वास्तव में सरकार में काम नहीं किया है। परन्तु उनके पास अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव हैं, को इन पदों पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जा सकता है। इसलिए जहां कहीं भी वाक्यांश ''है अथवा रहा है'' प्रयोग किया गया है तो उसके साथ अथवा इस प्रकार की नियुक्ति के लिए पात्र जोड़ा जाना चाहिए।

दूसरा, तकनीकी सदस्य केवल भारतीय विधि सेवा के सदस्य तक सीमित क्यों रखी गई है और क्यों नहीं अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाई गई है। प्रशासनिक सेवाओं, न्यायिक सेवाओं में ऐसे लोग हैं जिनके पास उनकी नियुक्ति के कारण और उनके विशेष कार्य के कारण अपेक्षित अनुभव है। मैं समझता हूँ कि यदि ऐसे लोगों को इसमें लाना है जो नौकरशाही तन्त्र के हैं तो इसका क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए और अन्य सेवाओं के सदस्यों को इसमें आने की अनुमति देनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी खंड 14 पर विचार करें जो जीवित व्यक्तियों या हाल ही में मृत्यु प्राप्त हुए लोगों के नामों अथवा प्रतिनिधित्व के बारे में है। यह स्वागतयोग्य प्रावधान है। परन्तु यहां ही एक कमी है जो सीमा निर्धारित करती है। उसमें बताया गया है :

''...कोई भी जीवित व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि से पूर्व 20 वर्ष के अंदर हो गई हो.....''

व्यापार चिन्ह सेवाओं के मामले में भी लागू होता है। यदि मैं एक हेअर कटिंग सैलून खोलता हूँ और उसका नाम ''महात्मा गांधी हेअर कटिंग सैलून'' अथवा एक खास तरह की हेअर ड्रेसिंग रखता हूँ तो क्या होगा ? निश्चय ही महात्मा गांधी की एक खास तरह की हेअर ड्रेसिंग थी। परन्तु इसे महात्मा गांधी से संबंधित करना और महात्मा गांधी हेअर ड्रेसिंग सैलून का नाम देकर यदि मैं उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ तो 20 वर्ष की सीमा का कोई मतलब नहीं होगा, यह अवधि असीमित होनी चाहिए ताकि आप किसी ब्रांड नाम को ऐसे व्यक्ति से न जोड़े जिसका नाम बिकता हो। विशिष्ट और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम बिकने वाली सामग्री नहीं होनी चाहिए। यहां दिए गए इस विशेष प्रावधान पर मुझे आपत्ति है।

महोदया, मैं जानता हूँ कि मंत्री जी ने संयुक्त संसदीय समिति और स्थायी समिति के कुछ सुझावों को स्वीकार किया है परन्तु सब को नहीं किया है, मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय सभा और इन निकायें के अंदर में, जो संसद द्वारा बनाई गई थी, यह बतायें या कम से कम यह कारण बतायें कि इनमें से कुछ सुझावों और सिफारिशों को स्वीकार क्यों नहीं किया गया है। आप मालिक हैं। आप जो चाहें, कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप सभा में कह सकते हैं कि हमने कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया है, और हम सभी सिफारिशों को कुछ कारणों से स्वीकार नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि हमें इस संसद में ऐसी परंपरा स्थापित करनी चाहिए कि संसदीय निकायों द्वारा दिए गए सिफारिशों और सुझावों को हलकेपन से नहीं लेना चाहिए अथवा आसानी से चलता नहीं करना चाहिए, परन्तु कम से कम आप कृपया हमें बतायें कि आप उनमें से कुछ को अस्वीकृत क्यों कर देते हैं और इसके कारण होंगे और आप इन्हें सभा को बता सकते हैं। इससे सभा समझेगी कि आप मनमाने तौर पर ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप जो कुछ भी कर रहे हैं-चाहे स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार - वह आप सोच समझकर कर रहे हैं और संसदीय निकायों के सुझावों को आदर देते हुए ऐसा कर रहे हैं।

यह बात कहने के बाद मुझे प्रसन्नता है कि कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु मैं अभी भी ''सेवा'' शब्द की परिभाषा से बहुत खुश नहीं हूँ। यह बहुत अधिक विस्तृत लगती है और मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ। 'सेवा' को ठीक-ठीक परिभाषित करना कठिन है, मैं जानता हूँ कि 'माल' को परिभाषित करना आसान है पर 'सेवा' को परिभाषित करना कठिन है। यह परिभाषा इतनी विस्तृत है कि इसके व्यापार से संबंधित किसी बात को, किसी साम्रगियों को, इसके वित्तीय पहलुओं को, जनसंपर्क पहलुओं को, इसके सभी संवर्धन पहलुओं को - लगभग सभी को 'सेवा' शब्द के अंतर्गत लाया जा सकता है।

मुझे आशंका है कि हम इनके द्वारा विदेशी मूल की सेवाओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विदेशी सेवाओं को अपने यहां न आने दें क्योंकि नहीं तो वे हम पर छा जाएंगी। यहां ऐसे अनेक माल हैं जो विदेशी माल से प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं और इसलिए आप उनके लिए अपने

दरवाजे खोलते हैं तो भी वे अपने पांव में खड़े हो सकते हैं और इस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकते हैं लेकिन यदि आप अपने दरवाजे 'सेवाओं' - क्योंकि हम विदेशी को अधिक महत्व देते हैं - के लिए खोलते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। देश में नई सेवाएं - चाहे वे जनसंपर्क के क्षेत्र में हों अथवा चाहे वे विज्ञापन के क्षेत्र में हो अथवा चाहे वे संवर्धन के क्षेत्र में हो अथवा वित्तीय या इनश्योरेंस के क्षेत्र में हो - बाहरी सेवाओं के सामने ठहर न सकेंगी। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आठ विदेशी मूल की सेवाओं को अंधाधुंध संरक्षण न दें। आप भारतीय मनोविज्ञान के संदर्भ में इस पर विचार कीजिए। आज भारतीय लोकाचार में विदेशी चेतना अधिक छाई हुई है ? विदेशी ब्रांड की कमीज एक प्रतिष्ठा की चीज मानी जाती है। यद्यपि हम अपने ही देश में उतने ही अच्छे कपड़े की अच्छी कमीजें बना सकते हैं। यदि इसके साथ विदेशी ब्रांड नाम होता है तो इसकी प्रतिष्ठा और मूल्य बना रहता है, इसका कारण यह है कि विश्वव्यापीकरण हमारे देश में एक खास तरह का उपभोक्ता समाज पैदा कर रहा है, एक खास तरह की सांस्कृतिक प्रतिमान का गठन हो रहा है। जो आगे चल कर देश के हित को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए, व्यापार चिन्ह अथवा लेबल से संबंधित विशुद्धतः तकनीकी कानून की आड़ में हमें वास्तव में इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हमने विदेशी सेवा के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, लेकिन हमें बचाव के कुछ उपाय करने चाहिए। और हमें मानसिकता बदलनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि हम लोगों की मानसिकता अथवा कम से कम उच्च वर्ग की, जो इस विदेशी संस्कृति और इस विदेशी माल और विदेशी ब्रांड नामों के मूल ग्राहक हैं। मानसिकता को बदल सकते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या हम लोगों के मन से विदेशी ब्रांड नामों के प्रति प्रेम को समाप्त कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या कोई भी सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रक्रिया की सहायता न करें और न इसे प्रोत्साहित करें। दूसरी और जैसा कि एक सदस्य ने सभा में कहा था। भारतीय बनो, भारतीय माल खरीदो। इसे सरकार की नीति के रूप सोच समझकर प्रचारित किया जाए।

एक ओर जैसा मैंने का है, विदेशी माल और सेवाओं को भारत आने दो परन्तु एक ही शर्त पर कि उन देशों में भी हमारे माल और सेवाओं को बराबरी के आधार पर संरक्षण मिले ताकि हम उसका भी माल उठा सकें। और दूसरी ओर हमें भारतीय विशिष्टत्व भारतीय अद्वितीयता को संरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए जससे हमें अपने देश पर गर्व हो सके कि हम उन सभी वस्तुओं का अपने देश में निर्माण कर सकते हैं जिनकी मानव समाज को अवश्यकता है।

महोदया, इन शब्दों के साथ कुछ आपत्ति सहित मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

4.30 म.प.

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा

महिलाओं पर अत्याचार और उनके सामने आ रहीं समस्याएं

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस समय 4.30 म.प. है और हमें नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करनी है। श्रीमती गीता मुखर्जी महिलाओं पर अत्याचार और उनके सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा आरम्भ करेंगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे महिलाओं पर अत्याचार और उनकी समस्याओं पर आखिर बोलने का मौका दिया।

मैंने नियम 193 के अन्तर्गत यही विषय 12 अगस्त 1990 को उठाया जब मैंने कहा था कि मैं दुखी हृदय और शर्म के साथ इस बात पर बोल रही हूँ। आज 5 वर्ष के बाद भी मैं उसी भावना के साथ बोल रही हूँ तो मैं नहीं जानती कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूँ। मेरा तो गला रूंध रहा है।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। इस वर्ष 13 मई के आनन्द बाजार पत्रिका में बताया गया है कि हर 54 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। .. .(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : एक वरिष्ठ मंत्री यहां होना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे आशा है कि गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री सुनेंगे कि हमारे देश में हर 54 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : मैं सुन रहा हूँ।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : श्री सईद सुन रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इससे मंत्रीपरिषद के अन्य सदस्यों पर रोक नहीं लग जाती है कि वे न सुनें।

श्री पी.एम. सईद : कृपया व्यवधान न डालिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वसवा राजेश्वरी) : मैं यहां पर हूँ और मैं सुन रही हूँ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जानती हूँ कि जब विषय यह है तो केवल मंत्रियों को ही नहीं सुनना चाहिए और जहां तक सदस्यों का संबंध है, मुझे माइक्रोफोन पर बोलना पड़ेगा। यह उनकी भावनाओं को दर्शाता है।

खैर अब मैं विषय पर आती हूँ। हम जानते हैं कि यह आंकड़े भी कम हैं। बलात्कार की शिकार महिला के साथ सामाजिक कलंक लगने के कारण बलात्कार के ऐसे मामलों की रिपोर्ट नहीं होती।

इस संबंध में एक अत्यधिक चिन्ता की बात है और वह है कि नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे भी अमानवीय मामले हुए हैं जहां बाप ने अपनी अवयस्क लड़की के साथ बलात्कार किया है। हिरासत में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ समय से समाचार पत्रों में निर्धन महिलाओं, हरिजन महिलाओं को सड़कों पर नंगा घुमाने और उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं और ऐसे मामले इस सभा में उठाए गए हैं। कार्यशील महिलाओं के उनके अफसरों या उच्च अधिकारियों द्वारा यौन शोषण के मामले समाचार पत्रों में नहीं आते हैं। लेकिन मैं अक्सर महिलाओं से ऐसी शिकायतें सुनती हूँ। दहेज को लेकर महिलाओं पर अत्याचार और दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामले बढ़ रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि पुलिस हमेशा शिकायत दर्ज नहीं करती है, कानून द्वारा प्रदत्त प्रावधान के अनुसार खुद कार्यवाही करने की बात छोड़िए, संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दहेज से होने वाली मौतों के आंकड़े बताते हैं कि 1985 में दहेज से होने वाली मौतों की संख्या 837 थी और यह 1993 में बढ़कर 5,817 हो गई है।

हमें यह बातें जानना चाहिए कि यह बातें भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देज लेने, पति और ससुराल वालों की मांगों को पूरा न कर पाने में औरतों को मार डालने से संबंधित इस शताब्दी के शुरू में किए गए संशोधनों के बावजूद हुई हैं।

महिलाओं पर किए गए अत्याचारों का वर्णन अनन्त है, इसको बताने में मैं अधिक समय नहीं लूंगी।

हमें इस प्रकार के अत्याचारों के मूल कारणों को देखना होगा।

(1) इस पुरुष प्रधान समाज में हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का दर्जा न मिलना;

(2) हमारे समाज के शोषण वाले ढांचे में बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक और चिकित्सा तथा न्याय की सुविधा न मिलना;

(3) टेलीविजन सहित फिल्मों में हिंसा को बराबर दिखाया जाना;

(4) बेहूदगी और उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि जिससे स्वस्थ सामाजिक संस्कृति का क्षय हो रहा है;

(5) धर्म के नाम पर नव कट्टरपंथी तत्वों का जोर जिसका वास्तव में कर्म के वास्तविक सार से कुछ लेना देना नहीं है;

(6) राजनीतिज्ञों तथा अमीरों द्वारा अपराधियों को दिए जाने वाले संरक्षण में वृद्धि;

यदि हम सब सहमत होते हैं कि हमारे समाज में भले आदमियों, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, का यह परम कर्त्तव्य है तो हमें उपरोक्त बताए गए क्षेत्रों में अनथक संघर्ष करना पड़ेगा।

इसके लिए सबसे पहले सांसद-इस समय यहां कोई सांसद नहीं है, कम से कम उनके प्रतिनिधि अपने से पूछें क्या वे हमेशा वैसा करते हैं ?

यदि उनका उत्तर हाँ में है तो आधी समस्याएं सुलझ जाएंगी।

अब हम राजनीतिक क्षेत्र लें। जहां भी पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट का आरक्षण हुआ है और वहां चुनाव हुए हैं तो यह देखा गया है कि महिलाओं में एक जबरदस्त तूफान आया है और वे उन्हें मिले अधिकारों का उपयोग कर रही हैं। तब भी क्या उन्हें अपने परिवारों से पूरा समर्थन मिल रहा है। चाहे उनका परिवार राजनीति से सम्बन्ध क्यों न रखता हो ? विधान सभाओं और लोक सभा को ही देखिए, कितने राजनीतिक दल पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवारों को ले रहे हैं ? इस बात को देखते हुए कि आधे से अधिक मतदाता महिलाएं हैं, उनका अनुपात बहुत कम है।

हम सामाजिक क्षेत्र को ही लें। ऐसे कितने राजनीतिक नेता और संवर्ग हैं, उनके अनुयायियों की बात छोड़िये, जो यह प्रतिज्ञा करेंगे कि वे अपने पुत्र अथवा पुत्रियों का विवाह करते समय अथवा स्वंय विवाह करते समय दहेज नहीं लेंगे ? दुर्भाग्यवश इनकी संख्या अधिक नहीं है। तब दहेज से उत्पन्न होने वाली स्थिति से हम कैसे निबटें ? मैं यहां बताना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में हम महिलाओं को अधिक सतर्क होना चाहिए कि अपने पुत्रियों और पुत्रों का विवाह करते समय उनका व्यवहार भी वैसा होना चाहिए और सास-ससुर के रूप में उन्हें अपनी बहुओं के साथ निर्दयता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति नहीं है।

हम आर्थिक क्षेत्र को ही लें। इस सभा के सदस्यों में से अनेक किसान हैं क्या सभी यह दावे करते हैं कि वे महिला कृषि मजदूरों जिन्हें वे रोजगार में लगाते हैं, को समान कार्य के लिए समान मजूरी देते हैं ? उनमें से कितने महिलाओं के लिए अधिक रोजगार जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं ?

क्या हम दावा करते हैं कि हमने छोटे और बड़े पर्दे से हिंसा समाप्त करने की लड़ाई जारी रखी हुई है ? महिला सांसदों ने यह मामला पिछले वर्ष 9 मार्च को उठाया था परन्तु उनके प्रयासों के बावजूद स्थिति नहीं बदली है। क्या हम दावा कर सकते हैं कि हम उपभोक्तावादी संस्कृति से मुक्त हैं ? बिलकुल नहीं। बिलकुल नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे राजनीतिक दल समाज विरोधी तत्वों को सुरक्षा देने से इंकार करते हैं और हमारे सभी दल राजनीति के अपराधीकरण से मुक्त हैं बिल्कुल नहीं जब तक हम सांसद अपने आपको नहीं बदलते हैं तब तक महिलाओं पर अत्याचार और उनके सामने आ रही समस्याओं से प्रभावी रूप से नहीं निबट सकते हैं।

इसलिए मेरी सभी से अपील है कि वे इन प्रश्नों पर विचार करें। मैं देश में सभी राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करती हूं कि वे इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करे। मुझे दुख है कि मीडिया वस्तुतः अनुपस्थिति है। मीडिया की विशेष भूमिका है और मैं आशा करती हूं कि मीडिया इस तथ्य को नोट करेगा।

महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में समस्याओं से निबटने के लिए नए प्रयास करने पड़ेगे। कुछ कानूनों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ सुधार करने का सुझाव दिया है दोनों सभाओं की मेरी कुछ महिला साथियों ने कुछ गैर सरकारी विधेयक रखे हैं। उनको संसद में रखकर उन पर अविलम्ब विचार किया जाना चाहिए। गैर सरकार विधेयकों पर अविलम्ब विचार किया जाना चाहिए और आयोग द्वारा सिफारिशें किए गए विधेयकों को तत्काल संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या कानूनों का क्रियान्वयन है। पहले से विद्यमान अच्छे कानूनों को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसी विशेष प्रयोजन से बनाया गया था ताकि वह निगरानी का काम कर सके। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय महिला आयोग भी केवल दो सदस्यों से काम कर रहा है। और शेष पद तत्काल भरे जाने हैं...(**व्यवधान**) निश्चय ही वहां केवल दो सरकारी सदस्य हैं और गैर सरकारी सदस्य अभी नामांकित किए जाने हैं और उनका कोई सभापति नहीं है।

श्रीमती वसवा राजेश्वरी : उसमें एक गैर सरकारी सदस्य है और एक सरकारी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : गैर सरकारी इतना गैर सरकारी है कि वास्तव में हम जैसे कई उसे नहीं जानते हैं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उसमें कितने सदस्य हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : सात, पर मेरा कहना है कि ऐसा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर यह आयोग पर्याप्त नहीं है, राज्य स्तर पर कुछ राज्यों ने इसे बनाया है। यहां तक तो ठीक है, परन्तु कुछ अन्य राज्यों ने इसे नही बनाया है, मेरा हर विचार है कि यदि यह निगरानी देश भर रखी जाए तो जिला स्तर के आयोगों की स्थापना करनी पड़ेगी और उन जिला स्तर आयोग को अपनी रिपोर्टें नगरपालिकाओं और जिला परिषदों को देने के लिए कहना पड़ेगा जो निर्वाचित निकाय हैं।

श्री इन्द्रजीत : जिला स्तर पर समिति होनी चाहिए न कि आयोग।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं उस पर आ रही हूं। मैं दूसरी बात पर भी आ रही हूं। मैं आयोग की बात कर रही हूं। इसका कारण है क्योंकि लोग आयोग के पास हमेशा आते रहते हैं, राज्य स्तर आयोग के मामले में भी अधिक मामले मेरे ध्यान में आ रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत : तब आप इसे उप आयोग कहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप इसे उप आयोग कहिए या जीरो आयोग। कुछ भी कहिए...(**व्यवधान**) प्रश्न यह है कि यह एक औपचारिक निकाय होना चाहिए जिसके पास राष्ट्रीय आयोग के समान शक्तियां हों। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आयोग के पास काफी शक्तियां हैं।

इसके अलावा लंबित मामलों की समस्या के बारे में स्थिति को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। 1992 तक देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित बलात्कार के मामलों में अपराधी लोगों की संख्या 50127 थी। अब तक, 80 प्रतिशत मामले अभी भी लंबित हैं। केवल 34.4 प्रतिशत आरोपियों को दंड दिया गया है। जैसा कि स्थिति है, पुलिस आमतौर पर इन मामलों को लेने के लिए सक्रिय नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि न्यायालयों में स्थिति उपरोक्त की तरह रहती है तो स्वभावतः विलम्ब से दिया गया न्याय नहीं दिया गया माना जा जाता है। इसलिए प्रत्येक राज्य में परिवार न्यायालयों का जाल बिछाना बहुत आवश्यक है। महिला न्यायालयों को खोला जाना भी बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय आयोग में महिला न्यायालयों को खोले जाने के मामलों पर चर्चा हो रही थी वे इसे चाहते हैं। उन्होंने हमारे साथ भी चर्चा की थी।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में पुलिस और प्रशासन को संवेदनशील बनाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। दुर्भाग्यवश हमें इस संबंध में अभी बहुत काम करना है। कुछ राज्यों में कुछ पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में सभी पुलिस स्टेशनों में इसका विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय के लिए कार्य कर रहे महिला संगठनों और अन्य संगठनों के सदस्यों को लेकर परामर्शदात्री समितियां स्थापित की जानी चाहिए जिससे वे सभी स्तरों पर प्रशासन के साथ बातचीत कर सकें।

शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता का प्रसार, आम और व्यावसायिक शिक्षा को अधिक तेजी से फैलाना चाहिए। कानूनी साक्षरता का भी व्यापक प्रसार होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को मिलकर कट्टपंथियों और महिलाओं के प्रति सामंती दृष्टिकोण के विरुद्ध सतत

अभियान जारी रखना चाहिए। इस ओर भी हमें अधिक सक्रिय होना चाहिए।

मैं विशेषकर अपने पुरुष साथियों से अपील करूंगी कि वे आगे आयें। कवि काजी नजरूल इस्लाम ने अपनी प्रसिद्ध कविता में कहा है कि विजय हमेशा पुरुषों ने तलवार के जोर पर हासिल नहीं की है उसके पीछे नारियों की प्रेरणा और ताकत रही है। क्योंकि वे विजय की देवी हैं, यह सच है भारत में कोई भी आंदोलन महिलाओं के बिना सफल नहीं रहा है। इसलिए जो हम चाहते हैं, वह बहुत जरूरी है।

अंत में, मैं अपने सभी साथियों से अपील करूँगी कि वे दलगत हितों से ऊपर उठें और महिलाओं को न्याय दिलाने, उन्हें अत्याचारों से बचाने ओर उनकी बराबरी के लिए परिस्थितियां तैयार करने के लिए कार्य करें। हमारा अनेक राजनीतिक प्रश्नों पर मतभेद हो सकता है परन्तु जब महिलाओं का प्रश्न उठता है तो हम इस पर संगठित हो सकते हैं बशर्ते हम दलगत हितों का त्याग करें। सभा से यह मेरी पुरजोर अपील है - कुछ सदस्य यहां आज उपस्थित नहीं हैं परन्तु यहां जो उनके साथी उपस्थिति हैं उनके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि हम बिना एक हुए इस स्थिति से नहीं निबट सकते हैं। यदि यह चर्चा यहां उपस्थित सदस्यों को अपील करती है, और उपरोक्त उद्देश्य के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है तो मैं समझूंगी कि यह चर्चा सफल रही है।

सभापति महोदय : धन्यवाद, गीता जी, अब श्री चार्ल्स बोलेंगे, मैं आपको और दूसरों को बताना चाहूंगा कि इसके लिए केवल दो घंटे का समय आवंटित किया गया है। अभी अनेक सदस्यों ने इस विषय पर बोलना है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : जब आप पीठासीन हैं तो मैं समझता हूँ कि आप इस सार्थक चर्चा के लिए पर्याप्त समय देंगे क्योंकि जब महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार की बात होती है तो महिलाओं को इसमें अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए फिर भी ऐसा नहीं है कि पुरुषों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।

मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को बधाई देता हूँ कि वह ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर संकल्प लाई हैं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और सामाजिक बुराई पर चर्चा हो सके।

मैं एक और बात पर भी माननीय सदस्या को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे याद है शायद यह 1986 की बात है। वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक में महिलाओं की प्रगति के बारे में एक संकल्प लाई थी। इस विषय पर भी उन्होंने चर्चा आरम्भ की थी। मुझे याद है कि सभा में एक उलझनकारी स्थिति पैदा हो गई थी। चर्चा में 12 व्यक्तियों ने भाग लिया था। सभी 12 व्यक्ति महिलाएं थीं 'तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री श्री एच.के.एल. भगत यह पता करने के लिए इधर-उधर चक्कर लगाते रहे कि क्या यहां ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस विषय पर बोलने के लिए तैयार है। अन्ततः वे मेरे पास आए, मैंने कहा कि मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। मैंने उन महिलाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाएं माताएं हैं; महिलाओं से ही घर बनता है। उस समय मुझे याद है कि मैने इस सदी की सबसे महान नारी इंदिरा गांधी को भावातिरेक में प्रशंसा के कुछ शब्द कहे थे। वह इस सदी की महान नारी थी और इस समूचे राष्ट्र को इस पर नाज होना चाहिए कि उसने महान नेतृत्व दिया और अनेक वर्षों तक देश का मार्ग निर्देशन किया। इस महान राष्ट्र को महिलाओं ने अपना अनेक प्रकार से योगदान दिया। यहां तक कि यदि हम अतीत के देदीप्यमान व्यक्तियों जैसे झांसी की रानी को देखें तो इनकी एक लम्बी सूची दिखाई देगी, हमें उन पर गर्व होना चाहिए।

इसलिए जब हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हो जाती है कि ये अत्याचार समाप्त हों। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का ब्यौरा क्या है ? यह स्तब्धकारी है। अपराध रिकॉर्डस् ब्यूरो द्वारा दिए गए आंकड़े मस्तिष्क को झकझोकर देते हैं, पिछले एक दशक में अपराध दो गुने हो गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध हर 6 मिनट में होते हैं। हर 47 मिनट में एक बलात्कार होता है। 44 मिनट में एक महिला का अपहरण होता है। और एक तिहाई महिलाओं के साथ निर्दयता बरती जाती है चाहे यह उनके पतियों द्वारा या उनके संबंधियों द्वारा या सास-ससुर द्वारा बरती जा रही हो। हर दिन दहेज के कारण 17 मौतों का समाचार मिलता है। केवल पिछले साल ही महिलाओं के विरुद्ध कुल 82,818 अपराध हुए हैं। यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है, यह सारे समाज और सारे समुदाय के लिए शर्म की बात है।

जहां तक दहेज के कारण होने वाली मौतों का सवाल है यह अत्यन्त ही पीड़ादायक बात है कि अनेक मामलों में इसका मुख्य कारण महिलाएं अथवा सास अथवा ससुराल वाले हैं जो बेचारी महिलाओं से अधिक दहेज लेने के लिए अपने भाई अथवा पुत्र को उकसाती हैं। उन महिलाओं की किस्मत क्या है ? हाल में 1983 में कानून बदला गया है, भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। परन्तु इन संशोधनों के बावजूद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि सब कुछ समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इस संबंध में कानून कठोर और बोझिल हैं। यौन सम्बन्धी अपराधों, विशेषकर बलात्कार के मामलों में अपने को निरपराध साबित करने का भार पुरुष पर डाल दिया गया है। इसके बावजूद बहुत कम मामलों की रिपोर्ट होती है और दंड बहुत कम मामलों में मिलता है। इसलिए समाज को आगे आना चाहिए और अपराध की गंभीरता को समझना चाहिए। हमें ऐसी जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि महिलाओं का आदर हो और उन्हें सम्मान मिले, समाज में परिवर्तन लाने से ही न केवल अपराध अपितु इस बड़ी बुराई को दूर किया जा सकता है।

महोदया, मैं समझता हूँ कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री यहां हैं और प्रधान मंत्री की हाल ही में आरम्भ की गई रोजगार योजना से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेरा अनुरोध है कि इसका कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाए ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार, कृषि आधारित गतिविधियां आरम्भ करने का मौका मिले ताकि वे भी धन कमा सकें। आर्थिक पराधीनता से यह बुराई पैदा हो रही है। ऐसे अपराधों के लिए अशिक्षा भी एक प्रमुख कारण है। अधिकांश मामलों में लड़की को शिक्षा के अवसर नहीं दिये जाते। सामाजिक जागरूकता पैदा करने में शिक्षा बहुत कम आती है। इसी तरह राजनीति की सत्ता में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है। हम इसके बारे में बहुत बोलते हैं मुझे प्रसन्नता है कि पंचायती राज में पंचायत के सदस्यों और अध्यक्षों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधान मंत्री ने राजीव के सपनों को साकार किया है। हम उनके नेतृत्व के प्रति आभारी हैं जिसने महिलाओं को बहुत बड़ी संख्या में अधिकार दिए हैं क्या हम संसद में भी एक तिहाई सदस्यता महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं कर सकते ?....**(व्यवधान)** मैं समझता हूँ कि श्रीमती गोपालन भी इसका समर्थन करेंगी क्योंकि वे बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवार से आती हैं।

मातृत्व के प्रति हम सबका सरोकार है। माँ के बिना एक घर की कल्पना कीजिए। समूचा जीवन, समूचा समाज नारी के प्यार, देखभाल और समर्थन पर निर्भर करता है। परन्तु इसके बावजूद हम उन्हें कमजोर समझते हैं। उन्हें अधीनस्थ होना पड़ता है और उन्हें गुलामी मानसिकता में हमेशा सेवा करनी होती है। यदि महिलाओं को उचित स्वतत्रता देनी है तो हमारे समूचे सोच को बदलना होगा। इसलिए ऊंचे स्थानों में और निर्णय लेने वाले निकायों में उनका होना जरूरी है। मुझे खुशी है कि आप लोक सेवा आयोग की सदस्या और अध्यक्ष भी रही हैं। जब कोई महिला न्यायपालिका में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, निर्णय लेने वाले निकायों में ऊंचे पद पर होती हैं और उनको उचित स्थान मिलता है तो उनका सामाजिक रुतबा बढ़ेगा। ऐसा उनको मजबूती देकर, उनको समर्थन देकर ही होगा। केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। परन्तु कितने मामलों में वे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकेंगी ? यदि वे न्यायालय में भी जाती हैं तो आरोपी को दंड दिलाना बहुत कठिन होगा। इसलिए हमें जागरूकता पैदा करनी होगी और उन्हें अवसर देना होगा, इससे समाज के निर्माण में पुरुषों के साथ नारियां भी एक महान शक्ति बन सकेंगी।

मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम इस पर केवल चर्चा न करें परन्तु उन्हें शिक्षा देने के लिए निर्णय लें और उन्हें क्रियान्वित करें, उन्हें आर्थिक उदारता देकर सुदृढ़ करें, उन्हें राजनीतिक अधिकार दें और निर्णय लेने वाले निकायों में उन्हें स्थान दें। यह अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं की पृथ्वी पर आधारिक भूमिका है क्योंकि वे ही बच्चों, परिवार और पूरे समाज में जान फूंकती हैं।

महोदया, आप मेरी ओर देख रही हैं। इसलिए इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं एक बार माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी को इस विषय पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम इस संबंध में कानून बनाकर उसे क्रियान्वित करें, सामाजिक, जागरूकता बढ़ाएं ताकि जब भी महिलाओं पर कानून बनेगा तो हम अपनी माताओं का ख्याल करें।

5.00 म.प.

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति महोदया, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं शुरू में ही यह कहना चाहूंगी कि इस सदन में इस चर्चा का एक अपना महत्व है। यह चर्चा इस प्रकार से नहीं ली जानी चाहिए कि किसी के खिलाफ है। स्त्री पर अत्याचारों की चर्चा हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों के खिलाफ यह चर्चा है। लेकिन संसद में इस चर्चा का एक महत्व यह हो जाता है कि हम यहां बैठने वाले जो प्रतिनिधि हैं, हम यह मानते हैं कि हम दस लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम अपने को नेता मान रहे हैं। नेता का मतलब होता है नी नयति, वह नेता है, जो समाज को ले जाता है। जो समाज का एक मार्ग दिखाता है, समाज के विचारों में परिवर्तन करने की भी सामर्थ्य रखता है, और इसलिए हम जब तक विचार मन्थन नहीं करेंगे तब तक यह जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनको कम कैसे किया जाए, समाज को एक नया मोड़ कैसे दिया जाए, इस पर सार्थक चर्चा नहीं हो सकती हैं। इसलिए यह जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा का अपना एक महत्व है।

कई साल पहले से हम कुछ शब्दों का जब उदाहरण करते थे, तब हम कहते थे स्त्री यानी सृजन, नारी यानी न अरि, जिसका कोई शत्रु नहीं है या जो किसी की शत्रु नहीं है। महिला, जो अपने आप में महान है। ऐसे शब्दों के उच्चारण के साथ-साथ माथा गर्व से जब उन्नत होने लगता है, कुछ समझने की जब कोशिश की जाती है, और नजरें जब ऊपर उठती हैं, मन के किवाड़ खोलकर कुछ जानने की कोशिश होती है, तभी दमन का चाबुक कड़कड़ाने लगता है। मानव समाज का रचनाकार हम स्त्री को मानते हैं, सृजन की प्रेरणा स्त्री है, लेकिन आज वह नारी शब्द कहने से शरीर सिहर उठता है। उस नारी शब्द की गेयता हेयता में परिवर्तित हो गई है। क्योंकि जब स्त्री पर अत्याचार की हम चर्चा करते हैं, तब बात तो वहीं आकर पहले अटक जाती है कि उस स्त्री को जन्म लेने से ही हम मना करने जा रहे हैं। उसका समाज में आना ही मना हो गया है। जन्म से पूर्व की उसकी हत्या शुरू हो गई है। इस प्रकार के प्रयोग, जिसके लिए लोक सभा में बिल लाने में ही हमें सालों लग गए, उस पर चर्चा तो होती रही, लेकिन उस पर अमल होना आगे की बात हो जाती है। यानी जन्म लेना ही उसके लिए दूभर हो गया। मैं कहती हूँ कि यहीं से उसके ऊपर होने वाले अत्याचारों की शुरूआत हो जाती हैं। समझो,

गलती से वह जन्म लेती भी है, इस दुनिया में आती भी हैं, तो उसके जो अधिकार हैं एक बालक के नाते, एक मानव के नाते उसके जो अधिकार हैं, चाहे वह खान-पान का अधिकार हो, शरीर की रक्षा के लिए या मन को सुसंस्कृत करने के लिए शिक्षा का अधिकार हो, इन. अधिकारों से भी उसे वंचित किया जाता है, इनकार किया जाता है। अगर हम आंकड़े देखें, तो भी मालूम पड़ेगा कि लड़कियों का शिक्षा से ड्राप आउट करने के लिए लगता है कि कम हो रहा है। शैलजा जी तुरन्त तैयार हो गई कि लड़कियों का ड्राप आउट कम हो रहा है, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर हम गांवों में जाकर देखें, वास्तविकता और परिस्थिति को देखें तो मैं कहूंगी कि लड़कियों की ही क्यों, लड़कों की कौन सी अलग स्थिति है? बच्चों की स्थिति इस देश में इतनी खराब हो रही है, यह इसी से दिखता है कि बाल-प्रताड़ना ज्यादा हो रही है, आप किसी भी अखबार में देख सकते हैं। आज हिन्दुस्तान में चार लाख बच्चे इस धन्धे में वेश्या व्यवसाय में लगाए गए हैं चाहे वह लड़की हो या लड़का। जब बलात्कार होते हैं, तो अगर 10,000 बलात्कार होते हैं, तो उसमें से 20 प्रतिशत लड़कियां दस साल से भी कम उम्र की होती हैं।

यानी हमारे देश में बाल प्रताड़ना और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है जिसमें कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे कल कल करती नदी बह रही हो, उसके किनारे अच्छे पेड़ हों, ऐसे सुहाने वातावरण में यदि कोई लड़की चाहे कि मैं किसी पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पढ़ूं, या नैसर्गिक आनन्द लूं, या एंकात में डूबते सूरज को देखूं तो क्या ऐसा वातावरण हमारे गांवों में उपलब्ध है, शहरों की बात तो छोड़ ही दीजिये, गांवों के बारे में जो कल्पना हमने की थी कि हमारे गांवों का वातावरण ऐसा स्वच्छ बने, हम उस दिशा में कहां तक आगे बढ़े हैं। आज तो स्थिति यह है कि अगर कोई लड़की गांव में अपने घर से दूर शौच के लिये जाना चाहे तो उसका अकेले जाना दूभर है। आजादी के इतने सालों बाद ऐसी स्थिति है कि अपने गांवों में आज तक हम ऐसी व्यवस्था भी नहीं कर पाये हैं। क्यों नहीं कर पाये, वह अलग चर्चा का विषय है लेकिन आज भी गावं में अकेली लड़की का जाना दूभर है। अगर किसी के साथ वह जाने की सोचे तो भी सुरक्षित नहीं जा सकती है, ऐसा वातावरण देश में हमारा हो गया है।

आज यदि हम कहें कि महिलाएं समान हो गयी हैं, अधिकारों के मामले में बराबरी का दर्जा उन्हें मिल गया है, काम के लिये वे बाहर निकल पड़ी हैं, लेकिन अगर उनका प्रतिशत देखा जाये तो बहुत कम है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत आपको जरूर कुछ ज्यादा मिलेगा, खेतिहर मजदूर महिलाओं का प्रतिशत जरूर ज्यादा मिलेगा लेकिन दूसरे क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं जब अपने काम पर निकलती हैं, चाहे वे किसी अच्छे भले काम के लिये जाती हैं, हम अपने देश में कहते हैं कि लड़कियां इंजीनियर बन गयी लेकिन वास्तविकता क्या है, उसे भी हमें देखना चाहिये। अगर किसी फैक्टरी में किसी लड़की को इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है तो उसकी इतनी चिकित्सा की जाती है, क्योंकि साधारणतः हमारी मानसिकता ऐसी है और हम ऐसा समझते हैं कि कोई महिला इंजीनियर के रूप में काम नहीं कर सकती, इंजीनियर नहीं बन सकती। हमें महिलाओं के नौकरी करने का प्रतिशत ढूंढना पड़ेगा। जहां हम कहते हैं कि कार्यरत महिलाएं अपने आप में ताकतवर हैं, हमें ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी महिला ने ठान लिया है कि मैं बस ड्राईवर ही बनूंगी तो भले ही कोई वसन्त कुमारी बस ड्राईवर बन जाये, सात महिलायें हमारी एयरफोर्स में पायलट बन गयी, ऐसे कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन हमारी कामकाजी महिलाओं की आज जो स्थिति है, किस प्रकार उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार की हमारी मानसिकता बन गयी है जैसे महिलाएं काम करना जानती ही नहीं, तभी वे आज मानसिक प्रताड़ना का शिकार हैं। दूसरी प्रताड़नाएं तो हैं ही लेकिन मानसिक प्रताड़ना का शिकार आज की कामकाजी महिलाएं ज्यादा हो रही हैं।

यदि हम पारिवारिक प्रताड़नाओं की बात करें तो आज महिलाओं को दहेज के मामले में जितना प्रताड़ित किया जाता है और यह कुप्रथा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है जिसके कई कारण हैं। इसके अलावा भी कई पारिवारिक प्रताड़नाएं हैं। स्त्रियों का शोषण भी एक पारिवारिक प्रताड़ना है, जो कई बार उजागर भी नहीं होता है, कई बार ऐसी बातें बाहर भी नहीं आती हैं। यदि आज की तारीख में हम देखें, 19 साल से कम आयु की 20 लाख लड़कियों में से 50 प्रतिशत लड़कियां विवाहित हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों का कितना पारिवारिक शोषण होता है। शोषण भी कई प्रकार के हैं। उन्हें घर की चाहरदीवारी में बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने की मनाही कर दी जाती है, केवल दहेज की ही प्रताड़ना नहीं है; कहने के लिये हमने कई तरह के कानून बनाये हुये हैं लेकिन उनका फायदा कितना मिलता है। यदि हम हिन्दुस्तान के इतिहास को देखें तो विधवा और निस्संतान महिलाओं की वास्तविकता हमारे सामने आ जायेगी। फिर भी कई महापुरुष हमारे यहां ऐसे हुये हैं जिन्होंने महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया। मैं तो कहूंगी कि महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा प्रयास किया कि सामाजिक तौर पर महिलाएं आगे आयें, वे सामाजिक कार्यों में जुट जायें और उनके जमाने से महिलाएं आगे आयीं, मुंह खोलकर, अपनी बातों को रखने का साहस महिलाओं में आया।

सभापति महोदया, राजा राममोहन राय जैसे व्यक्ति हैं, उनका उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन आज हमारी मानसिकता क्या है, कोई असहाय निसंतान महिला है, कोई विधवा है, चाहे वह कमला हो, या चाहे चम्पा हो, उस पर डायन होने का या चोरी का इल्जाम लगाते हैं। सरे बाजार उसको जलाया भी जा सकता है। उसको निर्वस्त्र घुमाने की आज्ञा भी पंचायत द्वारा दी जा सकती है और ये कार्य आज भी हिन्दुस्तान में हो रहे हैं।

सभापति महोदया, जब हम स्त्रियों पर अत्याचार की बात करते हैं, तो कभी-कभी लगता है कि बलात्कार की बात तो बहुत बार की जाती है, सदन में बहुत बार होती है, लेकिन उसके पीछे जो मानसिकता

उभर कर आती है वह बड़ी भयावह है। ये बलात्कार जब सामूहिक बलात्कार का रूप लेते हैं तो वह और भी भयावह हो जाते हैं। अगर कोई वर्ग-विशेष के लोग सिर उठा रहे हैं, तो उनको दबाना है। इसलिए सामूहिक बलात्कार होते हैं और आखिर में शिकार होती है स्त्री। पालिटिक्स में भी यही होने लगा है। अगर कोई चन्द्रमुखी विधायक बन जाती है और वह भी किसी गुंडे को हराकर विधायक बन जाती है, तो उस महिला को प्रताड़ना मिलती है क्योंकि उसने साहस जताया। यानी एक प्रकार से महिलाओं को दबाने के लिए, बदला लेने की दृष्टि से जब बलात्कार हो जाते हैं, चाहे वे सामूहिक रूप से हों, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से हों। हमें एक बात याद आती है कि हम अपने को इक्कीसवीं सदी में जाने की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसी मध्य युग में आज भी रहते हैं जिसमें पहले रहते थे।

सभापति महोदया, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो मुझे आज भी वह बात याद आती है किसी लेखक ने लिखा है कि जब बाहर के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, तो एक हाथ में तलवार ली और दूसरे हाथ में शराब का प्याला। जब तलवार रख दी, तो हिन्दुस्तान की अस्मिता पर प्रहार करने के लिए महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार किए। हमारी अस्मिता पर प्रहार करने के लिए उस समय महिलाओं पर बलात्कार होते गए। मुझे लगता है कि आज कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं है, लेकिन जो हमारी मानसिकता है, वही कर रही है और इसीलिए सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बंद नही हैं। यह इसी मानसिकता की परिचायक हैं। बातें तो हम बहुत बड़ी-बड़ी करेंगे, लेकिन महिला जब आगे बढ़ने की सोचती हैं, तब मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें सोचना पड़ेगा कि अगर कोई पुरुष, चाहे वह पिता के रूप में हो, चाहे वह भाई के रूप में हो, चाहे वह लड़के के रूप में हो, कुछ अच्छा काम करता है, कुछ विकास करता है, कुछ अधिकार का पद पा लेता है, कुछ विजयश्री हासिल करता है, तब वह महिला आनंद से फूली नहीं समाती है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। मैं कहती हूँ कि यह बात उल्टी होनी चाहिए कि अगर कोई स्त्री उसी प्रकार से विकास करती है, उसी प्रकार का कोई पद हासिल करती है, उसी प्रकार की किसी ऊंचाई की तरफ बढ़ती है, तो क्यों न पुरुष वर्ग के मन में ईर्ष्या को छोड़कर इस प्रकार का गौरव अनुभव नहीं करते ? क्यों नहीं हम इस मानसिकता को परिवर्तित करते हैं ? जब तक यह परिवर्तन नहीं होगा, तब तक सामूहिक बलात्कार होते रहेंगे।

सभापति महोदया, ये सामूहिक बलात्कार चाहे पुलिस के द्वारा हों या समाज के और किसी वर्ग द्वारा, ये सब हमारी बिगड़ी मानसिकता के प्रतीक हैं। पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कार होने का एक अलग कारण है। मैं कहूंगी कि हमारे यहां की पुलिस कोई समाज से कोई अलग नहीं है। वह भी मनुष्य ही है और इसी समाज का एक अंग है। व्यक्तिगत रूप में मैं उन लोगों को इतना खराब नहीं मानती हूँ। लेकिन यहां भी हालत इतनी गिर गई है कि एक जज को कहना पड़ा कि ''पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है'' मैं कहूंगी कि ऐसा क्यों हो गया, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। जब किसी तंत्र का दुरुपयोग होता है, प्रशासन का हो, शासन का हो, मेरे अपने स्वार्थ के लिए, और वह भी किसी अधिकारी व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, तो फिर जब एक बार वह दुरुपयोग की भावना उसमें आ गई, तो फिर उसका कहीं अन्त नहीं होता है। इसीलिए आज जो स्थिति हो गई है वह इसी का परिणाम है कि पुलिस के बारे में न्यायाधीश को इस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ी।

सभापति महोदया, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे बचपन के जमाने में स्थिति यह थी कि अगर कोई लड़की घर से बाहर खेलने जाती थी, तो उसकी माता उससे कहती थी कि तुम बाहर खेलने जा रही हो, जल्दी आना और अगर कहीं देर भी जो जाए, तो गली के नुक्कड़ पर पुलिस वाला खड़ा होगा, तो उसको बताना वह घर छोड़ जाएगा।

मेरी ही लड़की को अगर यह कहना पड़े कि तुम बाहर जा रही हो और घर वापिस आना हो और सुनसान गली से निकलने का मौका मिले तो बिटिया याद रखना, जहां पुलिस वाला दिखे, उस गली में घुसने की गलती कभी मत करना।

5.15 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज ऐसी स्थिति हो गयी है। यह स्थिति क्यों हो गयी है, इस पर सोचना पड़ेगा। आज कई ऐसे काण्ड हो जाते है। आज कश्मीर की समस्या है। कश्मीर की समस्या एक अलग है लेकिन आतंकवादियों का निशाना महिलायें ही बनती हैं। अगर डोडा जिले में जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां महिलायें उनका निशाना बनी हैं। वे यह नहीं पूछते हैं कि वह महिला हिन्दू है या मुसलमान। उसके लिए यह काफी हो जाता है कि वह स्त्री है और वह निशाना बन जाती है। इस तरह समाज में कहीं भी किसी प्रकार की उथल-पुथल मच जाती है। आज भी वही मध्ययुगीन जमाना चला आ रहा है। चाहे वहां की स्त्री निशाना बने चाहे अलीगढ़ में ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिला बने। वहां भी बड़ी बात है कि समाज में किसी को विस्थापित करना है लेकिन सामूहिक बलात्कार की शिकार वहां पर महिलायें हो जाती हैं।

हमारी जो मानसिकता है, उससे कभी-कभी ऐसा लगता है कि वह भी उसके लिए एक कारण है।. आज जिस पद पर हम लोग बैठे हैं, मध्य प्रदेश में जब बलात्कार होता है और दुबारा जब पुलिस द्वारा हवालात में बलात्कार होता है, महिलाओं को जांच के लिए ले जाया जाता है तब बलात्कार होता है और फिर कोई मंत्री अगर यह बयान दे कि ठीक है एक बार बलात्कार हो गया तो उनको मुआवजा दिया जायेगा। अगर दुबारा बलात्कार हो गया तो उनको डबल मुआवजा मिलेगा, ऐसी हमारी मानसिकता है। इस मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए। कानून बनाने की बात तो हमने सुझाई है, वह सही है। ऐसे कानून भी हमें बनाने पड़ेंगे, ऐसे कई कानूनों में परिवर्तन भी करना

पड़ेगा। जांच करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सुधारना होगा। अभी जैसा गीता दीदी ने कहा, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। जो सुझाव आये हैं, उन सुझावों पर भी विचार करना पड़ेगा लेकिन लगता यह है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि इसमें दो मानसिकता हो सकती है। कुछ शब्दों को हमने गलत अर्थ लिया है और इसलिए स्त्री हीन भावना से ग्रसित हो गयी है। केवल पुरुष ही दोषी हो, ऐसा नहीं है। अब आप मुझे बताइये कि कई ऐसे शब्द हैं जिनके पंडित सालवटोंकर जी ने बड़े सुन्दर अर्थ दिये हैं। अथाह शब्द का अर्थ आप क्या लगाते हैं। अथांह, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस शब्द का "अ" लग गया तो उसकी कुछ सीमा नहीं रह जाती। इसी तरह अपरम्पार कहते हैं, अपरिमित कहते हैं, इसलिए उस शब्द में अपरम्पार शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार यह तो अबला शब्द है, वह यह कि उसके बल की कोई सीमा नहीं है। वास्तव में यह शब्द ऐसा है कि जिसके बल की कोई सीमा नहीं है। स्त्री के लिए दुर्बल शब्द का प्रयोग होता, निर्बल शब्द का प्रयोग होता लेकिन अबला शब्द का प्रयोग हुआ है कि जिसके बल की कोई सीमा नहीं है और यह शब्द वास्तविक है। मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर आप देखें तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया है कि अम्बा अपने आप में वर्णन करती है कि मुझे पति कैसा चाहिए। एक जमाना था जब महिलायें यह कहा करती थीं। इसमें वह यह कह रही हैं :

"यो में जेष्यति संग्रामें,

यो में दर्पो व्यपोहति,

यो में समबलों लोके,

समे भर्ता भविष्यति"।

अर्थात जो संग्राम में मुझे जीतेगा। जो मेरे अंहकार को नष्ट करेगा, अहंकार का हनन करेगा। जो मुझसे तुल्य बल होगा, वही मेरा पति हो सकता है। इसलिये मुझे लगता है कि स्त्री अबला नहीं है लेकिन इस शब्द का गलत अर्थ करके एक हीन भावना, एक काम्पलेक्स का निर्माण किया है। वह इसलिये किया कि पुरुष सबल बनकर रहना चाहता था। उसे अपनी सत्ता सम्पत्ति बनाना चाहता था, अपनी सत्ता का प्रयोग करना चाहता था इसलिए इस प्रकार से इन शब्दों के अर्थ लगाकर हमने स्त्री को एक हेय भावना से भर दिया। इसलिए आज वे अत्याचार से पीड़ित हो रही हैं।

लेकिन यह स्थिति बदल सकती है और इसे बदलने के लिए मैं एक बात कहूंगी कि उसे केवल कुछ अधिकार देने से काम नहीं चलेगा। अधिकार देना जरूरी है, कानून में परिवर्तन करना जरूरी है लेकिन जब तक समाज की संवेदना जागरूक नहीं होती, तब तक उसका फायदा नहीं है। यह केवल मैं ही नहीं कहती, डा० बाबा साहेब अम्बेडकर ने माईनौरिटजी के लिए यह कहा था कि आप अधिकार चाहे किसी को भी दे दें लेकिन केवल अधिकार देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था :

[अनुवाद]

अधिकार कानून द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं अपितु समाज के सामाजिक और नैतिक विवेक से होते हैं। यदि सामाजिक विवेक ऐसा है कि यह अधिकारों को मान्यता देने के लिए तैयार है जो कि कानून द्वारा बनाए जाते हैं, तब अधिकार सुरक्षित रहेंगे, परन्तु यदि समाज मूल अधिकारों का विरोध करता है। तो कोई भी कानून, संसद, न्यायपालिका सही मायनों में उनकी कोई गारंटी नहीं दे सकती है।

[हिन्दी]

यह भावना जागरूक करनी पड़ेगी। इसी प्रकार युनाईटेड नेशन के एक्सपीरिएंस में भी उन्होंने कहा था :

[हिन्दी]

"इन सबके बावजूद यह आमतौर पर महसूस किया जाता है कि मानवीय अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक स्वतंत्रता के वर्तमान संरक्षण की वास्तविक गारंटी आम आदमी के विवेक के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के स्वस्थ आधार पर व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध पर निर्भर करता है,"

[हिन्दी]

इस प्रकार कई बड़े-बड़े लोगों ने यही कहा है कि उनका यही मानना था कि आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं लेकिन जब तक मन की भावना या समाज का स्वभाव नहीं बदलेंगे, तब तक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बदलने से काम नहीं चलेगा। आज के जमाने में यह भी जरूरी है कि हम केवल अत्याचार की चर्चा ही न करें बल्कि यह भी देखें कि सम्पूर्ण समाज का फ्रेमवर्क किस प्रकार बदल रहा है, किस दिशा में जा रहा है। हमारी कुटुम्ब की कल्पना थी, हमारे कुटुम्ब, संस्था टूट गई।

[अनुवाद]

अधिक से अधिक उत्पादन, समान वितरण और संयमित उपभोग।

[हिन्दी]

यही हमारे भारतीय जीवन का तत्व था। लेकिन कहीं न कहीं यह तत्व उलट रहा है, कहीं न कहीं हम विदेशी आधार ला रहे हैं जहां पर सोशल कौन्ट्रैक्ट थ्योरी चलती है। हमारी सोशल कौन्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, हम यह मानते हैं कि व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है, व्यक्ति के ऊपर समाज की कुछ देनदारियां रहती हैं कि अपना विकास करके मुझे समाज को कुछ देना है इसलिए सर्व खलु इदं, सब एक हैं की भावना। जब तक समाज में यह भावना विकसित नहीं होगी तब तक केवल कानून से काम नहीं चलेगा। इसके लिए राजनैतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। कभी-कभी इसी पार्लियामेंट में

देखने को मिलता है कि हरिजन युवती पर अत्याचार हुआ तो किसी एक दल के सदस्यों ने उसे उठाया और यह बहुत सैनसिटिव बात बन गई। स्त्री स्त्री है, प्रहार स्त्री पर होता है चाहे वह किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, मात्र शक्ति पर प्रहार हुआ है, जब तक हम उस चीज को इस भावना से नहीं लेंगे, तब तक समाज में स्त्री पर अलग-अलग तरह से अत्याचार होते रहेंगे, चाहे वह घर में हो रहे हों, चाहे काम पर जाते समय उसे हेयता की दृष्टि से देखा जाता हो, चाहे स्त्री पर बलात्कार हो। जो बलात्कार करता है वह तो छूट जाता है लेकिन भावना यूं बदलनी चाहिए कि स्त्री दोषी नहीं है। लेकिन आज हम उस स्त्री पर उंगली उठाते हैं। इसलिए जो जलगांव कांड हुआ या दिल्ली में इस प्रकार के कांड आज भी हो रहे हैं, जब ये बातें छिपाई जाती हैं तो मन में लगता है कि क्यों नहीं उस मां के मन में विश्वास था, क्यों नहीं मां-बेटी में यह प्रेम था कि मेरी बेटी संकट में है। मां को समझने में भी देर क्यों लगी।

लेकिन समझने के बाद भी क्या वह मां उजागर तरीके से बेटी को सही रास्ते पर आज के जमाने में ले जा सकती थी? क्या उजाले में वह बेटी को साथ में लेकर सड़क पर निकल सकती थी कि मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है, दोष किसी पुरुष का है, जिसने यह किया है और उस पुरुष को नीचा मुंह करके समाज में हेय दृष्टि से देखा जा सकेगा? जब तक यह स्थिति नहीं आती है, तब तक केवल यहां चर्चा करेंगे, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, दो चार कानूनों में परिवर्तन करेंगे, स्त्री को कुछ अधिकार देने की बात करेंगे, कुछ उसके लिए आरक्षण की बात करेंगे।

लेकिन हाँ, इससे भी बहुत बात बन सकती है। जब तक स्त्री में निर्णय लेने की शक्ति नहीं आयेगी, कभी-कभी लगता है कि एक पोलिटिकल बिल होनी चाहिए, और देश को सुधारने की यह पोलिटिकल बिल तभी हो सकती है, जब यह बिल लेकर ज्यादा संख्या में स्त्रियां निर्णय लेने की कुर्सी पर बैठ जायें, इतनी ताकत वह हासिल करे कि निर्णय लेकर समाज में उसकी प्रस्फुटित करने के लिए वह ताकत से आगे आयें। यह ताकत प्रदान करना सामाजिक दृष्टि से आज जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।

श्रीमती संतोष चौधरी (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं श्रीमती गीता मुकर्जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 193 के तहत यह आज महिलाओं पर अत्याचार के बारे में चर्चा लाई हैं।

मैं जब सदन में आई हूँ, उस समय से यह देख रही हूँ कि बहुत बार, समय-समय पर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी किसी न किसी रूप में चर्चा होती ही है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली। इस गौरवशाली सदन में न जाने कितने नेताओं ने, कितने माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर चर्चा की होगी, अपने विचार व्यक्त किये होंगे, परन्तु यह समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, इस चीज का मुझे बहुत दुख है। मैं यह समझती हूँ कि यह सदन, जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने ही सांसद यहां पर अपनी ज्वलन्त समस्याएँ रखते हैं, परन्तु इसका अभी तक समाधान हम नहीं कर पाये हैं। इसके बारे में आज हमें अवश्य ही संकल्प लेना होगा।

हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या स्वतंत्रता यही कहती है कि जो मन में आये, वही कर डालो? धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर, जो महिलाओं पर अत्याचार कर रही है या उसका समाधान निकालने का कोई भी उपाय नहीं कर पाई है। वह क्या भारतीय नागरिक कहलायेगा, जिसे अपनी नागरिकता का अहसास भी न हो, जहां अनेक सभ्यताओं का जन्म होता है और आपसी सद्भाव का पौधा उगता है। महिलाओं के अत्याचारों को समझने के लिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सकिंवादिता, जातिवाद, समाजवाद, प्रदेशवाद ही ऐसी बीमारी हैं, जो हम भारतीयों की बुद्धि में ताला लगाकर बैठी हैं। यही कारण है कि हम भारतीय कहलाने का गौरव तो महसूस करते हैं, परन्तु औरतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का उन्मूलन नहीं कर पाये। महिलाओं पर अत्याचार करने से समाज में एक भयानक रोग उत्पन्न हो रहा है। अत्याचारित महिला पागल हो जाय तो क्या नहीं होता। संगठित घर टूट जाता है, समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, साम्प्रदायिक दंगे का जन्म होता है, मृत्यु की शैया पर अनेक बेगुनाहों को लेटना पड़ता है। ऐसी घटनाएँ क्या किसी प्रकार के कैंसर से कम हैं? यह बीमारी सामाजिक कैंसर पूरे देश को जलाकर रख देगी, इसी की चिन्ता खाये जा रही है।

महिलाओं पर अत्याचार का समावेश कहां से हुआ, यह सब को मालूम है। यदि हम सदियों के पन्ने पलटने लगें तो प्रत्येक जघन्य अपराध का जड़ से पता लगाया जा सकता है।

महिलाओं पर अधिकतर गरीब, मजदूर, असहाय, दूसरे पर आश्रित, भूख को जिन्होंने अपने पेट में अच्छी तरह महसूस किया, उन पर अत्याचार कई प्रकार से होते थे और आज भी उसका बदला हुआ रूप मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय, औरतों पर अत्याचार कौन करते हैं? औरतों पर अत्याचार करने वाले केवल उस प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं जिन में बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो पशुवृत्ति के लोगों में भी होती है लेकिन कम बुद्धि वाले लोग जिन्हें उकसाया जा सकता है, गन्दी नाली का कीड़ा बनाया जा सकता है, गुंडा-बदमाश बनाया जा सकता है। उनसे कत्ल करवाया जा सकता है, दिन दहाड़े खून-खराबा करवाया जा सकता है। इसी जानवर की बुद्धि को तीव्र कर दिया जाये तो अत्याचार का रूप और चौखलाहट वाला होगा। वे लोग जिन के पास अधिक धन होता है, अधिक बल होता है, वे महिलाओं पर अधिक अत्याचार करते हैं। सामाजिक भेदभाव, व्यक्ति विशेष की दुश्मनी, राजनीतिक प्रभाव, पुलिस का गलत प्रयोग, दहेज का लालच, नशे की आदत, सह शिक्षा, परिवार के मुखिया की अज्ञानता, सरकारी सहायता का दुरुपयोग, हीन

भावना, प्रत्येक छोटी घटना की अवहेलना आदि से भी अत्याचार होते हैं। हर परिवार में पति-पत्नी में आम तौर पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पति हाथ से, डंडे से, लातों से घर में पत्नी को पीटता है और पत्नी सब कुछ सह कर चुप रहती है और इस बात का गर्व करती है कि मैं भारतीय नारी हूँ, जो कुछ मेरे पति ने किया, मुझे सहन करना ही होगा। उन्हें घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखा जाता है। शक के बादल भी औरतों पर ही उमड़ते हैं। परिवार में औरतों का दर्जा कभी ऊंचा नहीं देखा गया। यह घटनायें गरीब, अनपढ़ के साथ ही नहीं हैं बल्कि पढ़े-लिखे और धनवान परिवार में भी मौजूद हैं लेकिन गरीब व हरिजन महिलाओं में यह सब अत्यधिक हैं। कभी भी इस विषय पर उस परिवार के किसी सदस्य ने सोचा तक नहीं है कि औरतों पर जुल्म प्रत्येक परिवार के लिये एक कलंक है।

जिन माननीय सदस्यों ने अभी अपने विचार व्यक्त किये, उन्होंने बलात्कार के विषय में भी बताया। यह एक बहुत घिनौना काम है। देश में, समाज में अबोध बालिका के साथ-साथ बूढ़ी औरतों के साथ ही बलात्कार होता है। हरिजन महिला के साथ यह अत्यधिक होता है। किसी ने इसकी वजह जाननी चाही। जो इसका विरोध करते हैं, उन्हें भून दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है।

महिलाओं पर तेल छिड़क कर आग लगाना रोजाना का समाचार है। ऐसे समाचार आते रहते हैं कि एक बहू को सास ने, जेठ ने, देवर ने आग लगा कर मार डाला, पुरुष वर्ग के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। बेटी ने, बहू ने जहर खा लिया और मर गई। उसने जहर क्यों खाया? कोई भी जीव एक सुई चुभने का दर्द भी सहन नहीं कर सकता। तब ये महिलायें क्यों इतना बड़ा दर्द सहन करती हैं। वजह है, सताया हुआ ढंग जो महिलाओं को आज तक सहन करने के लिये बाध्य करता रहता है। महिलाओं पर अत्याचार करते रहने से भारत की मान प्रतिष्ठा दूसरे देशों में नहीं बढ़ेगी बल्कि कम होगी।

भारत डैवलपिंग कंट्री है। यदि महिलाओं पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ तो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत देश अपनी प्रतिष्ठा को खो देगा और हम लोग जो कि भारतीय कहलाते हैं, एक मृत की तरह रह जायेंगे और भारत देश की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अत्याचार गरीब एवं हरिजन महिलाओं पर होता है। हरिजन शब्द ही अपने आप में प्रत्येक समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता है। किस समाज ने हरिजन को गले लगाया है? औरत हो तो बदलाव की भावना औरतों ही से ली जाती है, क्योंकि औरत पर अत्याचार कर दिया जाएगा तो हरिजन समाज पंगु हो जाएगा। हरिजन महिलाओं में ताकत नहीं है, गरीब हैं और मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं। घर से अत्यधिक बाहर रहती हैं, क्योंकि मजदूरी करती हैं और भेड़िये प्रवृत्ति के लोग उन्हें नोच डालते हैं। गांवों में यदि आप जायें, तो पता लगाया जा सकता है कि हरिजन परिवार गांव के बाहर तक ही रहते हैं और उनके साथ ऐसे कान्ड होते ही रहते हैं। आज भी अगर कोई अपनी बारात घोड़ी पर चढ़ा कर ले जा रहा है, तो पूरी बारात को गोली से भून दिया जाता है। या फिर दुल्हन को उठा लिया जाता है। केवल महिलाओं को ही पूरे समाज के अत्याचार और दुख सहन करने पड़ते हैं।

जैसा मैंने पहले कहा, इस गौरवशाली सदन में विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार का मामला बहुत बार गूंजा होगा और गूंजता रहा है। परन्तु दुःख इस बात का है कि 47 वर्षों की आजादी के बाद भी स्त्री जाति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं और न ही इस जघन्य अपराध से मुक्त हो पाई है। यह अत्याचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। उसके कारण बहुत से हैं, हमें उन कारणों को समाप्त करना होगा। अभी इस बारे में माननीय सदस्या, श्रीमती सुमित्रा महाजन, ने जो विचार व्यक्त किए हैं, बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं और मैं उनकी बातों का अनुमोदन करती हूँ। यह जानते हुए भी कि स्त्री के रूप में मुझे भी, जैसा कि चार्ल्स जी ने कहा, पब्लिक सर्विस कमीशन में छः साल मैम्बर और छः साल चेयरमैन रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। उस समय हिन्दुस्तान में मैं अकेली ही महिला थी, जिसको पंजाब में यह गौरव प्राप्त हुआ था और मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखती थी। इसके साथ ही मैं एक महिला भी थी। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इस गौरव को प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा और बहुत अत्याचार हुए। मैं उन अत्याचारों से बहुत हौसले के साथ निकलती चली गई और रास्ते पर आगे बढ़ती रही। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि अत्याचार मानसिकता की कमी की वजह से होते हैं। अगर हमारी मानसिकता ठीक हो जाए, तो समस्या हल हो सकती है।

यहां सदन में हम रोज कुछ न कुछ कहते हैं और मैं ऐसा समझती हूँ कि वोट बैंक की वजह से कहते हैं, लेकिन बाहर जाकर यदि वास्तविकता देखी जाए, तो कुछ और ही पायेंगे। ग्रन्थों में लिखा है, नारी देवी है, लेकिन वास्तव में नारी को देवी का रूप नहीं माना जाता है। मैं गौरवशाली सदन में केवल इतनी ही कहना चाहती हूँ कि सभी माननीय सदस्यों को यह संकल्प लेना चाहिए कि आज जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों का पूर्ण रूप से समाधान होना ही चाहिए। यह ठीक होगा कि पहले मानसिकता में परिवर्तन किया जाए, लेकिन उसके साथ-साथ यह काम कानून के बिना भी नहीं हो सकता है। जहां तक कानून की बात है, कानून बन तो जाते हैं, लेकिन उन कानूनों का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है और महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं। समस्या यह होती है, अत्याचार होने पर महिला किस तरह से पुलिस स्टेशन पर जाए और किस तरह से केस को दर्ज कराए। अगर केस दर्ज हो भी जाता है, तो पुलिस वाले उस महिला के दरवाजे पर आकर बार-बार परेशान करते रहते हैं। इसी प्रकार की चीजें आपको गांवों में भी मिल जायेंगी। मैं पंजाब राज्य से चुनकर आई हूँ और यह कहना कि पंजाब में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक नहीं होगा। मैंने किसी पेपर में पढ़ा था कि पंजाब के बारे में डाटा कलैक्ट किया गया है और उसमें कहा

गया है कि पंजाब में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसका कारण शराब है। इस नशे ने इनकी स्थिति को दयनीय बनाया है। इसके लिए हम सब मिल कर ही कुछ उपाय कर सकते हैं, कोई समाधान निकाल सकते हैं।

महोदय, मैं अधिक न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज सब माननीय सदस्यों को अवश्य ही यह संकल्प करना चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, कि जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों का पूर्ण रूप से समाधान करेंगे। अभी जैसे सुमित्रा जी ने कहा कि हमको आजादी तो मिल गई है, अब महिलाओं को भी इस बारे में पता चल जाना चाहिए कि उस आजादी से हम भी वंचित नहीं हैं। इतना कहते हुए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हमने यहां अनेक बार चर्चा की है। 1980 में महिला संगठनों ने बम्बई में मथुरा मामले में कुछ वर्तमान कानूनों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। वे अपराधिक विधि में परिवर्तन चाहती थी। हमने इस संघर्ष में अनेक संगठनों का साथ दिया। हमने दहेज से होने वाली मौतों के विरुद्ध भी आवाज उठाई।

तब दो प्रवर समितियाँ गठित की गई थी, मैंने दोनों समितियों में काम किया था। इन समितियों ने अपराधिक विधि में परिवर्तन के लिए अनेक सुझाव दिए थे और उनको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद एक विधान बनाया गया।

जहां तक दहेज प्रतिबंध अधिनियम का प्रश्न है, वास्तव में कांग्रेस पार्टी में इतना साहस नही था कि वह दहेज विरोधी कानून में संशोधन करने के लिए समिति द्वारा की गई सर्वसम्मत सिफारिश को स्वीकार करती। मुझे अभी भी याद है कि हमने संसद भवन के सामने धरना दिया था और हमें पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। मैजिस्ट्रेट ने हमारे मामले को सुना। उन्होंने मुझे बताया कि "आपने एक गम्भीर गलती की है। आपने अपराध किया है क्योंकि आपने संसद सदस्यों को अन्दर आने नहीं दिया है। यह एक बड़ी गलती है आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आप सबको मुक्त कर दीजिए और मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ" उन्होंने सोचा कि इस विधान के पारित होने पर इस दिशा में कुछ हो सकता है। पर क्या हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं।

मेरे पास संसद का एक प्रकाशन है। इसमें लिखा है कि 1985 में 6355 बलात्कार के मामले हुए और इसकी संख्या 1993 में 17,242 है। बीच के वर्षों के कई आंकड़े दिए हुए हैं। 1985 में 15160 शील भंग के मामले हुए हैं जबकि 1993 यह संख्या 20925 है। 1985 में 8440 अपहरण के मामले हुए हैं तो 1993 में 11,837 मामले हुए हैं। 1985 में दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या 835 ही थी। 1993 में यह संख्या 5870 है। 1985 में छेड़खानी के 3531 मामले हुए तो 1993 में 12,009 मामले दर्ज किए गए। 1992 में दहेज में मरने वालों की संख्या 129 थी तो 1993 में इसके 127 मामले हुए। 1994 में ऐसे दर्ज मामलों की संख्या 146 थी। लंबित मामलों की संख्या 124,112 और 106 है। बाकी को छोड़ दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के मामले में आंकड़े क्रमशः 284,315 और 309 हैं। 1993 में दो मामलों में सजा दी गई है और 1994 में यह शून्य है। लंबित मामले 228, 238 और 248 हैं। शेष मामलों को छोड़ दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। 1992 में किसी को सजा नहीं दी गई। 1993 में केवल एक व्यक्ति को सजा दी गई और 1994 में किसी को सजा नहीं दी गई। इसलिए मामले दर्ज करने का क्या मतलब हुआ? कानून तो पर्याप्त संख्या में हैं पर प्रशासन के बेरहम दृष्टिकोण के कारण हर रोज अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं अनेक उदाहरण दे सकती हूँ, अभी हाल में हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि गृह मंत्रालय के लिए अवर सचिव ने अपनी लड़की से बलात्कार किया था और उस लड़की ने गृह विभाग के चार अन्य लोगों के नाम लिए थे। क्या आपने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है? मुझे अनेक मामलों की जानकारी है। जब मैं रोहतक गई थी तो मुझे एक विवाहित महिला की हत्या के बारे में बताया गया था। वह सोनीपत जिले के कटुरा गांव की पूनम थी। उसका शरीर उसके लापता होने के एक महीने बाद मिला। परन्तु किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वह खेत में गई थी परन्तु वापस नहीं लौटी। सब जानते हैं कि किसने ऐसा किया परन्तु किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई कार्यवाही नहीं की गई। डा० के. आर. पुनिया, हरियाणा के पूर्व मंत्री 15 दिन पहले एक प्रतिनिधिमंडल लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री के पास गए थे और एक प्रदर्शन भी किया था। उसका क्या हुआ? क्या आपने कोई कार्यवाही की? गृह मंत्री के नोटिस में हमने कई मामले लाए हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं एक मामला रेल मंत्री के ध्यान में लायी थी उस मामले में उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया गया और लड़की का स्थानांतरण कर दिया गया था। मैं नहीं समझती कि इस संसद में बोलने का कोई फायदा है। पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है। क्या आपने उसको क्रियान्वित किया है? केरल में कोई चुनाव नहीं हुए हैं। जहां कांग्रेस शासन कर रही है वहां कोई पंचायत नहीं होंगे। क्या ऐसा नहीं है? 30 प्रतिशत आरक्षण देने का क्या फायदा है? ...(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम पंचायती संस्थाओं के लिए वचनबद्ध हैं। केरल में पंचायती संस्थाएं 20 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई। पहला पंचायती चुनाव 1952 में हुआ और वहां पंचायतें कार्य कर रही है। पंचायत अनुसूची प्रकाशित की गई है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं न केवल केरल की बात कर रही हूँ अपितु दूसरे अनेक राज्यों के बारे में भी कह रही हूँ.... (व्यवधान) चुनाव कराने में क्या कठिनाई है?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गोपालन, मैं समझता हूँ कि सभी राज्यों में कानून में संशोधन किया गया है और संशोधित कानून के अन्तर्गत चुनाव हुए हैं और महिलाओं का निर्वाचन हुआ है। यह तथ्य है। हम इसकी जांच कर सकते हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : वे आ सकते हैं परन्तु एक वर्ष का समय बीत गया है। उस समय के अन्दर चुनाव क्यों नहीं हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह हो गया है। आप जांच कर सकती हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिला परिषद में महिलाओं को 30 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : तालुक पंचायत और जिला परिषद में न केवल 33 प्रतिशत महिलाएं अध्यक्ष के पद के लिए भी निर्वाचित हुई हैं। हमने ऐसी महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर लगाए हैं जिससे कानूनी पुस्तिकाओं द्वारा वर्तमान कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों से परिचित हो सकें। वे अच्छा कार्य कर रही हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : कर्नाटक में ऐसा पहले था जनता दल की सरकार के समय महिलाओं को आरक्षण दिया गया था और यह चल रहा था। उन पंचायतों को तब भंग कर दिया गया था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। यह एक तथ्य है। मैं इस बात को जानती हूँ क्योंकि कर्नाटक मेरा पड़ोसी राज्य है और मैं वहां अक्सर जाती हूँ। पंचायती राज संकल्प के पारित होने से पहले से वहां यह व्यवस्था चल रही थी। केरल में जिला परिषदों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था परन्तु वे सभी अधिकार वापस ले लिए गए थे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी विधान पारित किया जाता है उसको वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

महिलाओं के रोजगार और अधिकार देने के मामले में क्या किया गया है ? उन्हें रोजगार देना एक महत्वपूर्ण बात है लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं और 70 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। हम उन्हें कैसे बचाएंगे ? यह तभी संभव है जब हम उनके लिए भूमि कानून बनाएं। आप बिना भूमि कानून बनाए ग्रामीण जनता की सहायता कैसे करेंगे ?

अन्यथा, उत्पादन के बढ़ने से इसका फायदा बड़े जमींदारों को होता है। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है ? क्या आपने भूमि कानून को क्रियान्वित किया है। आदिवासी और समाज के अन्य वर्गों की क्या दशा है ? उन्हें दुख उठाने पड़ रहे हैं। महत्व की बात यह है कि उन्हें जमीन दी जाए जो नहीं दी जा रही है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उनकी स्थिति सुधारी नहीं जा सकती। 'जहां' महिलाएं काम कर रही हैं वहां श्रमिक कानून लागू नहीं किया गया है।

मैं आज रोहतक गई थी जहां कल 13 महिलाएं और 6 बच्चों सहित 23 व्यक्तियों की मौतें हुई थी। श्रमिक कानूनों के बारे में क्या कहना है ? क्या श्रमिक इन्सपेक्टर वहां जाते हैं ? जहां महिलाएं काम करती हैं वहां श्रमिकों के सभी कानूनों का उल्लंघन होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप महिलाओं की सहायता कर रहे हैं ? श्रमिक कानूनों को लागू करने के लिए राजनैतिक इच्छा होनी चाहिए।

महिलाओं का आर्थिक दर्जा भी बहुत महत्व रखता है। उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। रोजगार योजना में कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं ? स्थायी समिति की रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि रोजगार योजना को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ? महज प्रस्तुत करके इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। महिलाओं को अत्याचारों से बचाने के लिए महिला रोजगार एक बहुत बड़ा मापदंड है।

आदिवासी क्षेत्रों में क्या हो रहा है ? वजनाद क्षेत्र में मैं अनब्याही माताओं की दशा जानती हूँ हमने उनके हित को उठाया है। मैं इस क्षेत्र में भी कार्य कर रही हूँ लेकिन वहां क्या हो रहा है। ओ.डब्ल्यू. ए. की लागत मांगी जा रही है परन्तु क्या सरकार उनकी सहायता के लिए आई है। मैंने केन्द्रीय मंत्री जी को भी लिखा है। उनकी सहायता की जानी चाहिए।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : क्या आप मेरी बात सुनेगीं ? महोदया, मैं रोजगार के बारे में बताना चाहूँगी। हम जवाहर रोजगार योजना में इस योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। राष्ट्रीय महिला कोष के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आंगनवाड़ी योजना के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें लाखों महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस कार्यक्रम को पूरे देश में चलाया है। इसलिए हम समूचे देश को दो वर्ष में कवर करना चाहते हैं। देश में पहले ही 12,500 क्रेच कार्य कर रही हैं। हमने एक राष्ट्रीय क्रेच निधि-स्थापित की है। ये सब योजनाएं महिलाओं के लिए रोजगार का सृजन करने हेतु आरम्भ की गई हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। इनसे महिलाओं को क्या फायदा पहुंचा है ? कितनी प्रतिशत महिलाएं इससे लाभान्वित हुई हैं ? इस स्कीमों की स्थिति क्या है ? मैं आंगनवाड़ी कार्यक्रमों सहित सब पर चर्चा करने को तैयार हूँ पर अध्यक्ष महोदय मुझे इसकी अनुमति नहीं देंगे। आपको उनके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। पटाखों की एक फैक्ट्री में कार्य करने वाली महिलाएं अपने साथ एक साल और दो साल के छोटे बच्चों को भी ले गई थी। जो वहां सब जल गए थे। क्या उनके लिए कोई क्रेच हैं। देश में कुल 12,000 क्रेच हैं क्या आप वहां क्रेच की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यही मैं पूछना चाहती हूँ। कानूनों को लागू करना होगा ऐसी स्थितियां पैदा करनी होंगी। वास्तव में हरिजन औरतों, आदिवासी औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है। उन पर अनेक

अत्याचार हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए बहुत काम करने हैं। क्या आप इन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं? मैं उन परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं जो आप लागू कर रहे हैं, यदि इस सरकार में राजनैतिक इच्छा है तो यह बहुत कुछ कर सकती है। महिला आयोग है। क्या आपने उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया है? महिला संगठनों ने मिलकर यौन अत्याचार विधेयक तैयार करके उसे महिला आयोग को भेजा है और उसने इसे सरकार को प्रस्तुत किया है। आपने उसका क्या किया? दिल्ली में हुए बलात्कार के तीन मामलों में से दो मामले अवयस्क बच्चों से संबंधित हैं। आपने उनका क्या किया है। आप इस संबंध में निष्क्रिय हैं, आपको इसके प्रत्येक पहलू में देखना होगा। मैं महिला संगठन में भी कार्य कर रही हूं। इसलिए मैं जानती हूं कि समूचे भारत में क्या हो रहा है। आप कानूनों को लागू नहीं कर रहे हैं राजनैतिक इच्छा के बिना आप इन कानूनों को लागू नहीं कर सकते और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे और इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। देश में विकसित हो रही नई आर्थिक नीति संस्कृति से भी महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार के मामले हो रहे हैं। शहरों में भी क्या हो रहा है? मैंने एक मामले के संबंध में श्री पायलट को लिखा है। कुछ लड़कियों को जो जामिया में पढ़ती हैं, रात के समय कोई कार्य के लिए जाना पड़ता है और वे एक मकान में ठहरी हुई थी। जब वे घर गई....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया बताएं आपको अपनी बात कहने के लिए कितना समय चाहिए क्योंकि हम समस्याओं को जानना चाहते हैं और उसका समाधान भी निकालना चाहते हैं। इससे चर्चा सही दिशा में होगी अन्यथा आप जानते हैं कि समस्याएं हैं और हम उन पर चर्चा करते जायें तो हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, यह एक सामाजिक बुराई है और यह राजनैतिक भाषण दे रही हैं जो बहुत गलत है...(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह राजनैतिक भी है क्योंकि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है...(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : हम उनकी चिंता के साथ सहमत है। मैं भी इस विषय पर बोला हूं....(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं इन मामलों को जानती हूं। नीतियों का अपराधीकरण....(व्यवधान)

प्रो० सावित्री अलगण (मुद्दुचेरपुरम) : महोदया, आपके कहने का यह तात्पर्य है कि ये सभी अत्याचार कांग्रेसियों द्वारा हो रहे हैं और कांग्रेसी सरकार अपराधियों आदि को बचा रही है? यदि यही आपका आशय है तब मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन समस्याओं का समाधान राज्यों में ही होगा। राज्यों में विभिन्न सरकारें हैं और वे भिन्न-भिन्न दलों के हैं यह एक ही पार्टी या दूसरी पार्टी या अन्य सरकार की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : कुछ सिद्धांत निकालने पड़ेंगे... (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह बिल्कुल ठीक है जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया है। हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए जो निष्पक्ष हो। लेकिन इसे राजनीति के साथ साम्य करना गलती होगी।

6.00 म.प.

ये सभी समस्याएं हमारी राजनैतिक और आर्थिक ढांचे में जड़ जमाए हुई हैं और हमें इसे देखना होगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने दृष्टिकोण की बात कहने दीजिए। उन्हें अपना दृष्टिकोण बनाने का अधिकार है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह राजनीति से स्वतंत्र नहीं है। निश्चय ही हमें इसे राजनीति से अलग रखना होगा जो पूरी तरह से अलग-मामला है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : राजनीति के अपराधीकरण होने से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं क्योंकि किसी भी अपराध में राजनीतिज्ञ अपराधियों को बचाते हैं क्या आप वहां से अपना हाथ खींचने को तैयार हैं? क्या आप शपथ लेंगे कि आप अपराधियों को नहीं बचाएंगे? हमारे राजनीतिक नेता अपने कार्य में गुंडो का इस्तेमाल करते हैं। क्या यह ठीक बात है? यह मैं व्यावहारिक जीवन की बात कह रही हूं। क्या कोई पार्टी ऐसा कर सकती है? क्या आप निर्णय लेने को तैयार हैं कि आप अपराधियों का समर्थन नहीं करेंगे? लोगों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। इस मामले में सरकार को आगे आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब 6 बज रहे हैं। हम इस पर चर्चा पूरी करने के लिए कुछ देर और बैठेंगे। कृपया ठीक बात पर बोलिए। इस पर चर्चा के साथ सुझाव भी दीजिए तभी चर्चा सार्थक हो सकेगी।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इसलिए हमें कई बातें करनी होंगी। हम, जो कानून पारित हो गए हैं उन्हें पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। अभी और अनेक बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। क्या हिन्दू कानून महिलाओं की सहायता करता है? हिन्दू कानून में अनेक बातों को बदलना होगा। क्या महिलाओं के पास साझे का अधिकार है? वास्तव में कई राज्यों में ऐसा नहीं है, महिलाओं के पास संपत्ति के पूरे अधिकार नहीं हैं और उन्हें बच्चों की अभिरक्षा का भी

अधिकार नहीं है। अन्य कई बातों में हम उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे हैं। कोई भी दूसरे कानून चाहे वह मुस्लिम कानून हो या ईसाई कानून हो, महिलाओं को बराबरी पर नहीं ला रहे हैं। सब कानून महिलाओं के साथ भेदभाव बरत रहे हैं। हमें इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करना होगा। और इन पर कानून बनाना होगा। हमारे संविधान में यह दिया हुआ है कि धीरे-धीरे कानून की बराबरी सब के लिए लाई जाए। पर हम पीछे की ओर जा रहे हैं। मैं फिर इन पर चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि इससे विवाद पैदा होगा।

इसके बदले क्या आप कम से कम विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था करेंगे ? रजिस्टर में नाम दर्ज होने पर रिकॉर्ड तो रहेगा। इस तरह की स्थिति पैदा करके समान कानून अपना सकते हैं किंतु वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है। हमने अनेक कानूनों का दंड प्रक्रिया संहिता 125 का सुझाव दिया है। वास्तव में मैंने एक विधेयक दिया था परन्तु बैलेट के कारण यह नहीं लिया जा रहा है और हम उस पर चर्चा नहीं कर सके हैं। उस विषय पर महाराष्ट्र राज्य में अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए संशोधन लाया गया है। पश्चिम बंगाल में यह 3,000 रुपये कर दिया गया है। मुम्बई में इसकी कोई सीमा नहीं है। परन्तु हम कौन सा कानून ला रहे हैं यहां अधिकतम सीमा 1,500 रुपये है। संसद को समूचे कानून का पुररीक्षा करनी चाहिए। महिलाओं की रक्षा करने के लिए अनेक अन्य कानून हैं। उन्हें लिया जाना चाहिए।

कारखाना कानून को सही ढंग से क्रियान्वित करना चाहिए। बच्चे खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे हैं। इसको पक्षपात रहित क्रियान्वित करना चाहिए लेकिन इसके लिए हमें अनुकूल स्थिति बनानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि महिलाओं का निम्न आर्थिक स्तर सुधारना होगा इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। इनमें भूमि कानून एक है। रोजगार योजना आदि में जो खामियां नजर आई हैं उन्हें दूर करना होगा तभी हम कुछ कर पाएँगे, यह एक बहुत विशद विषय हैं। मुझे आशा है कि इन सभी कानूनों का प्रारूप पुनः तैयार करके उन्हें पुनः पुरःस्थापित किया जाएगा।

महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए अनेक सिफारिशें की गई हैं। पुलिस स्टेशनों और डी.एस.पी. के हेड आफिस में कमेटियां होनी चाहिए। एक परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए जिसमें महिला संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए। हम उनसे अपील कर सकते हैं और यदि कोई गलती होती है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। यह बहुत समय से चली आ रही मांग है। इस संबंध में कितना कुछ किया गया है ?

इन सब बातों को ठीक करने के लिए संयुक्त प्रयास होने चाहिए तभी हम स्थिति को बदल सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री पवन कुमार बंसल और एक या दो सदस्यों को भी बोलना चाहिए। यह विषय सिर्फ महिलाओं को बोलने के लिए नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : कृपया मुझे पांच मिनट बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही मैं यह अनुरोध करता हूं कि हमें यह मौका यह चर्चा करने के लिए मिला है कि समस्याएं क्या हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है और यदि हम अलग-अलग केसों को लेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गिरिजा देवी का नाम यहां है और वह निश्चय ही बोलेंगी। अब श्री पवन कुमार बंसल बोलेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, परपंरागत रूप से भारतीय समाज ने महिलाओं को बड़ा ऊंचा स्थान दिया है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, सहधर्मिणी के रूप में, उसकी भूमिका पवित्र मानी जाती है और संभवतः हिन्दू धर्म में ही महिलाओं को पूजा जाता है। हमारे यहां ज्ञान की देवी है।

अध्यक्ष महोदय : सेंट मेरी को भी पूजा जाता है।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। इस तथ्य के बावजूद कि महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में बहुत ऊंची है फिर भी यह विरोधाभास है कि सामाजिक वर्जनाएं होने के कारण महिलाओं को अत्यधिक निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास वाले पारंपरिक और रूढ़िवादी समाज में मुख उठाने पड़ते हैं।

इस संदर्भ में कुछ वर्ष पूर्व कालीकट में हुए महिला सम्मेलन का संदर्भ देना समीचीन होगा। मैं उसको उदधृत करता हूँ:

> ''किसी नारी को हिंसा का सामना तभी से करना पड़ता है जब वह गर्भ में होती है। एमनिओसेंटीसिस एक ऐसा तकनीकी तरीका है जिसके द्वारा लड़कियों को उनमें द्वारा विरोध करने से पूर्व ही गर्भ में मार दिया जाता है और इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं क्योंकि माँ पर हमेशा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है, उसका घर ऐसा क्षेत्र है जहां यह हमले होते हैं। शराबी पति, दहेज के भूखे ससुराल वाले, वित्तीय समस्यांए और छोटी लड़कियां जिन्हें पोषाहार नहीं मिलता है। उस ताकत को बताते हैं जिनसे घर की चार दीवारी के अंदर औरत पर हमला किया जाता है।''

महोदय, महिलाओं का शोषण, उस पर हमला, चाहे शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक हो, उस बुराई के संकेत हैं जो हमारे सामाजिक ढ़ाचे में निहित हैं। महिलाओं पर अत्याचार अनेक रूपों में होता है और उसे परेशान करने तथा धमकी देने की मात्रा अलग-अलग होती है। उसकी यह स्थिति है चाहे यह उसका घर हो या दफ्तर। बलात्कार, छेड़खानी और महिलाओं के प्रति अन्य प्रकार के अपराधों की बढ़ती

संख्या बड़े स्पष्ट ढंग से व्यक्त की गई है। यद्यपि हमारे पास बलात्कार के आंकड़े हैं परन्तु यह सभी जानते हैं कि एक बड़ी संख्या में बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट नहीं होती है क्योंकि बलात्कार की शिकार महिला शर्म की वजह से इस कारण से पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं कर पाती है क्योंकि इसके साथ सामाजिक कलंक लगा हुआ होता है। संभवतः यही एक ऐसा अपराध है जहां समाज द्वारा बलात्कार की शिकार महिला को नफरत की दृष्टि से देखा जाता है न कि अपराधी को।

परेशानी, शर्म और अपमान के कारण बहुत बड़ी संख्या में बलात्कार की शिकार महिलाएं पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। इस कारण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस लक्ष्य के बावजूद भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता में अनेक संशोधन किए जाने के बाद भी स्थिति वैसे ही शोचनीय बनी हुई है। यह प्रावधान है लाश का पोस्टमार्टम दो डाक्टरों द्वारों किया जाएगा, पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र तभी देगी जब लाश की शिनाख्त हो जाएगी और मृतक के निकट संबंधी ने उसको देख लिया है। फिर भी कानून में कई खामियां हैं जिसके कारण न्याय देने में रुकावट पड़ती है। ऐसे भी मामले हुए है जहां स्पष्ट है कि ससुराल वालों ने लड़की का गला दबा कर उसे मार डाला है और तत्पश्चात उसका शरीर जला दिया है परन्तु न्यायालय में वकील ऐसे तर्क देते हैं कि अपराधी के विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं होता है। यदि हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना करनी चाहिए जो महिलाओं की हत्या या आत्महत्या के मामलों को देखे। इसके सदस्य न्यायाधीश या प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता होने चाहिए। अन्तिम न्याय देने में कानूनी भाषा को आड़े नहीं आने देना चाहिए।

शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इससे महिलाओं में बराबरी की भावना पैदा होती है और अपने अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता उत्पन्न होती है। शिक्षा का नारी पुरुष में भेदभाव मिटाने का एक महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा से दृष्टिकोण और परिवार सहित सामाजिक ढांचे में काफी परिवर्तन आता है। यह खुशी की बात है कि शिक्षा नीति में महिलाओं को शिक्षा देने और कानूनी शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है।

महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि आयोजनाकारों, नीति निर्माताओं और प्रवर्तन तंत्र को महिलाओं की भूमिका, समाज में उनको स्थान के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और एक संदर्भ में मैं अपको और गीता जी को आज संसद में इस विषय पर चर्चा करने के लिए बधाई देना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि इससे वांछित परिणाम हासिल होंगे। हम वैसे अति उत्साह से एक दूसरे की खामियां निकालते हैं परन्तु कुल मिलाकर आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर हुई है जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए अनेक उपायों के बावजूद, जो हमेशा हमें आंदोलित करता रहा है।

मुझे मालूम है कि विकसित देशों में भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं। वहां प्रति लाख जनसंख्या के पीछे बलात्कार की संख्या अधिक है। परन्तु यहां की स्थिति के जहां 54 प्रतिशत बलात्कार के मामले 7 से 16 वर्ष का मासूम लड़कियों के साथ होते हैं यहां तक कि 7 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों के साथ भी होते हैं मैं समझता हूँ कि हमें सोचना होगा कि इस बुराई की जड़ क्या है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए।

मेरे विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग हमारे समाज में व्याप्त इस बुराई से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं जानता हूँ कि इसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। परन्तु फिर भी यह आयोग कुछ लाभदायक काम कर रहा है क्योंकि इसे महिलाओं के मिले संवैधानिक और कानूनी सुरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन करने और उस पर निगरानी रखने का अधिकार मिला हुआ है। यह विशिष्ट शिकायतों को भी देखता है। मैं समझता हूँ कि यदि यह आयोग दिन प्रतिदिन के आधार पर काम करते तो ऐसा वातावरण पैदा हो सकता है जिसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर ध्यान दिया जा सकता है। संसद और विधान सभाओं को भी आयोग सुझाव दे सकता है कि हम अपेक्षित संशोधन लाएं और ऐसी खामियों को दूर करें जिनसे दोषी व्यक्ति महिलाओं के विरुद्ध अपराध करके बच निकलता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं को कम करने के लिए महिलाओं को अधिकार दिलाया जाए। यहां ढांचागत परिवर्तन किया जाना चाहिए। लोगों की आलोचनाओं के बावजूद एक अच्छा काम किया गया है और वह है स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना। मुझे वस्तुतः इस बात में संदेह नहीं है। जो माननीय सदस्या श्रीमती गोपालन ने कहा है। पर मेरे विचार से शुरू से ऐसा हुआ था जब कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों की स्थापना के लिए समय सीमा की उपेक्षा की गई है।.पर मुझे विश्वास है कि दो क्रांतिकारी संवैधानिक संशोधनों की स्वीकृति के बाद इन निकायों में चुनावों को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकेगा। हो सकता है कि महीने की समय सीमा की शर्त पहली बार बनने वाले स्थानीय पंचायतों अथवा नगर निगमों पर लागू न होती हो पर मुझे विश्वास है कि धीरे-धीरे चुनाव होंगे और महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान मिलेगा। इस तरह से वे समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा सकेंगी।

महोदय, कहीं से तो शुरूआत करनी होगी चाहे यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो या स्वरोजगार के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम हो, प्रधान मंत्री जी ने हाल में महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम की घोषणा की थी। संसाधनों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के स्तर को देखते हुए यह एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना में यदि कोई महिला डाकखानें में अपने नाम से खाता खोलती है और वर्ष में 300 रुपये जमा करती है तो सरकार उसमें 75 रुपये देगी। लोग इसे छोटा सा उपाय कहेंगे परन्तु यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

अब तक किसी बच्चे की माँ स्कूल में बैंक की शाखा में जाकर

फीस एकाउंट में जमा नहीं कर सकती थी क्योंकि एकाउंट पिता के नाम पर खोलना होता था अब ऐसा नहीं होगा जो कि क्रांतिकारी कदम है कोई महिला अब अपने नाम का एकाउंट खोलकर पैसा जमा कर सकती है उस पर सबसिडी अर्जित कर सकती है।

इसी प्रकार और भी अनेक योजनाएं हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, 'स्टेप', 'नोएड' आदि। मुझे विश्वास है कि यदि सरकार दृढ़ हो तो महिलाओं के समक्ष आने वाली कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले तो इसके लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्वयंसेवी संगठनों को मान्यता मिले और उन्हें बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन संगठनों ने विभिन्न स्थानों में मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए शार्ट स्टे होम खोले हैं। उनके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है।

सरकारी एजेन्सियों और गैर सरकारी स्वयंसवी संगठनों को एक साथ लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। वे महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लोगों की नजर में ला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए तो काफी सफलता मिल सकती है। इन शब्दों के साथ मैं आपको मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब गिरिजा देवी जी बोलेंगी, गिरिजा देवी जी हम इस मामले पर चर्चा बहुत समय बाद कर रहे हैं। हमने इसके लिए बहुत इंतजारी की। यदि हम सुसंगत बात करे तो इसमें हमें बहुत मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपनी भावनाओं के आधार पर जो मैंने समाज में महसूस किया है, उसी को यहां पर व्यक्त करने का प्रयास करूंगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप जितना टाइम चाहिए, ले लीजिए।

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मुझे न सरकारी प्रशंसा कर के उन गायकों जैसा बेसुरा गायन करना है, जो अपनी पीठ अपने आप थपथपाते हैं और न ही किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : आप जितना टाइम चाहिए, ले लीजिए।

[अनुवाद]

मैं यह कह रहा हूँ कि यदि हम उस ढंग से करें तो यह अधिक अच्छा होगा। इसके लिए समय की कमी नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : महोदय, यह मामला इतना बढ़ गया है कि दो वर्ष से लंबित पड़ा है और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और धीरे-धीरे होते-होते आज यह समय आया है जबकि कुछ समय इस पार्लियामेंट ने निकाला है और आज हम महिलाओं पर एट्रोसिटीज की घटनाओं पर विचार करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं।

महोदय, एट्रोसिटीज के कई प्रकार हैं। वे परिवार में भी हैं, समाज में भी हैं, मानसिक स्तर पर भी हैं, शारीरिक स्तर पर भी हैं, आर्थिक स्तर पर भी हैं और धार्मिक स्तर पर भी हैं।

महोदय, बीसवीं सदी में जो मर्दुम-शुमारी हुई थी उसमें हमारी संख्या एक हजार के मुकाबले में 990 थी और आज हालत यह है कि शिक्षा और साइंस की तकनीक के विकास के साथ-साथ हमारी संख्या घट गई है और अब एक हजार महिलाओं के पीछे हमारी संख्या केवल 910 रह गई है। इस तरह से ऐट्रोसिटीज जन्म लेने के बाद नहीं, जन्म लेने के पहले शुरू हो रही हैं। आज स्थिति विस्फोटक स्तर पर आ गई है। इसलिए हम यहां सुध लेने के लिए उपस्थित हुए हैं।

महोदय, जो आंकड़े दिये गये हैं चाहे वे रेप के हों, डावरी डेथ के हों, मोलेस्टेशन के हों, लड़कियों को भगाने के हों या उनसे अवैध धंधे करवाने के हों, वे आंकड़े समूचे अधूरे हैं। हमने आज तक कभी यह काम नहीं किया है उनका सर्वे करवायें। औरतों पर कितने प्रकार से कहां-कहां अत्याचार हो रहे हैं, इसके आंकड़े हमारे पास अच्छी तरह से विद्यमान नहीं हैं। हम आज उसको शब्दों में मंडित नहीं करते और अगर यह कहें कि भारत एक ऐसा देश है जहां मैत्रेयी और गार्गी हुई, जहां इम्पावरमेंट ऑफ वूमैन के लिए वे सब उपमहाद्वीप हैं। जहां सबसे पहले श्रीलंका में भण्डारनायके हुई। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, बेनजीर भुट्टो हुई और बंगला देश में जिया हुई। बर्मा में जो चाईनीस हैं, वे कैद हैं, यह सारी सौर ऊर्जा महिलाओं में है लेकिन आज उनकी दशा क्या है। आज दशा यही है कि हमारी बेटियां रोज सरे आम बेइज्जत हो रही हैं। हम और हमारी बेटियां रोने के लिए कहां जाये। वे बाप के घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। यदि पुलिस के यहां जायें, तो होम डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करता है और वह भी छुपकर नहीं बल्कि उसे एक होटल में ले जाकर, वहां ब्लू फिल्म लगाकर उसके साथ बलात्कार करता है। हमारे यहां जो न्याय की प्रणाली है, जो परम्परा बनी हुई है, उसके तहत कहां न्याय मिलेगा। महिलाओं के आपने जितने सुझाव दिये हैं, जितने नियम बदले हैं, रेप के लिए, मोलेस्टेशन के लिए आपने जो नियम बदले हैं, सशक्त किये हैं, क्या उसमें वह आठ वर्ष की लड़की जा सकती है? हमारे यहां जितने रेप के मामले हैं, जितने आपने दिये हैं, उन सबके बचाव के रास्ते इंडियन पीनल कोड में दिये हैं। मोलेस्टेशन के लिए दिया है, किडनैपिंग के लिए दिया है, रेप के लिए दिया है। लेकिन आज हालत यह है कि रेप प्रति 54 मिनट में एक हो रहा है, मोलेस्टेशन प्रति 26 मिनट में एक हो रहा है, किडनैपिंग

प्रति 43 मिनट में एक हो रही है, एबटीजिंग प्रति 51 मिनट में हो रहा है, डावरी डेथ प्रति 42 मिनट में एक हो रही है, एक्ट ऑफ ब्रुएलटी प्रति 33 मिनट में एक महिला पर हम अमानुषिक व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से एक क्रिमिनल एक्ट एगेनेस्ट ह्यूमैन प्रति सात मिनट में हो रहा है। मैं यह मानकर चलती हूँ कि हमारे यहां जो सरकारी आंकड़ा है, वह आधे से भी कम है।

महोदय, इसके लिए हमने बार-बार प्रयास किया है। सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर इस कदम को पूरी तरह से महिलाओं को बांटकर या दल में बांटकर, मैं कुछ नहीं कहना चाहती लेकिन जो सरकारी प्रयास हुए हैं, उसमें महिला अपराध शाखा को खोला गया है। उस महिला अपराध शाखा की हालत आज यह है कि वहीं की दो महिला कर्मचारी के साथ वहां के एक अधिकारी ने बुरी नजर डाली। ऊषा धीमन के केस पर जब महिलायें सहारनपुर गयीं तो उन कर्मचारियों का आलम यह था कि महिलाओं ने पुलिस को घूस देने के लिए एक घूस कोष उठाया था। यदि गृह विभाग हमको बचाने के लिए है तो यह उस गृह विभाग का नंगा चित्र है कि उस महिला को बचाने के लिए यह गृह विभाग बिल्कुल अपनी शर्म तोड़ देता है और ये सारे के सारे बेशर्मी की सीमा तोड़कर बेशर्म होकर घूमते हैं। इस सारे वेनकाब माहौल से हमको बचाना है। चाहे वह ऊषा धीमन का केस हो या उत्तर प्रदेश में चचेरे भाई से विवाह करने की शंका में लड़की को मार डाला गया हो, हरियाणा में कत्ल कर दिया गया हो। हरियाणा में एक मीणा जाति की महिला के साथ बलात्कार हुआ जिसमें वहां के प्रधान के लड़के की भागीदारी थी और यह कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे घर से कोई गवाही देने जायेगा तो उसकी भी इज्जत ले ली जायेगी। वहां कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। आज हालत यह है कि पंजाब की कारगर महिलाओं के माथे पर जेबकतरी होने का गोदना गोद दिया गया। क्या पुरुषों के साथ कभी ऐसा व्यवहार होता है ? हम कहते हैं कि हमारे यहां पर यह परम्परा है। अभी हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता''। हम स्त्रियों का स्थान देवता का मानते हैं। अभी हमारी सुमित्रा बहन ने दुर्गा की स्तुति की है। मैं भी जब-जब दुर्गा की स्तुति पढ़ती हूँ तब-तब उन्हें बदहाल देखती हूँ। उनके मुकाबले जिन राक्षसों को खड़ा किया गया था, विष्णु के द्वारा ही विलास में उत्पन्न किया हुआ एक राक्षस था और उनको दुर्दशा के रूप में माथे के बाल खींचकर धूम्रलोचन ने कहा था कि तुम चलो, मेरे स्वामी के साथ विवाह कर लो। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अन्दर शक्ति नहीं है। इसलिए आज वह समय आ गया है कि महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनसे बचाने के लिए उनको सशक्त किया जाए। आपने बहुत सारे पीनल कोडस में बदलाव किया है जिसमें एंटी डाउरी कोड को भी सशक्त किया है, उनकी गवाही को भी सशक्त किया है। लेकिन मौत के बाद बदला लेंगे तो किससे लेंगे। वह बेचारी तो मौत के घाट चली गई है, सो गई है और सती होने वाली महिलाएं फिर आकर इस संसार का सुख नहीं भोग सकतीं। जिनको जन्म लेने से पहले ही दफना दिया गया, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते।

ऐमपावरमैंट ऑफ वूमैन की बात आती है लेकिन उसमें आप 75 रुपये जमा करने के बाद 25 रुपये देते हैं। उससे क्या ऐमपावरमैंट होगा ? आप महिला कोष की संरचना करते हैं लेकिन आपने कितनी महिलाओं को उससे शक्ति प्रदान की है ? ऐमपावरमैंट ऑफ वूमैन में आपने 33 प्रतिशत दिया है लेकिन आप यहीं बेनकाब हैं। हमारे यहां 20 प्रतिशत से भी कम महिला मंत्री हैं - एक कैबिनेट रैंक की हैं, 4 स्टेट मिनिस्टर्स हैं और एक डिप्टी मिनिस्टर है। हालत यह है प्रौटेक्शन की कि हमारे यहां ह्यूमन रिसोर्सेस की दो मंत्री बैठी हुई हैं। एक के क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ रेप हुआ और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा समाचार 1 दिसम्बर, 1992 को निकला। वहां के नवोदय विद्यालय, जिसकी ये कर्ता-धर्ता हैं, के प्रिंसीपल ने एक छात्रा के साथ रेप किया। नवोदय विद्यालय में 48 रेप के केसेस हुए हैं उनके भागीदार वहां के शिक्षक भी हैं।.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके रोकने के लिए क्या किया जा सकता है ?

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : मैं बहुत कम समय में ले रही हूँ, इतना कम समय किसी वक्ता ने नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम जानना चाहेंगे कि इसे दुरुस्त करने के लिए क्या कर सकते हैं ?

श्रीमती गिरिजा देवी : इसके उपाय हैं। हम उन कानूनों को धार-धार बनाएं....(व्यवधान) यदि आप दो मिनट देंगे तो मैं बोलूंगी।

अध्यक्ष महोदय : आप 10 मिनट, 15 मिनट लीजिए लेकिन यह बताइए कि क्या उपाय कर सकते हैं।

श्रीमती गिरिजा देवी : इससे पहले गृह विभाग के एक कर्मी ने अपनी लड़की के साथ रेप किया और जब यह मामला उठाया गया तो उस समय....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे बार-बार न दोहराएं। यह कहा गया है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : सरकार का यह आश्वासन मिला है कि यदि कानून में परिवर्तन करना पड़ा तो वह भी करेंगे। इसलिए अपने कानूनों को धार-धार बनाइए। केवल कानून ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों

की बैठक बुलाइए जिसमें यहां के सब सांसद यह कसम खाएं कि यदि हमारे घर के बच्चे या रिश्तेदार किसी रेप कांड में इनवॉल्व होते हैं तो हम उन्हें सजा दिलवाने वालों में सबसे अग्रणी होंगे, उनको बचाने वालों में नहीं होंगे। इसी तरह से डाउरी डैथ सबसे बड़ी है। यदि हम डाउरी लेने या देने में कहीं शरीक होते हैं तो हमारी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। जितने भी लोग हैं, उनसे कहिए आज ही प्रण ले लें कि डाउरी देंगे न डाउरी लेंगे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। डाउरी एक मिनट में खत्म हो जाएगी और उसके कारण मृत्यु भी नहीं होगी। दिल्ली में इन लोगों की आंखों के सामने डाउरी डैथ्स हो रही हैं और हमारे हाथ में न ही सामाजिक तौर पर, न ही कानूनी तौर पर कोई अस्त्र-शस्त्र है। इसलिए कानूनी तौर पर तो हम ऐमपावरमेंट करें ही लेकिन जो समाज के चुने हुए नुमाइन्दे हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी होती है। अध्यक्ष जी, आप हमारे मुखिया हैं, अगुवा हैं, मालिक हैं। आप सबको बुलाएं और कहें, यह कसम खाएं कि न दहेज देंगे, न लेंगे। इसी प्रकार हम अपनी लड़कियों के साथ जो गैर-बराबरी करते हैं, उसमें केवल पुरुष ही प्रताड़ना देने वाले नहीं होते, बल्कि महिलाएं भी प्रताड़ित करती हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : कृपया अपना सुझाव दीजिए, महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिऐ आपके सुझाव हैं। आप वरिष्ठतम सदस्य हैं और हम आपके सुझाव चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन वे नहीं समझ रहे हैं।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : कृपया हमें अपना सुझाव दीजिए कि महिलाओं पर अत्याचार कैसे रोका जाए। मैं आपसे सुझाव चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि समूची सभा मुझे सुझाव दे। मैं सुझावों का स्वागत करती हूँ। कृपया मुझे सुझाव दें कि हम इन बातों को कैसे कम कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : मैंने आपको सजैस्ट किया कि आप उन ब्रूटल आदमियों को बुलाएं और उन्हें सजा दें। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है।

मैं बार-बार उसको इसलिए छेड़ती हूँ, क्योंकि मेरे मन में उस कार्यकर्ती के लिए दुख है। जहां तक लड़कियों को गैरबराबरी की बात है, अभी राज्य सभा में बिल आया था, क्यों नहीं हमने उसे पास कर दिया? वह उस समय हो जाता। एक बराबर अधिकार देने की बात वीणा जी लाई थी कि जैसे ही हम पतिगृह में जाती हैं तो हमें इन्तजार करना पड़ता है, जब हमारे घर में बंटवारा होगा, तब पति के घर में वहां की दौलत की हम हकदारिनी हो सकती हैं। क्यों नहीं विवाह के साथ ही हमको हक मिलता? पति के घर में भी बंटवारे के बाद *ही लड़की को हक मिलता है। एक साथ बैठकर यदि हमको एम्पावरमेंट* ऑफ वूमेन के लिए सोचना है तो सबसे पहले उसके राइट ऑफ प्रापर्टी में फेरबदल करना होगा। एक बिल यहां आया था, हमने सहर्ष ही उसको स्वीकार कर लिया, वह पारसी बिरादरी के लिए आया था, जिसमें लड़कियों को 50 प्रतिशत हक दिलवाने की बात कही गई थी।

इन सारी बातों के साथ आज मुझे ऐसा लगता है कि यहां कुछ कहना अरण्यरोदन है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए और उन सारी लड़कियों को, जो तबाह हैं, बदहाल हैं, उनको अपनी संवेदना देते हुए यहीं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्रीमती गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि विलम्ब से आने के बावजूद आपने मुझे समय दिया।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा, मैं अपने आपको उसमें सम्मिलित करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायर साहिर जी ने जो अपने शेर में कहा है, वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता :

> ''मदद मांगती है ये राधा की बेटी, यशोदा की हमजन, जुबेदा की बेटी।''

इसी के तहत मैं एफिजिनिया की कहानी को भी कभी नहीं भूल सकती। वर्षों पुरानी यूनान की कहानी है एक बार दुर्भिक्ष पड़ा और पंडितों ने घोषित कर दिया कि जब तक सबसे सुन्दरतम कन्या का वध नहीं किया जायेगा, हम दुर्भिक्ष से मुक्त नहीं हो सकेंगे। पहले कन्या ने और उसकी माँ ने उसका विरोध किया, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में उनकी कौन सुनता। मैं सदन को उस परिदृश्य के साथ ले जाना चाहती हूँ कि जब उसके बलिदेवी की तरफ लाया जा रहा है और बहुत मंत्रोच्चार के बीच में पंडित कहते जा रहे हैं कि एफिजिनिया, तुम सौभाग्यशाली हो, कल से तुम्हारे लिए मंदिर बनेंगे और चर्च बनेंगे, क्योंकि तुम इस देश के लिए और धर्म के लिए अपने आपको कुरबान कर रही हो। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में अन्तिम इच्छा के रूप में कुछ हो तो तुम कह सकती हो। पहले तो एफिजिनिया इंकार करती है, लेकिन बलिवेदी के एकदम निकट पहुंचकर वह पलटती है, हाँ मुझे कुछ कहना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मेरी आने वाली पीढ़ी की बहनों को एक वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व की तरह रखा जाय। यह कहकर एफिजिनिया अपनी इहलीला समाप्त कर देती है।

यदि आज भी हम सबसे पूछा जाय तो हम सब सम्पूर्ण विश्व की महिलाऐं शायद समवेत् शब्द में यही कहेंगी कि हमें वस्तु नहीं, एक व्यक्तित्व का दर्जा दिया जाय। इसीलिए हम लोग शायद आज भी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते, चाहे वह धर्म के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हो, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ अत्याचार किया हो। चाहे सीता के खिलाफ अत्याचार करने के

बावजूद राम को पूजा जाता हो, मैं उससे इंकार नहीं करती, मैं अहिल्या का उदाहरण भी नहीं देना चाहती, लेकिन इसलिए देना पड़ रहा है कि एक पर पुरुष ने पति के वेश में उसके साथ बलात्कार किया, परन्तु पति ने उसे पाषाणवत् होने का अभिशाप दिया और तीसरे पुरुष राम का सदिया तक वह इन्तजार करती रही, लेकिन अब कोई पुरुष राम आकर शायद उसको परित्राण देने वाला नहीं है।

मैं आपके माध्यम से, खासकर हमारी मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि जिस चीज की कल्पना आजादी के समय में हमारे आजादी के दीवानों ने की, उसे कार्यान्वित करना पड़ेगा। आजादी के समय में महात्मा गांधी ने 1920 में 'हरिजन' में लिखा था कि जब तब एक ही पंक्ति में खड़े हुए हम सभी लोगों को एक जैसे अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक आजादी का अर्थ अधूरा है, तब तक प्रजातंत्र निरर्थक है। लेकिन हम लोग तो उस पंक्ति में सिरे से भी आखिरी से आखिरी तक नहीं थे, लेकिन कानूनविदों ने महिलाओं को वह अधिकार दिया और संसार के उन देशों की तुलना में हमें बड़े राजनैतिक अधिकार मिले उसके लिए हम सब को ऋणी रहना चाहिए। आजादी का और उन कानूनविदों का। उसके साथ-साथ परिप्रेक्ष्य भी बदला और मंत्री महोदया, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना तो चाहती हूँ लेकिन दूसरे अर्थों में कहना चाहती हूँ कि पंचवर्षीय योजनाओं से पूरे परिदृश्यों को बदलने की कोशिश की। पहली तीन चार परियोजनाऐं महिला कल्याणकारी परियोजनाऐं थीं, इसमें टुकड़ा महिला को फेंक दिया जाता था और उसके बाद 1-2 को मनोनीत कर दिया जाता था। उनमें किस प्रकार की महिलायें थीं, उसको यहां कहने की जरूरत नहीं है। इससे आंक लिया जाता था कि हमने कितनी कल्याणकारी योजनायें बना दी। इस कारण चौथी, पांचवी और छठी योजनाओं का परिपेक्ष्य बदला। उन योजनाओं को आप लोगों ने विकासोन्मुख रूप प्रदान किया। इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। महिला विकास के अनेक कार्यक्रम उन परियोजनाओं में शामिल किये लेकिन सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपने एक कदम और आगे बढ़ाया। महिला कल्याण से महिला विकास और महिला विकास से महिला जागरूकता की तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया। सारे कार्यक्रम मुक्त रूप से महिला अवेअरनैस•से बने। इसके लिये मैं महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ।

मैं इस परिप्रेक्ष्य में राजीव जी को नहीं भूल सकती हूँ। इन्दिरा जी ने महिलाओं को एक शक्ति दी। वह शक्ति स्वरूप के साथ उभर कर सामने आई। यदि मैं कहूं कि राजीव जी के हृदय में संवेदना का सबसे अधिक स्थान था तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने गांधी जी की उस बात को पहली बार लागू करने की कोशिश की कि जब तब एक ही पंक्ति में खड़े हुए लोगों को एक जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार नहीं मिल जाते तब तक आजादी अधूरी है। इसलिये पंचायत और नगर परिषद बिल लाकर उन्होंने संसार के सामने एक नमूना पेश करना चाहा। वह रिजर्वेशन के आधार पर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देना चाहते थे। दुर्भाग्य से वह बिल उनके समय में पास नहीं हुआ। मैं प्रधान मंत्री जी और दोनों सदनों की आभारी हूँ उन्होंने इस बिल को पास किया। इसके बाद पुरुष मानसिकता बदली। यदि महिला मानसिकता होती तो बिल दोनों सदनों में पास नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने भी इसमें पहल की जिससे हमें राजनीतिक अधिकार मिले। आज विश्व के उन देशों के साथ अपनी तुलना करें जहां महिलाओं के 5 से 6 प्रतिशत राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो हम अपने आप को उनसे बहुत आगे पायेंगे। यहां कम से कम नीचे दर्जे पर हमें 33 प्रतिशत की भागीदारी मिली हुई है। आर्थिक अधिकारों का जो सपना राजीव जी ने देखा था, उसको भी प्रधान मंत्री जी ने महिला समृद्धि योजना के द्वारा एक छोटा कदम उठा कर पूरा किया है। उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम यहां पर सरकार की चाहे कितनी भी आलोचना करें लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि सरकार में जागरूकता नहीं होती तो पर्सपैक्टिव प्लान जो हमने 2000 ई0 तक का तैयार किया है, वह कैसे बन कर आता। उसमें ऐसे मुद्दे उभर कर कैसे आते कि महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार मिलने चाहिये।

मैं गिरिजा जी की इस बात से सहमत हूँ कि यदि हम आंकड़ों को देखें तो वे भयावह आंकड़े हैं। आंकड़ों का रेशे 10-12 परसैंट के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं पर दूसरे अत्याचारों की भी कोई सीमा नहीं है। सरकार की नीयत बुरी नहीं है। यदि हम चुपचाप जाकर शौर्ट स्टे होम या महिला कल्याण ग्राम में जाकर देखें या उन ग्रामों की हालत देखें जहां महिलायें बंद पड़ी हैं तो मैं सोचती हूँ कि वे दो बूंद आंसू बहा देंगी। वहां महिलाओं के कल्याण की कोई योजना नहीं है। आज गुंडे कल्याण ग्रामों में जाकर महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं। वे घरों में सेफ हैं लेकिन पुलिस थाने में सेफ नहीं हैं। इन सब पर दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा।

आज महिलाओं का जो दर्जा है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उसके पीछे दो बातें हैं - पहला सामाजिक संरचना जिस में शायद महिलाओं ने किसी जमाने में कभी पहल की हो। जॉन पॉल सातवें ने कहा था कि -

"आप मुक्त रहने के लिए अभिशप्त हो"

[हिन्दी]

हम स्वतंत्र होने के लिये शासित हो सकते हैं, लेकिन हमारी महिलाओं ने जो झेला, उसके बारे में सोच कर हमें प्रयास करने होंगे। पहले यदि घर कर प्रधान किसी बात का फैसला करता था तो उसकी कार्यान्वित हो जाती थी लेकिन अब हालत और भी गम्भीर हैं।

तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा था कि "नारी न मोहे, नारी के रूपा"

हम आर्मड चेयर फिलॉसफर होकर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बुलन्दी की आवाज भले ही उठा लें लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की ज्यादातर भागीदार महिलायें ही हैं। ऐसे में कानून क्या करेगा? कानून हमने बना कर रख दिया है इसलिये मैं आह्वान करना चाहती हूँ उन महिला सांसदों से कि हम इस पांच सितारा संस्कृति से ऊपर उठ कर उन गांव की महिलाओं से जाकर पूछे और उनके दुख दर्द में शामिल हों, बॉल हमारे कोर्ट में है। इतने सारे हमें कानूनी अधिकार मिल गए हैं, इतने सारे हमें सामाजिक अधिकार मिल गए हैं, इतने सारे हमें राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिल गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी क्रियान्विति नहीं होती है। इस प्रश्न को कहीं न कहीं हमें अपने आपसे पूछना होगा और उसका सीधा सा जवाब है, सरकारी खर्चे से किसी भी प्रकार की कोई सैमीनार हो, केवल पांच सितारा होटल में होने के बाद उसको क्रियान्वित करने के लिए नीचे तक नहीं लाया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो कड़े कानूनों की जरूरत है और कड़े कानूनों को रोज बदलना होगा। यह सब्जैक्टिव भी है और देश कालानुरूप भी है जिनका रूप कभी भी परिवर्तित और परिवर्धित हो सकता है। जैसे एक मसला सम्पत्ति के संबंध में आया था कि पति और पत्नी की सम्पत्ति में भी हमें अधिकार मिलना चाहिए। केवल एक सैकेंड के लिए हम इस बात को उठा दें कि पति और पत्नी की सम्पत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, तो सामाजिक संरचना और उस का प्रारूप क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, आप महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र 33 परसेंट महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन उस पर्दे के पीछे जो प्रारूप हमारे सामने उभर कर आया है, उसको समाज ने स्वीकारा नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें चेतना देनी होगी। भाई ने आकर कहा, अगर 33 प्रतिशत की भागीदारी रही, तो बहन ने बहन जो अविवाहित है और नौकरी कर रही है और कल यह विवाहित होकर चली जाएगी, तो मेरे घर की हालत क्या होगी। पति ने कहा क्या मैं चेनीकरी हो कर रहा जाऊंगा। जब तक सामाजिक परिवर्तनों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक आप जितने भी कानून बना दीजिए, उन कानूनों की क्रियान्विति नहीं होने वाली है। इसलिए मैं कह रही थी कि जो राजीव जी ने कहा, हमारी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है और स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जिसमें सब एकत्र होकर अपनी लड़ाई लड़ें।

इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि हमें इस मंत्रालय ने महिला कमीशन दिया है। अभी कुछ दिन पहले महिला कमीशन पर चर्चा हो रही थी। मैं कहना चाहती हूँ कि इन बातों से कितना मखौल में उड़ा दिया जाता है, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक सदस्य ने वहां पर पुरुष बलात्कार का मामला उठा कर मसले को हास्यास्पद बना दिया। स्थिति यह है कि महिला कमीशन किसी सन्दर्भ में किसी भी मंत्रालय में चला जाता है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मंत्रालय को इस संबंध में सोचना चाहिए। केवल यह कह देने से कि मामले दूसरे मंत्रालय में पैंडिंग पड़े हुए हैं, उससे हमारी सुनवाई होने वाली नहीं है। कमीशन को आपको और दांत देने होंगे, ताकि वह अपने कार्यों के सुचारु रूप से कर सके और एग्जिक्यूटिव पावर्स भी आपको उनको देनी होगी।

अभी आपने कहा कि हमें कुछ सुझाव से साथ आना चाहिए। मैं आपकी इस बात से इन्कार नहीं करती हूँ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और जैसी अभी हमारे भाई बोल रहे थे, चाहे आई.पी.जी. का मामला हो, चाहे सी.आर.पी.सी. का मामला हो, उन मसलों को हमें थोड़ा और कड़ा बनाना होगा। मैं तो यह भी कहना चाहती हूँ, जब तक स्पैशल कौर्ट्स नहीं बन जाती हैं, तब तक महिलाओं के पैंडिंग मामले सुलझ नहीं पायेंगे। इसके अलावा हर राज्य में पुलिस थाने की आवश्यकता है। एक निर्णय सरकार कर दे, जहां पर एक-दो लाख की आबादी है, वहां पर पुलिस थाने महिलाओं के आवश्यक रूप से हों। राजस्थान में हमने किया था, वहां हमने मोबाइल-वैन चलाई थी। जयपुर से सबसे ज्यादा मसले सामने आ रहे थे। वहां पर लोगों को टेलीफोन की सुविधा थी। उन लोगों को सुविधा थी कि जहां डाउरी-डैथ्स के मामले हों, पन्द्रह मिनट में वैन पहुंच जाए। मैं इस मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि वह होम मिनिस्ट्री के साथ बैठ कर उस प्रकार के वेन सी व्यवस्था बड़े शहरों के लिए की जानी चाहिए। वीमैन कमीशन भी हर राज्य में नहीं है। कम से कम आप सभी राज्यों में यह निर्धारित करें कि तीन महीने में वे सभी राज्यो में वीमेन कमीशन आवश्यक रूप से स्थापित कर दें।

जहां तक हमारी शिक्षा का सवाल है, जॉब ओरिएन्टेड एजुकेशन और एवेयरनैस एजुकेशन, दोनों ही हमारी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। बहुत से राज्यों में महिलाओं के लिए टैक्नीकल एजुकेशन फ्री कर रखी है, लेकिन बहुत से राज्यों में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरा निवेदन है कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री को डायरैक्ट करें कि वह कम से कम बच्चियों की एजुकेशन, टैक्नीकल एजुकेशन तक भी फ्री की जानी चाहिए, तब जाकर उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जहां तक जॉब का प्रश्न है, इसको भी आपको विभाजित करना पड़ेगा, विडोज के लिए अलग, डाइवोर्स के लिए अलग और जनरल अलग। हमने प्रयोग सती प्रथा के बाद राजस्थान में किया था। उसमें हमने ऐज बार महिलाओं को, डिवोस को उन जाब्स के लिए नहीं रखा था। इसका एक अच्छा परिणाम आया, सामाजिक चेतना भी आई और उन विडोस को जो लोगों के दर-दर जाने को मजबूर थी उनको नौकरी भी मिली हैं। ऐसे ही हम लोगों को तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में भी कहना चाहिए और सभी राज्यों से आगाह करना चाहिए। इसमें ऐज बार विडोस और डाइवोर्स्ड महिलाओं के संबंध में प्रश्न उठाया था। डाकरा, डब्लयू.डी.पी.या नैफेड के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक योजनाएं पहुंचती हैं लेकिन इनमें कोई तालमेल नहीं है। डापरा, नैफेड का वूमैन डेपलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ तालमेल नहीं है। मैंने आपको एक नोट भी भेजा था जिसमें लिखा था कि आंगनवाड़ी वर्कर, डाकरा वर्कर और डब्ल्यू.डी.पी. की महिलाओं को टोटल महिला लिट्रेसी का

कार्यक्रम सौंप दें। आप इनका वेतनमान नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इनको लिट्रैसी का कार्यक्रम सौंप दें, इससे इनको कुछ मानदेय मिल जाएगा। ये उसी कक्ष में वहीं पर डाकरा का एक कार्यक्रम दोपहर में कर लेंगी और लिट्रेसी का कार्यक्रम वे शाम को कर लेंगी, इससे करीब-करीब एक हजार रुपए तक इनको मिल जाएगा। यह प्रयोग भी हमने राजस्थान में किया था और इसका स्पष्ट प्रभाव भी नजर आया था। यहीं पर मैं यह उल्लेख करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक तरफ 33 प्रतिशत राजनैतिक अधिकार दे दिये, लेकिन वहीं कोपनहैगन में यदि कोई फिल्म रोज दिखाई जाती थी तो वह चाइल्ड मैरिज की थी।

हम लोग एक तरफ भाषण देकर आते थे कि हमने सारे राजनैतिक और आर्थिक अधिकार दे दिए हैं और दूसरी तरफ जब 4-5 साल के बच्चों को टेलीविजन पर शादी करते हुए देखते थे तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता था। यहां पर भी कड़े कानून के साथ जागृति की जरूरत है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब मेरे पास यह मंत्रालय राजस्थान में था तो होम मिनिस्ट्री केवल दो केसों पर कुछ कार्यवाही कर सकी लेकिन हमारी वूमैन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की महिलाओं ने दो सौ बाल विवाहों को रोका था, उसी डब्ल्यू.डी.पी. प्रोग्राम को राजस्थान सरकार बंद कर रही है। आप अपना हस्तक्षेप करके उस कार्यक्रम को न केवल वहां पर जारी रखें बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी जारी कराएं ताकि जागृति आ सके। मैं एक बात यह कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बुराई बढ़ती हुई जनसंख्या की है। इस संबंध में भी हम लोग आंख नहीं मूंद सकते हैं। सरकार के कड़े कानून तो हैं ही, लेकिन यहां पर भी जागृति में कमी है। केवल पेपर पर आंकड़े आपके पास कलेक्ट्रेट से आ जाते हैं और उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती है। उनको राज्य सरकारों द्वारा पारितोषिक भी दे दिया जाता है लेकिन आंकड़ों से नीचे उतर करके देखें तो आज भी वहां पर जागृति की कमी है। आपको अधिकांश कैंप अपने आप डब्ल्यू.डी.पी., डाकरा या आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से लगाने चाहिए और इसमें सांसदों तथा विशेषकर महिला विधायकों की भागीदारी होनी चाहिए। मेरे इलाके में तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में कभी भी सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया जाता, शायद दूसरे इलाकों में भी यही होगा। इसमें हमको भी आमंत्रित किया जाए ताकि हम लोग भी उसमें अपने भाषण देने के अलावा कुछ रचनात्मक कार्यक्रम कर सकें।

इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जागरूकता भी बढ़ी है। आज चाहे रेप केसेस हों या डावरी डेथ के केसेस हों, चाहे कानूनी विच्छेद के मामले हों, महिलाएं खुद आगे आकर अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब बात हमारे कोर्ट में है, इन सब कड़े कानूनों को हम किस प्रकार से लागू करें, इसके लिए थोड़ी सी एजूकेशनल और जाब ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में और जागृति लाई जाए तो मैं सोचती हूँ कि वह दिन दूर नहीं कि जिन सपनों को गांधी जी ने देखा था उनको हम पूरा कर सकेंगे।

महोदय, मुझे कारागार के संबंध में भी थोड़ा सा कहना है। मैं सोचती हूँ कि 80, 90 प्रतिशत महिलाओं को बिना वजह फंसा दिया जाता है या वे खुद इमोशनली इंवाल्वड हो जाती हैं। उनको फंसा कर पुरुष वर्ग किसी तरह की जजमन्त लेकर के छूट जाता है। महोदय, अभी मेरा खुद का रिसर्च वर्क भी वहां पर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएं कारागार में अंडर सैक्शन 302 और 307 में आती हैं और जब वे बाहर निकलती हैं तो उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आता है। उनके परिवार का कोई भी सदस्य, उनका पति या पुत्र तक भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता है। ऐसी स्थिति में हमें कारागार में कुछ कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि वे सैल्फ सफिशिएंट हो कर वहां से निकल सकें, क्योंकि वे भी समाज का एक हिस्सा है। यदि उनको हमने हमेशा के लिए कटघड़े में बंद कर दिया तो वे वहां से निकल करके नहीं आ सकेंगी। जहां एक तरफ सरकार प्रतिबद्ध है कि महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए, वे पूर्ण व्यक्तित्व के साथ जीवित रहनी चाहिए। महिलाएं स्वयं भी जागरूक हैं। अब पंचायतों और नगर परिषदों में जो महिलाएं जीत कर आई हैं वे एक सपने के साथ जीत कर आई हैं। आप कभी उनके आंकड़े भी देखें, जो अशिक्षित हैं, अर्द्ध शिक्षित हैं, लेकिन उनमें उत्साह है कि हम कुछ कर दिखाएं और इसीलिए उन्होंने स्वयं अपने आप पढ़ना शुरू भी किया है और एक नारा भी दिया है-चूल्हा चौका भी करेंगे, पंच प्रधान भी बनेंगे। एक मानसिकता को बदलने की जरूरत है, पुरुष मानसिकता भी बदली है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और इसलिए मैं पुरुष सांसदों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उस बिल को पास किया। वे जानते हैं कि 21वीं सदी में अब बहुत दिनों तक अंधेरे कटघरे में हम लोग सीता, अहिल्या या पंचाली की तरह महिलाओं को नहीं रख सकते, लेकिन साथ में महिला मनासिकता भी बदलनी पड़ेगी। एक तरफा विमन-लिब के साथ हम लोग नहीं चल सकते, न हम जूती बनकर रहना चाहते हैं। हमें मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, जहां एक तरफ हम लोग अपने घर-परिवार को पाल सकें, दूसरी तरफ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को पूर्णतया भोग सकें। मैं इस शेर के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ -

अभी तेवर कहां बदले इनके, अभी अपना दौर है इन्कलाबी का,

अभी भी सेहरा है, तपिश बाकी है, अभी मौसम कहां गुलाबी का।

लेकिन इस मौसम की आमद जरूर होगी, क्योंकि महिलाएं जागी हैं और सिर्फ एक काम उन्हें करना है कि सभी महिलाओं की एक जाति है, यदि यह कांसपेट चला गया तो कड़ा कानून और साथ में महिलाओं की एकजुटता की प्रतिबद्धता उन्हें पीछे नहीं रहने देगी, यही मैं निवेदन करना चाहती हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके कहे अनुसार कुछ बातों का सुझाव दूँगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा।

श्री पी.एम. सईद : क्या आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप मेरा धन्यवाद लेना चाहते हैं?

मैं अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि यहां इतने विषय थे जिनको उठाया जा सकता था और मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है। मैं गीता जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, हम राजनैतिक आंदोलन में इकट्ठे आए थे। हम एक ही उम्र के हैं। हम मैट्रिकुलेशन कर रहे थे। उस समय कलकत्ता की पहली और स्तब्धकारी कार्यवाही वह थी जब वह एक विद्यार्थी थी और एक आदमी ने व्यस्त जंकशन में उनसे छेड़खानी करने की कोशिश की। जहां तक मुझे याद है वह पहली लड़की थी जिसने सड़क पर उसी व्यक्ति की चप्पल से पिटाई की।

मैं यहां सभी अन्य महिला कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि जब तक महिला कार्यकर्त्ता महिलाओं के विद्रोह होने वाले अत्याचारों के खिलाफ नहीं उठती तब तक हम अपने आपको गिरा हुआ समझेंगे। इसलिए मैं न केवल उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया बल्कि उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कार्य किया। मूल प्रश्न महिला और पुरुष के बीच असमानता पग है, मैं उस पर चर्चा करूंगा।

मैं एक दूसरा उल्लेख भी करना चाहूंगा। विद्यार्थी जीवन से हमारे मन में एक बात रहती थी। समाज के कार्य को हम वैज्ञानिक ढंग से देखते थे उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण गम्भीर था। वास्तव में इसी कारण हम मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। हम जानते थे कि कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, दिल तो था पर दिल को दिमाग की राह दिखानी है परन्तु जहां कहीं भी यह दिमाग की समस्या होती थी तो दृष्टिकोण बड़ा ही वैज्ञानिक होता था।

7.00 म.प.

इस दृष्टिकोण के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था पर उसके लिए मुझ में गर्व है। मै अपने ननिहाल में पैदा हुआ था। कलकत्ता के जिस घर में मैं पैदा हुआ वहां ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की पहली विधवा का पुनर्विवाह हुआ था। उसी घर में मैं पैदा हुआ इसलिए इस विषय पर बोलते हुए ये बातें मेरे दिमाग में आती हैं।

ठोस सुझाव देने से पूर्व मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में कुछ भ्रांतियाँ दूर हो जाएं। अभी भी कुछ मिथ्या धारणाएं फैली हुई हैं। उदाहरण के लिए हम अपने आपको बहुत निम्न न समझें। हमें यह याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन में जो विश्व में एक लोकतांत्रिक देश समझा जाता है महिलाओं को मताधिकार देने में शताब्दियां लग गई। वहां मताधिकार सबसे पहले उच्च वर्ग के लोगों को मिला, फिर वयस्क पुरुषों को मिला और इस शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में वयस्क महिलाओं को मिला। हमें इस बात पर अभिमान होना चाहिए कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता हासिल हुई हमारे यहां महिलाओं को मताधिकार तुरन्त मिल गया। हम अपने आपको निम्न क्यों समझें? उन्होंने सही संदर्भ दिया था क्योंकि यह एशिया के देशों के संदर्भ में एक विलक्षण बात है। यहां अनेक महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, राजनैतिक क्षेत्र में महिला नेता हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश का उदाहरण दिया। म्यानमार में भी ऐसा संभव था यदि उस महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता। फिलिप्पाईन में भी एक महिला राष्ट्रपति हुई हैं।

इस उपमहाद्वीप में भी अतीत में हमारी महिलायें विज्ञान, कला और दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी विशिष्ट रही हैं। प्राचीन काल में हमारे यहां विलक्षण प्रतिभा वाली महिलायें थी। परन्तु साथ ही साथ हमें यह जानना चाहिए कि ये अपवाद हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि मुझे बातों के प्रति हमारे मन में भ्रांतियां हैं।

हमारे समाज में एक समय ऐसा था जब महिलाओं का समाज में वर्चस्व था। हम जानते हैं कि इसे इतिहास में मातृसत्तात्मक काल के नाम से जाना जाता है उस काल में महिलाओं का पूर्ण वर्चस्व था। तब कुछ बातें बदलीं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों और केरल के कुछ क्षेत्रों में अभी भी मातृसत्तात्मक व्यवस्था चल रही है। लेकिन इसके बाद महिलाओं की आर्थिक गतिविधियां बदली और नई आर्थिक गतिविधि की शुरूआत हुई है। मैं अतीत में तो नहीं जाऊंगा लेकिन कम से कम हमारी अर्थव्यवस्था के दो पहलुओं के बारे में कहना चाहूँगा। सामन्ती व्यवस्था और पूंजीवादी में नारी की गुलामी की शुरूआत हुई। हमारे राजाओं को देखिए यहां रानियां भी थी पर उनके हरम में बड़ी संख्या में औरतें होती थीं। यह सब सामन्ती काल में था। महिलाओं को घर की किसी अन्य सम्पत्ति के समान समझा जाता था। पूंजीपति इससे भी अधिक चालाक निकला। ऊपर से वह महिलओं की खूब तारीफें करता, ऐसा बनता कि वे उनकी बराबरी की हैं और उनके प्रति अधिक शिष्ट बनता। परन्तु हम सभी जानते हैं कि इस काल में, जहां लाभ कमाना सर्वोपरि था। यह देखा जाता था कि उत्पादन बिक सकता है कि नहीं और हर चीज़ एक वस्तु बन जाती है। दहेज क्या है? आज पति और पत्नी के बीच प्यार रुपयों के रूप में देखा जाता है। यहां तक कि बच्चों और माता पिता के बीच सम्बंध धन के रूप में देखा जाता है। क्या माता-पिता को परिवार में रहना चाहिए? क्या वे घर में भार हैं अथवा क्या वे हमारे बच्चों के लिए उपयोगी हैं? इन बातों पर विचार करने के बाद परिवार उन्हें अपने पास रखता है। इसलिए नए आयाम निकले हैं और महिलाओं का गुलाम बनाने के लिए नए तरीके निकले हैं। जिनके विरुद्ध महिलाओं ने संघर्ष आरम्भ किया है। उन्हें मताधिकार मिला। इसी संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जब तक अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं लाए जाते तब तक मूल आवश्यकता अर्थात पुरुष तथा महिला की बराबरी को प्राप्त

नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था में या सामाजिक ढांचे में मूल परिवर्तन लाकर बराबरी अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं है, हजारों सालों के पुराने विचारों और नारी और पुरुष में असमानता को समाप्त करने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे।

लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जबकि घर आधार है तो इसके ऊपर ढांचा भी है, आधार के बिना ढांचा खड़ा नहीं रह सकता है, इसलिए हमें इसे देखना होगा निर्माण करने से पहले हमें आधार बनाना होगा। यहीं सभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जाता है। और यहीं उनका समाधान निकलता है।

मैं कामरेड सुशीला गोपालन के वक्तव्य की सराहना करता हूँ। संभवतः श्रीमती गीता जी ने भी इसका उल्लेख किया होगा कि गांवों में गैर बराबरी की मूल समस्या जमीन के स्वामित्व के कारण उठती है। हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर और मिलकर इस समस्या को सुलझाना है। तब भी यह पर्याप्त नहीं है हमारे माननीय मंत्री मंडोदय ने आंगनवाड़ी का सुझाव दिया है पर क्या हम आंगनवाड़ी में महिलाओं को काम पर रख रहे हैं ? यह सच नहीं है कि महिलाओं के पास काम नहीं है; पर वास्तव में इसका उलटा है। उन्हें बहुत अधिक काम करना पड़ता है। परिवारों और खेतों में वे आदमियों की तुलना में अधिक काम करती हैं। पुरुष शाम को आराम करते हैं पर महिलाएं नहीं कर सकतीं। इसलिए यह बेरोजगारी का प्रश्न नहीं है। वे जो कुछ कर रही हैं उसे आय के रूप में मान्यता नहीं मिलती। यह सब मेहनत बिना पारिश्रमिक की है और चूंकि उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता तो इसलिए उनका महत्व नहीं है, इसलिए जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन देने का प्रश्न हम उठाते हैं। तो हमारा तात्पर्य इसी से है। उन्हें वेतन नहीं मिलता। उन्हें काम तो मिला हुआ है। जब आप उन्हें 100 रुपये देते हैं तो इससे उनमें बराबरी नहीं आ पाती है। उसी संदर्भ में यह प्रश्न बार-बार उठता है। यदि आप महिलाओं में बराबरी लाना चाहते हैं तो उन्हें कम वेतन दिया जाना रोकना चाहिए। उन्होंने एक सुझाव दिया है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। वे इसको बढ़ाना चाहती हैं और उन्हें इस तरह का काम देना चाहती है जिनसे देश की आर्थिक ताकत बन सकें। यह एक ठोस सुझाव है।

महोदय, इन समस्याओं के अनेक समाधान हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन। स्वतंत्रतापूर्वक और संभवतः आज भी जब अत्याचार की बात उठती है तो हमने इसका बहुत सरल समाधान दिया था अपने ही परिवारों में हम लड़कियों को जु-जित्सु का प्रशिक्षण लेने को कहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे यहां क्लब थे जहां महिलाओं को लाठी, चाकू चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यदि महिलाएं अपनी शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है तो यह एक स्तर है लेकिन यह हर जगह नहीं किया जा सकता फिर भी हमने भरसक प्रयत्न किया है कि जहां ऐसा किया जा सकता है वहां ऐसा किया जाए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर यह समाधान नहीं है। दूसरी बात जो हमें करनी है वह यह है। मैं इस बात को मानता हूँ। हमें स्पष्ट होना चाहिए यह दलगत मामला नहीं है। पंचायतों और स्थानीय स्वायत्तशासन में आरक्षण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य से बचा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें एक परेशानी है। हमें 30 प्रतिशत आरक्षण को करने के लिए महिलाएं नहीं मिल रही हैं। इसके लिए हमें समाज का ढांचा बदलना होगा। यही सही रास्ता है, बराबरी का शर्त बराबरी का अधिकार है। यदि हम बराबरी लाना चाहते हैं तो हमें महिलाओं को सुविधाएं देनी होंगी। यह तथ्य हर देश में लागू होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। यह समान आधार पर खुली प्रतिस्पर्द्धा नहीं है। यही बात यहां पर लागू होती है। इसलिए गैर बराबरी की स्थिति में ही आरक्षण दिया जाता है। आप इस गैर बराबरी के बिना बराबरी नहीं ला सकते हैं हमने अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण किया हुआ है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए न केवल पंचायत के क्षेत्र में अपितु दूसरे क्षेत्रों जैसे सिविल परीक्षाओं में 50 प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए। इससे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। आरम्भ में ऐसा हो सकता है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण के मामले में भी ऐसा कहा गया था। परन्तु जीवन के हर क्षेत्र में जहां आय पैदा होती है जहां इसके माध्यम से सम्पत्ति जमा की जाती है, वहां यदि हम इस तरह के प्रावधान रखने का प्रयास करें तो इससे ऐसा आधार मिलेगा जिनसे हम इन पर होने वाले अत्याचार को रोक सकेंगे। यह हालांकि पर्याप्त तो नहीं है पर उससे आधार बनेगा।

शेष उसी ढंग से चल रहा है। मेरा विश्वास है कि यह चर्चा उस विषय की समाप्ति नहीं है जो श्रीमती गीताजी ने आरम्भ की अपितु यह दूसरी शुरूआत है जैसा कि बार-बार कहा गया है, कोई दूसरे को स्वतंत्र नहीं करता। स्वतंत्रता उसी व्यक्ति से आनी चाहिए जो स्वतंत्र होना चाहता है। यह बात महिलाओं पर भी लागू होती है। उन्हें अपने आपको संगठित करने की अधिक आवश्यकता है। हम यह न सोचें कि वे अपने लिए ऐसा कर रही हैं अपितु यह सोचें कि वह सारे समाज के लिए ऐसा कर रही हैं। महिला संगठनों में इस आंदोलन के कारण कुछ महीनों में बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होने जा रहा है। मुख्य विषय होगा महिलाओं को अधिकार देना, अधिकार देने से तात्पर्य है (1) आर्थिक क्षेत्र में उनको अधिकार दिया जाना। उन्हें और अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और (2) उनको संगठित होने देना चाहिए। उन्हें वे सभी साधन मुहैय्या कराएं जिनसे वे लोगों के मन बैठी भ्रांति को मिटा सकें। यहां कानून महत्वपूर्ण बन जाता है।

इससे अधिक महत्व की बात है कि यहाँ बैठी महिला संसद सदस्य पार्टी लाइन का ख्याल किए बिना इन कानूनों के लिए लड़ें तभी समाज का भला होगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं गीता जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को यहां उठाया।

आज समूचे भारतवर्ष में आजादी के इतने वर्षों बाद भी नारी को अबला कहा जाता है। जिस तरह से महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं और पुलिस भर के बर्बरतापूर्ण कार्य हो रहे हैं, यह अति निन्दनीय है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ जो ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की एक घटना के लिए मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर मिला था। जनपद अलीगढ़ में परसी के भट्टे पर अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ योजनाबद्ध तरीके से बलात्कार किया गया था। इतना घिनौना काण्ड हुआ और समाज के प्रभावशाली लोग जो अपना राजनीतिक दायरा रखते हैं, उन्होंने यह कार्य किया। मुझे वहां जाने का अवसर मिला था। उन 17 महिलाओं के बीच में बैठकर जब मैंने उनकी बात सुनी तो चाहे वह राजनीतिक दल के लोगे हों, चाहे वह अधिकारी दल के लोग हों....।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम अलग-अलग मामलों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम समस्याओं और समाधानों की चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : यह इनडिविजुअल केस नहीं है। मैं बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सारी बात सही है, यह मानकर हम चल रहे हैं।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : जिस तरीके से इनवेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी उस महिला को बार-बार इस तरीके से पूछते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो महिला कितनी शर्म महसूस करती होगी और बार-बार किस तरह से अपना मुंह खोलकर अपनी बात कह सकेगी। मैं कहता हूँ कि महिलाओं के साथ इस तहर का व्यवहार कई जगह हुआ है। उत्तर प्रदेश में करीब दस जगह मुझे जाने का मौका मिला था।

समाज के दबे-कुचले वर्ग के जो लोग थे, चाहे वह खुदायूं का मामला हो, इलाहाबाद का प्रकरण हो, चाहे सात वर्ष की कन्या के साथ बलात्कार का मामला हो लेकिन आज तक प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया और वे आज खुले आम घूम रहे हैं। आज इस देश में महिला की स्थिति इतनी दयनीय हो रही है कि महिला भी सोचने के लिए मजबूर है कि उसे क्या करना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता पाते समय राष्ट्रभक्तों ने देश की यह कल्पना नहीं की थी कि आगे भविष्य में महिलाओं, दबे-कुचले वर्गों की यह दशा होगी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद भी जो भारत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो दबे-कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं उनका जब तक उद्धार नहीं होगा तब तक भारत की आजादी नहीं मानी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं दिवंगत राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने अल्पकाल में इस देश की परिस्थितियों को बड़े ध्यान से समझकर कहा था कि देश इस वक्त कहां जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? अपराधीकरण के बारे में अभी जो आंकड़े बताए हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में 14.48, मध्य प्रदेश में 11,378 राजस्थान में 13973, आंध्र प्रदेश में 8,300 मुकद्दमें दर्ज हुए हैं। इसके बावजूद भी कई ऐसे दबे-कुचले, गरीब व अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग हैं, उन वर्गों की कई महिलाएं ऐसी हैं जिसकी एफ.आई.आर. थाने में दर्ज नहीं की गयी। देश में नारी चाहे वह अनुसूचित जाति की हो, अनुसूचित जनजाति की हो या उच्च वर्ग की हो, नारी आखिर नारी होती है। चाहे देश में, चाहे प्रदेश में चाहे गांव में, चाहे घर में, परिवार में अगर नारी का अपमान होता है तो वह घर, घर नहीं नरक होता है। उनके लिए कौन जिम्मेदार है, उनकी कौन सुनेगा? राजनीतिक दलों पर जो राजनीतिक चश्मा चढ़ा हुआ है उसको उतारकर महिलाओं व दबे-कुचले वर्गों पर जो अपराध हो रहे हैं उनके बारे में राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना होगा, अन्यथा कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून पहले भी बने थे लेकिन कई महिलाओं की आज भी एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं होती।

इटावा में मुझे एक मामला देखने को मिला था। मैं इस हाउस में किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सात वर्ष की बच्ची के सामने उसके पिता के हाथ-पांव बांधकर नीम के पेड़ पर टांग दिया और रात के 10 बजे उसकी लड़की के साथ बलात्कार किया गया। हमारी सरकार के दो मंत्री लखनऊ में गए थे। वहां पत्रकारों ने चाहे वह मुजफ्फरनगर काण्ड हो, इटावा काण्ड हो या पारसी काण्ड हो, के बारे में पूछा था कि आप क्या कार्रवाई करेंगे? नारी किसी भी जाति की हो आखिर वह नारी होती है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि मंत्री महोदय आप क्या करना चाहते हैं, तो मंत्री महोदय का जवाब था, "सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाएगा।" इसका क्या मतलब है? ऐसे लोग कुर्सी के लायक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, महाभारत में जब द्रोपदी की लाज लुट रही थी और उस वक्त यदि भगवान कृष्ण कह देते कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा, तो क्या द्रोपदी की लाज बचती? सत्ता में बैठे लोग इस तरह का निर्णय करेंगे तो हमारा औचित्य क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : यहां ये सब चीजें सबको मालूम हैं।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : इस समाज में जो इस तरह का कोढ़ फैल रहा है इसमें भी परिवर्तन करना होगा। यह कानून से नहीं हो सकता है। आज राजनीति में अपराधीकरण हो गया है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर इस सत्ता में लाल बत्ती की चकाचौंध में अपराधी बैठेंगे तो वे महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को न्याय नहीं दे सकेंगे।

इसलिये मेरा पहला सुझाव है कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिये इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, इस सदन में हमें सशक्त कानून बनाना होगा। यदि मामले की इंवैस्टीगेशन के बाद, सी.बी.आई. की जांच के बाद, ज्यूडीशियल इंक्वायरी के बाद यह तथ्य सामने आता है कि किसी राजनीतिक दल का कोई आदमी ऐसे अपराध में लिप्त है तो जन-प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत प्रावधान करके उसकी सदस्यता को खत्म कर देना चाहिये। यदि वह व्यक्ति किसी राजनैतिक दल में रहते हुए, अपने अपराध को स्वीकार न करे तो उस दल से उसकी सदस्यता को खत्म कर देना चाहिये। जब तक हम ऐसा सशक्त काननू नहीं बनायेंगे, स्थिति में सुधार नहीं आयेगा।

मेरा दूसरा सुझाव भ्रष्टाचार के संबंध में है। आज मुझे इस बात को कहते हुये व्यक्तिगत पीड़ा है कि पूरे देश के अंदर ऐसा कोई विभाग नहीं है, चाहे कोई पंचायत हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या जितनी दूसरी संस्थाएं हैं, यहां जितने राजनैतिक दलों के सदस्य बैठे हैं, सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर आज हम सफेद कुर्ताधारियें के प्रति, खद्दरधारियों के प्रति एक साधारण सा कर्मचारी भी खड़े होकर कह देता है कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उस समय हमारी स्थिति कितनी घिनौनी हो जाती है, हम लोगों का सिर शर्म से नीचा हो जाता है। इस व्यवहार की जड़ में भ्रष्टाचार है। इसलिये जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। आज पुलिस में जाकर यदि एक आदमी एफ.आई. आर. लिखा देता है तो समाज का कोई प्रभावशाली व्यक्ति थाने में जाकर उसे कटवा देता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में जाने की सोचता है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, हमारी सहायता कीजिए यह सुसंगत बात नहीं है। हम मुख्य विषय से हट रहे हैं।

[हिन्दी]

ऐसी तो बहुत सी प्रौब्लम हैं, लेकिन आज उन्हें डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ एक ही प्रौब्लम को डिस्कस करना है।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : मैं भ्रष्टाचार को लेकर कुछ निवेदन कर रहा हूँ। जब तक राजनीति के अपराधीकरण को नहीं रोका जायेगा, छोटे मोटे मारने से काम चलने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आपने कह दिया है। आपका प्वाइंट अच्छा है। अब दूसरे प्वाइंट पर आईये।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : मैं कहना चाहता हूँ कि किसी थानेदार को सस्पैंड करने से काम नहीं चलेगा। जब तक सत्तासीन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती उनके संबंध में सशक्त कानून नहीं बनाया जायेगा, केचुंआ को कुचलने से कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप प्वाइंट पर नहीं आयेंगे तो मैं एलाव नहीं करूंगा।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : मैं प्वाइंट पर ही आ रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सशक्त कानून नहीं बनाया जायेगा कुछ नहीं होगा। आप मुझे थोड़ा समय तो दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : इसमें सत्यता है। यदि हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो कल जनता हमें सड़कों पर मारेगी, आप भविष्य में देख लेना कि हमें जनता मारेगी। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट लगभग 20 लाख लोगों के बीच से चुनकर आता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम किसी और दिन भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अभी हम महिलाओं पर अत्याचार पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : जब तक हम खुद को नहीं सुधरेंगे, दूसरों का क्या सुधार पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपका यह प्वांइट अच्छा है।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : हमें पहले अपने आपको सुधारना पड़ेगा। राजनीति में अपराधीकरण न आये, इसके लिये सशक्त कानून बनाना होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मत कीजिये। आपने अच्छे प्वाइंट्स रखे हैं। अब दूसरों को मौका दीजिये। यदि किसी ने प्वाइंट पर बोलने की कोशिश की है तो मैंने उसे नहीं रोका है।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : आज हमारे देश में पश्चिमी लोगों की बाढ़ सी आ रही है। इसके अलावा टी.वी. पर रोजाना ऐसे सीरियल

आ रहे हैं जिनमें नग्नता दिखायी जाती है जिन्हें देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। अभी गिरिजा जी जो कुछ कह रही थीं, मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं हूं। भारत की नारी का हमेशा सम्मान होता रहा है, आप इतिहास को उठाकर देख लीजिये। हम हमेशा भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, भारतपिता की जय क्यों नहीं बोलते, हमेशा सीताराम या राधाकृष्ण कहते हैं। रामसीता या कृष्णराधा क्यों नहीं बोलते। उसका कारण यही है कि हमारे देश में नारी का नाम हमेशा पहले लिया जाता है और बाद में पुरुष का नाम आता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है जो बताती है कि यहां कभी नारी का अपमान नहीं हुआ। आज कुछ सत्तासीन भूखे भेड़ियों के सही निर्णय न लेने के कारण ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। कुर्सी पर बैठकर यदि हम न्याय नहीं करेंगे तो शायद इस देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी। पश्चिमी देशों के लोग जब भारत में प्रवेश करते हैं तो जिस नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, क्या सरकार इतनी पंगु हो गयी है कि इस नग्नता को रोका नहीं जा सकता। हम विदेशियों का सम्मान करते हैं परन्तु हमारे देश का इतिहास बताता है कि यहां नारी का कितना सम्मान हमेशा से रहा है जबकि विश्व के दूसरे देशों में नारी का स्थान अलग है, भारत की नारी का स्थान अलग है।

गिरिजा जी, नर और नारी का एक रथ के दो पहिये हैं, यदि हम नर और नारी को अलग-अलग करके देखें तो वह ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे दोनों में द्वेष की भावना पैदा हो जायेगी। रथ का अगर एक पहिया टूट जाता है तो रथ चल नही पायेगा। इसलिये चाहे नर हो या नारी हो, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ। आज नारी को ममता की मूर्ति होना चाहिए, लेकिन ममता कहां से आगयी। बच्चे को पाऊडर का दूध पिलाती हैं। इस भारत का इतिहास रहा है। माँ ने बेटे का कहा कि बेटा तू ने मेरा दूध पिया है, तो रणभूमि में जा। बच्चे को नारी के प्रति ममता कहां से पैदा होगी ? आज बच्चे को आया पालती है। एक नारी अगर अपने बेटे को सही तरह से दूध पिलाए, तो बेटे के अंदर वे गुण आएंगे जो देश के प्रति भावना और समाज के प्रति उसमें जागृति पैदा करेंगे। यह बात ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अगला प्वाइंट यह कहना है कि आज हमारी संस्कृति के अनुकूल खानपान नहीं रहा है। हमारा खानपान बदल गया है। तामसी भोजन करने के बाद हमारी मनुष्य वृत्ति कैसे बनेगी आप देख रहे हैं कि हमारे नेता जनता के सामने भाषण कैसे देते हैं और कैसे कहते हैं कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। जनता के सामने लुभावने भाषण देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने उत्तरदायित्व को समझिए। हमारा उत्तरदायित्व क्या है। जब तक हम तामसी भोजन करते रहेंगे, हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा। जब हम मुर्गे की टांग तोड़ेंगे, तो हम में और पशु में फर्क क्या रह जाएगा। यह समझने की बात है समझिए। तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक खानपान में नियमन की व्यवस्था नहीं करेंगे। नर-नारी की मर्यादा को पहचानना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कानून बहुत सशक्त बनना चाहिए। जब तक आप कागजों में इस कानून को रखेंगे, तब तक आप चाहे जितना भी दंड दीजिए, कुछ नहीं होगा। जब तक इसका प्रचार-प्रसार टीवी और समाचारपत्र में नहीं होगा, तक तक कुछ नहीं होगा। आप किसी दोषी को फांसी दे दीजिए। इस बात पर टी.वी. पर और अखबारों द्वारा खूब प्रचारित कीजिए। तब गांवों में लोगों के पास एक मैसेज जाएगा कि भारत सरकार इतनी सशक्त हो गई कि उसने बलात्कार के अपराधी को फांसी दे दी। यदि ऐसा समाचार जाएगा, तो लोगों के ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, कानून कागजों में अब तक चलता रहा, तो इसका दोषी कौन है। मैं पार्टी पालिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इन्दिरा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी पीड़ा है कि भारत की आजादी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं, उनको कितनी शिक्षा दी गई है। मैं कहता हूँ कि शिक्षा का प्रत्येक नर और नारी का मौलिक अधिकार है, लेकिन 46 वर्ष की आजादी के बाद भी, आज तक भारत के गांवों में जहां 65 प्रतिशत भारत निवास करता है, क्या उनको सही शिक्षा मिली है ? भारत की आजादी के बाद विदेशी हुकूमत के जो नौकरशाह मिले थे।

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करिए।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। इस देश के अंदर ग्रामों में जहां 65 प्रतिशत भारत निवास करता है वहां यदि शिक्षा सही प्रकार से नहीं दी गई, तो इस देश का उत्थान नहीं हो सकता। जब तक किसान, मजदूर का बेटा, जैसे भारत की आजादी के समय निर्णय करने आया था, वैसे अब नहीं आएगा, तब तक यहां नारी की स्थिति नहीं सुधरेगी। आजादी के समय भारत के वे नेता जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, उन्होंने इस देश को बनाने की एक कल्पना की थी। आज इन नौकरशाहों में इतनी ताकत नहीं है कि वे वैसे भारत का निर्माण कर सकें। इसलिए अध्यक्ष जी, आज गांवों में शिक्षा की बहुत जरूरत है जिससे नारी और गरीब परिवार की लड़कियां शिक्षित होने के बाद जब अपनी ससुराल जाती हैं, और जब उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप भाषण समाप्त नहीं करेंगे तो यह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, समाज के अंदर

शिक्षा भी बहुत जरूरी है। शिक्षा ही समाज में जागृति लाती है। जब तक नारी को शिक्षा का मौलिक अधिकार मुहैय्या नहीं होगा, तब तक चाहे कोई समाज हो, वहां नारी का अपमान होता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि ''जिय बिन दे न पिय बिन नारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी'' नर-नारी तो एक दूसरे के पूरक हैं वे तो एक-दूसरे के अंग हैं। और ''बिनय न मानत जलधि जड़'' जब तक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा सशक्त कानून नहीं बनेगा, तब तक देश में नारी का कल्याण नहीं होगा।

''बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीति
बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति''

जब तक ऐसे सशक्त कानून नहीं बनेंगे तब तक ये क्रूर लोग, ऐसे समाज के अराजक तत्व आपस में वैमनस्य की भावना बनाए रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपने हमें इस पर जो बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मण (मुखुन्दपुरम) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने सुझाव दिया है मैं आपको महिलाओं के सामने आने वाली अलग-अलग समस्याओं का वर्णन नहीं करूंगा। सभी यह स्वीकार करते हैं कि महिलाओं के समक्ष कठिनाइयाँ हैं और वे सबको विदित हैं। आमतौर पर महिलाओं के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को तीन या चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

पहला, महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में अवसरों से वंचित किया जाता है। दूसरे, महिलाओं से आमतौर पर बलात्कार किया जाता है। इस सम्मानीय सभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार एक मिनट में बलात्कार के 47 मामले होते हैं। इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। यह 2 वर्ष से 70 वर्ष तक होती है। तीसरा अन्य अनेक तरीकों से जैसे विज्ञापनों पोस्टरों मीडिया के द्वारा यहां तक कि सरकारी मीडिया के द्वारा भी, फिल्मों के द्वारा यौन अत्याचार किए जाते हैं। मैं इसका वर्णन नहीं करूँगा क्योंकि इसको सभी जानते हैं।

अंत में कानूनों की कमी की समस्या और वर्तमान कानूनों का ठीक तरीके से क्रियान्वयन का अभाव है। इस विशेष समस्या को हल करने के लिए मैं समझता हूँ कि विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय बहुत कुछ कर सकते हैं। यह उनका कर्त्तव्य है कि वे वर्तमान कानूनों को क्रियान्वित करने और यदि आवश्यक हुआ तो नए कानून बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ प्रारम्भ करें। शेष समस्याओं के लिए मैं समझता हूँ कि महिलाओं को उनकी समस्याओं के प्रति जोरदार तरीके से जागरूक बनाने की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि सरकार शिक्षा, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि विभिन्न विभागों के जरिए महिलाओं की शोचनीय दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ कर रही है और मैं इसकी प्रंशस करता हूँ। मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि सांसद होने की वजह से हम इन सभी के बारे में जानते हैं परन्तु समस्या यह है कि सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से राष्ट्र की आम जनता अवगत नहीं है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि सभी संभव उपायों के जरिए प्रचार करके महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सभी तरह के प्रयास करने चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रमों को प्रचारित करने के अपने तरीके निकाल सकता है।

मेरा दूसरा सुझाव है कि महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण न केवल पंचायतों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों में अपितु विधान सभाओं और संसद की दोनों सभाओं में भी दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मंत्रियों के चयन में भी आरक्षण होना चाहिए।

प्रो० सावित्री लक्ष्मण : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को भी समझना चाहिए कि पंचायतों में आरक्षण के बाद से भारी सुधार हुआ है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि वह इसको स्वीकार करने ही वाली हैं।

प्रो० सावित्री लक्ष्मण : आपका बहुत धन्यवाद। मैं इस बात का वर्णन नहीं करूंगी, इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है।

मेरा तीसरा सुझाव है कि सभी तरह के रोजगारों में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने इस सम्मानीय सभा में कुछ देर पहले जो कुछ कहा है मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए आरक्षण से मेरा मतलब यह नहीं है कि कुल आरक्षित प्रतिशत में से कुछ प्रतिशत महिलाओं को दिया जाना चाहिए। मैं इसको खुलासा करना चाहूंगी। यदि कुछ प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया जाता है तो उस आरक्षण का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को दिया जाना चाहिए। यदि आरक्षण का कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यकों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों को दिया गया है तो उस पूल में से 50 प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को दिया जाना चाहिए। और यदि कुछ प्रतिशत आरक्षण मैरिट पर आने वाले उम्मीदवारों को दिया जाता है। तो उसमें से 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए जो मेरिट पर चुनी जाती हैं।

इस अवसर पर मैं एक और निवेदन करना चाहूँगी। कृपया महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण में से विधवाओं के लिए एक

निश्चित प्रतिशतता आरक्षित कीजिए। विधवाओं के बारे में कुछ भी कहें बिना इस बात को सभा में बैठे सदस्य समझ सकते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे यह मकानों के आंबटन का प्रश्न हो या दूसरी बात हो, महिलाओं के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण किया जाना चाहिए। संक्षेप में शुरू में यदि इस तरह का आरक्षण देना कठिन है तो आप अध्यापन का कार्य, क्लर्की का काम आदि में से किसी क्षेत्र में आरक्षण कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप कुछ चुने हुए क्षेत्रों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दीजिए। फिर धीरे-धीरे आप प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें आरक्षण दे सकते हैं। यदि आप रोजगार में महिलाओं को अवसर देते हैं तो इससे केवल उनका स्तर बढ़ेगा और उन पर अत्याचारों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करूँगी कि जब भी महिलाओं की समस्याएं उठाई जाती हैं तब उसका राजनीतिकरण न किया जाए। मैं ऐसी अनेक घटनाओ से अवगत हूँ। परन्तु मैं उनको अभी उद्धृत नहीं करूंगी। जब मानसिक रूप से अविकसित लड़कियों या महिलाओं का गर्भाशय निकाला जाता है तो आप तुच्छ राजनीतिक हितों के लिए मानवाधिकार संगठन के पास न भागें। जब हमारे समक्ष इस तरह के अवसर आते हैं तो मानवता के नाते हमें एक जुट जो जाना चाहिए।

अंत में, मुझे प्रसन्नता है कि इतनी देर तक बैठने वालों में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं। हालांकि संसद सदस्यों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या केवल 10 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम श्रीमती गीता मुखर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अति महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर चर्चा शुरू की। मुझे उम्मीद है कि सदन कोई ठोस रणनीति बनाएगा, जिससे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रुक सकें। जब-जब देश में महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, इस सदन में मामले उठाए गए हैं और सदन में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन घटनाओं को रोकने के लिए आग्रह किया है। यह भी कहा है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। देश में पिछले एक दशक में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं दुगनी से अधिक हो गई हैं। नौबत यह आ गई है कि औसतन 6 मिनट पर महिला किसी न किसी तरह के अपराध का निशाना बनती है, हर 47 मिनट में कोई महिला बलात्कार का शिकार होती है जबकि हर 44 मिनट में एक महिला का अपहरण कर लिया जाता है, हर तीसरी महिला अपने पति या किसी संबंधी के अत्याचार का सामना कर रही है और दहेज संबंधी मामलों में हर रोज 70 महिलाएं मौत के मुंह में धकेल दी जाती हैं। पिछले वर्ष 82,818 महिलाएं किसी न किसी अपराध का शिकार हुई थी। पिछले दो दशकों में बलात्कार के मामलों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अपहरण और प्रलोभन देकर महिलाओं को अगुवा करने के मामले में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महिलाओं पर अत्याचार के अधिकांश मामले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश में आये हैं, जहां पर महिलाओं में साक्षरता की दर बहुत कम है और वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं। महिलाऐं बदनामी के डर से रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करती हैं। महिलाओं पर अत्याचार रोकने हैं तो महिलाओं में साक्षरता दर को बढ़ाना होगा। आर्थिक तंगी पर महिलाओं पर अत्याचार का बहुत बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाकों में बहुत से गैंग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जो आदिवासी लड़कियों को प्रलोभन देकर, फुसलाकर यहां पर ले आते हैं और यहां पर उनको बेच देते हैं। यहाँ वेश्यावृति करने के लिए उनको बाध्य किया जाता है। यदि हम महिलाओं का आर्थिक स्तर उठा देंगे तो इन महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को भी रोक सकते हैं।

वैसे सरकार ने बहुत सी स्कीमें महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई हैं। महिला समृद्धि योजना की भी बात कही जा रही थी, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप यह जो स्कीमें चला रहे हैं, इनसे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कितना लाभ होता है, इस बात का आपको आकलन करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में महिलाओं को दो जून की रोटी, दो समय के खाने का इन्तजाम नहीं होता है, वह आपकी महिला समृद्धि योजना में कैसे भाग ले सकती है, इसका भी आप आकलन करें और यह आकलन करें कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आपकी चलने वाली योजनाओं में कितने प्रतिशत भागीदार बन रही हैं। आपको कोई ऐसी योजना चलानी पड़ेगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की भागीदारी हो सके और उनका आर्थिक स्तर बढ़ सके, इसकी मैं आपसे मांग करता हूँ।

बड़े शर्म की बात है कि जहां-जहां पर सत्ताधारी दल के लोग महिलाओं पर अत्याचारों में संलग्न हैं, वहां मामला और गम्भीर बनता जाता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा की सरकार है। डेढ़ साल सरकार को चले हुए हो गये हैं। मैं ईमानदारी से आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है, जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार न हुआ हो। उसमें कौन दोषी है? सपा-बसपा के मंत्री, विधायक और नेता दोषी हैं। इन अपराधों को रोकना है तो सत्ताधारी दलों के लोगों पर भी आपको अवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी और यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जो अपराधों में संलग्न हैं। मैं बहुत सी घटनाओं का उदाहरण दे सकता हूँ। मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड से आने वाली महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। मेरे गाजियाबाद क्षेत्र में प्रकाशवती नामक महिला का अपहरण कर लिया गया, पांच श्रमिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और यह सब बलात्कार करने वाले लोग कौन थे, कौन इसमें भागीदार थे, सत्ताधारी दल के लोग भागीदार थे। इसीलिए प्रशासन उन पर कोई कार्रवाही नहीं कर सका था। आपको इसको रोकने के लिए ऐसे सत्ताधारी दल के लोग जहां पर सत्ता में मौजूद हों और

इस प्रकार के क्रियाकलापों में लगे हैं तो उन पर भी आपको सरकार के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करानी पड़ेगी।

जब महिलाएं सत्ता में भागीदारी बनती है तो उन पर अत्याचार होते हैं। बिहार में खगड़िया विधान सभा क्षेत्र में चन्द्रमुखी नाम की विधायक महिला का चुना जाना उसके परिवार पर अत्याचार का कारण बना। यही नहीं, पंचायती राज एक्ट आपने पास कर दिया, महिलाओं को उसमें 30 परसेण्ट भागीदार बना दिया, यह बहुत अच्छा कार्य आपने किया है लेकिन उत्तर प्रदेश में....**(व्यवधान)** खगड़िया नाम है, वह आपसे सम्बन्धित नहीं है। यह विधायक का मामला है। चन्द्रमुखी देवी को, उसके परिवार को, सब को मारा पीटा गया और किसने मारा पीटा, आपको वह मालूम है, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता..

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आपको यहीं बात कहनी चाहिए जो ओथेण्टिक हो।

डा0 रमेश चन्द तोमर : वह आपसे सम्बन्धित नहीं है, यह मामला सदन में उठ चुका है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मि0 तोमर, हम लोग यहां पर कोई कोर्ट नहीं हैं, हम एवीडेंस नहीं ले रहे हैं, इस पर जजमेंट नहीं दे सकते हैं। आप उसको छोड़कर जनरल पाइण्ट पर आइये।

डा0 रमेश चन्द तोमर : जो पंचायती राज एक्ट में महिलाओं को 30 प्रतिशत की भागीदारी दी गई, यह बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन महिलाओं को वहां पर उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ा। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में तारादेवी नामक महिला को ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगा।

डा0 रमेश चन्द तोमर : एक मिनट में खत्म करता हूँ। मेरे क्षेत्र में हुआ है, इसलिए उसको बताकर मैं बात खत्म करूँगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपका क्षेत्र है तो बोल दीजिए।

डा0 रमेश चन्द तोमर : तारादेवी नामक महिला जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन भरना चाहती थी लेकिन वहां के सपा के विधायक ने उसका अपहरण कर लिया और उसको नामांकन नहीं भरने दिया गया। आप चाहते हैं कि महिलाएं सत्ता में भाग लें और उत्पीड़न सहें तो ऐसी महिलाएं कैसे सत्ता में भाग ले सकती हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में अमलेश चौहान नामक महिला जिला परिषद् पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने के लिए जा रही थी।

वह पीठासीन अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करना चाहती थी...

(व्यवधान) उसको जिला पंचायत के अध्यक्ष सपा के उम्मीदवार ने उठा कर पटक दिया, उसके कपड़े फाड़ दिये गये और उसे वोट नहीं डालने दिया। उसमें पूरी जानकारी गृह मंत्री लें और सदन को अवगत करायें। अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं पर उत्पीड़न रुके तो महिला समाज में जागरूकता लाकर ऐसी घटनाओं को रोकना पड़ेगा।

महिलाओं पर अत्याचार एक सामाजिक बुराई है। समाज में जागरूकता लाकर नारी समाज पर हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सकेगा। इसके लिये नारी समाज को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा बल्कि पूरे समाज की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जब तक समाज की मौजूदा परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आयेगा तब तक महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा।

अध्यक्ष महोदय : पहले यह बात अच्छे ढंग से बोल दी गई है।

डा0 रमेश चन्द तोमर : न्याय की रफ्तार धीमी है। आप ऐसा कठोर कानून बना दें जिससे महिलाओं पर अत्याचार न हो सकें। महिलाओं पर उत्पीड़न निजी मामला न बन कर सामाजिक अपराध बने, तभी ऐसे अपराधों को रोका जा सकेगा। मैं मांग करना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको मांग नहीं करनी है, इस बारे में क्या करना है, यह बतायें।

डा0 रमेश चन्द तोमर : साधारण कोर्ट में महिला अत्याचार के मुकदमें न चलाकर स्पैशल कोर्ट बनायें। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधी लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करके उन्हें दंड दिलाया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, 'महिला' शब्द की बराबरी आंमु की एक बूंद से की गई है। यह तुलना काव्यात्मक रूप में की गयी है। प्राचीन समय में ऐसा किया गया था और यह दुर्भाग्य की बात है कि यह काव्यात्मक परिभाषा आज भी चल रही है।

मैं महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में केवल कुछ बातें उठाना चाहूँगा। एक, जैसा कि सभी सदस्यों ने बताया है, महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराध; दूसरा महिलाओं को पुरुषों के बराबर न समझना; तीसरा महिलाओं या उनके कार्यक्षेत्रों को सामाजिक कलंक समझना, चौथा महिलाओं के लिए आर्थिक और शैक्षिक स्वतंत्रता न होना, पांचवां महिलाओं का शोषण, छठा कानूनों की कमी अथवा कानूनों में पहले से विद्यमान कमियों को दूर करना, सातवां पहले से बने हुए विधान और प्रावधानों को क्रियान्वित करने की इच्छा का अभाव, और अन्त में मैं यह बताऊँगा कि महिलाओं को सत्ता से किस प्रकार अलग रखा जाता है।

मैं इनके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। महिलाओं पर अत्याचार के बारे में इतनी अधिक बातें पहले ही कहीं गई है। विशेषकर आदिवासियों और अन्य निर्धन वर्गों अर्थात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को विशेष रूप से बताया है। आजकल एक इनकी दूसरी श्रेणी बताई गई है और वह है निस्सहाय महिलाएं जो बिना पुरुष के संरक्षण के एक साथ रहती है जैसे भिक्षुणी (नन)। उन पर कई क्षेत्रों में हमले किए जा रहे हैं और उन्हें अनेक प्रायोजनों से क्रूरतापूर्वक मार भी दिया जाता है। जिसे सब जानते हैं।

बराबरी के बारे में, मैं यह बताना चाहूंगा कि यह ऐसी बात नहीं है जिसका समाधान पुरुष ही निकाल सकता है। मैं समझता हूँ कि नारियां ही स्वयं बराबरी पर जोर देने के लिए आगे नहीं आती हैं।

इसमें सामाजिक कलंक लगे होने के कारण अपराधों के संबंध में सबूत या साक्ष्य न देने से उन पर बहुत असर पड़ रहा है। कोई भी महिला न्यायालय में खुल कर गवाही नहीं दे सकती है। और यदि वह देती है तो उसके जिरह के समय काफी कठिनाईयाँ उठानी पड़ती है। यह भी सच है कि महिलाओं के साथ सामाजिक कलंक लगे होने के कारण वे पुलिस स्टेशन या पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत करने या अपनी शिकायतों की पुष्टि के लिए नहीं जा पाती हैं।

आर्थिक और शैक्षिक पहलुओं के संबंध में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और सरकार तथा राज्य सरकारें इस संबंध में काफी कार्य कर भी रहीं हैं परन्तु अभी और कार्य किया जाना बाकी है।

जहां तक कानूनों का सवाल है, नए कानूनों के बारे में जो कि आवश्यक हैं, और वर्तमान कानूनों में कमियों के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। एक कमी, जिसकी ओर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा वह ईसाई औरत को तलाक देने के संबंध में भारतीय विवाह अधिनियम की धारा 10 से संबंधित है। यदि कोई ईसाई औरत तलाक चाहती है तो उसे अपने पति के विरुद्ध व्यभिचार, साथ में अत्याचार का आरोप सिद्ध करना होगा। न्यायालय ने इस प्रावधान को गलत पाया है। जबकि आदमी को केवल व्यभिचार का आरोप सिद्ध करना होता है और उसे अत्याचार का अरोप सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कानून में इतना अधिक अंतर है जो कि कानून की किताब में इतने अधिक समय से है और जिसे उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में गलत बताया है। मैं समझता हूँ कि इस संबंध में संशोधन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। समय की कमी के कारण मैं अन्य कानूनों के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ।

निश्चय ही समाधान अनेक हैं, मैं उनमें से कुछ के बारे में कहना चाहूँगा। मुख्य बात तो दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए, दृष्टिकोण में यह परिवर्तन हर मामले में होना चाहिए। समाज में बदलाव आना चाहिए। हम में बदलाव आना चाहिए। सभी क्षेत्रों में जहां हम काम कर रहे हैं वहां बदलाव आना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है। जहां सामाजिक बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। शिक्षा का तात्पर्य कालेजों अथवा स्कूलों अथवा प्राथमिक स्तर तक के स्कूलों में शिक्षा से नहीं है। अपितु अनेक अन्य एजेंसियों द्वारा दी जा रही शिक्षा से भी है जो महत्वपूर्ण है। साक्षरता कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सुझाव दूंगा कि शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशि में अवश्य ही वृद्धि की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह सब बातें अन्य सदस्य पहले ही बता चुके हैं।

श्री पी.सी. थामस : मैं उनको ब्यौरे से नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें स्वंयसेवी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

शोषण के संबंध में निम्न मजूरी पर बोला गया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यह एक ऐसा पहलू है जहां न केवल कानून होना चाहिए अपितु कार्यकर्ताओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष किया जाना आवश्यक है।

रोजगार के संबंध में यह कहा गया है कि रोजगार में महिलाओं को बराबरी के अवसर नहीं दिए जाते हैं। हमारे पास इसके अनेक उदाहरण हैं। सबने इसे स्वीकार किया है। लेकिन हम बराबर अवसर कैसे दे सकते हैं? यह भी एक प्रश्न है। रोजगार में महिलाओं को बराबर अवसर कैसे दिया जा सकता है? निश्चय ही आरक्षण एक समाधान है। लेकिन हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि आरक्षण से सभी क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। मैं सुझाव दूंगा कि अनेक क्षेत्र हैं जहां महिलाएं अच्छा रोजगार अपना सकती हैं और काफी कमा सकती हैं और उन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। उदाहरण के लिए नर्सिंग का पेशा है। नर्सिंग एक क्षेत्र है जहां...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी.सी. थामस : मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। मैं केवल यह कह रहा था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं की आय बहुत अधिक बढ़ सकती है, यह एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक काम किया है और समूचे संसार को यह दिखला दिया है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वह अच्छा काम कर सकती हैं। मैं सुझाव दूँगा कि नर्सिंग के लिए एक यूनिवर्सिटी आरम्भ की जाए ताकि इसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं अध्ययन कर सकें।

मैं अब न्यायपालिका के संबंध में बोलूंगा। इसमें अधिक संख्या में महिलाओं को आना चाहिए। राजनीति के संबंध में, सत्ता के अलावा, जिसके बारे में पहले ही बोला गया है, जहां...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप राज्य विधान मंडलों और संसद में 30 प्रतिशत आरक्षण करने का समर्थन करते हैं ?

8.00 म.प.

श्री पी.सी. थामस : मैं इसका समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मुझे कुछ भ्रांति हो गई थी।

श्री पी.सी. थामस : मैं समझता हूँ कि यह अच्छा सुझाव है। दुर्भाग्यवश मेरी पार्टी का एक ही सदस्य है और मैं नहीं जानता कि इसको विभाजित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य को बदला जा सकता है।

श्री पी.सी. थामस : हम स्वीकार करते हैं कि यह बड़ा अच्छा सुझाव है और यह ऐसा सुझाव है जिसे क्रियान्वित किया जा सकता है। मैं केवल यह सुझाव दे रहा हूँ कि राज्य विधान मंडलों, संसद और अन्य निकायों में आरक्षण की इस प्रतिशतता के अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि राजनैतिक दलों को अपने यहां इनके प्रतिनिधित्व देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अभी दिया गया प्रतिनिधित्व कम है। समय की कमी के कारण मैं अन्य विषयों पर नहीं बोलूंगा। यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, अभी सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को रखने का काम किया है मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। खास तौर पर देश के पैमाने पर जो नारियों की समस्या है उसमें सबसे बड़ा हम इस बात को मानते हैं कि जो अशिक्षित नारियां हैं वे अपने आप में एक समस्या बन कर रह गई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को एक ऐसी व्यापक योजना बनानी चाहिए जो गांव-गांव तक नारियों को एकजुट करे और हमारे यहां देश के पैमाने पर जो आंकड़ा है, वह आधा-आधा पापुलेशन का है। आधे पुरुष हैं और आधी नारियां हैं। वहां शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी कम नारियां शिक्षित हैं इसलिए सरकार को एक संकल्प लेकर पूरे देश के पैमाने पर गांव-गांव तक शिक्षा का प्रसार और प्रचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस दिन हमारे देश की नारियां शिक्षित हो जाएंगी उस दिन वे अपने आप में सबल हो जाएंगी। वे शिक्षित होंगी तो उनकी आने वाली जनरेशन भी शिक्षा के दृष्टिकोण से सबल होगी। खासतौर पर बच्चे अपनी माँ के साथ ज्यादा समय देते हैं। इस देश की सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को एक ठोस, व्यापक योजना बनानी चाहिए कि नारियों को अधिक से अधिक शिक्षित करें और उनकी अपने आप में सबलता लाने का काम करें, यह मेरा पहला सवाल है।

दूसरा मेरा कहना यह है कि जो सामाजिक विषमता है, हमारे देश में जो नारियों और पुरुषों के बीच में भेदभाव है इसको दूर करना होगा। मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल विल पावर होनी चाहिए। चाहे पोलिटिकल पार्टी के लोग हों, सब को बैठक कर एक निर्णय, संकल्प लेना चाहिए। इसमें राजनेताओं को आगे आना होगा। मैं समझता हूँ कि इस संकल्प के साथ एक अभियान छोड़ा जाए। सामाजिक संगठनों के माध्यम से काम नहीं चल सकता, अपने आप में एक संकल्प लेकर अगर हम निश्चित तौर पर इस भेद को मिटाने की कोशिश करेंगे, आदमी और औरत के फर्क को अगर हम समाप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर जो नारी आज बोझ बन गई है। वह कठिनाई दूर होगी। इसके लिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और सरकार को भी एक योजना बनानी चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि आज देश में जो दहेज की प्रथा है, जिससे कि नारी काफी परेशानी में है, अगर यह समाप्त हो जाए तो मैं समझता हूँ कि नारी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। अभी जैसे सुमित्रा जी ने बताया कि बच्चा पैदा भी नहीं होता है उसके पहले ही अभिभावक यह सोचने लगते है कि कहीं लड़की पैदा न हो जाए। इसका मूल कारण यह है कि आज जो दहेज प्रथा पूरे देश के पैमाने पर फैली हुई है इसको खत्म किया जाए तो मैं समझता हूँ कि नारियों की बहुत समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए इस पर भी पोलिटिकल पार्टी के लोगों को बैठ कर निर्णय लेना होगा, अपने आप में एक संकल्प लेना होगा। इस संसद में बैठे हुए हमारे जो माननीय सदस्य हैं वहीं प्रतिज्ञा ले लें कि हम किसी भी कीमत पर न दहेज लेंगे, न देंगे तो उसका भी असर नीचे के पैमाने पर जाएगा।

मैं समझता हूँ कि इसका असर भी निचले पैमाने तक होगा। जिस दिन दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, उस दिन नारी की समस्या दूर हो जाएगी। एक-दो बातें और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।

अध्यक्ष महोदय, नारी को संपत्ति में बराबर का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। जिस दिन नारी को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिल जाएगी, उस दिन उसकी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके लिए एक ठोस कानून की आवश्यकता है। यह कानून जल्दी ही लाया जाना चाहिए। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को कठोर सजा मिलने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस तरह से नारी की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।

एक चीज मैं विशेषतौर पर कहना चाहूंगा। इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के सभी लोग बैठ कर विचार-विमर्श करें, सारे भेदभावों से ऊपर उठ कर विचार करें कि नारी पर हो रहे अत्याचारों को कैसे दूर किया जाए। यदि सरकार का दिल और दिमाग साफ हो, मिल-पाकर हो तो वर्तमान कानूनों को भी सही ढंग से कार्यान्वित कर दिया जाए, तब भी यह समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। इसके साथ-साथ एक ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है और सारे सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाए तो इस समस्या में व्यापक रूप में कमी आएगी।

अध्यक्ष महोदय, नारी एक शक्ति है, माँ के रूप में है और सदियों से हमारे यहां इस शक्ति की पूजा होती है। आज भी हम इसकी महत्ता को समझें, इसकी पूजा करें, लेकिन आज माँ का अपमान हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस संबंध में एक ठोस विचार लाए, एक ठोस प्रस्ताव लाए, जिनमें सभी माननीय सदस्यों के विचार सम्मिलित हों और आए दिन नारी पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, नहीं तो आने वाले दिन देश के लिए भयावह होंगे। उस भयावह परिस्थिति को रोकने के लिए हम शीघ्र कदम उठाऐं, यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं इस सभा में अपने अन्य साथियों द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूँ।

सबसे पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि यह महिलाओं पर दया दिखाने का प्रश्न नहीं है अपितु यह समूचे समाज का कर्त्तव्य है कि वह महिलाओं की रक्षा करे, महिलाओं के उत्थान से ही सामाजिक उत्थान हो सकता है।

हमें एक प्रबल सामाजिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता है और उस सामाजिक सुधार आंदोलन में यह मामला सामने लाया जाना चाहिए।

इसलिए मैं सभा की ओर से आपके अपील करूँगा कि एक संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें समूचे राष्ट्र से यह अपील की जानी चाहिए कि इस सामाजिक सुधार आंदोलन में सभी राजनैतिक दल, संगठन और लोग इस महान प्रयास में शामिल हों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पश्चिमी देशों में, भौतिक प्रगति होने के बावजूद नैतिक और सामाजिक पतन के कारण यौन उत्पीड़न की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। हमें इस बढ़ती हुई समस्या से निबटना होगा।

इसलिए अन्य साथियों द्वारा दिए गए सुझावों के साथ-साथ एक प्रबल सामाजिक सुधार आंदोलन को आरम्भ किए जाने की आवश्यकता है। आप संसद की ओर से भी राष्ट्र से अपील कर सकते हैं ताकि हम सभ्यता की इस विकराल समस्या से मिल कर लड़ सकें। ... (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्री तेज नारायण सिंह जी जब अपना भाषण पूरा कर देंगे तो मंत्री महोदय उसका उत्तर अभी के बजाए कल दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि यदि मंत्री महोदय कल उत्तर देना चाहें तो मैं कल उनके उत्तर के लिए समय निकालूंगा।

[हिन्दी]

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, अब तो एक ही वक्ता तेज नारायण सिंह जी बचे हैं, श्रोता तो केवल मैं ही रह गया हूँ। बाकी सब वक्ता हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि यदि आप कल उत्तर देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए समय निकालूंगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : ठीक है, महोदय।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह अधिक ठीक रहेगा, महोदय, क्योंकि तब वे इस समस्या के लिए विस्तृत दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो विस्तृत रूप में और पूरी तरह से आप दोनों कल इसका उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरतों पर बहुत तरह से अत्याचार होते हैं और कानून के मुताबिक जो उन्हें मदद मिलनी चाहिए वह मदद उन्हें नहीं मिलती है। औरतों और मर्दों को कानून के अनुसार बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें बराबर मजदूरी नहीं मिलती है। लेबर-लॉ तो बने हुए हैं लेकिन लेबर-इंस्पेक्टर ने यह हक दिलवाने का काम नहीं किया है। अतः इस एक्ट को बदलने का समय आ गया है। ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो स्त्री और पुरुष को बराबरी मजदूरी न दे उसे दंड मिलना चाहिए।

दहेज प्रथा के चलते जो औरतों की जानें ले ली जाती हैं उसमें आप देखें कि केवल पुरुष ही दोषी नहीं होता है। देखने में आता है कि अगर बेटे वाला कहता है कि लड़की वाले ने दहेज नहीं दिया है। तो घर में सास भी बोलने लगती है कि इसके बाप ने दहेज नहीं दिया है। मैं समझता हूँ कि औरत का दहेज के खिलाफ बोलना ज्यादा खतरनाक होता है।

हम बहुत-सी फिल्मों में देखते हैं कि औरतों की बातें औरत खत्म ही करती हैं। औरत भी औरत की जान लेने का कार्य करती है। इसलिए गांव-गांव में स्कूल खोलने की आवश्यकता है जिससे औरतों को शिक्षा मिले जिससे वह समझें कि जो औरत हमारे घर आई वह भी हमारी बहन है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो तो दहेज के चलते जो जानें जाती हैं उसमें कमी आयेगी। साथ ही साथ अगर औरत तैयार हो जाए कि पुरुष को दहेज नहीं लेना चाहिए तो यह समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस औरत के लिए कानून बना है वह औरत भी दूसरी औरत की

जान लेने की कोशिश करती है।

साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में भी औरत को नीचा दिखाया गया है। मुस्लिम धर्म के मुताबिक औरत को मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं है। और हिंदू धर्म के मुताबिक पिता की मौत के बाद बेटे को ही मुंह में आग देने का अधिकार दिया गया है। इसलिए धर्म के आधार पर जो नफरत औरतों के प्रति दिखाई देती है उसे भी समाप्त किया जाना चाहिए।

औरतों की संख्या आधी के बराबर है इसलिए लोक सभा और विधान सभाओं में उनके लिए सीटें भी बराबर रिजर्व होनी चाहिएं। मंडल कमीशन या जो भी उनके लिए आरक्षण करना हो वह कानून होना चाहिए जिससे वह अधिक से अधिक संख्या में लोक सभा व विधान सभाओं में आ सकें।

सरकारी नौकरियों में उनके लिए जगह खाली रखनी चाहिए जिससे वे अधिक से अधिक संख्या में वहां स्थान पा सकें। हिन्दू लॉ के आर्टिकल 256 में लिखा हुआ है कि पिता की सम्पत्ति में जब तक बाप-बेटे में बंटवारा न हो वह हिस्सा नहीं ले सकती है। केवल उनको मैंटेनेंस लेने का अधिकार है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही धर्मों में संशोधन की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर यह संशोधन हो जाता है और वर्तमान काननू को ठीक से लागू कर दिया जाता है तो औरतों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वे समाप्त हो जायेंगे।

मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को जिन्होंने रेप केस में यह होल्ड किया कि मेडिकल रिपोर्ट रेप केस में जरूरी नहीं है। जिस समय यह कानून बना था उसके पहले रेप केस में मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती थी तो मुदाले का कंवीक्शन नहीं होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है और औरत का लिखित स्टेटमेंट है तो उसके आधार पर मुदाले का कंवीक्शन होगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह के कानून बनाये जायें चाहे मारपीट का मुकद्मा हो या और कोई हो उसमें गवाह नहीं भी रहें तो उसमें अगर कंवीक्शन हो जाता है तो मैं समझता हूं आधा अत्याचार समाप्त हो जायेगा। इसलिए जरूरी है कि काननू में परिवर्तन किये जायें। अगर यह हो जाता है तो औरतों पर अत्याचार समाप्त हो जायेगा।

यह मामला सदन में गीता मुखर्जी के द्वारा उठाया गया, उनको धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि उनकी जिन्दगी कुछ और दिन बढ़ जाये।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री महोदय आप कब उत्तर देना चाहेंगे? क्या आप कल उत्तर देंगे?

श्री पी.एम. सईद : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो उत्तर कल प्रश्न काल के तुरंत बाद दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक रहेगा, यदि उत्तर शीघ्र प्रश्न काल के बाद दिया जाता है तो उस समय अनेक सदस्य भी उपस्थित होंगे। यदि आज हम अधिक संख्या में नहीं है तो कल उत्तर देते समय अधिक संख्या में सदस्य होंगे।

श्री पी.एम. सईद : उन्हें भी सुनने का लाभ मिलना चाहिए। महोदय, मैं और श्रीमती वासवा राजेश्वरी दोनों बोलेंगे।

श्रीमती गिरिजा व्यास (उदयपुर) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय श्री राम लखन सिंह यादव जी पूरा वाद-विवाद सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बातें कही गई हैं उन्हें छांटा जा सकता है। और यथासंभव उनका सटीक उत्तर दिया जा सकता है। विधि, शिक्षा, सामाजिक स्थिति संबंधी कई मुद्दे उठाए गए हैं। संदर्शी योजना की भी बातें की गई हैं और कई अन्य अच्छी बातों को भी कहा गया है।

श्री पी.एम. सईद : विधि शिक्षा और न्यायपालिकाओं के संबंध में अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, विधि, शिक्षा और अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि कल आप इसका उत्तर दे सकते हैं।

हम इस वाद-विवाद पर गहरी रुचि दिखाने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहेंगे।

श्री पी.एम. सईद : हम आपको भी धन्यवाद देते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने यहां समय दिया इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आप इसी तरह से हम पर कृपा बनाये रखें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सभा कल 26 मई, 1995 को 11 म.पू. तक के लिए स्थगित होती है।

8.17 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 26 मई, 1995/ 5 ज्येष्ठ, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.-48.41.35.95 (एन.)
250

© 1995 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और नेशनल प्रिंटर्स, 20/3 , वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 द्वारा मुद्रित